संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

मार्च 2021

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 1

भौगोलिक घटनाक्रम 7

भारत में आकाशीय बिजली की समस्या 7

वैनेडियम (Vanadium) 9

नए मानसून मॉडल 9

इतिहास, कला एवं संस्कृति 11

मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ निर्माण कला 11

थर्मोपोलियम (Thermopolium) 12

सुभाषचंद्र बोस : एक क्रांतिकारी देशभक्त 13

प्राचीनतम गुहा चित्रकारी की खोज का महत्त्व 15

समाज एवं महिलाएँ 16

कृषि में महिलाओं का योगदान 16

टैम्पोन टैक्स (Tampon Tax) 17

अर्जेंटीना में गर्भपात को वैधता और संबंधित पहलू 18

घरेलू कार्यों में महिलाओं का योगदान : मूल्यांकन का आभाव 20

मैनुअल स्केवेंजर्स प्रथा से संबंधित समस्याएँ 22

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 25

सऊदी अरब और कतर के संबंधों में नए आयाम 25

ब्रेक्जिट समझौते के बाद होने वाले बदलाव 26

सूडान के लिये समझौते का निहितार्थ 28

ग्रैंड पुनर्जागरण बाँध और अफ्रीकी देशों में उभरते मतभेद 29

दक्षिण कोरिया में नकारात्मक प्रतिस्थापन दर 31

ईरान परमाणु समझौता और अमेरिकी दृष्टिकोण 33

चीन और नेपाल के बीच सीमा विवाद 34

कीस्टोन XL पाइपलाइन परियोजना 36

अमेरिका की धारा 230 37

पश्चिम अफ्रीका में साहेल तथा चाड झील क्षेत्र 38

भारत एवं विश्व 40

नए भारतीय मिशन 40
भारत की दो-तरफा चुनौतियाँ 41
समुद्री अधिकार क्षेत्र जागरूकता तथा भारत के बढ़ते प्रयास 44
भारत द्वारा वियतनाम को चावल का निर्यात 46
उपक्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग : भारत का उभरता दृष्टिकोण 47
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सहायक निकाय 48
नौसेना और मछुआरों के बीच बढ़ता तनाव 49
संयुक्त राष्ट्र में भारत 51
भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएँ 53
विकिपीडिया के 20 वर्ष और भारत 55
'डिफिकल्ट फोर' देश 56
सार्क को नई संजीवनी प्रदान करना 57

राजव्यवस्था 60

धर्मांतरण के विरुद्ध अध्यादेश : एक समीक्षा 60
गंभीर मामलों में जाँच की अवधि कम करना 62
आधार समीक्षा याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय 63
दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 32A 64
कृषि कानून और उनकी संवैधानिक वैधता 65
सशस्त्र बलों में व्यभिचार और कानून 66
विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण 68

स्वास्थ्य 71

एथनोमेडिसिन : विलोपन के कगार पर 71
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 : प्रमुख निष्कर्ष 73
हाइपोथर्मिया (Hypothermia) 75
देश की पहली न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 'न्यूमोसिल' 76
भारत में एनीमिया की चिंताजनक स्थिति 77

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3

ऊर्जा एवं अवसरंचना विकास 80

स्पेक्ट्रम की नीलामी 80
सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल 81

कृषि एवं अर्थव्यवस्था.....83

शहरी रोज़गार से संबंधित पहलू 83

चुनावी बॉण्ड और सूचना का अधिकार 84

प्रवर्तन निदेशालय और संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया.....86

जम्मू-कश्मीर के लिये नई औद्योगिक विकास योजना 87

डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index).....88

लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) प्रणाली.....88

शैडो उद्यमिता का विकास.....89

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक 91

कृषि कानूनों पर आई.एम.एफ. का दृष्टिकोण 92

कृषि ऋण और छोटे किसान 93

MICE पर्यटन की संभावनाएँ.....94

एन.पी.ए. की समस्या और बैड बैंक.....96

भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जारी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग.....98

कारावास पर्यटन.....99

लौह अयस्क नीति, 2021 99

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0.....100

भारतीय नवाचार सूचकांक, 2020 101

हरित बॉन्ड.....101

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 103

मानव निर्मित आर्द्रभूमि और अपशिष्ट जल का शोधन.....103

दीपोर बील (Deepor Beel) 104

पोंग डैम (Pong Dam).....105

प्राकृतिक पूँजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन 106

मानव-वन्यजीव संघर्ष.....108

विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण और आदिवासी एवं देशज लोगों के अधिकार 108

त्सो कार आर्द्रभूमि परिसर (Tso Kar Wetland Complex).....111

प्रौद्योगिकियों में दुर्लभ पार्थिव धातुएँ : एक विश्लेषण.....112

समुद्री शैवाल : संरक्षण की आवश्यकता.....113

हिमाचल प्रदेश में दावानल की बढ़ती घटनाएँ.....115

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, 2020 117
भारत का आर्कटिक नीति मसौदा 117
खनिज संसाधनों का दोहन और अंतर-पीढ़ीगत समता 118
फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट 120
सुंदरवन बायोस्फीयर रिज़र्व के पक्षी 120

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 122

डिजिटल ओशन 122
चंद्रमा पर नाभिकीय संयंत्र 122
ट्रांसफैट की अनुमन्य मात्रा 123
जियो-इंजीनियरिंग (Geo-Engineering) 124
फ्लू गैस डी-सल्फराइज़ेशन 126
होलोपोर्टेशन (Holoportation) 126
मैग्नेटोटेल्यूरिक (Magnetotelluric) 127
क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (Quantum Random Number Generator) 127
रुथेनियम-106 (Ruthenium-106) 128
अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश 128
अनाज से इथेनॉल 129
भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) 130
2D-इलेक्ट्रॉन गैस (2DEG) 131
5G तकनीक और भारत 132
हाई स्पीड रेल गलियारे के लिये लिडार सर्वेक्षण 133

विविध 135

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सेवा 135
सागरमाला सीप्लेन सेवा 136
लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स 137
मौसम विज्ञान केंद्र, लेह (Meteorological Centre, Leh) 138
शेंगेन क्षेत्र 138
बनाना ग्रिट (Banana Grit) 139
लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ((Longitudinal Ageing Study)) 139
मोरिंगा पाउडर 140

गुच्छी मशरूम.....140
उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना.....141
ड्रैगन फल 141
ऑप्टिकल ग्राउंड वायर.....142
ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना.....142
मीलवॉर्म 143
मुकुंदपुरा सी.एम. 2 143
राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद्.....144

जिस्ट.....145

स्वतंत्रता के 75 वर्ष.....145
भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन.....145
भारत निर्माण में उद्योगों की भूमिका.....146
नए भारत की शिक्षा.....150
अंतरिक्ष में भारत की सफल उड़ान.....151
राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास.....153
ग्रामीण विकास के लिये समग्र दृष्टिकोण.....156
सतत् ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्र का महत्त्व.....158
पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण.....161

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
इन कोर्सेज़ के वीडियो के साथ-साथ पाठ्य-सामग्री प्रिंटेड फॉर्म में कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।
सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

1 भौगोलिक घटनाक्रम

भारत में आकाशीय बिजली की समस्या

संदर्भ

भारत में आकाशीय बिजली गिरने (Lightning Strike) से होने वाली मृत्यु एक बड़ी समस्या है। हाल ही में, प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, आकाशीय बिजली से अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच भारत में लगभग 1,771 मौतें हुईं, जिनमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही, कुल होने वाली मौतों में 60% उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड में हुई हैं।

आकाशीय बिजली

- आकाशीय बिजली उच्च वोल्टेज और बहुत कम अवधि के लिये बादल और स्थल के बीच या बादल के भीतर प्राकृतिक रूप से विद्युत निस्सरण (Eelectrical Discharge) की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में तीव्र प्रकाश, गरज, चमक के साथ आवाज़ भी होती है।
- इंटर क्लाउड (अंतर मेघ) या इंट्रा क्लाउड/IC (अंतरा मेघ) आकाशीय बिजली हानिरहित होती है, जबकि क्लाउड टू ग्राउंड/CG (बादल से पृथ्वी तक आने वाली) आकाशीय बिजली 'हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट' के कारण हानिकारक होती है।

आकाशीय बिजली की प्रक्रिया

- आकाशीय बिजली लगभग 10-12 किमी. की ऊँचाई पर नमीयुक्त बादलों से उत्पन्न होती है। आमतौर पर इन बादलों का आधार पृथ्वी की सतह से 1-2 किमी. की ऊँचाई पर और अधिकतम 12-13 किमी. की ऊँचाई पर होता है। अधिकतम ऊँचाई पर तापमान 35°C से 45°C के मध्य होता है।
- इन बादलों में जलवाष्प जैसे-जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है, वैसे-वैसे तापमान कम होने के कारण यह संघनित हो जाती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा जल के अणुओं को और ऊपर धकेल देती है।
- जैसे ही ये अणु 0°C के पार पहुँचते हैं, जल की बूंदें बर्फ के छोटे-छोटे क्रिस्टलों में बदल जाती हैं। जैसे-जैसे ये क्रिस्टल ऊपर की ओर जाते हैं, उनके द्रव्यमान में वृद्धि होती रहती है और एक समय के बाद अत्यधिक भारी होने के कारण वे नीचे गिरने लगते हैं।
- इस प्रकार, एक ऐसी प्रणाली का निर्माण हो जाता है जहाँ बर्फ के छोटे क्रिस्टल ऊपर की ओर जबकि बड़े क्रिस्टल नीचे की ओर आने लगते हैं। इन क्रिस्टलों के बीच जब टक्कर होती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं जो विद्युत चिंगारी (Electric Spark) उत्पन्न होने जैसी ही घटना है।
- मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बादल की शीर्ष परत धनात्मक, जबकि मध्य परत ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है।
- इससे इन दो परतों के बीच बहुत अधिक विभवांतर (Potential Difference) उत्पन्न होता है और काफी कम समय में ही दोनों परतों के बीच विद्युत धारा का अत्यधिक प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। परिणामस्वरूप ऊष्मा पैदा होती है, जिससे बादल की दोनों परतों के बीच वायु स्तंभ गर्म हो जाते हैं। इन गर्म वायु स्तंभों के प्रसार से शॉक वेव उत्पन्न होती है, परिणामस्वरूप मेघगर्जन और बिजली उत्पन्न होती है।
- पृथ्वी बिजली की एक अच्छी संवाहक है, परंतु वैद्युत रूप से उदासीन है। हालाँकि, बादल की मध्य परत की तुलना में यह धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह पृथ्वी की ओर होने लगता है।

- विदित है कि वेनेजुएला में माराकीबो (Maracaibo) झील के तट पर सबसे अधिक बिजली गिरने की घटनाएँ होती हैं।

आकाशीय बिजली के पूर्वानुमानों में प्रयुक्त तकनीक

- आकाशीय बिजली के पूर्वानुमानों के प्रसार के लिये 'क्लाइमेट रेजीलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल' (CRO PC) का 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (IMD) के साथ एक 'समझौता ज्ञापन' है। पूर्वानुमानों के लिये उपग्रह अवलोकन, डॉप्लर और अन्य रडार के नेटवर्क से प्राप्त इनपुट, डिटेक्शन सेंसर का प्रयोग किया जाता है।
- यह पूर्व-मानसून के दौरान एक सप्ताह तक के संभावित लीड समय के साथ आकाशीय बिजली के पूर्वानुमानों में सक्षम है।
- भारत में ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने की सर्वाधिक घटनाएँ होती हैं, जबकि मौतें अपेक्षाकृत कम होती हैं। फानी चक्रवात के दौरान बिजली गिरने की एक लाख से अधिक घटनाएँ हुईं, जबकि इससे कोई भी मौत नहीं हुई। इसका प्रमुख कारण फानी के दौरान बनाए गए आश्रय स्थलों पर लाइटनिंग अरेस्टर को स्थापित किया जाना था।

आकाशीय बिजली का आर्थिक प्रभाव

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों के लिये मुआवज़े को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 13,994 मौतें हुईं, जिससे लगभग 359 करोड़ रुपए का मुआवज़ा देना पड़ा। साथ ही बिजली गिरने से जानवरों की मृत्यु के कारण भी आर्थिक क्षति हुई है।

समस्या और उपाय

- आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को और कम करने के लिये लाइटनिंग रेजीलियंट इंडिया अभियान में अत्यधिक भागीदारी के साथ-साथ आकाशीय बिजली के जोखिम प्रबंधन में अधिक व्यापकता की आवश्यकता है।
- आकाशीय बिजली से संबंधित पूर्वानुमान और चेतावनी मोबाइल पर संदेशों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, परंतु यह सुविधा सभी क्षेत्रों और सभी भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। साथ ही जागरूकता में कमी भी इससे होने वाली मौतों का एक कारण है।
- आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएँ एक निश्चित अवधि के दौरान और एक समान पैटर्न में लगभग समरूप भौगोलिक स्थानों में होती हैं। कालबैसाखी-नॉरवेस्टर्स (आकाशीय बिज़ली के साथ तड़ित झंझा) से पूर्वी भारत में मौतें होती हैं, जबकि प्री-मानसून में बिजली गिरने से होने वाली मौतें ज़्यादातर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यू.पी. में होती हैं। अत: किसानों, चरवाहों, बच्चों और खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये पूर्व चेतावनी महत्त्वपूर्ण है।
- साथ ही 'स्थानीय आकाशीय बिजली सुरक्षा कार्ययोजना' के तहत आकाशीय बिजली संरक्षण उपकरण (Lightning Protection Devices) स्थापित करना भी मौतों को रोकने के लिये आवश्यक है।
- बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जानवरों की भी मौतें होती हैं। हालाँकि, पशुपालन मंत्रालय के पास पशु आपदा प्रबंधन योजना है, परंतु बिजली के घातक नुकसान से संबंधित कोई अनुपालन (Compliance) नहीं है।

आगे की राह

- ध्यातव्य है कि 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' (NDMA) ने राज्यों को लाइटनिंग एक्शन प्लान तैयार करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं, परंतु बड़ी संख्या में हो रही मौतों से स्पष्ट है कि इसके क्रियान्वयन में 'वैज्ञानिक और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण' की आवश्यकता है।

- सी.आर.ओ.पी.सी. की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार और अधिकांश राज्यों ने आकाशीय बिजली को आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं किया है जिससे दिशा-निर्देश, एक्शन प्लान और राहत उपायों के लिये मार्गदर्शन बनाने में समस्या आती है।
- आकाशीय बिजली के मानचित्रण से बिजली गिरने की आवृत्ति, तीव्रता, अंतर्निहित ऊर्जा, उच्च तापमान और अन्य प्रतिकूल प्रभावों व जोखिम की जानकारी मिलेगी, जो भारत के लिये 'लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम' का आधार बनने में सहायक होगी।

क्लाइमेट रेजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC)

यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो आकाशीय बिजली के पूर्वानुमानों के उद्देश्य से 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (IMD) के साथ-साथ 'भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान' (IITM), 'भारतीय मौसम विज्ञान संस्था' (IMS) और वर्ल्ड विज़न इंडिया के साथ मिलकर कार्य करता है।

वैनेडियम (Vanadium)

संदर्भ

हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे ज़िले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में पैलियो-प्रोटरोजोइक कार्बनलेस फाइलाइट चट्टानों में वैनेडियम के वृहद निक्षेप पाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश को वैनेडियम के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में देखा जा रहा है जो भविष्य में भारत के वैनेडियम आयात को कम करने में सहायक होगा।

प्रमुख बिंदु

- वैनेडियम (V) की परमाणु संख्या 23 है। यह एक कठोर, सिल्वर-ग्रे (धूसर) रंग की आघातवर्धनीय (Malleable) धातु है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले दुर्लभ तत्त्वों में से एक है। इसे वैनैडिफेरस मैग्नेटाइट अयस्क (लौह अयस्क) के प्रसंस्करण से एकत्र धातुमल (Slag) के उपोत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह एक मूल्यवान धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मज़बूती प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- विश्व में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है, इसके बाद रूस और दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। चीन विश्व के 57% वैनेडियम उत्पादन के साथ इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत इसका एक महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता है लेकिन प्राथमिक उत्पादक नहीं है। जी.एस.आई. के आँकड़ों के अनुसार, भारत ने वर्ष 2017 में विश्व-भर में उत्पादित लगभग 84,000 टन वैनेडियम के 4% का उपभोग किया है।

नए मानसून मॉडल

संदर्भ

'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' (IMD) मौसम के बेहतर पूर्वानुमान के लिये नए मानसून मॉडलों को प्रस्तुत करने पर विचार कर रहा है।

नए मानसून मॉडलों की आवश्यकता क्यों?

- वर्तमान मानसून मॉडल मौसम की अनिश्चिताओं के अनुसार मौसम की भविष्यवाणी करने में पूर्णता सक्षम नहीं हैं।
- ये मॉडल मानसून की स्थिति, भारी वर्षा या सूखे की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं।

- वर्ष 2019 तथा 2020 में दर्ज किया गया मानसून अन्य वर्षों की तुलना में भिन्न था। विगत 100 वर्षों में भारत में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब 2 वर्षों में लगातार सामान्य से अधिक वर्षा हुई।
- वर्ष 2019 में मानसून विगत 25 वर्षों में सर्वाधिक रहा, जबकि आई.एम.डी. वर्षा की अधिकता के संबंध में जानकारी देने में विफल रहा। यह केवल इतनी जानकारी ही दे सका कि इस वर्ष वर्षा सामान्य से अधिक होगी।
- अत: एक बेहतर मानसून मॉडल को अपनाकर मौसम की सटीक जानकारी के आधार पर मानसून आगमन तथा वर्षा की मात्रा के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नए मानसून मॉडल

आई.एम.डी, पुणे के क्लाइमेट रिसर्च सर्विसेज के अनुसार, इस वर्ष 3 अलग-अलग मानसून मॉडलों का परीक्षण किया जा सकता है, जिनमें दो मॉडल गतिशील तथा एक सांख्यिकीय मॉडल होंगे।

- ये 3 मॉडल हैं–
  - पहला, गतिशील 12 वैश्विक परिसंचरण मॉडल (गतिशील) है, जिसके परिणामों को एकल सिग्नल से जोड़ा जाएगा।
  - दूसरा, मॉडल है जो समुद्री सतह के तापमान के आधार पर वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाएगा।
  - तीसरा, सांख्यिकीय मॉडल होगा जो मानसून से पहले के जलवायु घटकों के आधार पर मौसम की जानकारी प्रदान करेगा।
- ये सभी मॉडल टुकड़ों में होंगे अर्थात् औसत परिणाम प्राप्त करने के लिये इन छोटे-छोटे मॉडलों को सयुंक्त रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।
- वर्तमान में सुपरकंप्यूटर पर जलवायु के दैनिक आँकड़ों के निरीक्षण और पारंपरिक सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर मौसम संबंधी आँकड़े जारी किये जाते हैं तथा इनकी भविष्यवाणी की जाती है।

2 इतिहास, कला एवं संस्कृति

मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ निर्माण कला

संदर्भ

हाल ही में, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के समर्पित प्रयासों से 1000 वर्ष पुरानी परंपरागत 'मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ निर्माण कला' पुनः जीवित हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ निर्माण कला लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में स्थानीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई थी।
- उत्कृष्ट बनावट वाले हस्तनिर्मित कागज़ों को स्थानीय भाषा में 'मोन शुगु' कहा जाता है।
- इस कागज़ का विशेष ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व है, क्योंकि इसका प्रयोग बौद्ध मठों में धर्मग्रंथों और स्तुति गान लिखने के लिये भी किया जाता है।
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज़, शुगु शेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाता है, जो अपने औषधीय गुणों के लिये जाना जाता है। अतः इस कागज़ के लिये कच्चे माल की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न नहीं होती।
- पूर्व में, मोनपा का उत्पादन इतने वृहद स्तर पर होता था कि इन कागज़ों को तिब्बत, भूटान, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में भी बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इन देशों में कागज़ उत्पादन का कोई स्थापित उद्योग मौजूद नहीं था।
- लेकिन धीरे-धीरे स्थानीय उद्योग में गिरावट होने लगी और स्वदेशी हस्तनिर्मित कागज़ का स्थान निम्नस्तरीय चीनी कागज़ ने ले लिया।

कागज़ उद्योग के पुनरुद्धार के प्रयास

- मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ उद्योग के पुनरुद्धार का प्रयास वर्ष 1994 में किया गया था, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि तवांग की विभिन्न भौगोलिक चुनौतियों के कारण यह बहुत ही कठिन कार्य था।
- ध्यातव्य है कि हस्तनिर्मित कागज़ के उच्च वाणिज्यिक महत्त्व हैं। अतः यह विशिष्ट स्थानीय उत्पाद के रूप में प्रधानमंत्री के 'स्थानीय से वैश्विक' मंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा साबित हो सकता है।
- हस्तनिर्मित कागज़ के अलावा, तवांग को दो अन्य स्थानीय कलाओं के लिये भी जाना जाता है– हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन और हस्तनिर्मित फर्नीचर, जो समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। के.वी.आई.सी. द्वारा छह महीने के अंदर इन दोनों स्थानीय कलाओं के पुनरुद्धार के लिये योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। कुम्हार सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों का पुनरुद्धार बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।
- मोनपा हस्तनिर्मित कागज़ यूनिट स्थानीय युवाओं के लिये एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी। के.वी.आई.सी. देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की अन्य इकाइयों की स्थापना भी करेगा।
- ध्यातव्य है कि तवांग में 'अभिनव' प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ का उत्पादन इस क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे में कमी लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

थर्मोपोलियम (Thermopolium)

संदर्भ

हाल ही में, पुरातत्त्वविदों की एक टीम ने रोमन साम्राज्य के पोंपई शहर में एक प्राचीन फास्ट फूड काउंटर 'थर्मोपोलियम' का पता लगाया है।

प्रमुख बिंदु

- यह फास्ट फूड काउंटर लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जा रहा है, जिसे इस शहर में एक असाधारण अवस्था में संरक्षित किया गया था।
- काउंटर को पक्षियों के चमकीले रंग के भित्तिचित्र और समुद्र के निचले भाग की तस्वीर से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त, एक मुर्गी को एक लाल शिखा तथा भूरे पंख के साथ चित्रित किया गया है।
- यहाँ स्टॉल के कंटेनरों में सूअर का मांस, मछली, घोंघे और गोमांस के कण पाए गए हैं जिससे यह माना गया है कि इनका प्रयोग प्राचीन व्यंजनों में किया जाता होगा।
- बेहतर तरीके से संरक्षित थर्मोपोलियम की खोज शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद कर सकती है कि पोंपई में लोग केसे रहते थे और उन्होंने 2,000 साल पहले क्या खाया था। साथ ही, यह शहर के निवासियों द्वारा उपभोग किये गए भोजन की विविधता को भी दर्शाता है।
- विदित है कि वर्ष 2019 में पोंपई के पुरातात्त्विक पार्क रेजियो वी में थर्मोपोलियम नामक फास्ट फूड काउंटर की आंशिक रूप से खुदाई की गई थी।
- हाल ही में, इटली के संस्कृति मंत्रालय ने माउंट विसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट में दो पुरुषों के पूर्णता संरक्षित अवशेषों के पाए जाने की घोषणा भी की थी।

पोंपई शहर

- पोंपई दक्षिणी इटली के केंपानिया क्षेत्र में नेपल्स की खाड़ी पर स्थित है जो रोम के कुलीन नागरिकों के लिये एक रिसोर्ट शहर के रूप में जाना जाता है।
- 2000 वर्ष पूर्व 79 ई. में माउंट विसुवियस के विस्फोट के बाद यह शहर ज्वालामुखीय मलबे से पूरी तरह दब गया था।
- पोंपई शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सुभाषचंद्र बोस : एक क्रांतिकारी देशभक्त

संदर्भ

23 जनवरी को नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाई गई। बोस को अदम्य साहस और प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी जयंती के अवसर उनसे जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम में सुभाषचंद्र बोस का योगदान

- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस एक उपनिवेश नेता के रूप में उभरे। बोस वर्ष 1921 में कांग्रेस के साथ जुड़े और महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए।
- इन्होंने वर्ष 1921 में आई.सी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन मातृभूमि की सेवा के लिये इस्तीफा दे दिया।
- उसके बाद बंगाल कांग्रेस में स्वयंसेवकों के युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने 'स्वराज' अखबार की शुरुआत की। वर्ष 1927 में ज़ेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्ष 1938 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसमें व्यापक औद्योगीकरण की नीति तैयार की गई। वर्ष 1939 में वे पुनः अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधीवादी समर्थक पट्टाभि सीतारमैया को हराने और गांधीजी का समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया।
- वर्ष 1939 में बोस के नेतृत्व में 'ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक : 'एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल' का गठन किया गया, जो कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्त्वों को एकसाथ लाना था, ताकि वह समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत को पूर्ण स्वतंत्र करा सकें।
- वर्ष 1941 में बोस भारत से जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिये कार्य करने लगे। वर्ष 1943 में वह भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने के लिये सिंगापुर आए।
- 21 अक्टूबर, 1943 को इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की।

आज़ाद हिंद फौज (INA)

- दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना को जाग्रत करने के लिये बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज (INA) का पुनर्निर्माण किया।
- यह भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक प्रभावी साधन बनी। आज़ाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिये एकता और वीरता का प्रतीक बन गई थी।
- वर्ष 1944 की शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज की तीन इकाइयों ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ने के लिये भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर आक्रमण किया।
- आज़ाद हिंद फौज में लगभग 60,000 सैनिक शामिल थे, जिनमें युद्ध-बंदियों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी शामिल थे। स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से लगभग 26,000 सैनिकों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की गई थी।
- भारत से अंग्रेज़ों की वापसी पर अंतिम निर्णय करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली पद छोड़ने के बाद वर्ष 1956 में भारत आए थे, तब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती द्वारा यह पूछे जाने पर कि भारत छोड़ो आंदोलन के नरम पड़ जाने पर भी अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरांत भारत क्यों छोड़ा? इसके जवाब में एटली ने कहा कि इसका कारण बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज थे। परिणामस्वरूप ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल विद्रोह करने लगे थे, अतः अंग्रेज़ों का लंबे समय तक भारत में बने रहना मुमकिन नहीं था।

सुभाषचंद्र बोस बनाम गांधी : मतभेदों पर राष्ट्रहित को वरीयता

- बोस गांधी को पहली बार बॉम्बे के मणि भवन में आयोजित एक बैठक में मिले थे। शुरुआती स्तर पर ही गांधी और बोस के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर था। इस बैठक में गांधी ने भारत के लिये एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा और इसके लिये उन्होंने 20 लाख चरखों के माध्यम से कार्य करने की बात कही। युवा और उत्साही बोस चरखे के माध्यम से स्वराज प्राप्ति के विचार को लेकर आश्वस्त नहीं थे।
- बोस शुरू से ही पूर्ण और शीघ्र स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर चल रहे थे और वे देश में किसी भी अन्य सत्ता का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इसी समय बोस देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले, जो बाद में इनके राजनीतिक गुरु बने।
- बोस ने लाहौर अधिवेशन में पारित होने वाले नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की, बोस के अनुसार, इनके स्थान पर सामानांतर सरकार की स्थापना के लिये प्रस्ताव पारित होना चाहिये।
- यद्यपि बोस ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की थी परंतु जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तो उन्होंने इसकी तारीफ की और कहा कि "हमें अपनी पूरी शक्ति इसमें लगा देनी चाहिये।" यह गांधीजी और पार्टी के अनुशासन के प्रति इनके सम्मान को दर्शाता है।
- कुछ वर्षों के बाद बोस और विट्ठलभाई पटेल ने जिनेवा से एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि "हमारे देश ने अहिंसा का अनुसरण करके बहुत प्रगति की है, परंतु अब यह कारगर नहीं है, अत: नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है।" यह बयान गांधीजी के तरीकों से असहमति को दर्शाता है।
- गांधीजी के सुझाव पर बोस को विट्ठलनगर अधिवेशन (हरिपुरा) में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों को बदलने की कोशिश की जिसे कांग्रेस कार्यसमिति ने खारिज कर दिया।
- मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक 'इंडिया विंस फ्रीडम' में यह उल्लेख किया है कि गांधी बोस की संगठनात्मक क्षमता और जेल से बचकर निकलने की कला से बहुत प्रभावित थे। साथ ही, गांधी बोस के साहस और विनम्रता की भी प्रशंसा करते थे।
- बोस और गांधी एक-दूसरे से अलग होते हुए भी एक-दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं गए। जहाँ बोस ने गांधी को 'राष्ट्रपिता' कहकर संबोधित किया तो वहीं गांधी बोस को 'सबसे बड़ा देशभक्त' मानते थे।
- बोस और गांधी में अनेक वैचारिक मतभेद थे परंतु दोनों राजनीतिक स्तर पर परिपक्व थे, दोनों के देशहित में एकसमान लक्ष्य थे और दोनों एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे, जिस कारण दोनों के बीच कभी भी कटुता नहीं पनपी।

सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज (INA) : एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में

- 125वीं जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता प्राप्ति में सुभाषचंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के योगदान को दर्शाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में सुभाषचंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के सेनानियों को समर्पित एक राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है।
- 'नेताजी सुभाष बोस-आईएनए ट्रस्ट', जो कि भावी पीढ़ियों के बीच सुभाषचंद्र बोस के संदेश, उनकी प्रतिबद्धता और साहस का प्रसार करने हेतु समर्पित एक राष्ट्रीय संगठन है, ने उनकी 125 वीं जयंती धूमधाम से मनाई।
- साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सुभाषचंद्र बोस और आज़द हिंद फौज को समर्पित स्मारक के निर्माण की माँग उठ रही है।
- विदित है कि दिल्ली में सुभाषचंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को समर्पित एक भी स्मारक नहीं है, जहाँ भारत और अन्य देशों के आगंतुक इनके प्रति अपने सम्मान को व्यक्त कर सकें।

प्राचीनतम गुहा चित्रकारी की खोज का महत्त्व

संदर्भ

- हाल ही में, पुरातत्वविदों ने 45,000 वर्षों से अधिक पुरानी चित्रकारी का पता लगाया है, जो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुहा चित्रकारी हो सकती है। इस चित्रकारी को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है, जिसमें सुलावेसी द्वीप की एक स्थानिक जंगली सूअर की प्रजाति को दर्शाया गया है। सुलावेसी एक मध्य इंडोनेशियाई द्वीप है, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है और इस पर मानव बस्तियों का एक लंबा इतिहास है। इससे संबंधित शोध साइंस एडवांसेस में प्रकाशित हुआ है।
- पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार, सुलावेसी सूअर की यह चित्रकारी किसी जानवर की विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट छवि प्रतीत होती है। इसको लीनग टेडॉन्गे (Leang Tedongnge) के चूना-पत्थर की गुफा में खोजा गया है।
- इस चित्रकारी को लाल गेरूए रंग से बनाया गया है, जिसमें एक सूअर को सीधे बालों वाली एक छोटी-सी शिखा और आँखों के सामने सींग जैसी दिखने वाली आकृति के साथ दिखाया गया है, जो संभवत: किसी सामाजिक संघर्ष या अन्य सूअरों के बीच लड़ाई की संभावना को व्यक्त करता है।
- इन सूअरों का शिकार मनुष्यों द्वारा हज़ारों वर्षों से किया जा रहा है और यह इस द्वीप की हिमयुगीन शैल कलाओं में सबसे अधिक चित्रित किया गया जानवर है, जो दर्शाता है कि लंबे समय से इनका उपयोग भोजन के रूप में होता रहा है। साथ ही, ये उस समय के लोगों के लिये 'रचनात्मक सोच और कलात्मक अभिव्यक्ति' के केंद्र में रहे होंगे।

अन्य प्राचीनतम गुहा चित्रकारियाँ

- विदित है कि सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी प्रत्यक्ष रूप से दिनांकित शैल कला होने के साथ-साथ हिमयुगीन एशियाई महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी सीमाओं से परे होमिनिन (Hominin) की मौजूदगी के कुछ सबसे पुराने साक्ष्य भी उपस्थित हैं।
- होमिनिंस में आधुनिक मानव, विलुप्त मानव प्रजातियाँ और हमारे आसन्न पूर्वज शामिल हैं। होमो सेपियन्स पहले आधुनिक मानव हैं जो दो से तीन लाख वर्ष पूर्व अपने होमिनिड पूर्ववर्तियों से विकसित हुए थे। अनुमानत: इन आधुनिक मनुष्यों ने लगभग एक लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के बाहर पलायन करना शुरू किया था।
- विदित है कि सुलावेसी में ही वर्ष 2019 में एक सूअर और भैंस के शिकार की गुहा चित्रकारी विश्व की सबसे पुरानी दर्ज की गई चित्रकारी बनी थी। इससे पूर्व यूरोप में पाए जाने वाले शैल चित्र को सबसे पुराना माना जाता था।
- इससे संबंधित निष्कर्षों को जर्नल नेचर में प्रकाशित किया गया था, जिसे वर्ष 2020 के शीर्ष 10 वैज्ञानिक सफलताओं के रूप में स्थान दिया गया था।

तिथि निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक

- इस चित्रकारी के तिथि निर्धारण के लिये पुरातत्वविदों ने यू-सीरीज़ आइसोटोप (U-series Isotope) विश्लेषण नामक एक विधि का प्रयोग किया।
- इस विधि में तिथि निर्धारण के लिये कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेप (केव पॉपकॉर्न भी कहते हैं) का उपयोग किया जाता है, जो गुफा की दीवार की सतह पर प्राकृतिक रूप से निर्मित हो जाती है।

3 समाज एवं महिलाएँ

कृषि में महिलाओं का योगदान

संदर्भ

पिछले कुछ समय से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर बहस प्रारंभ हो गई है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महिलाओं ने ही सर्वप्रथम फसली पौधों का प्रयोग प्रारंभ किया और खेती की कला व विज्ञान का विकास हुआ। उस समय पुरुष भोजन की तलाश में शिकार करने चले जाते थे और महिलाएँ देसी पेड़-पौधों से बीज व फल एकत्रित करती थीं। इस प्रकार, भोजन, खाद्य, चारा, फाइबर और ईंधन के लिये खेती का विकास हुआ।

कृषि में महिलाएँ : आम धारणा

- भारत में जब भी कृषि संबंधी चर्चा की जाती है, तो किसान के रूप में पुरुषों के बारे में ही सोचा जाता है। महिलाओं का नाम कृषि भूमि के मालिक के रूप में दर्ज न होने के कारण उनको किसानों की परिभाषा से बाहर रखा जाता है।
- कृषक के रूप में मान्यता न मिलने से महिलाएँ नियमानुसार कृषि संबंधी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं।
- सरकार भी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित नहीं है और महिलाओं को 'कृषि कार्य में सहायक' या 'खेतिहर मज़दूर' (Agricultural Labourers) के रूप में मान्यता देती है न कि कृषक के रूप में।

संबंधित आँकड़े

- कृषि जनगणना के अनुसार, 73.2% ग्रामीण महिलाएँ कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, परंतु केवल 12.8% महिलाओं के पास ही भूमि का स्वामित्व है।
- 'भारत मानव विकास सर्वेक्षण' की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 83% कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को परिवार से विरासत में मिली है, जबकि महिलाओं को केवल 2% भूमि ही विरासत में मिली है।
- इसके अतिरिक्त, 81% महिला कृषि मज़दूर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इसलिये वे आवधिक (Casual) तथा मज़दूरी में सबसे अधिक योगदान देती हैं।
- विदित है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 11.8 करोड़ कृषक और 14.4 करोड़ कृषि श्रमिक हैं।

कृषि में लैंगिक असमानता

- महिलाओं को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो उन्हें एक कृषक के रूप में प्राप्त होने चाहिये, जैसे कि खेती के लिये कर्ज़, कर्ज़माफी, फसल बीमा और सब्सिडी के साथ-साथ महिला कृषकों की आत्महत्या के मामले में उनके परिवारों को मुआवज़ा न मिलना।
- महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता न मिलना उनकी समस्याओं का केवल एक पहलू है। 'महिला किसान अधिकार मंच' (MAKAAM) के अनुसार, उन्हें भूमि, जल और जंगलों पर अधिकार के मामलों में अत्यधिक असमानता का सामना करना पड़ता है।
- इसके अतिरिक्त, कृषि की अन्य समर्थन प्रणालियों, जैसे– भंडारण सुविधाओं, परिवहन लागत और नए निवेश के लिये नकदी या पुराने बकायों का भुगतान करने के साथ-साथ कृषि ऋण से संबंधित अन्य सेवाओं में भी लैंगिक भेदभाव है। साथ ही निवेश और बाज़ारों तक पहुँच में भी असमानता का सामना करना पड़ता है।

- इस प्रकार, कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिला किसान हाशिये पर हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कारण हैं और यह इस धारणा का परिणाम है कि खेती केवल पुरुषों का पेशा है।

नए कृषि कानून और संबंधित चिंताएँ

- महिला कृषक नए कृषि कानूनों से भी चिंतित हैं। चूँकि सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य कभी भी असमानता या उनकी परेशानियों को कम करना नहीं रहा है। अत: महिला किसानों को डर है कि नए कृषि कानूनों से लैंगिक असमानता में और वृद्धि हो जाएगी।
- महिला किसान मंच के अनुसार, नए कृषि कानूनों में किसानों को शोषण से बचाने के लिये एम.एस.पी. का उल्लेख न होना प्रथम मुद्दा है।
- साथ ही महिलाएँ ऐसी स्थिति में नहीं हैं, जो एक सशक्त एजेंट के रूप में व्यापारियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ होने वाले समझौतों (लिखित) को समझ सकें या उस पर बातचीत कर सकें। इस प्रकार, किसानों की उपज खरीदने के लिये या अन्य सेवाओं के लिये इन संस्थाओं से समझौता करने में महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
- यह स्पष्ट है कि किसानों को कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ सौदेबाज़ी की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स बिना किसी सुरक्षा जाल या पर्याप्त निवारण तंत्र के उपजों की कीमतें तय करेंगे। इससे महिला कृषक अधिक प्रभावित होंगी।
- परिणामत: लघु, सीमांत और मध्यम किसानों को अपनी भूमि बड़े कृषि-व्यावसायिक घरानों को बेचने और मज़दूरी करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।
- सरकार को महिला किसानों की परेशानियों को भी समझना होगा, क्योंकि वर्तमान में हो रहे आंदोलन में वे पुरुषों के साथ बराबरी में शामिल हैं।

टैम्पोन टैक्स (Tampon Tax)

संदर्भ

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम (UK) ने महिलाओं द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सैनिटरी उत्पादों पर 5% 'मूल्य वर्धित कर' (VAT) को समाप्त कर दिया है। इस टैक्स को 'टैम्पोन टैक्स' कहा जाता था।

प्रमुख बिंदु

- 31 दिसंबर, 2020 तक यू.के. यूरोपीय संघ का सदस्य था। यूरोपीय संघ में मासिक धर्म/पीरियड्स से जुड़े सैनिटरी उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी से बाहर रखा गया है और इन उत्पादों पर 5% की दर से टैक्स देना पड़ता है।
- वर्ष 1973 में यूरोपीय संघ ने सेनेटरी उत्पादों को पाँच अलग-अलग वैट दरों के अंतर्गत रखा था वर्ष 2001 के बाद से यहाँ इन उत्पादों पर सबसे कम 5% स्लैब लागू था।
- 'टैम्पोन टैक्स' को नागरिकों ने लैंगिक भेदभाव वाला कर बताया था, जिस कारण काफी लंबे समय से यू.के. में इस टैक्स को समाप्त करने की माँग की जा रही थी।
- अब जबकि यू.के. यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है, तो ऐसे में यह उसके नियमों को मानने के लिये बाध्य नहीं है।
- यह संशोधनात्मक उपाय यू.के. के एक व्यापक सरकारी प्रयास का हिस्सा है, जिसे 'एंड पीरियड पावर्टी' कहा जाता है।
- सैनिटरी उत्पादों पर कर समाप्त करके यू.के. अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने पहले ही इस कर को समाप्त कर दिया है। इस सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा शामिल हैं।
- विदित है कि स्कॉटलैंड, जो यू.के. का एक हिस्सा है, ने नवंबर 2020 में सभी सैनिटरी उत्पादों को

ज़रूरतमंद लड़कियों तथा महिलाओं के लिये मुफ्त कर दिया है। ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है।

अर्जेंटीना में गर्भपात को वैधता और संबंधित पहलू

संदर्भ

हाल ही में, अर्जेंटीना ने गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए गर्भपात को वैध घोषित कर दिया है। अभी तक अर्जेंटीना में गर्भपात से संबंधित कानून अत्यंत कड़े थे। ऐसे में यह एक परिवर्तनकारी निर्णय है।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक के पारित होने से पहले, अर्जेंटीना में केवल दो स्थितियों में ही गर्भपात की अनुमति थी– पहला, बलात्कार के मामले में तथा दूसरा, जब किसी गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो।
- वर्ष 1921 से अस्तित्व में रहे इस कानून में संशोधन की माँग कर रहे कार्यकर्ता वर्षों से गर्भपात की वैधता के लिये अभियान चला रहे थे।
- कैथोलिक चर्च और इंजील समुदाय का अर्जेंटीना में अधिक प्रभाव था। इनकी मान्यताओं के अनुसार, गर्भपात करवाना गलत है, यहाँ तक कि इन मान्यताओं के कारण गर्भ निरोधकों की बिक्री भी देश में प्रतिबंधित थी। यही कारण था कि इस बिल का केथोलिक चर्च और इंजील समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा था।
- दो वर्ष पूर्व, अर्जेंटीना की सरकार ने गर्भपात के संदर्भ में एक बिल पारित करने का प्रयास किया था, परंतु वह बिल बहुत कम वोटों के अंतर से पारित होने से रह गया था।
- वर्तमान बिल में गर्भाधारण के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध घोषित किया गया है।

यह बिल ऐतिहासिक क्यों है?

- इस बिल से पूर्व, अर्जेंटीना में गर्भपात करवाना अवैध था जिस कारण महिलाओं एवं लड़कियों को असुरक्षित तथा अवैध तरीके से गर्भपात करवाना पड़ता था। इससे कई बार महिलाओं एवं लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती थी।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों और महिलाओं के लिये गर्भपात हेतु सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं तक पहुँच का दायरा और भी संकीर्ण था।
- ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, असुरक्षित गर्भपात के कारण देश में मातृ मृत्यु दर तुलनात्मक रूप से अधिक थी।
- यह बिल अब महिलाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है और गर्भवती महिलाओं तथा युवा माताओं के लिये बेहतर स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान भी करता है।
- इस कानून के पारित होने से लैटिन अमेरिका के अन्य देश भी गर्भपात को वैध घोषित करने की दिशा में विचार कर सकते हैं। वर्तमान में निकारागुआ, अल सल्वाडोर और डोमिनिकन गणराज्य में गर्भपात अवैध है।
- उरुग्वे, क्यूबा, गुयाना और मैक्सिको के कुछ हिस्सों में महिलाएँ गर्भपात के लिये अनुरोध कर सकती हैं, लेकिन केवल विशेष मामलों में ही। साथ ही इन सभी देशों में गर्भाधारण के हफ्तों के आधार पर गर्भपात से संबंधित अलग-अलग कानून हैं।
- राष्ट्रपति के अनुसार, यह बिल एक समाज में महिलाओं के अधिकारों को व्यापक बनाता है और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की गारंटी देता है।

विधि-निर्माताओं का पक्ष

- यह बिल एक मैराथन सत्र में पारित हुआ, जहाँ 38 सीनेटरों ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि 29 ने इसके विरुद्ध मतदान किया।
- यह बिल राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज के चुनावी वादों में से एक था। उन्होंने वर्ष 2018 में बिल के अस्वीकृत होने के बाद इसे फिर से शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था, "मैं एक केथोलिक हूँ लेकिन मुझे सभी के लिये कानून बनाना होगा।"
- इस बिल के विरुद्ध मतदान करने वाले सांसदों ने इसे एक त्रासदी तथा 'एक अपरिपक्व जीवन का अंत करने वाला' बताया।

आगे की राह

- अर्जेंटीना में नए कानून के बावजूद महिला अधिकारों के क्षेत्र में अभी अनेक सुधार होने बाकी हैं।
- यहाँ के गर्भपात विरोधी समूहों और उनके धार्मिक एवं राजनीतिक समर्थकों ने इस कानून को पारित होने से रोकने के पूरे प्रयास किये, जो कि उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है।
- हाल ही में, ब्राजील के रूढ़िवादी राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने देश में किसी भी गर्भपात समर्थक बिल को वीटो करने की कसम खाई थी।
- महिलाओं के अधिकारों के प्रति इस प्रकार का नज़रिया निश्चित ही चिंता उत्पन्न करने वाला है। वर्तमान के आधुनिक युग में यह आवश्यक हो गया है कि विश्व-भर में ऐसी मान्यताओं को नकारा जाए जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा के विरुद्ध हैं।

भारत में गर्भपात के लिये कानूनी प्रावधान

- भारत में गर्भपात कानूनी रूप से वैध है। 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971' के अंतर्गत महिलाओं को गर्भपात और उनकी प्रजनन स्वायत्तता को नियंत्रित करने संबंधी अधिकार दिये गए हैं।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) एक्ट, 2019 में भ्रूण की असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं, यह तय करने के लिये राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भधारण के केवल 20 सप्ताह तक (या 12 सप्ताह तक, जैसा भी मामला हो) ही गर्भपात कराया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गर्भपात करवाया जा सकता है–
  - यदि गर्भावस्था की निरंतरता से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा हो या इस बात की संभावना हो कि महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव होंगे।
  - यदि गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम है।
  - यदि यह संभावना हो कि जन्म लेने वाला बच्चा गंभीर शारीरिक या मानसिक दोष के साथ पैदा होगा।
  - यदि गर्भनिरोधक विफल रहा है।
- वर्तमान में 12 सप्ताह के गर्भाधान के गर्भपात हेतु एक डॉक्टर की राय आवश्यक है और यदि यह गर्भाधान 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता है तो इसके लिये दो डॉक्टरों की राय आवश्यक है।
- वर्ष 2003 में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गर्भपात केवल एक पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा ही किया जा सकता है।

घरेलू कार्यों में महिलाओं का योगदान : मूल्यांकन का आभाव

संदर्भ

हाल ही में, अभिनेता कमल हसन की पार्टी ने गृहिणियों को वेतन देने का वादा किया, जिसने घरेलू कार्यों को आर्थिक मान्यता देने की बहस को पुनर्जीवित कर दिया है। देवी के रूप में महिमामंडित किये जाने के बाबजूद महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित रखा गया है।

घरेलू कार्य और आँकड़े

- वर्ष 2011 की जनगणना में लगभग 159.85 मिलियन महिलाओं ने घरेलू कार्य को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में चुना, जबकि केवल 5.79 मिलियन पुरुषों ने ही इसे अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में संदर्भित किया।
- हाल ही में, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने 'कीर्ति और अन्य बनाम ओरिएण्टल इनश्योरेंस कंपनी' निर्णय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की 'भारत में समय का उपयोग-2019 रिपोर्ट' (Time Use in India-2019 Report) का उल्लेख किया, जिसके अनुसार भारतीय महिलाएँ अवैतनिक 'घरेलू सेवाओं और कार्यों' पर एक दिन में औसतन 299 मिनट खर्च करती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 97 मिनट खर्च करते हैं।
- साथ ही, महिलाएँ घर के सदस्यों के लिये अवैतनिक 'देखभाल सेवाओं' के रूप में एक दिन में 134 मिनट खर्च करती हैं।
- वर्ष 2009 में आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रगति के मापन पर फ्राँसीसी सरकार के एक आयोग द्वारा जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिनलैंड और अमेरिका में किये गए अध्ययन में इसी तरह के निष्कर्ष सामने आये हैं।
- 'अवैतनिक कार्य के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक योगदान : भारत की केस स्टडी' (2009) नामक एक रिपोर्ट में महिलाओं द्वारा सेवाओं के आर्थिक मूल्य का अनुमान 612.8 बिलियन डॉलर वार्षिक व्यक्त किया गया था।
- विदित है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री 'आर्थर सेसिल पिगौ' ने कहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पत्नियों द्वारा किये गए घरेलू कार्यों पर विचार नहीं किया जाता है।

महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों से संबंधित न्यायिक टिप्पणियाँ

- 'अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी' (2010) में उच्चतम न्यायालय ने न केवल गृहिणियों के अमूल्य योगदान को स्वीकार किया, बल्कि यह भी विचार व्यक्त किया कि संपत्ति द्वारा इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम और स्नेह (भावनात्मक रूप से) के साथ प्रदान की गई उनकी सेवाओं की बराबरी पेशेवर तरीके से प्रदान की गई सेवाओं के साथ नहीं की जा सकती है।
- न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली ने वर्ष 2010 में एक निर्णय में 2001 की जनगणना का उल्लेख किया था, जिसमें घरेलू कर्तव्यों का निर्वहन करने वालों को श्रेणीबद्ध किया गया था। इसके अनुसार, भारत में लगभग 36 करोड़ महिलाओं को गैर-श्रमिक के रूप में श्रेणीबद्ध करते हुए उन्हें भिखारियों, वेश्याओं और कैदियों के साथ रखा गया था।

सामाजिक संरचना और घरेलू कार्य

- सदियों से विवाह की निरंतरता के दौरान होने वाली कमाई में महिलाओं का अधिकार नगण्य था। आधुनिक युग में गृहिणियों द्वारा घरेलू कार्यों को कार्य के रूप में मान्यता देने की बात तो दूर, घर के बाहर कार्य के संबंध में भी उनको कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में, वर्ष 1851 तक किसी भी देश ने किसी भी प्रकार की कमाई में पत्नी के अधिकार को मान्यता नहीं दी थी।

- 19वीं सदी के मध्य तक कुछ अमेरिकी राज्यों ने अधिनियमों के माध्यम से वैवाहिक स्थिति के सामान्य कानून में सुधार करना शुरू किया। धीरे-धीरे पत्नियों को उनके 'व्यक्तिगत' श्रम से कमाई में संपत्ति के अधिकार प्रदान किये गए। हालाँकि, अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद की जनगणना में घरेलू कार्यों को 'अनुत्पादक' कहा गया।

पृथक सामाजिक वर्ग

- सदियों से घर और बाज़ार को दो अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में माना जाता था। बाज़ार को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, जबकि घर को महिलाओं का क्षेत्र माना जाता था, जो बाज़ार की समस्या और संघर्ष से राहत प्रदान करता था।
- इस संबंध में अमेरिकी नारीवादी अर्थशास्त्री नैन्सी फोल्ब्रे की टिप्पणी उल्लेखनीय है कि घर के रूप में महिलाओं को राहत देने जैसे नैतिक तर्क का उत्थान उनके द्वारा किये गए कार्यों के आर्थिक अवमूल्यन के साथ हुआ। इस प्रकार, यह तर्क परिवार की संपत्ति पर पति के नियंत्रण को सही ठहराता और उनके कानूनी अधिकार को सुदृढ़ करता था।
- वॉर्सेस्टर अभिसमय के बाद अंततः सफलता प्राप्त हुई जब वैवाहिक संपत्ति में पत्नियों के समान अधिकारों को मान्यता दी गई थी। वर्ष 1972 में इंग्लैंड में संपन्न तीसरे राष्ट्रीय महिला मुक्ति सम्मेलन में पहली बार घरेलू कार्यों के लिये मज़दूरी के भुगतान की स्पष्ट रूप से माँग की गई।

भारत की स्थिति

- भारत में विवाहित महिलाओं के संयुक्त संपत्ति अधिकारों पर बहस नई नहीं है, हालाँकि, भारत में अभी भी संयुक्त वैवाहिक संपत्ति कानून नहीं है।
- वीना वर्मा ने वर्ष 1994 में विवाहित महिला (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 1994 के नाम से निजी सदस्य के रूप में एक विधेयक पेश किया था। इसमें यह प्रावधान था कि विवाहित महिला अपने विवाह की तिथि से अपने पति की संपत्ति में बराबर की हकदार होगी।
- परंतु वर्ष 2010 में 'नेशनल हाउसवाइव्स एसोसिएशन' को एक ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकरण से भी इनकार कर दिया गया, क्योंकि घरेलू कार्यों को न तो व्यापार और न ही उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

सुझाव

- वर्ष 2012 में सरकार ने पति द्वारा अनिवार्य रूप से अपनी पत्नियों को मासिक 'वेतन' देने का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि, मासिक भुगतान के रूप में 'वेतन' शब्द का प्रयोग समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को इंगित करता है।
- नियोक्ता अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है, जिससे पति और पत्नी के बीच स्वामी और सेवक का संबंध पनपने लगता है।
- वर्ष 1991 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने महिलाओं की अवैतनिक घरेलू गतिविधियों और जी.डी.पी. में उसकी गणना की माप और मात्रा का निर्धारण करने की सिफारिश की थी, ताकि महिलाओं के वास्तविक आर्थिक योगदान पर प्रकाश डाला जा सके।
- वैवाहिक संपत्ति कानून महिलाओं को संपति का अधिकार देते हैं लेकिन केवल तभी जब वैवाहिक बंधन समाप्त हो जाते हैं। अब समय आ गया है कि विवाह की निरंतरता के दौरान महिलाएँ परिवार के लिये जो कार्य करती हैं, उन्हें पुरुषों के कार्य की तरह समान रूप से महत्त्व दिया जाना चाहिये।
- विवाह पूर्व समझौते में पति की कमाई और संपत्ति में पत्नियों के अधिकार संबंधी धारा को शामिल करके इस समस्या को हल किया जा सकता है।

मैनुअल स्केवेंजर्स प्रथा से संबंधित समस्याएँ

संदर्भ

भारत में हाथ से मैला ढोने तथा शौचालयों की सफाई की प्रथा को खत्म करने के प्रयासों ने पिछले तीन दशकों में विशेष रूप से गति पकड़ी है। वर्ष 1994 में 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' (SKA) के गठन के बाद से इसमें विशेष तेज़ी आई है।

भारत में मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या

- आधिकारिक तौर पर मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या वर्ष 2008 में 770,338 से घटकर वर्ष 2018 में 42,303 हो गई। हालाँकि, इस दौरान होने वाली गिरावट को मूल्यांकन में कमी का परिणाम माना जा सकता है।
- यद्यपि भारत सरकार संख्या में कमी का कारण 'मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के सख्त प्रवर्तन तथा स्वच्छ भारत अभियान का प्रभाव मानती है।
- हालाँकि, इस समस्या के सूक्ष्म निरीक्षण से उक्त अधिनियम और स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के साथ-साथ आधिकारिक आँकड़ों के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में कई कमियों का पता चलता है।

सर्वेक्षण और इसकी कमियाँ

- वर्ष 2018 में मैनुअल स्केवेंजर्स का सर्वेक्षण 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम' (NSKFDC) द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आदेश पर किया गया था। यह सर्वेक्षण केवल 14 भारतीय राज्यों के वैधानिक शहरों में आयोजित किया गया था।
- सर्वेक्षण में पहचाने गए कुल मैनुअल स्केवेंजर्स में लगभग आधे को (42,303) ही मंत्रालय द्वारा मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में मान्यता दी गई। इसमें से केवल 27,268 को ही संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सका।
- वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना में 1,82,505 ऐसे घरों की पहचान की गई, जिनका प्राथमिक व्यवसाय मैनुअल स्केवेंजिंग है। इस प्रकार, सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से कमियाँ नज़र आती हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना अनुमानों के अनुसार, देश में शुष्क शौचालयों की संख्या लगभग 26 लाख थी। इस तथ्य को देखते हुए सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा मैनुअल स्केवेंजर्स की संख्या लगभग 12 लाख अनुमानित करना अधिक उचित प्रतीत होता है। अत: सरकार के दावों के बावजूद इस प्रथा में 2011 से 2018 के बीच 89% की कमी का अनुमान अतार्किक लगता है।
- यह सर्वेक्षण भारत के वैधानिक शहरों तक ही सीमित था, जो मैनुअल स्केवेंजिंग को केवल शहरी समस्या के रूप में ही प्रतिबिंबित करता है। यह सरकार की दुर्बल इच्छा शक्ति को दर्शाता है।

अधिनियम और कार्यान्वयन

- 'मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' का उद्देश्य अस्वच्छ शौचालयों (जो गड्ढों/सेप्टिक टैंकों/सीवेज लाइनों से नहीं जुड़े हैं) को खत्म करने के साथ-साथ मैनुअल स्केवेंजर्स के लिये अन्य व्यवसायों पर नज़र रखना और उनका आवधिक सर्वेक्षण करना है।
- इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या एजेंसी पर सीवर या सेप्टिक टैंकों की जोखिमयुक्त सफाई में किसी भी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होने की अवस्था में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
- यदि सुरक्षा उपायों और अन्य सावधानियों का अनुपालन करते हुए भी इस कार्य को करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता द्वारा परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना अपेक्षित है।

- 57वीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता स्थाई समिति, 2017-18 के अनुसार, वर्ष 2014 में इससे संबंधित कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जो इससे संबंधित कार्रवाई की वास्तविकता को दर्शाता है।
- 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' (NCSK) के अनुसार, सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय वर्ष 2013 से 2017 के बीच 608 मैनुअल स्केवेंजर्स की मृत्यु हो गई है।
- मैनुअल स्केवेंजर्स में लगे लोगों की कम संख्या और उनकी मौत से संबंधित आधिकारिक आँकड़ों में कमी के चलते उनके कल्याण से संबंधित नीतियों का कार्यान्वयन, पहुँच और कवरेज कम हो गया है।
- 2017-18 में संसदीय स्थाई समिति के अनुसार, 'स्केवेंजर्स की मुक्ति और पुनर्वास के लिये स्व-रोज़गार योजना' के अनुसार केवल 27,268 मैनुअल स्केवेंजर्स को ही एकबारगी नकदी सहायता प्रदान की गई है।

स्वच्छ भारत अभियान और मैनुअल स्केवेंजिंग

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत ने वर्ष 2014 के बाद से लगभग 1,000 लाख शौचालयों का निर्माण करने का दावा किया है। इस प्रकार, लगभग 95% घरों तक शौचालय की पहुँच है।
- दो गड्ढे वाले (13%) शौचालयों में मल के प्रबंधन के लिये ह्यूमन हैंडलिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सोख्ता गड्ढे वाले सेप्टिक टैंक (38%) तथा एकल गड्ढे (20%) या सीवरेज लाइन से जुड़े शौचालयों में कुछ समय के बाद मैनुअल या यांत्रिक निष्कर्षण की आवश्यकता होती है।
- ग्रामीण स्तर पर सोख्ता गड्ढे वाले सेप्टिक टैंक तथा एकल गड्ढे वाले शौचालयों की अधिक संख्या और सक्सन पंपों (चूषण पंपों) की कम उपलब्धता को देखते हुए स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनमें से अधिकांश शौचालयों को मैनुअल या यांत्रिक निष्कर्षण के जरिये साफ किये जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

न्यायिक हस्तक्षेप और आगे की राह

- कार्यान्वयन में कमी और अंतराल को देखते हुए इस समस्या के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। भारत में मैनुअल स्केवेंजरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये वर्ष 2018 में 'सफाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार सर्वेक्षण किया गया था।
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में सरकार पर संदेह व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र सरकार से मैनुअल स्केवेंजर्स के रोज़गार से जुड़े मामलों में दोषियों की संख्या के साथ-साथ उनकी मृत्यु पर मुआवजे के संबंध में प्रतिक्रिया माँगी है।
- हालाँकि, स्वच्छ भारत अभियान ने शौचालयों के उपयोग के संबंध में अभूतपूर्व, सकारात्मक और ढाँचागत बदलाव किये हैं परंतु मैनुअल स्केवेंजिंग को कम करने के लिये अधिक प्रयास और समय की आवश्यकता है। नीतिगत स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान ने शौचालयों तक पहुँच में वृद्धि की है, परंतु इसमें सफाई करने वालों की अनदेखी की गई है।
- साथ ही, इसके लिये बनाए गए कानून से संबंधित सर्वाधिक प्राथमिकी कर्नाटक में दर्ज की गई है। हालाँकि, इसके ट्रायल की संख्या का बहुत कम होना स्पष्ट रूप से राज्य, नौकरशाही और यहाँ तक कि सामाजिक सहानुभूति की कमी को दर्शाता है।
- राज्य और समाज को इस समस्या में सक्रिय रूप से रुचि लेने और इसके सही ढंग से आकलन करने तथा समाप्त करने के लिये सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- साथ ही, सरकार को मशीनीकरण की शुरुआत और उसके अधिकाधिक प्रयोग में हितधारकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिये।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

1. सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान

- 'सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अभियान' को 19 नवंबर, 2020 को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया।
- इसका लक्ष्य 30 अप्रैल, 2021 तक भारत के 243 शहरों में सभी सेप्टिक और सीवेज टैंक की सफाई को पूरी तरह से यंत्रीकृत करते हुए मशीन से सफाई को बढ़ावा देना है।
- इस अभियान में प्रतिभाग करने वाले शहरों का मूल्यांकन मई 2021 में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिसके परिणाम 15 अगस्त, 2021 को घोषित किये जाएँगे।

2. स्केवेंजर्स की मुक्ति और पुनर्वास के लिये स्व-रोज़गार योजना (SRMS)

- स्केवेंजर्स के लिये वैकल्पिक आजीविका के साथ उनके और उन पर आश्रित लोगों के पुनर्वास के उद्देश्य के साथ इस योजना को जनवरी 2007 में स्थापित किया गया था।
- एस.आर.एम.एस. के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले लाभ और अधिकार इस प्रकार हैं–
  - मैनुअल स्केवेंजर्स के परिवार के एक सदस्य को तत्काल 40,000 रुपए की नकद सहायता
  - स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिये दस लाख रुपए तक का रियायती ऋण
  - 2 वर्ष तक के लिये 3,000 रुपए की मासिक वृत्ति तथा सभी मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों के लिये कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच
  - उपरोक्त ऋण के मुकाबले 3,25,000 रुपए की क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंड केपिटल सब्सिडी

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

सऊदी अरब और कतर के संबंधों में नए आयाम

संदर्भ

हाल ही में, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले चार पश्चिमी एशियाई देशों के गठबंधन ने लगभग तीन वर्षों के बाद कतर के साथ पूर्ण रूप से संबंधों को बहाल करने का निर्णय लिया है। विदित है कि सऊदी अरब और इसके सहयोगियों ने तीन वर्ष पूर्व कतर से संबंध समाप्त कर लिये थे।

सऊदी अरब और कतर

- कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के साथ संबंधों के चलते जून 2017 में कतर के तीन पड़ोसी देशों– सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के साथ-साथ मिस्र (Egypt) ने कतर के लिये सभी शिपिंग और हवाई मार्ग को बंद करते हुए इससे सभी कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को खत्म कर लिया था। ये तीनों देश सऊदी अरब के बड़े सहयोगी माने जाते हैं।
- अरब क्षेत्र में सऊदी अरब के चिर प्रतिद्वंद्वी ईरान के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को कम करने के लिये कतर पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था।
- गठबंधित देशों ने संबंधों को पुनः बहाल करने के लिये 13 माँगें रखीं थी, जिनमें अल जजीरा जैसे समाचार आउटलेट को बंद करना, कतर स्थित तुर्की सैन्य अड्डे को बंद करने के साथ-साथ शिया बहुल ईरान के साथ संबंधों में कमी करना शामिल हैं।
- इस बीच कतर ने इन प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए ईरान और तुर्की के साथ अपने संबंधों को और मज़बूत किया। गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल के सदस्य कुवैत और ओमान ने भी सऊदी समूह के साथ अपने संबंधों में कमी कर दी थी।

कतर और सऊदी के संबंधों में तनाव के कारण

- कतर ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति को अन्य अरब पड़ोसियों से स्वतंत्र रखने का प्रयास किया है जो उसके क्षेत्रीय अरब पड़ोसियों की प्राथमिकताओं के साथ मेल नहीं खाती है।
- इस नीति में शिया बहुल ईरान के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंध शामिल हैं। ईरान को सुन्नी बहुल सऊदी का एक बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।
- इसके अलावा, कतर और तुर्की भी एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं। रूस व तुर्की के संबंधों में घनिष्ठता तथा तुर्की व अमेरिका के बीच बढ़ती दूरी का असर सऊदी और तुर्की के संबंधों पर भी पड़ा है।
- गौरतलब है कि 6 सदस्यीय 'खाड़ी सहयोग संगठन' के अधिकतर मामले, जैसे– कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक की अगुवाई सऊदी अरब करता है।
- इसी संदर्भ में 5 जून, 2017 को सऊदी अरब, यू.ए.ई. और बहरीन ने कतर के साथ संबंधों में कटौती करने के साथ-साथ कतर के नागरिकों को 14 दिनों के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया था। मिस्र ने भी कतर के साथ कूटनीतिक संपर्क को तोड़ दिया था।

पश्चिमी एशिया में कतर

- पिछले चार दशकों में कतर सबसे गरीब खाड़ी देशों की श्रेणी से निकलकर सबसे धनी देशों की श्रेणी में आ गया है। बड़ी मात्रा में गैस भंडार की उपस्थिति ने कतर के आर्थिक उभार के साथ-साथ इस क्षेत्र की राजनीति में भी कतर को प्रभावी भूमिका निभाने में मदद की। साथ ही, कतर ने वैश्विक मंच पर अपने धन और प्रभाव का व्यापक उपयोग किया है।

- ईरान के साथ कतर एक विशाल गैस क्षेत्र साझा करता है, जो ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का एक कारण है। यह कदम सुन्नी बहुल सऊदी अरब को उत्तेजित करने वाला है, जो पश्चिमी एशिया की भू-राजनीति को नियंत्रित करना चाहता है।
- कतर का गाजा के फिलिस्तीनी संगठन हमास, मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड और सीरिया के इस्लामी समूह के लिये समर्थन भी विवाद का प्रमुख कारण है। हालाँकि, कतर ने अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट का समर्थन करने से इनकार किया है।

इस संकट में निर्णायक कदम

- अमेरिका ने सऊदी के नेतृत्व वाले प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कतर को 'आतंक का वित्तपोषक' कहा था। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ कतर के करीबी संबंधों और अल-उदीद एयर बेस पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य सुविधा को देखते हुए यह एक आश्चर्यजनक कदम था। हालाँकि, बाद में अमेरिका के रूख में परिवर्तन देखा गया था।
- इसके अतिरिक्त, लगभग 60 वर्षों की सदस्यता के बाद कतर ने जनवरी 2019 में 'ओपेक' की सदस्यता त्याग दी थी। हालाँकि, कतर ने इस कदम को पूर्ण रूप से व्यापारिक निर्णय बताया था, फिर भी माना जाता है कि यह निर्णय सऊदी नेतृत्व वाले ओपेक को कमज़ोर करने का एक राजनीतिक प्रयास था।
- कुवैत द्वारा मध्यस्थता के निरंतर प्रयासों और खाड़ी देशों के गठबंधन पर बढ़ते अमेरिकी दबाव के कारण वर्ष 2020 के अंत में इस समस्या के समाधान में सफलता मिली और सऊदी अरब तथा कतर के बीच हवाई क्षेत्र, स्थलीय और समुद्री सीमाएँ खोलने पर सहमति व्यक्त की गई।

ब्रेक्जिट समझौते के बाद होने वाले बदलाव

संदर्भ

यू.के. ने 47 वर्ष बाद यूरोपीय संघ की सदस्यता त्याग दी है। यू.के. और यूरोपीय संघ के मध्य ब्रेक्जिट के बाद आर्थिक संबंध और उसकी प्रकृति को लेकर चल रही 11 माह की संक्रमण अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई। इस अवधि के समाप्त होने से कुछ दिन पूर्व ही दोनों पक्षों ने व्यापार और सहयोग समझौता किया है। यूरोपीय संघ के राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया नया समझौता 1 जनवरी से लागू है। इस समझौते की पुष्टि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के संसद द्वारा की जानी है और जब तक समझौते को औपचारिक रूप से अनुमोदित व हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है, तब तक यह अनंतिम आधार पर लागू होगा।

व्यापार संबंधी बदलाव

- यू.के. ने 31 दिसंबर को 23:00 जी.एम.टी. (GMT) पर यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार और सीमा शुल्क संघ के साथ-साथ यूरोपीय संघ की सभी नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समाप्त कर दिया है। सीमा शुल्क संघ के तहत यू.के. अब यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के साथ अलग से बातचीत नहीं कर सकता है।
- इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुओं, सेवाओं और पूँजी के साथ-साथ लोगों की मुक्त आवाजाही एक जनवरी से बंद हो जाएगी क्योंकि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन अब अलग-अलग नियमों के साथ दो अलग-अलग बाज़ार बन गए है।
- यूरोपीय संघ का सदस्य रहते हुए यू.के. अलग से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ व्यापार वार्ता नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह अपनी व्यापार नीति का निर्धारण कर सकेगा।
- साथ ही, एक मुक्त व्यापार समझौते के तहत यू.के. और यूरोपीय संघ ने 100% टैरिफ उदारीकरण पर सहमति व्यक्त की है, जिसका अर्थ है कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच आने-जाने वाले सामानों पर कोई टैरिफ या कोटा लागू नहीं है।

- कोई टैरिफ लागू न होने का अर्थ है कि वस्तुओं के व्यापार पर कोई कर नहीं लगेगा और शून्य कोटा का अर्थ है कि व्यापार के लिये वस्तुओं की मात्रा पर कोई सीमा नहीं होगी।
- यह पहला मौका है जब यूरोपीय संघ किसी व्यापारिक भागीदार के साथ शून्य कोटा और शून्य टैरिफ के लिये सहमत हुआ है। हालाँकि, नए व्यापार समझौते से कागज़ी कार्रवाई और लालफीताशाही बढ़ने की आशंका है।

यात्रा और मत्स्यन संबंधी बदलाव

- यू.के. और यूरोपीय संघ के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिये प्रवेश अभी भी वीजा मुक्त रहेगा, परंतु उनकी स्क्रीनिंग व जाँच हो सकती है और अब वे बायोमेट्रिक पासपोर्ट का उपयोग नहीं कर सकेंगे। साथ ही यू.के. अब यूरोपीय संघ के डिज़ाइन को अपनाने से पूर्व जारी किये गए नीले पासपोर्ट पर लौट आएगा।
- इसके अलावा, यू.के. को अपने मछली पकड़ने वाले क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त होगी जो वार्ता के प्रमुख बिंदुओं में से एक था। यू.के. द्वारा 31 दिसंबर को यूरोपीय संघ की सामान्य मत्स्य नीति त्यागने के बावजूद वर्तमान नियम लगभग संक्रमण काल (5 वर्ष) तक बने रहेंगे।
- इसका आशय है कि यूरोपीय नौकाओं को यू.के. के मछली पकड़ने वाले क्षेत्र तक पहुँच ज़्यादा रहेगी और दोनों पक्ष संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ और यू.के. के जल क्षेत्र में मछली के स्टॉक का प्रबंधन करेंगे।

समझौते के अन्य पहलू

- इनमें मोबाइल रोमिंग जैसे मुद्दे शामिल हैं। यूरोपीय संघ के देशों और यू.के. के मध्य यात्रा करने वाले लोगों को रोमिंग शुल्क देना पड़ सकता है। हालाँकि, यह नेटवर्क ऑपरेटर पर निर्भर करेगा।
- साथ ही, एक जनवरी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की टैक्स-फ्री एयरपोर्ट बिक्री (Tax-Free Airport Sales of Electronics and Clothing) बंद हो जाएगी। ब्रिटेन में जारी किये गए घरेलू पासपोर्ट यूरोपीय संघ में मान्य नहीं होंगे और यू.के. से आने वाले यात्री गैर-यूरोपीय संघ के देशों से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन होंगे।
- यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित है न कि यूरोपीय संघ के कानून पर अर्थात् यूरोपीय न्यायालय अब पुरानी भूमिका नहीं निभा सकता और न ही ब्रिटेन को अब यूरोपीय संघ के कानून का पालन करने की आवश्यकता है।

ब्रेक्जिट प्रक्रिया का प्रारंभ

- इसकी शुरुआत जनवरी 2013 में एक जनमत संग्रह की घोषणा के साथ हुई, जिसमें ब्रिटिश जनता को ब्रेक्जिट के पक्ष या विपक्ष में मतदान करना था। केमरून के दूसरे कार्यकाल के दौरान यूरोपीय संघ के जनमत संग्रह अधिनियम, 2015 को पारित किया गया और जनमत संग्रह जून 2016 में आयोजित किया गया।
- ब्रेक्जिट 29 मार्च, 2019 को होने वाला था परंतु सांसदों द्वारा यूरोपीय संघ के साथ 'थेरेसा मे' द्वारा किये गए सौदे को अस्वीकार करने के बाद 29 मार्च की समय-सीमा दो बार विलंबित हुई।
- अंततः 2020 के प्रारंभ में यूरोपीय संघ को छोड़ने की औपचारिक घोषणा के बाद 11 माह की संक्रमण अवधि की शुरुआत हुई।

आयरिश बैकस्टॉप

- थेरेसा मे के बाद बोरिस जॉनसन ने पदभार संभाला। सांसदों के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदुओं में से एक आयरिश बैकस्टॉप (Irish Backstops: उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के बीच प्रस्तावित सीमा व्यवस्था) था जो उत्तरी आयरलैंड (यू.के. का एक हिस्सा) और आयरलैंड गणराज्य (यूरोपीय संघ का हिस्सा) के बीच सीमा की प्रकृति को नियंत्रित करता है।

- इस समझौते का आशय यह सुनिश्चित करना था कि उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य के बीच कोई कठोर सीमा न हो। जॉनसन के नेतृत्व में बैकस्टॉप हटा दिये गए और इसकी बजाय एक आयरिश सागर सीमा बनाई गई।
- 1 जनवरी से उत्तरी आयरलैंड और यू.के. के बाकी हिस्सों के बीच एक नई व्यापार सीमा हो गई है, जिसका अर्थ है कि उत्तरी आयरलैंड अभी भी यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार के अधीन होगा और उसके सीमा शुल्क नियमों का पालन करेगा।

सूडान के लिये समझौते का निहितार्थ

संदर्भ

हाल ही में, इज़रायल और सूडान ने अमेरिकी मध्यस्थता से आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका द्वारा सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने से इज़राइल के साथ समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह निर्णय रिपब्लिकन पार्टी की विदेश नीति की उपलब्धि को चिह्नित करता है। हालाँकि, विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते के सूडान के लिये दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

समझौते का प्रारंभ

- इज़राइल तथा सूडान कृषि पर प्रारंभिक ध्यान देते हुए आर्थिक और व्यापार लिंक खोलने की योजना पर विचार कर रहे हैं। हालाँकि, राजनयिक संबंधों की औपचारिक स्थापना जैसे मुद्दों को बाद में हल किया जाएगा।
- कुछ समय पूर्व ही संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ऐसे अरब राज्य बन गए हैं, जो इज़रायल के साथ औपचारिक संबंधों के लिये सहमत हुए हैं। इस समझौते को 'अब्राहम अकॉर्ड' के नाम से जाना जाता है।

वर्तमान दुविधा

- सूडान सरकार द्वारा इज़राइल को मान्यता देना उस देश के लोगों का विशेषाधिकार होना चाहिये न कि किसी महाशक्ति के दबाव में ऐसा करना चाहिये। सूडान का यह निर्णय स्पष्ट तौर पर सूडान को आतंकी सूची से बाहर किये जाने के बदले के रूप में देखा जा रहा है।
- अमेरिका द्वारा सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने के कई निहितार्थ हो सकते हैं। किसी संप्रभु राष्ट्र से ऐसी आशा नहीं की जाती है कि कोई विदेशी देश उसकी नीति का निर्धारण करे। विदित है कि सूडान इस सूची में वर्ष 1993 से था।
- संवेदनशील ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने स्वयं इस दुविधा को व्यक्त किया था कि इज़रायल को औपचारिक मान्यता देने के महत्त्वपूर्ण निर्णय की ज़िम्मेदारी उनकी गैर-निर्वाचित सरकार को लेनी चाहिये।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के मद्देनज़र सूडान ने अरब लीग की मेज़बानी की थी, जिसमें इज़रायल की मान्यता को अस्वीकार करने, उससे वार्ता न शुरू करने और इज़रायल के साथ शांति की माँग न करने के लिये कथित तौर एक संकल्प को अपनाया था।
- अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सूडान की स्थिति का निर्धारण करने के लिये दोनों देशों के बीच गुप्त द्विपक्षीय संबंधों की दुहाई देना भी उचित नहीं होगा।
- दूसरी ओर, सूडान को आतंकवाद प्रायोजक मानने वाले कारक अपेक्षाकृत स्पष्ट हैं। ये वर्ष 1996 तक ओसामा बिन लादेन को शरण देने के अलावा फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, हमास और हिजबुल्लाह के लिये पूर्व सैन्य शासन से प्राप्त होने वाले समर्थन से संबंधित हैं।

- सूडान को आतंकी सूची से हटाने की पृष्ठभूमि वर्ष 2017 में अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंधो में ढील के साथ ही शुरू हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2019 में 23 वर्षों के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भेजे।

वर्तमान स्थिति

- सूडान ने 30 वर्षों के तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका है। यहाँ अगस्त 2019 से चल रहे लोकतांत्रिक संक्रमण के कारण वर्ष 2022 में आम चुनाव होने की संभावना है।
- पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर होने वाले विद्रोह का अंतिम उद्देश्य सैन्य शासन को सत्ता से बाहर करना था, जो अभी भी संक्रमणकालीन सरकार में साझेदार है।
- सूडान का विशाल तेल भंडार वर्ष 2011 में इससे अलग होने वाले दक्षिण सूडान में चला गया है। साथ ही, कोविड-19 और भयानक बाढ़ ने खाद्यान्न की कमी, अत्यधिक महँगाई और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं में वृद्धि कर दी है।

लाभ

- अमेरिका के साथ हुआ सौदा सूडान को वैश्विक वित्तीय संस्थानों तक महत्त्वपूर्ण पहुँच प्रदान करेगा, डॉलर के लेनदेन को फिर से शुरू करेगा और लगभग तीन दशकों के बाद विदेशी निवेश को पुनर्जीवित करेगा।
- इससे सूडान को अपनी राष्ट्रीय ऋण संबंधी समस्याओं को हल करने, निवेश के अवसरों को बढ़ाने तथा वैश्विक समुदाय के साथ पुनः एकीकरण करने में सहायता मिलेगी।

चिंताएँ

- वैश्विक सुरक्षा वाले इस मामले में अमेरिका का लेन-देन वाला दृष्टिकोण घातक सिद्ध हो सकता है और सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से बाहर करना इसी का परिणाम माना जा रहा है।
- दुर्भाग्य से सूडान की उभरती स्थिति के मूल्यांकन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने चुनावी लाभ और पश्चिम एशियाई शांति प्रक्रिया में उनके कई विवादास्पद हस्तक्षेप निर्णायक साबित हुए हैं।
- इस समझौते से इस बात की चिंता व्यक्त की जा रही है कि हालिया घटनाओं से सूडान के पूर्व तानाशाह को नरसंहार और युद्ध अपराधों की जाँच के लिये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को सौंपने के लिये सेना पर दबाव कम हो सकता है।
- सूडान की संक्रमणकालीन सरकार और सैन्य नेतृत्व इस मुद्दे पर विभाजित हैं कि इज़रायल के साथ संबंधों को कितनी तेज़ी से और किस सीमा तक स्थापित किया जाए। इससे दोनों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है और लोकतांत्रिक संक्रमण को धक्का लग सकता है।
- साथ ही सूडान यह भी चाहता है कि उसको आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने के फैसले को स्पष्ट रूप से इज़रायल के साथ संबंधों से न जोड़ा जाए। इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह निर्णय दबाव में लिया गया है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता का दावा करने वाले सूडान के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

ग्रैंड पुनर्जागरण बाँध और अफ्रीकी देशों में उभरते मतभेद

संदर्भ

हाल ही में, इथियोपिया, सूडान और मिस्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 'ग्रैंड पुनर्जागरण बाँध : जलविद्युत परियोजना' पर एक दशक से जारी विवाद को हल करने के लिये पुनः बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

क्या है विवाद?

- नील, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी इसके जल पर निर्भर कई देशों के बीच दशकों से विवाद का कारण रही है। इसके बाँध से संबंधित प्रमुख विवाद इथियोपिया और मिस्र के मध्य है लेकिन सूडान के

उत्तर में मिस्र और दक्षिण में इथियोपिया के स्थित होने के कारण सूडान इस विवाद में तीसरा पक्ष बनता जा रहा है। हालाँकि, सूडान भी इस परियोजना के कारण जल स्तर प्रभावित होने को लेकर चिंतित है।

- इस नील नदी का मुख्य जलमार्ग युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर गुज़रता है, जबकि इसका जल निकास बेसिन पूर्वी अफ्रीका के कई देशों से होकर जाता है, जिसमें इथियोपिया भी शामिल है।
- इथियोपिया के नेतृत्व में निर्मित होने वाली 145 मीटर ऊँची यह परियोजना अफ्रीका की विशालतम परियोजना होगी। यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा बाँध होगा। यह मुख्यत: एक गुरुत्व बाँध (Gravity Dam) है।
- इस बाँध का निर्माण वर्ष 2011 में इथियोपिया से बहने वाली नील की सहायक ब्लू नील नदी पर शुरू किया गया था। इसे हिडेस बाँध (Hidase Dam) भी कहा जाता है, पहले इसे मिलेनियम बाँध के नाम से जाना जाता था।
- नील नदी इस क्षेत्र में जल का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है और मिस्र ने बाँध के निर्माण से जल प्रवाह प्रभावित होने को लेकर लगातार आपत्ति जताई है।
- लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिये चिंता का विषय है। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ने का खतरा भी उत्पन्न हो गया, जो 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' के अन्य देशों में फैल सकता है।

विवाद के कारण

- ब्लू नील नदी पर बाँध की अवस्थिति को देखते हुए यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इथियोपिया इस नदी के प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है।
- मिस्र इस नदी के अनुप्रवाह (Downstream या नीचे की ओर) पर स्थित है, जिसे इस बात की चिंता है कि पानी पर इथियोपिया के नियंत्रण से मिस्र में जल का प्रवाह और जल स्तर दोनों कम हो सकते हैं।
- इथियोपिया ने वर्ष 2019 में जब दो टर्बाइनों का उपयोग कर विद्युत उत्पादन की योजना बनाई तो मिस्र ने कड़ी आपत्ति जताई थी।

इस बाँध के विकास के लक्ष्य

- इथियोपिया का लक्ष्य लोगों के साथ-साथ विनिर्माण उद्योग के विकास के लिये विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बाँध के पूरा होने पर अनुमानत: 6,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होगी जो उसकी आबादी और उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि घरेलू आवश्यकताओं के अलावा इथियोपिया राजस्व प्राप्ति के लिये अपने पड़ोसी देशों, जैसे– केन्या, सूडान, इरीट्रिया और दक्षिण सूडान को अधिशेष विद्युत बेच सकता है, जो विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- इथियोपिया, सूडान और मिस्र के बीच वार्ता के नवीनतम दौर का पर्यवेक्षण अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के अलावा दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, जो अफ्रीकी संघ का वर्तमान प्रमुख है। पिछली बातचीत के बावजूद विवाद का मुद्दा अभी भी वही है।
- इथियोपिया के अनुसार, इस बाँध के निर्माण से न सिर्फ बाढ़ की तीव्रता में कमी आएगी, बल्कि तीन-चौथाई जनता तक विद्युत की पहुँच भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इससे पानी के अनुप्रवाह और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, इससे मिस्र और सूडान के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है।
- मिस्र का मानना है कि बाँध के निर्माण से पानी की आपूर्ति में कटौती होगी। पेयजल और सिंचाई आपूर्ति के लिये नील पर निर्भर मिस्र के लिये यह चिंताजनक है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' में इरीट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया जैसे देश स्थित हैं।
- इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का दसवाँ सबसे बड़ा देश है। साथ ही यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल-रुद्ध देश है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है।
- मिस्र का अधिकांश हिस्सा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित है। इस प्रकार, यह एक अंतर्महाद्वीपीय देश है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा पट्टी और इज़राइल, पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान और पश्चिम में लीबिया स्थित है।
- सूडान उत्तर-पूर्व अफ्रीका में स्थित है, जिसकी राजधानी खार्तूम है। नील नदी इस देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है।
- नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील 'विक्टोरिया' से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्यसागर में गिरती है। नील नदी की घाटी एक सँकरी पट्टी सी है जिसके अधिकांश भाग की चौड़ाई 16 किमी. से अधिक नहीं है। इसी नदी पर मिस्र देश का प्रसिद्ध 'अस्वान' बाँध बनाया गया है। वाइट नील एवं ब्लू नील इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
- अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य शामिल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में अदिस अबाबा में हुई थी और वर्ष 2002 में डरबन में इसका शुभारंभ किया गया था।
- 'एजेंडा 2063' अफ्रीका को वैश्विक धरातल पर स्थापित करने की अफ्रीकी संघ की एक योजना है।

दक्षिण कोरिया में नकारात्मक प्रतिस्थापन दर

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया में वर्ष 2020 में जितने बच्चों का जन्म हुआ, उससे अधिक लोगों की मृत्यु हो गई अर्थात् प्रतिस्थापन दर नकारात्मक हो गई। दक्षिण कोरिया में ऐसा पहली बार हुआ है। हालाँकि, पहले भी दक्षिण कोरिया की जन्म दर विश्व में सबसे कम थी।

प्रमुख बिंदु

- जन्म दर में गिरावट और घटती आबादी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से नए आँकड़ों ने दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ा दी है।

- जन्म दर घटने से देश में काम करने वाले युवाओं की संख्या भी घट जाती है। दक्षिण कोरिया में वर्ष 2020 में 2,75,800 बच्चों का जन्म हुआ जो वर्ष 2019 के मुकाबले 10% कम है। वहीं, वर्ष 2020 में 3,07,764 लोगों की मृत्यु हो गई।
- इन आँकड़ों के सामने आने के बाद कोरिया के गृह मंत्रालय ने सरकारी नीतियों में व्यापक बदलाव की बात कही है।
- दक्षिण कोरिया में जन्म दर में गिरावट का प्रमुख कारण महिलाओं के दफ्तर और घर की ज़िंदगी में तालमेल की कमी को भी माना जा सकता है। कई परिवार आर्थिक वजहों से भी बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं, चूँकि वहाँ यह नियम है कि यदि पति-पत्नी बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उनके पास घर होना ज़रूरी है।
- दक्षिण कोरिया में जन्म दर की गिरावट दूर करने के लिये पिछले महीने परिवारों के लिये नकदी योजना (कैश स्कीम) की घोषणा की गई थी। वर्ष 2022 से लागू होने वाली इस योजना के तहत हर जन्म लेने वाले बच्चे के पालन-पोषण के लिये एकमुश्त एक लाख 35 हज़ार रुपए दिये जाएँगे। साथ ही बच्चे के एक साल के होने तक हर महीने 20,227 रुपए भी दिये जाएँगे।
- ध्यातव्य है कि कोरिया ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिये समय रहते व्यापक कदम उठाए थे, जिस वजह से दक्षिण कोरिया में कोरोना से सिर्फ 981 लोगों की मृत्यु हुई और वहाँ कुल कोरोना संक्रमित की संख्या भी मात्र 64,264 ही रही।

दक्षिण कोरिया की जनसंख्या : विरोधाभास

- जब देश आर्थिक परिवर्तन से गुज़रते हैं, तो उनमें होने वाले संक्रमण के प्रभाव केवल वित्तीय नहीं होते हैं, बल्कि जनांकिकीय भी होते हैं।
- दक्षिण कोरिया में भी यह बात लागू होती है, जहाँ पिछली तीन पीढ़ियों में देश ने तेज़ औद्योगिकीकरण के कारण विकास के नए आयामों को तेज़ी से छुआ है। वर्तमान में, दक्षिण कोरिया 1.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ चीन, जापान और भारत के बाद एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- तेज़ विकास के समानांतर कोरिया जनसांख्यिकी संक्रमण के दौर से गुज़र रहा है, अर्थात् यहाँ जनसंख्या सिकुड़ती जा रही है, आमतौर पर यह स्थिति समृद्ध देशों में देखी जाती है। तेज़ी से उम्रदराज़ होती जनसंख्या और कम विवाह व जन्म दर इस संक्रमण के लिये उत्तरदाई माने जा रहे हैं।
- दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है एवं औसतन प्रति महिला पर 1.1 बच्चे हैं जो किसी भी अन्य देश की तुलना में कम है। वैश्विक औसत लगभग 2.5 बच्चे/महिला है।
- कोरिया में यह दर लगातार घट रही है। 1950 के दशक और आज के बीच, दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर 5.6 से 1.1 बच्चे प्रति महिला पर आ गई है।
- वैश्विक जनसंख्या प्रतिस्थापन दर 2.1 है, इस लिहाज से भी कोरिया बहुत पीछे है।
- दक्षिण कोरिया की वर्तमान पीढ़ी 'सैंपो जेनरेशन' बनने की ओर अग्रसर है। सैंपो जेनरेशन एक उभरती हुई परिघटना है, जिसमें युवा पीढ़ी सामाजिक दबाव और बढ़ती आर्थिक समस्या के कारण 'प्रेम संबंध, विवाह तथा बच्चा पैदा करने' से बचती है।
- आँकड़ों के अनुसार, जहाँ वर्ष 1970 में 25-29 वर्ष की 90% महिलाएँ विवाहित थीं, वहीं 2015 में यह आँकड़ा गिरकर 23% पर आ गया है।
- स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के कारण दक्षिण कोरिया में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जीवन प्रत्याशा तेज़ी से बढ़ी है।
- 1950 के दशक की पहली छमाही में जीवन प्रत्याशा औसतन 42 साल से कम थी (पुरुषों के लिये 37, महिलाओं के लिये 47), जबकि वर्तमान में दक्षिण कोरिया वैश्विक रूप से उच्चतम जीवन प्रत्याशा वाले देशों में से एक है। यह आइसलैंड के साथ संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर है। वर्तमान में दक्षिण कोरिया की जीवन प्रत्याशा 82 वर्ष (पुरुषों के लिये 79, और महिलाओं के लिये 85) है।

- वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है (पुरुषों के लिये लगभग 70, महिलाओं के लिये 74)। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यहाँ जीवन प्रत्याशा में और सुधार होने की संभावना है और इस सदी के अंत तक यहाँ जीवन प्रत्याशा 92 वर्ष (पुरुषों के लिये 89, और महिलाओं के लिये 95) होने का अनुमान है।

ईरान परमाणु समझौता और अमेरिकी दृष्टिकोण

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति 'जो बाइडन' (डेमोक्रेटिक पार्टी) ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा (डेमोक्रेटिक पार्टी) द्वारा हस्ताक्षरित और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (रिपब्लिकन पार्टी) द्वारा निरस्त किये गए ईरान परमाणु समझौते को बचाने की इच्छा जताई है। यह विचार अमेरिका के अलावा इस समझौते के अन्य पक्षकारों– ईरान, फ्राँस, जर्मनी, ब्रिटेन, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच एक उच्चस्तरीय सम्मेलन में व्यक्त किया गया। इनका लक्ष्य आर्थिक प्रतिबंधों में ढील के बदले ईरान को परमाणु बम विकसित करने से रोकना है।

क्या है ईरान परमाणु समझौता?

- ईरान परमाणु समझौते को आधिकारिक रूप से 'संयुक्त व्यापक कार्य-योजना' (JCPOA) के नाम से वियना में जुलाई, 2015 में 'ईरान और P5 तथा जर्मनी व यूरोपीय संघ' के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। P5 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थाई सदस्य– अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और रूस शामिल हैं। यह समझौता जनवरी, 2016 से लागू हुआ।
- 'P5+1' को 'E3+3' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसमें यूरोपीय संघ के तीन देशों (E3 : फ्राँस, ब्रिटेन और जर्मनी) के अलावा तीन गैर-यूरोपीय देश (अमेरिका, रूस और चीन) भी शामिल हैं।
- समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ।
- समझौते में ईरान द्वारा चलाए जाने वाले परमाणु संवर्द्धन संयंत्रों की संख्या के साथ-साथ उन्हें पुराने मॉडल तक सीमित कर दिया गया। ईरान ने भारी जल के रिएक्टर को भी रीकॉन्फिगर किया, ताकि वह प्लूटोनियम का उत्पादन न कर सके। साथ ही ईरान फोरदो स्थित अपने संवर्द्धन संयंत्र को एक अनुसंधान केंद्र में बदलने पर सहमत हो गया।
- इसके अतिरिक्त, इसने संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (IAEA) को अधिक पहुँच प्रदान करने तथा अन्य साइटों के निरीक्षण की अनुमति प्रदान की।
- इसके बदले में वैश्विक शक्तियों ने उन आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वैश्विक तेल व्यापार से रोकता था। साथ ही ईरान को वाणिज्यिक विमान खरीदने तथा अन्य व्यापारिक सौदे की अनुमति प्रदान की गई और विदेशों में ईरान की संपत्ति को भी अनफ्रीज कर दिया गया।
- समझौते के तहत ईरान के यूरेनियम संवर्द्धन और भंडार की मात्रा संबंधी प्रतिबंध समझौते के 15 वर्ष बाद यानी वर्ष 2031 में समाप्त हो जाएगा।
- वर्ष 2016 में आई.ए.ई.ए. ने यह स्वीकार कि ईरान ने परमाणु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है और ईरान पर से अधिकांश प्रतिबंध हटा दिये गए। इस प्रकार, ईरान ने धीरे-धीरे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश किया और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री शुरू की।

अमेरिका का समझौते से बाहर होने के कारण

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी संबोधन में इस समझौते में ईरान पर बहुत अधिक नरमी दिखाने के साथ-साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्षों में उसके शामिल होने जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करने के कारण इसकी आलोचना की थी।

- हालाँकि, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद अमेरिका ने पहले तो ईरान के साथ समझौते पर पुनः बातचीत की कोशिश की, परंतु मई 2018 में उसने इस समझौते से बाहर होने का एकतरफा निर्णय ले लिया। इसके बाद से अमेरिका और ईरान के मध्य संबंधों में लगातार गिरावट आई है।
- ट्रंप प्रशासन ने पुनः प्रतिबंध आरोपित करने के साथ-साथ इस हाइड्रोकार्बन-समृद्ध राष्ट्र के साथ व्यवसाय करने वाले अन्य देशों को भी चेतावनी दी। ईरान से तेल खरीदने के लिये भारत सहित आठ देशों को प्राप्त अस्थाई छूट भी अप्रैल 2019 में समाप्त हो गई।

समझौते से अमेरिका के बाहर होने के बाद की स्थिति

- अमेरिका के समझौते से हटने के बावजूद ईरान ने जे.सी.पी.ओ.ए. के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखने की बात कही और जून 2018 में ईरान ने समझौते के अनुरूप संवर्द्धन के बुनियादी ढाँचे में विस्तार की घोषणा की।
- हालाँकि, मई 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान ने कहा कि वह समझौते की कुछ प्रतिबद्धताओं का पालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि अन्य सदस्य इसकी आर्थिक माँगों पर सहमत नहीं होते। इसके दो महीने बाद आई.ए.ई.ए. ने पुष्टि की कि ईरान ने अपनी संवर्द्धन सीमा को पार कर लिया है।
- इस वर्ष जनवरी में ईरान के शीर्ष सुरक्षा और खुफिया कमांडर मेजर जनरल कस्सीम सोलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या के बाद ईरान ने कहा कि वह परमाणु समझौते को न मानते हुए यूरेनियम संवर्द्धन के लिये लगाई गई सीमाओं का पालन नहीं करेगा। हालाँकि, ईरान ने आई.ए.ई.ए. के साथ सहयोग को जारी रखने की बात कही।
- दिसंबर में अमेरिका-ईरान संबंधों में उस समय तल्खी और बढ़ गई जब ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई।

निष्कर्ष

हाल की उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेने वाले देशों ने समझौते को बचाने के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनः बल दिया है। साथ ही जे.सी.पी.ओ.ए. का पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन सभी पक्षों के साथ-साथ एशिया में शांति के लिये अभी भी महत्त्वपूर्ण बना हुआ है। हालाँकि, समझौते को उसके मूल स्वरूप में पुनः शुरू करने में चुनौती है, क्योंकि ईरान वर्तमान में समझौते की कई प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। यद्यपि ईरान ने स्पष्ट किया है, कि यदि अमेरिका और तीनों यूरोपीय देश अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वह तेज़ी से पुरानी स्थिति पर लौट आएगा। हालाँकि, फखरीजादेह की हत्या इस समझौते को पुनर्जीवित करने के लिये बाइडन द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को जटिल कर सकती है।

चीन और नेपाल के बीच सीमा विवाद

संदर्भ

हाल ही में, नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक सर्वे में दावा किया है कि चीन ने अपनी सीमा से लगे नेपाल के ज़िलों– दोलखा, गोरखा, धारचुला, हुमला, सिंधुपालचौक, संखुवासभा और रसुवा में कई जगहों पर अतिक्रमण कर लिया है।

पृष्ठभूमि

- नेपाल और तिब्बत ने 5 सितंबर, 1775 को सीमा पर संबंधों को मज़बूत करने के लिये एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा।

- कुछ वर्ष बाद नेपाल के बहादुरशाह ने अपने शासनकाल में नेपाल और तिब्बत के बीच हुए इस व्यापार समझौते पर असंतोष जताते हुए तिब्बत पर हमला करने के लिये अपनी सेना भेज दी थी।
- इस हमले के बाद तिब्बत और नेपाल के रिश्तों में खटास आ गई थी। नेपाल की सेना को पीछे धकेलने के लिये तिब्बत अक्सर चीन से सैन्य मदद लेता था। लेकिन बाद में तिब्बत ने नेपाल के साथ फिर से सीमा विवाद सुलझाने पर ज़ोर देना शुरू किया।
- इसके बाद नेपाल और तिब्बत के बीच 'थपाथली की संधि या नेपाल-तिब्बत शांति समझौता' हुआ। इस पर 24 मार्च, 1856 को हस्ताक्षर किये गए। इस समझौते से नेपाल और तिब्बत के बीच उत्तरी सीमा के विवाद का अंतिम रूप से समाधान हुआ था।

तिब्बत पर चीन का अधिकार

- विगत कुछ दशकों में चीन और नेपाल के रिश्तों में उतार-चढ़ाव होते रहे, किंतु तिब्बत पर चीन के अधिकार कर लेने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक नया बदलाव देखा गया।
- चीन और नेपाल के बीच 1439 किलोमीटर लंबी साझा सीमा अस्तित्व में आई। नेपाल और चीन ने अपनी सीमा को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिये 21 मार्च, 1960 को 'नेपाल-चीन सीमा समझौता' किया। चीन और नेपाल के बीच हुए इस समझौते ने 'थपाथली की संधि' की जगह ली।
- इस समझौते के साथ ही नेपाल ने न सिर्फ तिब्बत पर चीन के अधिकार को मान्यता दी, बल्कि पुराने समझौते से मिले सभी अधिकार और विशिष्ट रियायतों को भी छोड़ दिया।
- दोनों ही देशों द्वारा सीमा के व्यापक सर्वेक्षण और नक्शे बनाने के बाद 5 अक्तूबर, 1961 को चीन और नेपाल के बीच सीमा समझौते को अंतिम रूप दिया गया। चीन और नेपाल की सीमा के निर्धारण में इससे संबद्ध इलाकों के पारंपरिक उपयोग, कब्ज़े और सुविधाओं को मानक बनाया गया था।
- नेपाल ने अपने कब्ज़े वाले करीब 1836 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपे, तो चीन ने भी अपने कब्ज़े वाले लगभग 2139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल को सौंप दिये।
- इसके अलावा, हिमालय में पानी के बहाव की दिशा को भी उत्तरी क्षेत्र की सीमा के निर्धारण का आधार बनाया गया। इस इलाके में कई दर्रे, पर्वतों की चोटियाँ और चरागाह की ज़मीने हैं।
- जहाँ पर भी किसी देश के चरवाहों की ज़मीनें दूसरे देश के हिस्से में थीं, वहाँ पर ज़मीन के मालिकों को उस देश की नागरिकता अपनाने का विकल्प दिया गया।

पंचशील सिद्धांत का पालन

- नेपाल और चीन ने अपनी-अपनी सीमा को साथ-साथ चिह्नित किया। दोनों देशों के बीच कम-से-कम 32 क्षेत्रों को लेकर संघर्ष हुआ, विवाद और दावे-प्रतिदावे हुए।
- दोनों देशों के बीच सीमा के रेखांकन के दौरान जब भी विवाद हुआ, तो इसे 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पंचशील सिद्धांत' के जरिये सुलझाया गया और दोनों ही देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक-दूसरे की स्थिति का सम्मान किया।
- सीमा समझौते के अनुसार, सीमा के सर्वेक्षण और चिह्नीकरण के बाद दोनों देशों की साझा सर्वे टीम ने 21 जून, 1962 से सीमा पर स्थाई खंभे और चिह्न लगाने शुरू किये।
- 20 जनवरी, 1963 को नेपाल और चीन के बीच सीमा संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके तहत हर पाँच वर्षों में दोनों देशों द्वारा निर्धारित की गई सीमा के निरीक्षण के बुनियादी नियम तय किये गए।
- इस प्रोटोकॉल पर दोनों देशों ने तीन बार नए सिरे से हस्ताक्षर किये और सीमा बताने वाले जो खंभे क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनकी जगह नए खंभे लगाए गए।

नेपाल-चीन के बीच तनाव

- पिछले कुछ दशकों के दौरान नेपाल और चीन के बीच सीमा को लेकर छोटी-मोटी झड़पें भी हुई। उदाहरण

के तौर पर दोलखा ज़िले के लंबागर इलाके के उत्तर में स्थित लपचिगौन में सीमा बताने वाला जो स्तंभ लगाया गया था, उसके बारे में दावा किया गया कि यह नेपाल की सीमा के भीतर लगाया गया था, न कि पहले से निर्धारित सीमा पर। यह विवाद केवल छह हेक्टेयर ज़मीन का था, लेकिन इसकी वजह से दोनों देशों के बीच सीमा का चौथा प्रोटोकॉल अब तक अटका हुआ है।

- एक और विवाद माउंट एवरेस्ट (सागरमाथा) पर अधिकार का भी था। लेकिन 1960 में चाउ-एन-लाई ने अपने काठमांडू दौरे में साफ कर दिया कि माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की जनता का अधिकार है।
- इस समय दोनों देशों के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। चीन का दावा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई 8844.43 मीटर है। वहीं नेपाल का दावा है कि एवरेस्ट 8848 मीटर ऊँचा है।
- हाल के सर्वे में चीन द्वारा जिस अतिक्रमण की बात की गई है, उसका नेपाल और चीन दोनों ही देशों की सरकारों ने खंडन किया है।
- दोनों देशों ने यह भी कहा है कि वे आपसी बातचीत से सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हैं।
- हालाँकि, अगर चीन और नेपाल के बीच सीमा विवाद जारी रहता है, तो इससे नेपाल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि घरेलू राजनीति की मज़बूरियाँ नेपाल को चीन के अतिक्रमण का विरोध करेंगी। ऐसे में चीन द्वारा कब्ज़ा की गई ज़मीनों पर से नेपाल का अधिकार जा सकता है।

कीस्टोन XL पाइपलाइन परियोजना

संदर्भ

अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन विभिन्न चिंताओं के कारण 9 बिलियन डॉलर की 'कीस्टोन XL पाइपलाइन परियोजना' को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं।

क्या है 'कीस्टोन XL परियोजना'?

- 'XL पाइपलाइन' के कार्यात्मक नेटवर्क को 'कीस्टोन' भी कहा जाता है, जो कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के ऑइल सैंड (Oil Sands) को अमेरिका के इलिनॉयस और टेक्सास प्रांतों में स्थित रिफाइनरियों से जोड़गा।
- 'कीस्टोन XL' कनाडा और अमेरिका के बीच कीस्टोन पाइपलाइन नेटवर्क का प्रस्तावित चौथा चरण है, जिसका उद्देश्य अल्बर्टा के ऑइल सैंड और टेक्सास खाड़ी तट के बीच की दूरी को कम करना है। विदित है कि टेक्सास खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की कई रिफाइनरियाँ स्थित हैं।
- कीस्टोन के पहले तीन चरण पूरे हो गए हैं और वर्तमान में कनाडा से अमेरिका तक एक लंबे मार्ग के माध्यम से तेल को ले जाया जा रहा है। प्रस्तावित 1,897 किमी. लंबी यह पाइपलाइन अधिक सीधी और अधिक व्यास वाली होगी, जो कनाडा से तेल की आपूर्ति बढ़ाने में सहायक होगी।
- यह पाइपलाइन कनाडा और अमेरिकी दोनों देशों से तेल को टेक्सास स्थित रिफाइनरियों में ले जाएगी, जहाँ से इसे निर्यात किया जा सकता है।

निर्माण के कारण

- उल्लेखनीय है कि कनाडा के ऑइल सैंड स्थलरुद्ध हैं और इसके निर्माण से टेक्सास स्थित रिफाइनरियों व बंदरगाहों के माध्यम से वे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से सीधे जुड़ जाएँगे। इससे उन्हें और विकसित किया जा सकता है, जिससे कनाडा और अमेरिका दोनों में ऊर्जा उद्योग को लाभ होगा।
- साथ ही, इससे घरेलू आपूर्ति में भी वृद्धि होगी और अमेरिका की तेल आयात के लिये मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) पर निर्भरता कम होगी।

परियोजना का विरोध

- इसके विकास से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को विकसित करने से ध्यान हटने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी।
- इस ऑइल सैंड से निकलने वाला ईंधन बिटुमिन प्रकार का है, जिसके निष्कर्षण प्रक्रिया से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। कनाडा के कार्बन फुटप्रिंट को लेकर भी आपत्तियाँ हैं।
- साथ ही, पाइपलाइन से होने वाले रिसाव से अमेरिका के नेब्रास्का स्थित ओगलाला जलभृत (Ogallala Aquifer) को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रिसाव की स्थिति में पारंपरिक क्रूड की अपेक्षा बिटुमिन के कुछ भारी तत्त्व जलभृत की निचली सतह और भूमि पर जम जाते हैं तथा पारंपरिक प्रौद्योगिकियों द्वारा इनकी सफाई मुश्किल होती है।
- इसके अतिरिक्त, कुछ राजनीतिक मुद्दे भी हैं, क्योंकि प्रस्तावित पाइपलाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करती है, जिसके लिये दोनों देशों की सरकारों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

ऑइल सैंड (Oil Sands)

- ऑइल सैंड को टार (कोलतार) सैंड, क्रूड बिटुमिन या अधिक तकनीकी रूप में बिटुमिनस सैंड कहते हैं। यह रेत, मृदा खनिज, पानी और बिटुमिन से बनी तलछट या तलछटी चट्टानें हैं, जो अप्रचलित पेट्रोलियम निक्षेप का एक प्रकार है।
- ऑइल सैंड या तो लूज सैंड या आंशिक रूप से समेकित बलुआ पत्थर है, जिसमें रेत, मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है और जो सघन एवं बेहद चिपचिपे रूप में पेट्रोलियम से युक्त होता है। इसे तकनीकी रूप से बिटुमिन के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- कनाडा में स्थित ऑइल सैंड विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जबकि अन्य बड़े भंडार कजाकिस्तान, रूस और वेनेजुएला में स्थित हैं।

अमेरिका की धारा 230

संदर्भ

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैपिटल हिल बिल्डिंग (संसद भवन) पर ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी अकाउंट्स को या तो स्थाई या अस्थाई रूप से बंद कर दिया है।
- ट्विटर ने तो हिंसा और गलत जानकारी फैलाने के लिये ट्रंप के साथ-साथ उनके कुछ करीबियों के 'ट्विटर हैंडल' हमेशा के लिये बंद करने का फैसला किया है।
- सोशल मीडिया कंपनियों के इस कदम ने एक बार फिर से अमेरिका में धारा 230 पर बहस को जन्म दे दिया है।
- 'यू.एस. कम्युनिकेशन डीसेंसी एक्ट' की इस धारा के जरिये अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियाँ अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हैं। हालाँकि, इसका प्रयोग सीधे राष्ट्रपति के खिलाफ करना आश्चर्यजनक कदम है।

क्या है धारा 230?

- 'कम्युनिकेशन डीसेंसी एक्ट' की 'धारा 230' को पहली बार वर्ष 1996 में अधिनियमित किया गया था।
- इसके तहत इंटरनेट कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर साझा किये गए डाटा से कानूनी सुरक्षा मिलती है।
- पहले इस धारा को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी को रेगुलेट करने के लिये लाया गया था।
- धारा 230 उस कानून का संशोधन है, जो कि यूजर्स/उपयोगकर्ताओं को उनके किये गए ऑनलाइन कमेंट्स और पोस्ट्स के लिये ज़िम्मेदार बनाता है।

- इस धारा के तहत कोई भी सोशल मीडिया कंपनी अपनी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता द्वारा डाली गई चीज़ों के लिये ज़िम्मेदार नहीं होगी।
- अगर उपयोगकर्ता वेबसाइट पर कोई भी अवैध या गलत चीज़ डालता/पोस्ट करता है, तो सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ मामला दाखिल नहीं किया जा सकता।
- इसके आलावा, प्राइवेट कंपनियों को यह अधिकार है कि वे अपने दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों को प्लेटफॉर्म से ही हटा सकते हैं।
- इसलिये धारा 230 के तहत सोशल मीडिया कंपनियाँ ट्रंप के अकाउंट को बंद करने के फैसले पर पूरा अधिकार रखती हैं।

कब तैयार हुई थी धारा 230?

- इस कानून को सबसे पहले ओरेगॉन के डेमोक्रेट सांसद रॉन वेडन और साउथ केरोलाइना के रिपब्लिकन सांसद क्रिस कॉक्स ने दो दशक पहले ड्राफ्ट किया था।
- तब इसका उद्देश्य अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के तहत बड़ी तकनीकी कंपनियों को बढ़ावा देना और अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षा देना था।
- अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अधिकार समूह 'इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन' ने धारा 230 को 'इंटरनेट पर वक्तव्यों या भाषण की रक्षा करने वाला महत्त्वपूर्ण कानून' कहा था।

धारा 230 की आलोचना

- जहाँ एक तरफ धारा 230 सोशल मीडिया कंपनियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है, वहीं इसके आलोचकों का कहना है कि यह कानून फेसबुक-ट्विटर के उनके मौजूदा स्वरूप से काफी पहले तैयार हुआ था, अत: इसे अद्यतन किया जाना चाहिये।
- राजनीतिक नेता और इंटरनेट एक्टिविस्ट लगातार इस कानून में संशोधन की माँग करते रहे हैं।
- कई आलोचकों का कहना है कि इस कानून से बड़ी तकनीकी कंपनियाँ राजनीतिपूर्ण एवं दलीय गतिविधियों में भागीदार बन सकती हैं।
- कुछ लोगों का तर्क है कि यह कानून दक्षिणपंथी चरमपंथियों को 4chan या पार्लर जैसी वेबसाइट्स के द्वारा भड़काऊ या उग्र बातें साझा करने पर किसी तरह का रोक नहीं लगाता।
- गौरतलब है कि ट्रंप से लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन भी इस तरह के कानून को बदलने की बात कह चुके हैं।
- ट्रंप ने मई 2020 में इस कानून के तहत सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को मिलने वाली सुरक्षा को लक्षित करते हुए कहा था कि बहुत से प्लेटफार्म सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हैं।
- हालिया चुनाव में जो बाइडन की जीत के बाद ट्रंप ने पूरी तरह से इस कानून को रद्द करने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि धारा 230 अमेरिका की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा है।
- ट्रंप ने 'राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम' (एन.डी.ए.ए.) को अधिकृत करने वाले एक वार्षिक रक्षा विधेयक को वीटो करने की धमकी भी दी, जब तक कि कांग्रेस धारा 230 को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सहमत नहीं हुई।
- यद्यपि यह धारा अंतत: रद्द नहीं हुई।

पश्चिम अफ्रीका में साहेल तथा चाड झील क्षेत्र

संदर्भ

हाल ही में, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सत्र में भारत ने पश्चिम अफ्रीका के साहेल और चाड झील क्षेत्र में लगातार जारी आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराधों के कारण सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

भारत का मत

- भारत ने बोको हरम द्वारा नाइजीरिया और चाड झील क्षेत्र में तथा इस्लामिक स्टेट द्वारा पश्चिम अफ्रीका में आतंकवादी हमलों की भी निंदा की।
- संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने साहेल क्षेत्र में चिंताजनक मानवीय स्थिति से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुसंगत, समन्वित और सहकारी दृष्टिकोण विकसित करने तथा आतंकवाद-रोधी सहयोग समिति में घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

साहेल क्षेत्र और चाड

- ध्यातव्य है कि चाड अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसके पूर्व में सूडान, पश्चिम में नाइजर, नाइजीरिया, केमरून, उत्तर में लीबिया तथा दक्षिण में मध्य-अफ्रीकी गणराज्य स्थित हैं।
- चाड झील मध्य अफ्रीका के साहेलियन क्षेत्र में अवस्थित एक विशाल, उथली, एंडोर्फिक झील है। यह झील मुख्यत: चाड देश के पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया की सीमा पर अवस्थित है।
- यह झील साहेल क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित चार देशों– चाड, केमरून, नाइजर और नाइजीरिया में रहने वाले 30 मिलियन से अधिक लोगों के लिये जल का प्रमुख स्रोत है। यह चाड बेसिन की सबसे बड़ी झील है। उच्च वाष्पीकरण के बाद भी यह ताज़े पानी की झील है।
- चारी नदी झील के 90% जल का स्रोत है तथा इस झील को जल की कुछ मात्रा नाइजीरिया/नाइजर से आने वाली योबे नदी से भी प्राप्त होती है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

5 भारत एवं विश्व

नए भारतीय मिशन

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में तीन भारतीय राजनयिक मिशन खोलने को मंजूरी दी है। पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य, दोनों ने वर्ष 2006 में भारत में राजनयिक मिशन स्थापित किये थे। विदित है कि सरकार ने वर्ष 2018 में 18 मिशन खोलने की घोषणा की थी। हालाँकि, उनमें से सभी को अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है।

उद्देश्य

- इन देशों में भारतीय मिशन खोलने से भारत को राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहभागिता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
- साथ ही, इससे जनसंपर्क को मज़बूत करने, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुँच को बढ़ावा देने और भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लिये समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी।
- इन देशों में भारतीय मिशन वहाँ के भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा बेहतर तरीके से कर पाएँगे।
- भारत की विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ सहभागिता के माध्यम से भारत की तरक्की और विकास के लिये एक अनुकूल वातावरण बनाना है। वर्तमान में पूरे विश्व में भारतीय मिशन और पोस्ट मौजूद हैं, जो साझेदार देशों के साथ संबंधों के वाहक के तौर पर कार्य करते हैं।
- इन तीन भारतीय मिशनों को खोलने का फैसला 'सबका साथ सबका विकास' को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता की प्राप्ति की दिशा में एक भविष्यगामी कदम है।
- भारत की अधिक राजनयिक उपस्थिति अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कंपनियों को बाज़ार तक पहुँच उपलब्ध करवाएगी और वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देगी।
- इसके अतिरिक्त, यह 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पाद और रोज़गार को बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होगा।

राजनयिक मिशनों के प्रकार

दूतावास (Embassy)

दूतावास एक राजनयिक मिशन होता है जो आमतौर पर दूसरे देश की राजधानी शहर में स्थित होता है। यह कॉन्सुलर (Consular) सेवाओं सहित कई अन्य सेवाएँ प्रदान करता है। एक राज्य प्रमुख का राजदूत दूसरे देश में प्रतिनिधि होता है और इसलिये यह कॉन्सुल (वाणिज्य दूत) से अलग होता है। एक देश से दूसरे देश में केवल एक ही राजदूत हो सकता है, जबकि कॉन्सुल कई हो सकते हैं।

उच्चायोग/हाई कमीशन (High Commissions)

उच्चायोग एक राष्ट्रमंडल देश का दूसरे राष्ट्रमंडल देश में स्थित दूतावास/राजनयिक मिशन है। राष्ट्रमंडल राष्ट्र के सदस्य के रूप में अन्य राष्ट्रमंडल सदस्यों की राजधानियों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों को भारतीय उच्चायोग के रूप में जाना जाता है।

सहायक उच्चायोग (Assistant High Commissions)

राष्ट्रमंडल देशों की राजधानियों से इतर अन्य प्रमुख शहरों में स्थित अपने कुछ कॉन्सुलर मिशनों को भारत 'सहायक उच्चायोग' कहता है।

महावाणिज्य दूतावास (Consulates-General)

महावाणिज्य दूतावास एक ऐसा राजनयिक मिशन है जो आमतौर पर राजधानी शहर के अलावा अन्य प्रमुख शहरों में स्थित होता है और कॉन्सुलर सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम में बर्मिंघम व एडिनबर्ग और श्रीलंका के हंबनटोटा शहर में स्थित कॉन्सुलर मिशनों को 'वाणिज्य दूतावास-जनरल' के नाम से जाना जाता है।

वाणिज्य दूतावास (Consulate)

वाणिज्य दूतावास एक राजनयिक मिशन है जो महावाणिज्य दूतावास के समान ही है, परंतु यह सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान नहीं कर सकता। वाणिज्य दूतावास एक राज्य की सरकार का दूसरे देश में एक आधिकारिक प्रतिनिधि होता है। यह आमतौर पर अपने देश के नागरिकों की सहायता व सुरक्षा करने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच व्यापार व मित्रता को सुविधाजनक बनाने के लिये कार्य करता है।

मानद वाणिज्य दूतावास (Honorary Consul)

मानद वाणिज्य दूतावास एक राजनयिक मिशन है, जो केवल सीमित सेवाएँ प्रदान करता है।

स्थाई मिशन (Permanent Mission)

स्थाई मिशन किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिये एक राजनयिक मिशन है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित है, जिसकी राजधानी ताल्लिन (Tallin) है। एस्टोनिया यूरोपीय संघ के सबसे कम आबादी वाले सदस्य राष्ट्र में से एक है।
- पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी असन्सियन (Asuncion) है। यह दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में अर्जेंटीना से, पूर्व व उत्तर-पूर्व में ब्राजील से और उत्तर-पश्चिम में बोलिविया से घिरा है। विदित है कि दक्षिण अमेरिका में पैराग्वे और बोलीविया भू-अवष्ठित देश हैं।
- डोमिनिकन गणराज्य कैरेबियन क्षेत्र के ग्रेटर एंटिलिस (Greater Antilles) द्वीपसमूह में हिसपनिओला (Hispaniola) द्वीप पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी संतो डोमिंगो है।

भारत की दो-तरफा चुनौतियाँ

संदर्भ

हाल के दिनों में भारत के समक्ष चीन-पाकिस्तान के रूप में दो-तरफा सैन्य खतरे के रूप में दो-मोर्चों पर चुनौतियाँ (Two-Fronts War) उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में टू-फ्रंट वॉर की वास्तविकता का आकलन करने के लिये क्षमता निर्माण और राजनीतिक व कूटनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

टू-फ्रंट वॉर संबंधी धारणाएँ

- टू-फ्रंट वॉर के संबंध में दो विपरीत धारणाएँ हैं– पहला, भारतीय सेना का दृष्टिकोण है कि चीन-पाकिस्तान के रूप में दो-तरफा सैन्य खतरा एक वास्तविकता है जिसके लिये क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है।
- दूसरी ओर,1 देश के राजनीतिक वर्ग और रणनीतिक समुदाय के अनुसार, अतिरिक्त संसाधनों व धन हेतु दबाव बनाने के लिये सेना द्वारा टू-फ्रंट वॉर की चुनौती का अधिक प्रचार किया जा रहा था।
- इस संबंध में तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से चीन ने कभी भी भारत-पाकिस्तान संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है। साथ ही भारत और चीन के मध्य आर्थिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंध दोनों देशों के

बीच किसी भी तरह के सशस्त्र संघर्ष की संभावना को खारिज करते हैं। इस प्रकार, भारतीय रणनीतिक विचार पाकिस्तान पर अधिक केंद्रित रहा।

घुसपैठ और अतिक्रमण का प्रभाव

- भारतीय सेना के अनुसार चीन के साथ पारंपरिक संघर्ष की संभावना कम थी, जबकि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण पश्चिमी सीमा पर संघर्ष की संभावना अधिक थी।
- इस वर्ष लद्दाख में चीनी घुसपैठ और भारतीय सेना तथा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (चीन) के बीच झड़प के साथ बातचीत में गतिरोध ने चीनी सैन्य खतरे को अब अधिक स्पष्ट एवं वास्तविक बना दिया है।
- भले ही वर्तमान में सीमा पर जारी भारत-चीन संकट का शांतिपूर्ण समाधान हो जाए फिर भी चीन की सैन्य चुनौती आने वाले समय में भारतीय सैन्य रणनीतिकारों का ध्यान अधिक आकर्षित करेगी।
- पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा (LOC) पर स्थिति के लगातार बिगड़ने से टू-फ्रंट वॉर की स्थिति अधिक चिंताजनक हो गई है। वर्ष 2017 से 2019 के बीच संघर्ष विराम उल्लंघन में चार गुना वृद्धि हुई है।

चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध

- चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंधों में प्रगाढ़ता कोई नई बात नहीं है, परंतु वर्तमान में इसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक है। चीन ने दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने के लिये पाकिस्तान को हमेशा एक विकल्प के रूप में देखा है।
- पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों देशों के बीच संबंध अधिक मज़बूत हुए हैं। साथ ही इनकी रणनीतिक सोच में बहुत अधिक तालमेल भी दिखा है। वर्ष 2015 से 2019 के बीच पाकिस्तान के कुल हथियारों के आयात में चीन का हिस्सा 73% था।
- हाल ही में, चीन और पाकिस्तान के मध्य संपन्न शाहीन IX वायु सेना अभ्यास के बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष ने कहा कि इससे दोनों वायु सेनाओं की युद्धक क्षमता में काफी सुधार होगा और उनके बीच अधिक सामंजस्य के साथ अंतर-संचालनीयता में भी वृद्धि होगी।
- टू-फ्रंट वॉर खतरे जैसे परिदृश्य में यदि चीन के साथ उत्तरी सीमा पर संघर्ष आरंभ हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भारत की सैन्य व्यस्तता का लाभ उठाकर जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद व आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास करेगा।
- हालाँकि, पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे तीन परमाणु सशस्त्र राज्यों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। साथ ही युद्ध से पाकिस्तान को होने वाले लाभ की अपेक्षा उसकी अर्थव्यवस्था और सेना को दूरगामी नुकसान अधिक होंगे। अत: पाकिस्तान एक हाइब्रिड संघर्ष के रूप में कम जोखिम वाले विकल्प को प्राथमिकता देगा, जिसमें युद्ध की संभावना न हो।
- विदित है कि हाइब्रिड युद्ध एक ऐसी सैन्य रणनीति है, जिसमें राजनीतिक युद्ध के साथ-साथ पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध व साइबर युद्ध को शामिल किया जाता है। साथ ही इसमें अन्य उपायों, जैसे– फर्जी समाचार, कूटनीति, कानूनी युद्ध और चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का भी प्रयोग किया जाता है।

भारत की दुविधा

- दो-मोर्चों पर संघर्ष की स्थिति में भारतीय सेना के सामने दो मुख्य समस्याएँ– संसाधन और रणनीति हैं। दोनों मोर्चों पर गंभीर खतरे से निपटने के लिये लगभग 60 लड़ाकू स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जो भारतीय वायु सेना (IAF) की वर्तमान स्क्वाड्रन संख्या की दोगुनी है।
- हालाँकि, दोनों मोर्चों पर अलग-अलग युद्ध का सामना करना न तो व्यावहारिक है और न ही इस स्तर का क्षमता निर्माण संभव है। साथ ही प्राथमिक मोर्चे के लिये आवंटित किये जाने वाले संसाधनों की मात्रा भी महत्त्वपूर्ण है। यदि भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की अधिकांश युद्धक सामग्री उत्तरी सीमा की ओर भेज दी जाती है, तो उसे पश्चिमी सीमा के लिये अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।

- इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान की ओर से हाइब्रिड संघर्ष की स्थिति में यदि भारतीय सेना पूरी तरह से रक्षात्मक रहती है तो यह पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में अपनी गतिविधियों को जारी रखने और पश्चिमी मोर्चे पर अपनी भागीदारी को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है।
- साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने से होने वाले व्यापक संघर्ष में सीमित संसाधनों की उपलब्धता एक समस्या होगी। अत: सिद्धांत के साथ-साथ क्षमता को विकसित करने की भी आवश्यकता है।
- सैद्धांतिक विकास के लिये राजनीतिक नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य तथा मार्गदर्शन के बिना तैयार किया गया कोई भी सिद्धांत जब निष्पादित किया जाता है तो वह खरा नहीं उतरता है।

कूटनीति का महत्त्व

- दो-तरफा चुनौती का सामना करने के लिये कूटनीति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिये भारत को अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे, ताकि चीन और पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत को नियंत्रित करने, बाध्य करने और रोकने का प्रयास न कर सकें।
- भारत को ईरान सहित पश्चिम एशिया के साथ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री सहयोग, सद्भावना और संबंधों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- साथ ही भारत को अमेरिका के कारण रूस से संबंध कमज़ोर नहीं करने चाहिये, क्योंकि रूस भारत के खिलाफ क्षेत्रीय एकीकरण को प्रभावहीन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- क्वाड (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) और हिंद-प्रशांत की नई समुद्री रणनीति से महाद्वीपीय क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान के दबाव को कम किया जा सकता है।
- टू-फ्रंट वॉर की वास्तविकता को समझते हुए पश्चिमी मोर्चे पर दबाव कम करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता है। कश्मीर में शांति कायम करने के उद्देश्य से लंबे समय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पहुँच बढ़ाने और समस्या के निदान की आवश्यकता है।
- इससे पाकिस्तान के साथ संभावित तालमेल भी बढ़ सकता है, बशर्ते उसको कश्मीर में आतंकवादी घुसपैठ पर रोक लगाने के लिये राजी किया जाए।
- एक उभरते और आक्रामक महाशक्ति के रूप में चीन भारत के लिये बड़ा रणनीतिक खतरा है और भारत के लिये चीन द्वारा तैयार की गई रणनीति में पाकिस्तान एक मोहरा है। अत: भारत केंद्रित चीन-पाकिस्तान नियंत्रित रणनीति के प्रभाव को राजनीतिक रूप से कम किया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत को दो-मोर्चों पर खतरों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा। इसके लिये संभावित खतरे के स्वरूप और उसका मुकाबला करने के लिये आवश्यक क्षमता निर्माण के विश्लेषण की आवश्यकता है।
- भारत ने विमान, जहाज़ और टैंक जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जबकि भविष्य की तकनीकों, जैसे– रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। चीन और पाकिस्तान की युद्ध-लड़ने की रणनीतियों के विस्तृत आकलन के आधार पर सही संतुलन बनाने और नई तकनीक पर ध्यान देना होगा।
- इस प्रकार, किसी भी निश्चितता के साथ दो-मोर्चों पर संघर्ष को परिभाषित करना असंभव है। हालाँकि, इस खतरे को नज़रंअदाज़ नहीं किया जा सकता है, अत: इससे निपटने के लिये सिद्धांत के साथ-साथ क्षमता को विकसित करने की भी आवश्यकता है।

समुद्री अधिकार क्षेत्र जागरूकता तथा भारत के बढ़ते प्रयास

संदर्भ

वर्तमान में किसी देश के लिये स्थल के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र भी विशेष सामरिक महत्त्व रखते हैं। भारत लगातार समुद्री अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिये निगरानी तंत्र को मज़बूत करने का प्रयास कर रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण यह और भी आवश्यक हो गया है कि भारत समुद्री क्षेत्र में अपने सुरक्षा प्रबंधन को मज़बूत करे।

समुद्री क्षेत्र की चुनौतियाँ

- आधुनिक समय में समुद्री क्षेत्र के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। इन खतरों में आतंकवादियों का समुद्री मार्ग से किसी देश की सीमा में घुसना, अपराधियों द्वारा भागने के लिये समुद्री मार्गों का उपयोग करना और समुद्री डाकुओं तथा लुटेरों के हमले शामिल हैं।
- अनेक बार इन आतंकवादियों, अपराधियों तथा लुटेरों की पहचान संभव नहीं हो पाती, क्योंकि ये लोग मछुआरों तथा बंदरगाह-श्रमिकों की आड़ में स्वयं को छिपा लेते हैं।
- इन चुनौतियों से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय पर आधारित जानकारी साझा करने तथा संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने में प्रयुक्त होने वाले उच्च श्रेणी के सेंसर और संचार नेटवर्क का उपयोग करते समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

भारत के प्रयास

- भारतीय नौसेना अब हिंद महासागर में अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
- भारतीय नौसेना मालदीव, म्याँमार और बांग्लादेश में रडार स्टेशन स्थापित करके समुद्री क्षेत्र में निगरानी तंत्र में विस्तार कर रही है। मॉरीशस, सेशेल्स तथा श्रीलंका में पहले से ही व्यापक तटीय रडार शृंखला नेटवर्क स्थापित किये जा चुके हैं।
- भारतीय नौसेना पूर्वी हिंद महासागर, विशेषकर अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के आसपास के क्षेत्रों में चीन की गतिविधियों पर विशेष नज़र रख रही है।
- जून 2020 में, उत्तरी लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की भिड़ंत के बाद पूर्वी समुद्री क्षेत्र में चीन की उपस्थिति के मद्देनज़र भारतीय रणनीतिकार विशेष सावधानी बरत रहे हैं।
- हाल ही में, भारत ने 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी' (PLAN) की पनडुब्बियों की निगरानी के लिये के P-8I विमान को तैनात किया है और भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने चीन द्वारा किसी भी सामुद्रिक गतिविधि को रोकने के लिये अंडमान सागर तथा पूर्वी चोकपाइंट्स पर गश्त की है।

पड़ोसी देशों के साथ भारत का तालमेल

- समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने के लिये पड़ोसी देशों के साथ सहयोगपूर्ण तालमेल होना आवश्यक है। एक जानकारी के अनुसार, हिंद महासागरीय देश– बांग्लादेश, म्याँमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस और सेशेल्स जल्द ही गुरुग्राम में स्थित 'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र' (IFC-IOR) में संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे।
- फ्राँस पहले से ही आई.एफ.सी. के साथ सूचनाओं को साझा करता है और अन्य देश– ऑस्ट्रेलिया, जापान, तथा अमेरिका भी इस केंद्र के साथ सूचनाएँ साझा करने पर सहमत हुए हैं। इस प्रकार, आई.एफ.सी. पूर्वी हिंद महासागर में प्रमुख सूचना केंद्र के रूप में उभर रहा है।
- भारत पश्चिमी हिंद महासागर के मेडागास्कर में 'क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र' (RMIFC) में भी स्थिति को मज़बूत कर रहा है। हिंद महासागर आयोग के तत्त्वावधान में स्थापित आर.एम.आई.एफ.सी. में भारत हाल ही में एक 'पर्यवेक्षक' के रूप में शामिल हुआ।

- भारत ने फारस की खाड़ी और होर्मुज की जलसंधि में समुद्री गतिविधियों की निगरानी हेतु 'यूरोपियन मेरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (EMASOH), अबूधाबी में एक अधिकारी भी तैनात किया है।

फ्राँस के साथ सामंजस्य

- पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारत की पहुँच को आसान बनाने में फ्राँस ने सहयोग किया। फ्राँस हिंद महासागर की प्रमुख शक्ति और इस क्षेत्र में भारत का महत्त्वपूर्ण भागीदार है।
- वर्ष 2019 में भारत के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद फ्राँस समुद्री कॉमन्स में एक मज़बूत साझेदारी बनने के लिये उत्सुक है।
- फ्राँस ने हिंद महासागर आयोग में 'पर्यवेक्षक' का दर्जा हासिल करने में भारत का सहयोग किया है और वह पश्चिमी हिंद महासागर में सुरक्षा पहल में भारतीय भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी बल दे रहा है।
- हालाँकि, परिचालन के दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना की प्राथमिकता दक्षिण एशिया बनी हुई है, जहाँ नौसेना का नेतृत्व पूर्वी हिंद महासागर में पानी के नीचे डोमेन जागरूकता पर केंद्रित है।

चीन की बढ़ती उपस्थिति से उत्पन्न चिंताएँ

- चीन की समुद्री क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति भारत के लिये चिंताजनक है। भारत की विशेष चिंता यह भी है कि चीन की पी.एल.ए.एन. क्वाइटर (आवाज़ उत्पन्न न करने वाली) पनडुब्बियों की एक पीढ़ी विकसित कर रही है जिनका पता लगाना कठिन होता है।
- परिणामस्वरूप भारत पूर्वी चोकपॉइंट्स में अपनी जल के अंदर की क्षमताओं का विस्तार कर रहा है।
- साथ ही संवेदनशील समुद्री स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के लिये भारतीय नौसेना ने अमेरिका से लीज पर दो समुद्री गार्डियन ड्रोन भी शामिल किये हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत चीन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिये जापान के सहयोग से अंडमान द्वीप समूह के निकट जल के अंदर सेंसर तकनीक स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

आगे की रणनीति

- समुद्री अधिकार क्षेत्र में भारत की पहल रणनीतिक विचारों से अधिक से प्रेरित है। हालाँकि, भारत ने समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिये अपने भागीदारों को पहचाना है।
- हिंद महासागर क्षेत्र में 21 देशों के साथ नौवहन समझौतों ने मेरीटाइम ट्रैफिक की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की है।
- भारत का सैन्य उपग्रह (GSAT-7A) शीघ्र ही साझेदार राष्ट्रों के साथ समुद्री जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- भारत के ये सभी प्रयास 'सागर' (Security and Growth for All in the Region) की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो भारत के विचार को सुरक्षा प्रदाता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

निष्कर्ष

हालाँकि, भारतीय पहलें क्षेत्रीय तटवर्ती राष्ट्रों के उद्देश्यों और रणनीतियों के सरेखण के बारे में बताती हैं। चूँकि सहकारी जानकारी के साझाकरण से गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होने का खतरा भी बना रहता है, परिणामस्वरूप अनेक राष्ट्र महत्त्वपूर्ण जानकारी समय पर साझा नहीं करते हैं। अत: समुद्री अधिकार क्षेत्र में अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिये यह आवश्यक है कि भारत निर्बाध सूचना प्रवाह को सुनिश्चित करे। इसके लिये भारत को भागीदार राष्ट्रों के साथ परिचालन संबंधी तालमेल स्थापित करना होगा और साझा हितों के लिये सयुंक्त प्रयासों का विस्तार करना होगा।

हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र

- दिसंबर, 2018 में भारतीय नौसेना ने सामुद्रिक नौवहन की निगरानी के लिये 'हिंद महासागर क्षेत्र के लिये सूचना संलयन केंद्र' (IFC-IOR) की स्थापना गुरुग्राम में की।
- यह सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंतर्गत कार्य करता है।
- यह एक प्रकार का वैश्विक नौवहन सूचना केंद्र है जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित कर सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है, इसमें शामिल केंद्र हैं–

हॉर्न ऑफ अफ्रीका का समुद्री सुरक्षा केंद्र

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो-पाइरेसी रिपोर्टिंग केंद्र (IMB-PRC)
- आभासी क्षेत्रीय मेरीटाइम ट्रैफिक केंद्र (VRMTC)
- एशिया में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता (ReCAAP)
- सूचना संलयन केंद्र, सिंगापुर (IFC-SG)

सागर (Security and Growth for All in the Region)

- भारत में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने और हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा, स्थिरता एवं संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा 'सागर' कार्यक्रम शुरू किया गया।
- सागर कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य हैं– समुद्री क्षेत्र में सभी विवादों का शांतिपूर्वक समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना और समुद्री क्षेत्र में सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

हिंद महासागर आयोग

- हिंद महासागर आयोग दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में एक क्षेत्रीय मंच है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में मॉरीशस के पोर्ट लुई में की गई थी। इसका मुख्यालय एबेने (मॉरीशस) में है।
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसमें पाँच देश शामिल हैं– कोमोरोस, फ्राँस (रीयूनियन), मेडागास्कर, मॉरीशस तथा सेशेल्स।

क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र (RMIFC)

- आर.एम.आई.एफ.सी. पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सूचनाओं से संबंधित एक प्रमुख केंद्र है, जो हिंद महासागर आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय मेडागास्कर में स्थित है।
- भारत, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र को मार्च, 2020 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों पर निगरानी के माध्यम से समुद्री अधिकार क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) में वृद्धि करना तथा सूचना साझाकरण को प्रोत्साहन देना है।

भारत द्वारा वियतनाम को चावल का निर्यात

संदर्भ

हाल ही में, विश्व के तीसरे सबसे बड़े चावल निर्यातक देश वियतनाम ने अपने स्थानीय बाज़ारों में चावल की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाने के कारण भारत से चावल की खरीद शुरू की है।

प्रमुख बिंदु

- वियतनाम द्वारा यह खरीद एशिया में चावल आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है तथा इससे न सिर्फ चावल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है, बल्कि स्थानीय देशों द्वारा थाईलैंड और वियतनाम के स्थान पर अब भारत से चावल की खरीद को वरीयता दी जा सकती है।
- भारतीय निर्यातकों ने 100% टूटे चावलों (Broken Rice) की 77 हज़ार टन की खेप का निर्यात करने का अनुबंध किया है तथा वियतनाम को पहली बार इस तरह का कोई निर्यात किया जा रहा है।
- ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये चावल निर्यात संवर्धन मंच (Rice Export Promotion Forum – REPF) की स्थापना की गई है।
- 'कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण' (Agricultural and Processed Foods Export Promotion Development Authority – एपीडा) के तत्वावधान में इस मंच की स्थापना की गई है।
- यह मंच वैश्विक बाज़ार में चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिये निर्यात की संपूर्ण उत्पादन/आपूर्ति शृंखला से जुड़े हितधारकों की पहचान करने, दस्तावेज़ पहुँचाने और सहयोग स्थापित करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगा।
- इसके अलावा, यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की उचित निगरानी, पहचान और पूर्वानुमान के साथ-साथ अन्य ज़रूरी नीतिगत उपायों को भी आगे बढ़ाएगा।
- आर.ई.पी.एफ. में सामान्यत: चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपीडा, निर्यातक, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों, जैसे– पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में भारत ने रिकॉर्ड 14 मिलियन टन चावल का निर्यात किया।

उपक्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग : भारत का उभरता दृष्टिकोण

संदर्भ

- हाल ही में, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, जिसमें तीनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एक वृहत उपक्षेत्रीय परियोजना पर भी गहन विमर्श हुआ। ध्यातव्य है कि श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं, जिनसे भारत की समुद्री सीमा जुड़ी हुई है अत: तीनों देशों की सुरक्षा चिंताएँ भी आपस में जुड़ी हुई हैं।
- यह देखा जा रहा है कि सुरक्षा से जुड़े मामलों में उपक्षेत्रीय दृष्टिकोण से भारत को अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर सुरक्षा सहयोग को लेकर नए प्रयोग करने का अवसर मिल रहा है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में, समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर भारत-श्रीलंका-मालदीव के बीच 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' (NSA) स्तर की कोलंबो में हुई बातचीत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है।
- प्रेस को जारी साझा बयान में इस बात की पुष्टि की गई कि तीनों देश 'साझा हितों' और आतंकवाद, उग्रवाद, नशीले पदार्थों, हथियार और मानव तस्करी जैसे 'साझा सुरक्षा खतरों' से निपटने के लिये अपने सहयोग का 'दायरा और बढ़ाने' पर सहमत हुए हैं।
- बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि त्रिपक्षीय वार्ताओं से तीनों देशों के बीच क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा के विषय पर 'करीबी सहयोग' बढ़ाने में मदद मिली है।

पृष्ठभूमि

- एन.एस.ए. स्तर की पहली त्रिपक्षीय वार्ता माले (मालदीव) में, वर्ष 2011 में हुई।
- वर्ष 2012 में भारत और मालदीव के कोस्ट गार्ड्स के साझा अभ्यास 'दोस्ती' का दायरा बढ़ाकर उसमें श्रीलंका को भी शामिल किया गया।
- एन.एस.ए. स्तर की दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता वर्ष 2013 में कोलंबो में हुई। इसमे समुद्री सुरक्षा के विषय पर सहयोग के एक रोडमैप को स्वीकृति दी गई।
- एन.एस.ए. स्तर की तीसरी बातचीत वर्ष 2014 में दिल्ली में हुई। इस वार्ता में मॉरिशस और सेशेल्स को 'अतिथि देश' के रूप में शामिल किया गया।
- कोलंबो में हुई चौथी त्रिपक्षीय बैठक में मॉरिशस और सेशेल्स ने भी में वर्चुअल माध्यमों के ज़रिए हिस्सा लिया।

उपक्षेत्रीय नीति पर कारकों का प्रभाव

अपने आस-पड़ोस में सुरक्षा सहयोग को लेकर भारत की उपक्षेत्रीय नीति पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जो निम्न हैं–

- इस उपक्षेत्र की सुरक्षा गतिविधियाँ पड़ोसी देशों के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं अत: द्विपक्षीय मामलों के पार जाकर इसे समग्र रूप से देखने की ज़रूरत है। क्षेत्रीय सुरक्षा हित देशों को आपस में जोड़े हुए हैं और इन देशों के लिये यही चुनौती हैं कि वे किस तरह खुद को सुरक्षित रखते हुए आपसी सुरक्षा खतरों से निपट सकें।
- अपने आस-पड़ोस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में खुद को एक बड़ी भूमिका में देखने की इच्छा। भारत का नज़रिया है कि अगर वह अपने आस-पड़ोस की सुरक्षा के मामले में अपनी अहम भूमिका नहीं निभाएगा तो दूसरी प्रतिस्पर्धी ताकतों के लिये भारत के पड़ोस में दखल देने के मौके मिलेंगे। चीन का उदाहरण द्रष्टव्य है। उपक्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के विचार को प्रभावी बनाने के मकसद से भारत को कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा।
- उपक्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के रास्ते में भारत के छोटे पड़ोसी देशों का विदेश नीति को लेकर आश्चर्यजनक व्यवहार भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उदाहरण के तौर पर जिस समय राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व वाली मालदीव की सरकार के साथ भारत के रिश्तों में खटास आई थी उस वक्त एन.एस.ए. स्तर की त्रिपक्षीय वार्ता भी प्रभावित हुई थी।
- उपक्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में पड़ोसी देशों से बेहतर द्विपक्षीय रिश्ते बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही भारत को अपने छोटे पड़ोसी देशों की आकांक्षाओं के प्रति भी सजग रहना होगा।
- सुरक्षा सहयोग के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक तरीकों के प्रति इन देशों के रुख में थोडा अंतर है। ज़्यादातर छोटे पड़ोसी देशों को उपक्षेत्रीय स्तर भारत के साथ सैन्य सहयोग का रास्ता चुनने की बजाए सुरक्षा के गैर-परंपरागत सहयोग वाला रास्ता पर ज़्यादा सुविधाजनक लगता है।
- इन देशों की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाकर और उन्हें उनका उचित स्थान देकर भारत अपनी विश्वसनीयता प्रकट करने में सफल होगा। बड़े और छोटे पड़ोसी देशों के बीच के संबंधों में इस प्रकार की समझदारी दिखाना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सहायक निकाय

संदर्भ

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत के स्थाई प्रतिनिधि द्वारा घोषणा की गई कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) की तीन प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा।

प्रमुख बिंदु

- भारत वर्ष 2022 के लिये 'आतंकवाद-रोधी समिति' (Counter-Terrorism Committee), 'तालिबान प्रतिबंध समिति' (Taliban Sanctions Committee) और 'लीबिया प्रतिबंध समिति' (Libya Sanctions Committee) की अध्यक्षता करेगा।
- आतंकवाद-रोधी समिति की अध्यक्षता करना भारत के लिये कई मामलों में महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहा है, बल्कि आतंकवाद से सबसे पीड़ित देशों में से भी एक रहा है।
- अफगानिस्तान की शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति के लिये अपनी रुचि और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भारत के लिये तालिबान प्रतिबंध समिति हमेशा से उच्च प्राथमिकता रही है।
- लीबिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिये भारत लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा।

आतंकवाद-रोधी समिति

इसका गठन वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 हमले के बाद किया गया था। भारत ने वर्ष 2011-12 में भी इस समिति की अध्यक्षता की थी। यह समिति संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को उनकी सीमाओं के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सहायता करती है और विभिन्न स्तरों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

तालिबान प्रतिबंध समिति

17 जून, 2011 को संकल्प 1988 (2011) के अनुसार, सुरक्षा परिषद् ने तालिबान से जुड़े किसी भी व्यक्ति, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के साथ प्रतिबंधों की निगरानी के लिये इस समिति की स्थापना की। इसे 1988 की प्रतिबंध समिति के नाम से भी जाना जाता है।

लीबिया प्रतिबंध समिति

इस समिति की स्थापना 26 फरवरी, 2011 को संकल्प 1970 के अनुसार, लीबिया के खिलाफ प्रतिबंधों की देखरेख करने के लिये की गई थी। इसे 1970 की प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है।

नौसेना और मछुआरों के बीच बढ़ता तनाव

संदर्भ

श्रीलंका के तट पर कुछ शवों की बरामदगी के कारण तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये शव कुछ दिनों पूर्व गायब हुए मछुआरों के हैं। संघर्ष के पीछे का कारण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में ट्रॉलर (जाली से युक्त मत्स्य जहाज़ और नौका) की संख्याओं में वृद्धि और मन्नार की खाड़ी में आकस्मिक रूप से संसाधनों की कमी है।

श्रीलंका की नौसेना और भारतीय मछुआरों के बीच तनाव के कारण

- पहले की ही तरह रामेश्वरम और आसपास के तटों से मछुआरे तलाईमन्नार और कच्चातीवु तटों की ओर मछली पकड़ने के लिये जाते रहे हैं। यह क्षेत्र श्रीलंका में समृद्ध समुद्री संसाधनों के लिये प्रसिद्ध है।
- इस समुद्री क्षेत्र में मछली व जलीय संसाधनों की अधिक उपलब्धता पिछले तीन दशकों में तमिलनाडु के तट पर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों के प्रसार का कारण बनी है।

- भारतीय मछुआरों के लिये इस क्षेत्र में कई अनुकूलताएँ भी मौजूद थीं, क्योंकि श्रीलंका में गृह-युद्ध के समय श्रीलंकाई जल क्षेत्र तक उनकी पहुँच आसान थी। इसका कारण श्रीलंका की एल.टी.टी.ई. के विरुद्ध युद्ध में व्यस्तता थी।
- लगभग 30 वर्षों के गृह-युद्ध के दौरान भारतीय मछुआरों की बहुत कम गिरफ्तारियाँ हुई थीं। साथ ही, युद्ध के कारण श्रीलंका के तमिल मछुआरों की अनुपस्थिति ने भी इस क्षेत्र में भारतीय ट्रॉलरों द्वारा मछली पकड़ने की घटनाओं में वृद्धि की।
- गौरतलब है कि इस दौरान श्रीलंकाई नौसेना और लिट्टे भारतीय मछुआरों के साथ मित्रवत व्यवहार करते थे और गहरे समुद्र में दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी के लिये जासूसों के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे।

गृह-युद्ध के बाद की स्थिति

- वर्ष 2009 में गृह-युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारतीय मछुआरों पर हमले और उनकी गिरफ्तारी में वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने भारतीय क्षेत्र में समुद्री संसाधनों की कमी के कारण श्रीलंका के जल क्षेत्र में प्रवेश करना जारी रखा।
- इस पूरे संघर्ष में मुख्य मुद्दा तमिल मछुआरों पर श्रीलंका कि जल क्षेत्र में प्रवेश का आरोप तथा कच्चातीवु द्वीप के स्वामित्व का सवाल है। एक अन्य पहलू यह है यहाँ सदियों से तमिल मछुआरों को मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकार प्राप्त थे और यह एक अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है।
- वर्ष 1974 में तमिलनाडु सरकार के परामर्श के बिना इंदिरा गांधी द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था।
- इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को आराम करने, जाल को सूखाने और सेंट एंथनी त्योहार के लिये कच्चातीवु के तट तक जाने की अनुमति है परंतु इसमें पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया गया है।

भारतीय तटों पर ट्रॉलरों का प्रसार और संबंधित मुद्दे

- ट्रॉलर मछली पकड़ने के जाल से युक्त मशीनीकृत नावें हैं जो कुशलतापूर्वक और अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ने में सहायक होती हैं। मछुआरे अत्यधिक मछली की तलाश में तलाईमन्नार और कच्चातीवु की ओर ट्रॉलर से 18 किमी. तक की यात्रा करते हैं।
- हाल के वर्षों में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में संसाधनों की कमी और प्रतिबंधों के कारण मछुआरों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि बेहतर लाभ की उम्मीद में बहुत से लोगों ने रामेश्वरम और आसपास के तमिलनाडु तटों में ट्रॉलर खरीदना शुरू कर दिया।
- हालाँकि, युद्ध के बाद के परिदृश्य ने तमिलनाडु तट पर व्यवसायों और आजीविका को बेपटरी कर दिया है। इस कारण मछुआरों के लिये पुनर्वास या आजीविका के अन्य विकल्प मुहैया कराने के लिये सरकार से ट्रॉलर को पुनः खरीदने की माँग की गई है।
- रामेश्वरम, मंडपम, पंबन जैसे छोटे तटीय क्षेत्रों में लगभग 2,500 ट्रॉलर हैं और इस प्रकार, मछली, झींगा के साथ-साथ लोडिंग, मरम्मत और अन्य संबंधित उद्योगों के चलते प्रत्येक ट्रॉलर पर कम-से-कम दो दर्जन परिवार आश्रित हैं।
- विदित है कि मछुआरों का मुद्दा पिछले एक दशक में तमिलनाडु में एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार हमेशा से यहाँ के राजनीतिक दलों के निशाने पर रही है। हालाँकि, राजनीतिक दलों द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने के कारण श्रीलंका ने भी कई बार विरोध दर्ज कराया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत

संदर्भ

हाल ही में, भारत ने 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्' (यू.एन.एस.सी.) में अस्थाई सदस्य के रूप में प्रवेश किया है। भारत अगले दो वर्ष तक इसका सदस्य रहेगा। ऐसे समय में जब अमेरिकी नेतृत्व एक अराजक परिवर्तन से गुज़र रहा है और चीन वैश्विक शक्ति बनने के लिये प्रयासरत है तथा पाकिस्तान कश्मीर व भारत में मानवाधिकार के मुद्दे को उठाने के लिये प्रयत्नशील है, भारत का अस्थाई सदस्य बनना कई मायनों में महत्त्वपूर्ण है।

यू.एन.एस.सी. में भारत

- भारत अब तक सात बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का सदस्य रह चुका है। वर्ष 1950-51 में भारत ने यू.एन.एस.सी. के अध्यक्ष के रूप में कोरियाई युद्ध को समाप्त करने और कोरिया गणराज्य की सहायता के लिये प्रस्तावों को अपनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- वर्ष 1967-68 में भारत ने साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र मिशन के शासनाधिकारों में वृद्धि के लिये संकल्प 238 को संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया था।
- वर्ष 1972-73 में भारत ने बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिलाने के लिये मज़बूत प्रयास किया था। हालाँकि, एक स्थाई सदस्य द्वारा वीटो के कारण इस संकल्प को नहीं अपनाया गया था।
- वर्ष 1977-78 में भारत ने यू.एन.एस.सी. में अफ्रीका के प्रवेश व प्रतिनिधित्व के साथ-साथ रंगभेद (Apartheid) के खिलाफ तीखी आवाज़ उठाई थी। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी ने वर्ष 1978 में नामीबिया की स्वतंत्रता की बात यू.एन.एस.सी. में कही थी।
- वर्ष 1984-85 में भारत ने मध्य पूर्व में, विशेषकर फिलिस्तीन और लेबनान में, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये यू.एन.एस.सी. में आवाज़ उठाई थी।
- वर्ष 1991-92 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने पहली बार यू.एन.एस.सी. की शिखर-स्तरीय बैठक में भाग लिया तथा शांति व सुरक्षा बनाए रखने में भारत की भूमिका पर बात की थी।
- वर्ष 2011-2012 में भारत ने शांति की स्थापना एवं आतंकवाद रोकने के प्रयासों के साथ-साथ विकासशील देशों और अफ्रीका के लिये अपना स्वर मुखर किया था। यू.एन.एस.सी. में भारत की अध्यक्षता में ही सीरिया पर पहला बयान दिया गया था।
- वर्ष 2011-12 के कार्यकाल के दौरान भारत ने आतंकवाद की रोकथाम से संबंधित 'यू.एन.एस.सी. 1373 समिति', आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिये खतरे से संबंधित '1566 कार्य दल' और सोमालिया व इरिट्रिया से संबंधित 'सुरक्षा परिषद् 751/1907 समिति' की अध्यक्षता की।

अन्य गतिविधियों में भारत की भूमिका

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। इनमें कई नई चुनौतियों सहित यू.एन.एस.सी. द्वारा अफगानिस्तान, आइवरी कोस्ट, इराक, लीबिया, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन के लिये किये गए प्रयास शामिल हैं।
- साथ ही, भारत ने सोमालियाई तट पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व सुरक्षा के लिये समुद्री डाकुओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत की पहल पर सुरक्षा परिषद् ने समुद्री लुटेरों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने और इन कृत्यों को करने वालों के साथ-साथ इसका समर्थन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य कर दिया है।
- भारत ने आतंकवाद की रोकथाम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, नॉन-स्टेट एक्टर्स तक सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना व शांति निर्माण के प्रयासों को मज़बूत करने के लिये भी काम किया है।

यू.एन.एस.सी. के अंदर की राजनीति

- पिछले सात कार्यकालों से भारतीय राजनयिकों को यह अनुभव हो गया है कि बहुपक्षीय स्थिति में कूटनीति का संचालन कैसे किया जाता है।
- वर्ष 1991-1992 में यू.एन.एस.सी. के कार्यकाल के दौरान भारत के स्थाई प्रतिनिधि रहे चिन्मय आर. के अनुसार, स्थाई सदस्य यह चाहते हैं कि अस्थाई सदस्य उनके सहयोगी की भूमिका में रहे और प्रमुख प्रस्तावों के मामले में उनका अपना कोई मत न हो।
- अधिकांश अस्थाई सदस्य P-5 सदस्यों से प्रभावित होते हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते हैं तथा उनके सहयोगी बने रहना चाहते हैं। इस प्रकार, अस्थाई सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है।
- इससे संबंधित मामलों में भारत ने अपने कार्य को अधिक गंभीरता से लिया है, फलस्वरूप भारत को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ी है। उस समय खाड़ी युद्ध तेज़ हो गया था और भारत ने अप्रैल 1991 में अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।
- भारत के इस मत का निर्धारण व्यावहारिक विचारों द्वारा किया गया था। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रस्ताव का समर्थन न करने से अमेरिका के लिये विश्व बैंक और आई.एम.एफ. में भारत की मदद करना बहुत मुश्किल होगा।
- विदित है कि भारत उस समय भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना कर रहा था और भारत को इन संगठनों से धन की आवश्यकता थी। साथ ही, भारत को कश्मीर मुद्दे पर भी अमेरिका की ज़रूरत थी।

भारत के समक्ष प्रमुख मुद्दे

संयुक्त राष्ट्र में सुधार (U.N. Reforms)

- भारत ने कहा है कि स्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद् का विस्तार आवश्यक है। साथ ही, भारत सभी प्रकार के मानदंडों के अनुसार भी यू.एन.एस.सी. की स्थाई सदस्यता के लिये उपयुक्त है।
- इन मानदंडों में जनसंख्या, प्रादेशिक आकार, जी.डी.पी, आर्थिक क्षमता, सभ्यता की विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक प्रणाली के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत एवं वर्तमान योगदान (विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिये) शामिल हैं।

आतंकवाद

- आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास संयुक्त राष्ट्र में भारत की एक प्रमुख प्राथमिकता है। आतंकवाद से निपटने के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 1996 में 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय' (CCIT) का मसौदा तैयार करने की पहल की थी।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6ठी समिति में इस अभिसमय के एक विषय पर बातचीत जारी है।

चीन की चुनौती

- भारत ऐसे समय में यू.एन.एस.सी. में प्रवेश कर रहा है जब चीन वैश्विक स्तर पर पहले से कहीं अधिक आक्रामक है और स्वयं को वैश्विक शक्ति साबित करने में संलग्न है। वर्तमान में चीन कम-से-कम छह संयुक्त राष्ट्र संगठनों का प्रमुख है और कई बार वैश्विक नियमों को चुनौती भी दे चुका है।
- चीन ने यू.एन.एस.सी. में कश्मीर का भी मुद्दा उठाने की कोशिश की है, जिसके जवाब में भारत के रणनीतिक समुदायों के बीच यू.एन.एस.सी. में ताइवान, हांगकांग और तिब्बत के मुद्दों को उठाने पर कुछ चर्चाएँ हुई हैं।

निष्कर्ष

हिंद-प्रशांत के साथ-साथ भारत-चीन सीमा पर पूरे वर्ष चीन का आक्रामक व्यवहार देखा गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुकाबला करने के लिये भारत को स्वतंत्र तरीके से सोचने की आवश्यकता है। साथ ही, भारत के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति उसके प्रतिद्वंद्वियों को मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर आलोचना का अवसर प्रदान करती है। विदेश और सुरक्षा नीति की वास्तविक दुनिया में निर्णयकर्ताओं को कई ऐसे विकल्पों का सामना करना पड़ता है, जो समस्याग्रस्त होने के साथ-साथ जोखिम से भरे होते हैं।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- यू.एन.एस.सी. में भारत के दो-वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत 01 जनवरी को हुई। इस प्रकार, भारत वर्ष 2021-22 के लिये 15 (5+10) सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) में आठवीं बार अस्थाई सदस्य बना।
- भारत अगस्त 2021 में यू.एन.एस.सी. की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2022 में एक महीने के लिये पुन: परिषद् की अध्यक्षता करेगा। ध्यातव्य है कि परिषद् की अध्यक्षता अंग्रेज़ी वर्णक्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा एक महीने के लिये की जाती है।
- वर्ष 2021 में भारत के साथ-साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको भी अस्थाई सदस्य बने हैं, जबकि एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम पहले से इसके अस्थाई सदस्य हैं।

भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएँ

संदर्भ

वैश्विक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में वर्ष 2020 में कई नई प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है, जिनके वर्ष 2021 में और मज़बूत होने की संभावना है। अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन शायद सबसे प्रतीक्षित परिवर्तनों में से एक है।

यूरोप और चीन

- यूरोप ने 'यूरोपीय संघ-चीन व्यापक निवेश समझौता' पर सैद्धांतिक रूप से वार्ता को अंतिम रूप देकर चीन से जुड़ाव को मज़बूत किया है। यूरोप के इस कदम से वैश्विक परिदृश्य में चीन के अलग-थलग रहने की सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है।
- भारत ने अप्रैल 2020 से चीन के साथ संबंधों में काफी कमी की है परंतु भारत स्वयं अकेला हो गया है, क्योंकि कई देशों ने चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की संभावना व्यक्त की है।

चीन की मज़बूत उपस्थिति

- वर्ष 2021 की शुरुआत चीन के लिये अच्छी रही है, क्योंकि प्रमुख देशों में यही एकमात्र देश है जिसकी वृद्धि दर वर्ष 2020 के अंत में सकारात्मक रही है। साथ ही, चीन की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में और भी बढ़ने की उम्मीद है।
- सैन्य रूप से चीन ने स्वयं को अधिक मज़बूत कर लिया है और वर्ष 2021 में उसने अपने तीसरे विमान वाहक पोत को लांच करने की घोषणा के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी होना चाहता है। इसके अतिरिक्त, वह रूस के साथ अपने सैन्य समन्वय को मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है।

- हांगकांग और उइगर मुस्लिमों के मामलों में कथित कार्रवाइयों के अलावा कई अन्य मामलों में उसकी आक्रमकता के बावजूद एशिया में उसकी स्थिति वर्ष 2020 से अधिक मज़बूत है। साथ ही, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक तनावों के बाद भी पार्टी के नेता तथा राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग की स्थिति और मज़बूत होने की संभावना है।
- अत: वर्ष 2021 में पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा किसी भी प्रकार की रियायत की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जब तक कि भारत अपनी स्थिति में कोई संशोधन नहीं करता है।

यूरोप और अर्थव्यवस्था

- नए वर्ष में चीन में शी जिनपिंग, रूस में व्लादिमीर पुतिन और तुर्की में रेसेप तैयप एर्दोआन जैसे मज़बूत सत्तावादी नेताओं का वर्चस्व रहने की उम्मीद है। साथ ही, ब्रिटेन के बिना यूरोप (ब्रेक्जिट के संदर्भ में) तथा जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का सत्ता से हटना भी वैश्विक मामलों में कुछ प्रासंगिक हो सकते हैं।
- चीन-यूरोपीय संघ निवेश संधि ने यह साबित कर दिया है कि यूरोप, चीन की शर्तें मानने को तैयार है, जो इस बात का संकेत है कि यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था को राजनीति से अधिक महत्त्व देता है।
- रूस अपने आसपास के देशों में अधिक रुचि दिखाने लगा है और चीन व तुर्की के साथ उसके संबंधों में निकटता से स्पष्ट है कि भारत जैसे देशों में रूस की रुचि कम हो गई है।

पश्चिम एशिया

- पश्चिम एशिया में अब्राहम समझौते ने सऊदी ब्लॉक और ईरान-तुर्की के बीच विभाजन को और स्पष्ट कर दिया है। अब्राहम समझौते के बावजूद ईरान और इज़रायल के बीच टकराव का जोखिम कम नहीं हुआ है, जो भारत के लिये समस्यापरक है, क्योंकि भारत के दोनों देशों के साथ संबंध हैं।
- साथ ही, चीन इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है, जिसमें ईरान के साथ 25 वर्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते पर विचार शामिल है।
- बिडेन प्रशासन के पदभार संभालने के साथ सऊदी अरब को वर्ष 2021 में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में सुन्नी अरब राज्यों के बीच समन्वय को ही सऊदी अरब के लिये अच्छा माना जाएगा। हालाँकि, इससे सुन्नी और शिया कैम्पों के बीच संघर्षों में वृद्धि हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में रणनीतिक गतिशीलता को देखते हुए ईरान को परमाणु क्षमता का उपयोग करने के लिये उकसाया जा सकता है।

भारत और उसके पड़ोसी

- भारत वर्ष 2021 की शुरुआत में वैश्विक परिदृश्य से बाहर-सा लगता है। चीन-भारत संबंधों में अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है और आगे भी भारत व चीन के सशस्त्र बलों के बीच टकराव जारी रहने की उम्मीद है।
- वर्तमान में भारत पश्चिम एशिया में भी कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। भारत-ईरान संबंधों में गर्मजोशी की कमी है तथा अफगानिस्तान ने शांति प्रक्रिया में भारत को हाशिये पर रखा गया है।
- यद्यपि भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित राज्य के आरोपों का विश्व स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा है परंतु इससे दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव और बढ़ा गया है जिसने पाकिस्तान को चीन के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने में मदद की है।
- साथ ही, भारत और नेपाल के बीच संबंधों में अभी भी तनाव बरकरार है। हालाँकि, भारत ने बांग्लादेश, म्याँमार और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने के लिये कई प्रयास किये हैं, लेकिन अब तक इसके कुछ सार्थक परिणाम स्पष्ट नहीं हुए हैं।
- जैसे-जैसे भारत-चीन संबंध बिगड़ रहे हैं, भारत के पड़ोसी भारत का पक्ष लेने में हिचक रहे हैं, जिससे भारत का अलगाव बढ़ रहा है।

कूटनीति और धारणाएँ

- ऐसा माना जाता है कि भारत के राजनयिक उच्च स्तर की क्षमता के साथ अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं परंतु वे संभवत: अन्य कारकों से बाधित होते हैं। इनमें हाल के दौर में भारत द्वारा अपनाई गई नीति और उसमें बदलाव हो सकता है।
- एक बार फिर से यह धारणा बलवती हुई है कि भारत की अमेरिका के साथ निकटता के परिणामस्वरूप रूस और ईरान जैसे पारंपरिक दोस्तों के साथ संबंध कमज़ोर हो गए हैं, जिससे देश की छवि प्रभावित हुई है।
- दूसरी ओर, एशिया और विशेष रूप से दक्षिण एशिया में भारत की विदेश नीति अविश्वास और अस्पष्टता का मिश्रण लगती है। कभी-कभी त्वरित और तीखी प्रतिक्रिया (नेपाल के मामले में), पड़ोसियों की संवेदनशीलता की समझ में कमी (जैसे कि बांग्लादेश एवं पुराने दोस्त– वियतनाम और ईरान) और नीतिगत ज़रूरतों तथा अमेरिका जैसे देशों के दबाव को अत्यधिक महत्त्व देना इसका उदाहरण है।
- इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन में बदलाव के साथ चीन के उदय और एशिया में दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ता संघर्ष कई अन्य देशों को इस संघर्ष में किसी-न-किसी का पक्ष लेने के लिये मजबूर करता है।

भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- वर्तमान में दो महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत की भूमिका काफी सीमित है, जिसका वह संस्थापक सदस्य हुआ करता था। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) शामिल हैं। साथ ही, बिम्सटेक जैसे नए निकायों के उदय का प्रयास बहुत सफल नहीं रहा है।
- व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) (जिसमें अधिकतर एशियाई देश शामिल हैं) और रिक समूह (RIC- रूस, भारत और चीन) का भी लाभ उठाने में भारत विफल रहा है और रूस व चीन के साथ भारत के संबंधों में गिरावट ही आई है।

आगे की राह

- वर्ष 2021 में प्रवेश करते समय मुख्यधारा की वैश्विक घटनाओं से भारत का कथित हाशिए पर होना इसकी विदेश नीति की क्षमताओं में गिरावट का संकेत है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना, राष्ट्रों में अपनी भूमिका को बढ़ाना और तेज़ी से विघटनकारी वैश्विक प्रणाली में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। इसके लिये भारत को अपनी विदेश नीति में विचारात्मक खालीपन को भरना आवश्यक है।
- अगस्त 2021 में भारत वैश्विक रूप से शक्तिशाली निकाय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अध्यक्षता करेगा। यदि भारत को अपनी उपस्थिति को प्रभावकारी बनाना है, तो उसके पास अपनी नीतियों को आकार देने के लिये पर्याप्त तर्क होने चाहिये, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ इसका प्रभाव पारंपरिक रूप से अधिक रहा है।

विकिपीडिया के 20 वर्ष और भारत

संदर्भ

15 जनवरी को विकिपीडिया ने अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे किये। यह मंच मुफ्त और खुले स्रोत के रूप में ज्ञान साझाकरण और विनिमय के लिये एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह एक बहुभाषी और सहयोगात्मक ऑनलाइन विश्वकोश है।

विकिपीडिया

- विकिपीडिया का संचालन अमेरिका के एक गैर-लाभकारी संगठन विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। विकिपीडिया पर 55 मिलियन से अधिक लेख 300 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिन तक बिना विज्ञापनों के मुफ्त में पहुँचा जा सकता है।

- लेख में उपलब्ध पाठ्य-सामग्री को स्वेच्छापूर्वक सृजित और संपादित किया जाता है। विकिपीडिया की धारणा लोगों के बीच उपस्थित ज्ञान अंतराल को कम करना और उनको भरना है।

विकिपीडिया और भारत

- विकिपीडिया भारत को अपना पाँचवाँ सबसे बड़ा बाज़ार मानता है। भारतीयों से इसके वेबसाइट को प्रतिमाह लगभग 750 मिलियन पेज व्यूज मिलते हैं।
- यह मंच हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तमिल और तेलुगु सहित 24 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण

- विकिमीडिया फाउंडेशन के अनुसार, ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया की भारत के प्रति एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। यह भाषा की ज़रूरतों को पूरा करके अधिक-से-अधिक उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही, इस मंच तक पहुँच को आसान बनाने के लिये नए उपकरण व टूल पेश किये जा रहे हैं।
- विकिपीडिया के लिये भारतीय भाषाओं की बहुलता अवसर और चुनौती दोनों रूप में है और यह संगठन देश-भर में विभिन्न भाषाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीकों को खोज रहा है। इस मंच पर कुछ भाषा समुदाय दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं, उदाहरणस्वरूप मलयालम और ओड़िया भाषी उपयोगकर्ता अधिक सक्रिय हैं, जबकि हिंदी भाषी उपयोगकर्ता अपेक्षाकृत कम सक्रिय हैं।
- पिछले दो वर्षों में विकिपीडिया के लिये मोबाइल से संपादन (Editing) करने में भारी निवेश किया गया है। हाल ही में, इसने KaiOS पर एक एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है।
- फाउंडेशन ने हाल ही में $4.5 मिलियन इक्विटी फंड विकसित किया है, जो विकिपीडिया सहित विकिमीडिया परियोजनाओं में अधिक न्यायसंगत, समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये अनुदान प्रदान करेगा।

भारत में अन्य पहलें

- विकीप्रोजेक्ट वूमन इन रेड, विकीगैप, एफ्रोक्रॉउड जैसी पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकिपीडिया पूरी तरह से वैश्विक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है।
- भारत में यह प्लेटफॉर्म विकीप्रोजेक्ट इंडिया, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य जैसे कार्यक्रमों को गूगल, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, वैश्विक विश्वविद्यालय जैसे भागीदारों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने और प्रासंगिक व विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।

'डिफिकल्ट फोर' देश

संदर्भ

हाल ही में, ब्रिटेन के थिंक-टैंक 'रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स' ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को चीन, सऊदी अरब और तुर्की के साथ 'डिफिकल्ट फोर देशों' के रूप में सूचीबद्ध किया है।

प्रमुख बिंदु

- 'ग्लो बल ब्रिटेन, ग्लो बल ब्रोकर' नामक शीर्षक से छपी रिपोर्ट में ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की भविष्य की विदेश नीति का खाका पेश किया गया है।
- इस रिपोर्ट में यू.के. के कम होते प्रभाव की बात की गई है।
- इसके अलावा, रिपोर्ट में भारत को उन चार 'मुश्किल' (Difficult) देशों की सूची में रखा गया है, जो यू.के. लिये 'प्रतिद्वंद्वी' साबित होंगे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यू.के. सरकार को भारत से आर्थिक या कूटनीतिक किसी भी प्रकार का फायदा होने की संभावना नहीं है।

- हालाँकि, रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि भारत बहुत जल्द जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है तथा इस दशक में कभी भी वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट वाला देश बन सकता है।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल की विरासत लगातार दोनों देशों के रिश्तों में रुकावट बनती रही है। इसके मुकाबले अमेरिका भारत का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बन गया है।

अन्य बिंदु

- रिपोर्ट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोकतांत्रिक देशों का 'क्लब डी10' बनाने की पहल की भी आलोचना की गई है।
- रिपोर्ट में भारत द्वारा हमेशा पश्चिमी कैंप में शामिल होने का विरोध करने की बात भी की गई है।
- भारत ने शीत-युद्ध के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया और वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से चीन और रूस के नेतृत्व वाले 'शंघाई सहयोग संगठन' में शामिल हो गया।
- रिपोर्ट में भारत के कूटनीतिक व्यवहार पर कहा गया है कि चीन के साथ सीमा पर झड़पों के बावजूद भारत उन देशों के समूह में शामिल नहीं हुआ, जिन्होंने शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जुलाई 2019 में संयुक्त राष्ट्र के भीतर चीन की आलोचना की थी।
- भारत ने हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के पारित होने की भी आलोचना नहीं की।

सार्क को नई संजीवनी प्रदान करना

संदर्भ

- अपनी स्थापना के छत्तीस साल बाद 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन'/दक्षेस (SAARC) अब निर्जीव-सा प्रतीत हो रहा है। वर्ष 2020 लगातार छठा वर्ष था जब सभी दक्षेस देशों के नेताओं ने एकसाथ किसी बैठक में भाग नहीं लिया।
- स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दक्षेस चार्टर दिवस (8 दिसंबर) के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री ने पुनः इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रुख वही रहेगा जो पूर्व में था।
- ध्यातव्य है कि इसी रुख के चलते भारत ने वर्ष 2016 में इस्लामाबाद में हुए शिखर सम्मलेन में भाग लेने से मना कर दिया था।
- इससे यह बात स्पष्ट होती है कि निकट भविष्य में इस तरह की किसी भी बैठक या सम्मेलन के विधिपूर्वक होने की संभावना नगण्य है।

आशंका के बादल

- विगत एक वर्ष में, भारत-पाकिस्तान के मुद्दों ने विभिन्न स्तरों पर दक्षेस की बैठकों को प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ सदस्य देशों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी सामूहिक रूप से काम करने की बजाय अलग-अलग समूहों में कार्य करना पड़ रहा है।
- हालाँकि, वर्ष 2020 की घटनाओं, विशेष रूप से नॉवेल कोरोनोवायरस महामारी और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन की आक्रामकता ने नए समीकरणों को जन्म दिया है अतः संभव है कि दक्षेस या स्थानीय सहयोग के लिये भारत, पाकिस्तान के मुद्दे पर अपना रुख थोड़ा नम्र करे।
- आतंकवाद, भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान के दावों और व्यापार से जुड़ी दक्षेस की विभिन्न पहलों को रोकने में पाकिस्तान की संलिप्तता और भारत की समस्याएँ सर्वविदित हैं। किंतु इन समस्याओं के कारण पाकिस्तान को किसी भी दक्षेस बैठक की मेजबानी करने से रोकना परोक्ष रूप से पाकिस्तान को वीटो देने के समान है।

- भारत का यह पूर्वाग्रह हैरान करने वाला है, क्योंकि इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ 'शंघाई सहयोग संगठन' (SCO) की विभिन्न बैठकों में शामिल होते रहे हैं, जिनमें नवंबर में SCO प्रमुखों की बैठक भी शामिल है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी आमंत्रित किया था। यद्यपि इमरान खान ने किसी दूसरे अधिकारी को अपनी जगह प्रतिनियुक्त कर दिया था।
- ध्यातव्य है कि गलवान वैली में चीन की घुसपैठ, उसका अतिक्रमण और भारतीय सैनिकों की हत्या जैसे कुकृत्यों को पूरे विश्व ने देखा लेकिन इसके बावजूद भारत ने शंघाई सहयोग संगठन, रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय वार्ता, जी-20 बैठक और अन्य वार्ताओं या सम्मेलनों में चीनी नेतृत्व के साथ बैठकों में भाग लेने से इनकार नहीं किया।
- नेपाल के साथ भारत तुरंत उलझ बैठा, जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए भारत के क्षेत्रों को नेपाल में शामिल दिखाने वाले मानचित्र को तत्काल बदल दिया था।
- जब पूरा विश्व और विभिन्न वैश्विक संगठन अपनी हर बैठक ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे में भारत द्वारा आभासी दक्षेस सम्मलेन की अध्यक्षता पाकिस्तान द्वारा किये जाने का विरोध करना, ज़्यादा परिपक्व निर्णय नहीं लगता।

महामारीजन्य चुनौतियाँ

- महामारी द्वारा प्रस्तुत की गई नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये दक्षेस को पुनर्जीवित करना महत्त्वपूर्ण है।
- अध्ययनों से पता चला है कि महामारी का दक्षिण एशिया पर प्रभाव दुनिया के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष 'अलग और विशेष' रहा है और भविष्य में महामारियों का मुकाबला करने के लिये इस पर व्यापक तरीके से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।
- भविष्य में टीकों के विकास और उनके वितरण के लिये यह भी आवश्यक है कि दक्षिण एशिया को एक विशाल बाज़ार के रूप में स्थापित किया जाए, जिससे भविष्य में न सिर्फ लोगों का नैदानिक परीक्षण सुलभ हो सके, बल्कि एक सुविकसित बाज़ार के रूप में दक्षिण एशिया का विकास भी हो।
- दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव एक और ऐसा क्षेत्र है, जहाँ समन्वय की विशेष आवश्यकता है। दक्षिण एशियाई देशों को मंदी के अलावा वैश्विक स्तर पर रोज़गार में कटौती का सामना भी करना पड़ा है, फलस्वरूप इन देशों में प्रवासियों और श्रमिकों द्वारा भेजे जाने वाले धन में लगभग 22% की कमी आ सकती है।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 का पर्यटन क्षेत्र पर पड़े प्रभाव के कारण लगभग 10.77 मिलियन रोज़गार और सकल घरेलू उत्पाद में $52.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान होने की संभावना है।
- विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि सभी दक्षिण एशियाई देशों को साथ आकर 'श्रम एवं पर्यटन' के सामूहिक मानकों को निर्धारित करना चाहिये तथा 'पूर्वी अफ्रीका संयुक्त एकल वीजा' (East Africa Single Joint Visa) या मेंकोंग व केरेबियाई क्षेत्रों के जैसे सामूहिक पर्यटन अवसरों की तलाश भी करनी चाहिये।

क्षेत्रीय सहयोग

- दीर्घावधि में स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा की प्राथमिकताओं में भी बदलाव होने की संभावना है, जिसका असर दक्षिण एशिया पर भी पड़ सकता है।
- COVID-19 का व्यापक प्रभाव व्यापार, यात्रा और प्रवासन की बढ़ती अरुचि जैसे वैश्विक रुझानों में परिलक्षित होगा, साथ ही देशों में राष्ट्रवाद के प्रति बढ़ती रुचि, आत्मनिर्भरता, स्थानीय आपूर्ति शृंखला आदि को बढ़ावा देने जैसी प्रवृत्तियाँ भी देखी जाएँगी।

- हालाँकि, वैश्विक बाज़ार से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेना देशों के लिये असंभव होगा तथा ऐसी दशा में क्षेत्रीय पहलें 'गोल्डीलॉक्स विकल्प' (वैश्वीकरण और अति-राष्ट्रवाद के बीच मध्य मार्ग) का कार्य करेंगी।
- ध्यातव्य है कि विश्व विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं, जैसे– नए संयुक्त राज्य अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते या यू.एस.एम.सी.ए. (उत्तरी अमेरिका), दक्षिणी आम बाज़ार या MERCOSUR (दक्षिण अमेरिका), यूरोपीय संघ (यूरोप), अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र या AFCFTA (अफ्रीका), खाड़ी सहयोग परिषद् या GCC (खाड़ी) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी या RCEP (दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से आस्ट्रेलिया) में विभाजित है। भारत वर्तमान में एकमात्र क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र' या SAFTA (SAARC देशों के साथ) का भाग है। भारत को इस तरह की स्थानीय क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं की नींव रखनी होगी।

भारत और चीन

- चीन की चुनौती से निपटने के लिये भारत द्वारा पड़ोसी देशों को साथ लेकर एक एकीकृत दक्षिण एशियाई मंच को सशक्त करना भारत की कूटनीतिक पहलों में से एक है।
- यह भी स्पष्ट है कि भारत की पाकिस्तान तथा नेपाल के साथ लगी सीमाओं पर तनाव भारत को चीन के खिलाफ सुभेद्य बनाता है, विशेषकर तब जब सभी दक्षेस देशों (भूटान को छोड़कर) ने 'बेल्ट एंड रोड' पहल को अपना समर्थन दिया हुआ है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2005 से 2014 के दौरान चीन वास्तव में दक्षेस में शामिल होना चाहता था। इस मुद्दे पर दक्षेस अधिकारियों में कई बार विचार-विमर्श भी हुए, लेकिन भारत ने हमेशा अपना पक्ष रखा कि तीन दक्षेस देशों से सीमा साझा करने के बावजूद चीन दक्षिण एशियाई देश नहीं है अत: वह दक्षेस का भाग नहीं बन सकता।
- विगत कुछ वर्षों में कई तरह की वैश्विक आलोचनाएँ झेलने के बाद भी चीन ने विश्वविद्यालयों में निवेश, व्यापार, पर्यटन आदि के रूप में दक्षिण एशिया में अपनी राह बनाना जारी रखा है।
- विगत वर्ष चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग (UFWD) जैसे समूहों ने महामारी के दौर में भी विभिन्न अवसरों को देशहित के लिये प्रयोग में लाने में सफलता हासिल की है।
- अपनी 'हेल्थ सिल्क रूट' पहल के तहत दवाइयों, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण किटों और विभिन्न टीकों को सार्क देशों को भेजने के अलावा चीन के उपमंत्री ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि के साथ अलग-अलग समूहों में तीन बैठकें भी कीं और इन सभी देशों के साथ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के साथ 'साइनोवैक वैक्सीन' की उपलब्धता पर भी चर्चा की।
- इसके विपरीत, भारत ने इस क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य और आर्थिक कूटनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन मार्च में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई 'दक्षेस बैठक' के अलावा अन्य सभी बैठकें आमतौर पर द्विपक्षीय ही थीं न कि दक्षिण एशिया के लिये संयुक्त प्रयास।

आगे की राह

- इतिहास और राजनीतिक शिकायतों को अलग-अलग नज़रिए से देखा जा सकता है लेकिन भूगोल वास्तविकता है।
- यदि चीन के नज़रिए से देखा जाए तो अभी भी विभिन्न दक्षेस देशों का भारत के प्रति नज़रिया सकारात्मक ही है और एक-दो देशों को छोड़कर अधिकतर देश भारत को नेता के रूप में स्वीकार भी करते हैं।
- विगत कुछ वर्षों की निराशा के बावजूद दक्षेस का अस्तित्व बरकरार है और भारत इसे अपनी वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं के लिये एक मंच के रूप में उपयोग कर सकता है। अत: भारत को दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिये सार्क के पुनरुद्धार में लगना होगा।

धर्मांतरण के विरुद्ध अध्यादेश : एक समीक्षा

संदर्भ

उत्तर प्रदेश में नवंबर माह में प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' अंतर-धार्मिक विवाहों की पुष्टि करता है। हालाँकि, इस अध्यादेश में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो कुछ हद तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस अध्यादेश को तत्काल प्रख्यापित करने की परिस्थितियों की समीक्षा भी आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 का औचित्य

- इस अध्यादेश को सामान्यता एंटी-लव जिहाद अध्यादेश भी कहा जाता है।
- अगर यह अध्यादेश छलपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन एवं धोखाधड़ी के माध्यम से होने वाले विवाह का प्रतिषेध करता है तो इसके लिये वर्तमान अध्यादेश की आवश्कता नहीं थी, क्योंकि इस संबंध में तो पहले से ही पुलिस को यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे विवाहों को रोके।
- इस बात की संभावना अत्यंत क्षीण है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण गुप्त और एक साथ होंगे, हालाँकि अगर ऐसा होता है तो भी मौजूदा कानूनी प्रावधानों को लागू करके सतर्क पुलिस बल द्वारा इन्हें रोका भी जा सकता है।
- अगर तत्काल परिस्थितियों को देखें तो हाल के कुछ समय में ऐसी कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आई जिसमें दर्जनों या सैंकड़ों अंतर-धार्मिक विवाह एक साथ हुए हों। ऐसे में यह अध्यादेश तत्काल कार्यवाही की आवश्कता को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

प्रावधान और उनका प्रभाव

- इस कानून की धारा 3 द्वारा गैर-कानूनी तरीकों एवं धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के साथ-साथ कारावास का प्रावधान किया गया है। ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी से धर्मांतरण का समर्थन नहीं किया जाना चाहिये और इसे रोकने के लिये कानूनी प्रावधान होने भी चाहिये, परंतु विवाह के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण को अपराध मानना उचित नहीं लगता।
- दो वयस्क अगर आपसी सहमती से अंतर-धार्मिक विवाह करते हैं और विवाह से पूर्व या विवाह उपरांत दोनों में से कोई एक धर्मांतरण करता है अर्थात् यदि पत्नी, पति का धर्म अपनाती है या पति, पत्नी का धर्म अपनाता है तो इससे राज्य को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।
- इस अध्यादेश में उल्लेखित 'धर्मांतरण का प्रयास' अधिकारों से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है। धारा 7 के अनुसार, अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई सूचना (वह सूचना गलत भी हो सकती है) प्राप्त होती है तो एक पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश तथा वारंट के बिना ही इस तर्क के आधार पर धर्मांतरण का प्रयास करने वाले को गिरफ्तार कर सकता है कि बिना इस व्यक्ति को गिरफ्तार किये धर्मांतरण को रोकना असंभव है।
- सूचना की प्रकृति में किसी प्रलोभन, लालच या उपहार को भी शामिल किया गया है, अर्थात् अगर सूचना में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को धर्मांतरण के लिये किसी प्रकार का उपहार दिया है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या मित्रों को भी उसका साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति धर्मांतरण करना चाहता है परंतु विवाह नहीं करना चाहता तो उस व्यक्ति को एक घोषणा के माध्यम से योजना के दो महीने पहले ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) को सूचित करना होगा तथा धारा 8

के तहत डी.एम. पुलिस को धर्मांतरण के वास्तविक उद्देश्य की जाँच करने का आदेश देगा। ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है कि अगर पुलिस धर्मांतरण के वास्तविक उद्देश्यों की पहचान नहीं कर पाती तो क्या व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कर सकेगा?

- धारा 9 के तहत धर्मांतरण के वास्तविक उद्देश्य की जाँच पूरी होने के बाद व्यक्ति को धर्मांतरण की सूचना डी.एम. को देनी होगी और डी.एम. इस सूचना को पुष्टि होने तक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा। हालाँकि, इस सूचना से अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होगी तो इसके लिये क्या प्रावधान किये गए हैं, इसका उल्लेख अध्यादेश में नहीं किया गया है।
- धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण किसी प्रलोभन एवं धोखाधड़ी के कारण नहीं, बल्कि स्वेच्छा से किया गया है, इस बात को सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी धर्मांतरण करवाने वाले पर होगी न कि धर्मांतरण करने वाले पर ऐसे में यह प्रश्न विचारणीय है कि धर्मांतरण करवाने वाला व्यक्ति भला किस प्रकार दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को बता सकता है।

अध्यादेश के नकारात्मक प्रभाव

- अध्यादेश के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे– झूठे मुकदमे करने के लिये डराना-धमकाना, मनमानी गिरफ्तारी और धर्मांतरण करने व करवाने वाले का शोषण आदि।
- यह अध्यादेश कई मायनों में असंगत तथा अस्पष्ट है। साथ ही यह सभी अंतर-धार्मिक विवाहों की पुष्टि करता है और वयस्कों द्वारा अपनी पसंद के विवाह करने की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाता है।
- यह निजता के अधिकार के साथ-साथ जीवन, स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

क्या वर्तमान प्रख्यापित अध्यादेश आवश्यक शर्तों को पूरा करता है?

- हाल ही में, 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये आयोग अध्यादेश' में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता के लिये चार पृष्ठ का औचित्य दिया गया था, जबकि 'कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, 2020 में केवल प्रस्तावना में कहा गया था कि अध्यादेश क्या प्रदान करता है, लेकिन तत्काल कार्यवाही के लिये परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया था।
- 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020' में केवल यह बताया गया कि यह अध्यादेश क्या प्रदान करता है, अर्थात् इसमें केवल यह बताया गया कि एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह करने के लिये छलपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन एवं धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन प्रतिषेध होगा। इसमें भी अध्यादेश के लिये आवश्यक परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया।
- एक लोकतांत्रिक देश में यह आवश्यक है कि किसी भी अध्यादेश को विधानमंडल में सत्र न होने पर इसे प्रख्यापित करने की परिस्थिति बताई जानी चाहिये। इससे कानून में पारदर्शिता बढ़ेगी और परिस्थिति की गंभीरता का भी अनुमान लगाया जा सकेगा।

अध्यादेश प्रख्यापित करने संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अध्यादेश प्रख्यापित करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति

- अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति उस परिस्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा, जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।
- अनुच्छेद 123(2) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश–
  - संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत (Reassemble) होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि तक प्रभावी होगा, यदि छह सप्ताह के पूर्व संसद उसके अनुमोदन का संकल्प पारित न कर दे।

❖ ऐसा कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

- अनुच्छेद 123(3) के अनुसार, यदि कोई अध्यादेश ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने की शक्ति संसद के अधीन नहीं है तो वह अध्यादेश शून्य होगा।

अध्यादेश प्रख्यापित करने संबंधी राज्यपाल की शक्ति

- अनुच्छेद 213(1) के अनुसार, उस समय को छोड़कर, जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में हो, या विधान परिषद् वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हों, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह उन परिस्थितियों के अनुकूल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा।

गंभीर मामलों में जाँच की अवधि कम करना

संदर्भ

वर्ष 2019 के आंध्र प्रदेश के 'दिशा विधेयक' में कुछ अपराधों की जाँच की समयावधि को कम करके सात दिन तक करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य सरकारों द्वारा जाँच की अवधि कम करना

- वर्ष 2020 के प्रस्तावित महाराष्ट्र शक्ति अधिनियम में 15 दिनों के भीतर जाँच पूरी करने का प्रावधान है।
- महाराष्ट्र का शक्ति अधिनियम आंध्र प्रदेश के दिशा विधेयक से प्रेरित है।
- दिशा बिल के तहत महिलाओं व बच्चों के यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे अपराधों के जिन मामलों में 'पर्याप्त निर्णायक सबूत' उपलब्ध हैं, उनकी जाँच सात कार्यदिवसों के भीतर पूरी करना अनिवार्य है।
- हालाँकि, पुलिस द्वारा 'पर्याप्त निर्णायक सबूत' को स्पष्ट करना अभी भी एक दुविधा बनी हुई है।

सी.आर.पी.सी. के प्रावधान

- दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) के अनुसार, जिन अपराधों में कम-से-कम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, उनकी जाँच 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिये।
- उच्च सज़ा वाले अपराधों (बलात्कार सहित) में आरोपी को हिरासत में लेने की समय-सीमा 90 दिनों की है, अन्यथा उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
- प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये वर्ष 2018 में सी.आर.पी.सी. में संशोधन किया गया और बलात्कार के सभी मामलों में जाँच की अवधि को 90 से घटाकर 60 दिन कर दिया गया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जाँच

यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 के अनुसार, पीड़ित महिला की लिखित शिकायत पर नियोक्ता (Employer) को आंतरिक शिकायत समिति/स्थानीय शिकायत समिति निम्नलिखित निर्देश दे सकती है–

- पीड़ित महिला या यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति का स्थानांतरण।
- किसी अन्य प्रकार की सहायता निर्धारित करना।
- जाँच पूर्ण होने के 10 दिन के अंदर समिति नियोक्ता एवं संबंधित व्यक्ति को रिपोर्ट देगी।
- स्थानीय शिकायत समिति जाँच में आरोपी को दोषी पाती है, तो कार्रवाई संबंधी अपनी रिपोर्ट नियोक्ता एवं ज़िला अधिकारी को सौंपेगी।
- आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति पीड़ित महिला या अन्य की शिकायत गलत पाती है, तो उस महिला या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध सेवा नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जाँच के समय को प्रभावित करने वाले कारक

- आमतौर पर जाँच का समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे– अपराध की गंभीरता, आरोपी व्यक्तियों की संख्या आदि।
- उपर्युक्त कारकों के अलावा बलात्कार के कई मामलों में पीड़ित/पीड़िता गहरे आघात/चोट के कारण आपबीती बताने की अवस्था में नहीं रहती।
- जाँच की गति और गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या किसी पुलिस स्टेशन में जाँच और कानून व्यवस्था की अलग-अलग इकाइयाँ हैं? यह एक लंबित पुलिस सुधार है, जिस पर अभी भी अमल किया जाना बाकी है।
- जाँच का समय उपलब्ध जाँच अधिकारियों और महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या तथा फोरेंसिक प्रयोगशालाओं व उनकी डी.एन.ए. इकाइयों के आकार और उनकी कार्यकुशलता पर भी निर्भर करता है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हो इसके लिये आवश्यक हैं

- उन्हें कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के विरुद्ध उचित कार्रवाई का प्रावधान।
- उनकी नियुक्ति से जुड़ी वर्तमान एवं भविष्य की शर्तें स्पष्ट करना।
- उनके कार्य में अकारण हस्तक्षेप तथा उन्हें डराने, धमकाने जैसे– व्यवहार नहीं करना।
- माहिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले व्यवहार का विरोध करना।

निष्कर्ष

जाँच के लिये आवश्यक समय-सीमा को कम करने से प्रक्रियात्मक खामियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिये, अवास्तविक समय-सीमा तय करने की बजाय, पुलिस को अतिरिक्त संसाधन दिये जाने चाहिये, ताकि वे कुशलतापूर्वक जाँच कर सकें।

आधार समीक्षा याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कानून को वैध और संवैधानिक घोषित किये जाने संबंधी वर्ष 2018 के अपने निर्णय की समीक्षा करने से इनकार कर दिया है, साथ ही समीक्षा के लिये जारी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- आधार कानून के धन विधेयक के रूप में लोक सभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किये जाने तथा संसद में इसके पारित होने के फैसले (पुट्टस्वामी आधार मामला) के विरुद्ध राज्य सभा सांसद जयराम रमेश समेत सात लोगों द्वारा याचिका दायर की गई थी।
- इस याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक सभा अध्यक्ष के निर्णय को केवल 'कुछ परिस्थितियों' के तहत ही चुनौती दी जा सकती है।

निर्णय की समीक्षा संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति

- संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है।
- हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी कानून और नियम के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय (या दिये गए आदेश) की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है।

- इस प्रकार, समीक्षा याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय की समीक्षा की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के किसी निर्णय या आदेश को 'स्पष्टता के अभाव' के आधार पर समीक्षा कर सुधार सकता है।

धन विधेयक

- वह वित्त विधेयक जिसमें केवल कर प्रस्तावों से संबंधित प्रावधान होते हैं, धन विधेयक कहलाता है, जबकि वह विधेयक जिसमें कराधान या व्यय से संबंधित प्रावधानों के साथ-साथ अन्य मामले भी शामिल होते हैं, वित्तीय विधेयक कहलाते हैं।
- धन विधेयक (110) में कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने, भारत के समेकित कोष में धन की प्राप्ति व खर्च से संबंधित प्रावधान होते हैं।
- सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक कहलाते हैं, जबकि सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते।

दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 32A

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 32A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।

दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 32A

- आई.बी.सी. की धारा 32A में यह प्रावधान किया गया है कि कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने से पहले कॉर्पोरेट देनदारों पर अपराधों के लिये न्यायिक प्राधिकरण द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न हीं उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी।
- ध्यातव्य है कि संसद द्वारा आर्थिक सुधारों की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए आई.बी.सी को वर्ष 2016 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत विफल हो चुके या घाटे में चल रहे व्यवसायों के लिये एक तीव्र और उचित समाधान प्रक्रिया का प्रावधान किया गया था।
- दिवालिया वह व्यक्ति या संस्था होती है, जिसे ऋण या वित्तीय दायित्वों को ना चुकाने की स्थिति में कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान निर्णय और इसका महत्त्व

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि आई.बी.सी. के तहत कॉर्पोरेट देनदार के लिये सफल बोलीदाता को किसी भी जाँच एजेंसी, जैसे– प्रवर्तन निदेशालय (ED) या अन्य वैधानिक निकायों (सेबी) से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- आई.बी.सी. की धारा 32A की वैधता को बरकरार रखने का उद्देश्य ऐसे बोलीदाताओं को आकर्षित करना है जो कॉर्पोरेट देनदार को उचित मूल्य प्रदान करें, ताकि कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) को समय पर पूरा किया जा सके।
- हालाँकि, न्यायिक सुरक्षा 'अनुमोदित संकल्प योजना' और कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव होने पर ही लागू होगी।
- आई.बी.सी. के लागू होने से लेकर अब तक अनेक समाधान योजनाएँ बाधित हुई हैं, क्योंकि इनमें अनेक एजेंसियों और नियामकों द्वारा चुनौती प्रस्तुत की जाती रही है। अत: धारा 32A की वैधता को बरकरार रखने से इन समाधान योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय बोलीदाताओं को कंपनी का सही मूल्यांकन करने और निष्पक्ष बोली लगाने में मदद करेगा, जिससे बैंक अपने खाते से दबावग्रस्त ऋणों को हटा सकेंगे।

- इससे बोलीदाता बिना किसी अड़चन के तथा अधिक विश्वास के साथ विवादित कंपनियों और उनकी परिसंपत्तियों की बोली लगाने के लिये प्रेरित होंगे।

कृषि कानून और उनकी संवैधानिक वैधता

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों के संचालन पर रोक लगाने के साथ-साथ सरकार तथा किसानों के साथ बातचीत करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित की। इसके गठन को लेकर किसान संघों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है, जिससे किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। किसानों का कहना है कि इस समिति में शामिल अधिकांश विशेषज्ञ पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हैं और वे कृषि कानूनों के प्रबल समर्थक हैं।

वर्तमान स्थिति

- सरकार और किसानों के साथ बातचीत करने के लिये समिति के सदस्यों को मुख्य मुद्दों पर प्रमुखता से विचार करना चाहिये, जो संबंधित पक्षों में विश्वास पैदा करेगा। हालाँकि, किसान इन कानूनों को निरस्त करने को लेकर अडिग हैं, जिसका तात्पर्य है कि वर्तमान आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है।
- साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि इस समिति की सिफारिश का कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अत: कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता का सवाल न्यायालय के समक्ष मामले की उचित सुनवाई के बाद ही तय किया जा सकता है। यदि न्यायालय कानूनों की वैधता की पुष्टि करता है, तो इस विरोध प्रदर्शन के जारी रहने की संभावना है।
- ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों को निरस्त करने के मुद्दे को सरकार अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रही है, क्योंकि किसी कानून का निरसन एक साधारण विधायी कार्य है।

कृषि कानून की वैधता और नियम

- कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि संसद के पास इन कानूनों को लागू करने की कोई विधायी शक्ति नहीं है, क्योंकि यह विषय दरअसल राज्य सूची का विषय है।
- हालाँकि, इन अधिनियमों को चुनौती देने का मौलिक कारण भी है, जिसकी अब जाँच की जाएगी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि राज्य सभा में इन विधेयकों पर मतदान सदन के नियमों के अनुसार नहीं कराया गया था।
- इन नियमों के अनुसार, एक सदस्य द्वारा भी माँग किये जाने की स्थिति में अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा मतदान (विभाजन) की रिकॉर्डिंग का आदेश देने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ सदस्यों की माँग के बावजूद उस समय मत विभाजन का आदेश नहीं दिया गया था। अत: ध्वनिमत से विधेयकों को पारित करने से सदन के नियमों का उल्लंघन हुआ।

ध्वनिमत और संबंधित समस्या

- यहाँ मामला सदन के नियमों के उल्लंघन से परे है, क्योंकि इसमें स्वयं संविधान का उल्लंघन शामिल है। अनुच्छेद 100 के अनुसार, किसी भी सदन के किसी भी बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किये जाएँगे।

- बहुमत को केवल संख्या के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है और इसलिये इस अनुच्छेद के अनुसार सदन में सभी प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का वोट रिकॉर्ड करके किया जाना चाहिये।
- वास्तव में, संविधान बहुमत निर्धारित करने के लिये ध्वनिमत को मान्यता नहीं देता है। हालाँकि, ध्वनिमत द्वारा प्रश्नों को तय करना सभी जगह प्रचलित है।
- इस व्यवस्था की परिकल्पना सुविधा हेतु की गई थी। यह धारणा है कि चूँकि सरकार के पास बहुमत होता है, अत: सदन के किसी भी प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है।
- हालाँकि, जब कोई सदस्य सदन में मतदान की माँग करता है तो अध्यक्ष के पास वास्तविक मतदान का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। चूँकि इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा विधेयकों को ध्वनिमत से पारित किया गया और इसलिये यह नियमों के साथ-साथ संविधान का भी उल्लंघन है।

सदन की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा

- यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 122 सदन की कार्यवाही को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, यह सुरक्षा केवल तभी उपलब्ध होती है जब कार्यवाही को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर चुनौती दी जाती है।
- संविधान का उल्लंघन मात्र प्रक्रिया की अनियमितता नहीं है। 'राजा राम पाल मामले' में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कार्यवाही को संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन जैसे महत्त्वपूर्ण आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।
- राज्य सभा में कृषि विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 100 के उल्लंघन में पारित किया गया है और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है।

न्यायपालिका के समक्ष विकल्प

- न्यायालय सभी कानूनों को पूरी तरह से रद्द कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 107 के अनुसार तय प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। इसके अनुसार, किसी विधेयक को तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों सदनों द्वारा इस पर सहमति नहीं बन जाती।
- न्यायालय राज्य सभा की कार्यवाही को भी अमान्य घोषित कर सकता है और तीनों अधिनियमों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिये उस सदन को वापस भेज सकता है।
- यदि ऐसा होता है तो सरकार के पास इन कानूनों को पुन: प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर होगा। इन्हें राज्य सभा की एक प्रवर/चयन समिति को भेजा जा सकता है जो किसानों और अन्य सभी हितधारकों से परामर्श करके अंतत: एक बेहतर विधेयक ला सकती है।
- इस समस्या का समाधान खोजने के लिये इन विकल्पों की संभावना पर रचनात्मक रूप से विचार किया जा सकता है।

सशस्त्र बलों में व्यभिचार और कानून

संदर्भ

हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि व्यभिचार या परस्त्रीगमन को भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के दायरे से बाहर करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के निर्णय को सशस्त्र बलों पर लागू न किया जाए।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सशस्त्र बलों से संबंधित नियमों के तहत व्यभिचार, अशोभनीय आचरण के रूप में कोर्ट मार्शल का एक आधार है और इसलिये सशस्त्र बलों को संविधान पीठ के वर्ष 2018 के फैसले के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिये।
- मंत्रालय के अनुसार, सेना के उन जवानों के मन में हमेशा एक चिंता बनी रहेगी, जो अपने परिवार से दूर काम कर रहे हैं।
- सरकार ने याचिका में कहा कि सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मचारी एक 'विशिष्ट वर्ग' के हैं। वे विशेष कानूनों, जैसे– सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।
- व्यभिचार एक अशोभनीय आचरण के रूप में इन तीनों अधिनियमों के तहत अनुशासन का उल्लंघन माना जाता था। इन विशेष कानूनों ने कर्मियों के मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जबकि वे विशिष्ट परिस्थितियों में काम करते हैं, जिनमें अत्यधिक अनुशासन की आवश्यकता होती है।
- तीनों कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 33 द्वारा संरक्षित किया गया है, जो सरकार को सशस्त्र बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की अनुमति देता है।
- अत: सशस्त्र बलों का मामला विशेष है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा में वर्ष 2018 में किये गए परिवर्तन के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिये, जबकि सशस्त्र बलों के लिये पहले से ही विशेष कानून अधिनियमित हैं।
- न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और दो अन्य न्यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र के इस आवेदन पर मूल जनहित याचिकाकर्ता जोसेफ शाइन व अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही पाँच सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित करने के लिये यह मामला प्रधान न्यायाधीश ए. बोबड़े को अग्रेषित कर दिया है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से स्त्री एवं और पुरुष के बीच विवाहेतर संबंधों से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया था।
- संविधान पीठ ने कहा था कि यह धारा असंवैधानिक है, क्योंकि यह महिलाओं की वैयक्तिक स्थिति पर चोट पहुँचाती है। 'महिलाएँ पतियों की जागीर' नहीं हैं, उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिये। महिलाओं को समाज की इच्छा के अनुसार सोचने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।
- यद्यपि न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि वैवाहिक विवादों में तलाक के लिये व्यभिचार एक आधार बना रहेगा।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यभिचार किसी प्रकार का अपराध नहीं है, लेकिन अगर इस वजह से किसी का पति/पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो इसे आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला माना जा सकता है।

धारा 497

- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 497 के अनुसार, यदि कोई पुरुष किसी अन्य शादीशुदा महिला के साथ आपसी रज़ामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उक्त महिला का पति एडल्टरी/व्यभिचार/परस्त्रीगमन के मामले में उस पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। हालाँकि, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है और न ही विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष की पत्नी इस दूसरी महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है।
- इस धारा के तहत यह भी प्रावधान है कि विवाहेतर संबंध में लिप्त पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है। किसी दूसरे रिश्तेदार अथवा करीबी की शिकायत पर ऐसे पुरुष के खिलाफ कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- व्यभिचार के अपराध के लिये पुरुष को पाँच वर्ष की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण

संदर्भ

सार्वभौमिक विद्युतीकरण की घोषणा के लगभग दो वर्षों बाद दिसंबर 2020 में 'विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020' को लागू किया गया था और इसे लागू करते समय केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का दावा था कि इन नियमों को लागू करने से विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण होगा तथा वे पहले से अधिक सशक्त होंगे। परंतु इन नियमों को लागू करने के पश्चात भी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया।

विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020

- ये नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों तथा वितरण लाइसेंसधारियों के दायित्वों को सुनिश्चित करते हैं।
- वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24×7 विद्युत की आपूर्ति करेंगे।
- हालाँकि, कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये आपूर्ति के घंटों/समय में कमी की जा सकती है।
- विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम में निम्न प्रमुख क्षेत्रों को कवर किया गया है:
  - नए कनेक्शन जारी करना तथा वर्तमान कनेक्शन में संशोधन।
  - मीटरिंग प्रबंधन, बिलिंग व भुगतान और डिस्कनेक्शन एवं रि-कनेक्शन।
  - प्रोज्यूमर (Prosumer) की स्थिति कंज्यूमर (Consumer) के रूप में बनी रहेगी और उन्हें सामान्य उपभोक्ता की तरह ही अधिकार प्राप्त होंगे।
  - आपूर्ति की विश्वसनीयता प्रदान की जाएगी।
  - लाइसेंसधारियों के कार्य-प्रदर्शन मानक तय होने के साथ क्षतिपूर्ति व्यवस्था।
  - उपभोक्ता सेवा और शिकायत समाधान व्यवस्था।

नए नियमों का औचित्य

- विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित ये नियम निश्चित ही उपभोक्ताओं को सशक्त करने की दिशा में सराहनीय प्रयास हैं।
- परंतु इस प्रकार के उपभोक्ता केंद्रित नियमों को लागू करने से सार्वजनिक बहस छिड़ जाती है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को सामने लाती है।
- ये नियम विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) को निश्चित मानदंडों के आधार पर विद्युत सेवाएँ प्रदान करने के लिये बाध्य करते हैं।
- यदि ये कंपनियाँ निश्चित समय और निश्चित मानदंडों के आधार पर सेवाएँ उपलब्ध नहीं करवा पाती तो इन्हें स्वचालित रूप से उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
- हालाँकि, इन नियमों के समान या इनसे बेहतर नियम पहले से ही विभिन्न राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में विद्यमान हैं और अधिकांश राज्यों में इस तरह के नियम दो दशकों से लागू भी हैं।

प्रमुख बाधाएँ

- उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता का मुद्दा सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। कई राज्य गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को।
- गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्यों तथा विद्युत वितरण कंपनियों की ज़िम्मेदारी है।

- गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति न कर पाना नियमों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि इन नियमों को लागू करने के प्रति उत्तरदायित्व या जवाबदेही की कमी के कारण है।
- यह निराशाजनक है कि वर्तमान में लागू किये गए नियमों, पूर्व के प्रयासों (नेशनल टैरिफ नीति), प्रस्तावित विद्युत अधिनियम संशोधन तथा विभिन्न समितियों में उत्तरदायित्व या जवाबदेही से संबंधित समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
- इन नियमों में 24×7 विद्युत आपूर्ति की गारंटी पर बल दिया गया है, जो हो सकता है कि राज्य द्वारा किये गए प्रावधानों में शामिल न हो।
- इसके अतिरिक्त, 24×7 विद्युत आपूर्ति की गारंटी के लिये स्वचालित क्षतिपूर्ति के प्रभावी भुगतान पर भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता की निगरानी के लिये कोई विशेष व्यवस्था मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि 11 के.वी. फीडरों पर भी विद्युत आपूर्ति के समय की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली विद्युत आपूर्ति के समय की जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन है।
- साथ ही, इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये गंभीर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। उदाहरणस्वरूप– सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त 2020 में लगभग 20 घंटे ही विद्युत आपूर्ति हुई और मौजूदा नियमों के अनुसार, इसमें सैकड़ों करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिये था, लेकिन भुगतान की गई वास्तविक राशि प्रत्येक राज्य में केवल कुछ ही लाख थी।
- अत: उपरोक्त सभी समस्याओं के निदान के लिये न केवल मौजूदा नियमों के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित की जानी चाहिये।

राज्य के नियमों को कमज़ोर करने वाले प्रावधान

- नए नियमों में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य के मौजूदा प्रगतिशील नियमों को कमज़ोर करते हैं, जैसे– विद्युत मीटर से संबंधित शिकायत के मुद्दे पर नए नियम में यह प्रावधान है कि शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दोषपूर्ण मीटर की जाँच की जानी चाहिये परंतु वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में दोषपूर्ण मीटर की जाँच शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- इसी प्रकार 'उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम' का गठन भी ऐसा ही प्रावधान है। नए नियमों में कहा गया है कि यह फोरम मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध होने वाली शिकायतों के उपाय हेतु गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह एक प्रतिगामी प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के पक्ष में तय होने वाले मामलों की संख्या को कम करेगा तथा इससे फोरम की विश्वसनीयता भी कम होगी।
- वहीं, अन्य राज्यों में इस प्रकार के फोरम के अध्यक्ष या सदस्यों के लिये अलग-अलग पात्रता मानदंड हैं, जैसे– दिल्ली में यह नियम है कि विद्युत वितरण कंपनी का कोई भी कर्मचारी फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी या अन्य स्वतंत्र सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।
- इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये सुस्पष्ट नियमों का आभाव है। इसके अंतर्गत इस सिस्टम की क्षमता 10 किलोवाट से कम होने पर उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग की गारंटी दी गई है, परंतु 10 किलोवाट से अधिक क्षमता वालों के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- ये नियम स्पष्टता प्रदान करने की बजाय भ्रमित अधिक कर रहे हैं। इसके कारण रूफटॉप सोलर सिस्टम में निवेश में कमी आ सकती है। साथ ही, यह पर्यावरण के अनुकूल तथा लागत प्रभावी विकल्प चुनने के लिये मध्यम एवं बड़े उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करेगा।

आगे की राह

- जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिये एस.ई.आर.सी. को विद्युत वितरण कंपनियों के एस.ओ.पी. नियमों का आकलन करना चाहिये और आवश्यकतानुसार उन नियमों को संशोधित करना चाहिये।
- इसके अलावा, एस.ई.आर.सी. द्वारा सार्वजनिक मंचों के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं को जानने का प्रयास भी किया जाना चाहिये।
- विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा कम-से-कम 11 के.वी. फीडरों पर स्वचालित मीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये और प्राप्त डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना चाहिये।
- एस.ई.आर.सी. जैसे नियामक फोरमों द्वारा एस.ओ.पी. को अपडेट किया जाना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत वितरण कंपनियों से आपूर्ति की गुणवत्ता के आँकड़े एकत्र करने, ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से इन्हें प्रदर्शित करने और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान में राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल पर इस प्रकार के आँकड़े प्रदर्शित किये जाते हैं परंतु ये अधिक विश्वसनीय नहीं हैं।
- मौजूदा प्रदर्शन मानक नियमों के क्रियान्वयन की जाँच करने के लिये स्वतंत्र सर्वेक्षण करवाए जा सकते हैं और इस आधार पर विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

निष्कर्ष

- सरकारी प्रयासों के माध्यम से देश-भर में विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जा सकते हैं परंतु 24×7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को अधिक सशक्त करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में पर्याप्त नियम पहले से ही हैं परंतु मज़बूत जवाबदेही प्रावधानों के बिना उपभोक्ता संरक्षण नियम बेहतर विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता की गारंटी नहीं दे सकते।
- नए नियमों के लागू होने से इस स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आएगा। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये सरकारों, विद्युत वितरण कंपनियों और नियामकों को संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इनके द्वारा उपभोक्ताओं को वास्तव में सशक्त बनाने के लिये मज़बूत प्रतिबद्धता और दृढ इच्छाशक्ति से मौजूदा नियमों को लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

नेट मीटरिंग

- यह ऐसी तकनीक है, जिससे रूफटॉप सोलर सिस्टम से निर्मित विद्युत ग्रिड को बेची जा सकती है। इसके लिये सोलर प्लांट के साथ एक मीटर लगाया जाता है।
- यह मीटर विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से दिया जाता है और इसे कंपनी के कनेक्शन से जोड़ दिया जाता है। सोलर प्लांट में कितनी मात्रा में विद्युत निर्मित हुई, कितनी खपत हुई और कितनी विद्युत ग्रिड में गई– इन सब से संबंधित आँकड़े मीटर में होते हैं। इससे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि उपभोक्ता ने कंपनी से कितनी विद्युत प्राप्त की।
- इस प्रकार, नेट मीटरिंग से विद्युत का संरक्षण तो होता ही है, साथ ही उपभोक्ता इससे निर्मित विद्युत को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

7 स्वास्थ्य

एथनोमेडिसिन : विलोपन के कगार पर

संदर्भ

आधुनिक चिकित्सा पद्धति से पूर्व भारत सहित विश्व के अनेक देशों में रोगों के निदान तथा उपचार के लिये पारंपरिक या नृजातीय चिकित्सा (Ethnomedicine) पद्धति को अपनाया जाता था। भारत के आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में आज भी इस पद्धति का प्रयोग होता है लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि यह पद्धति धीरे-धीरे समाप्त हो रही है और इसका स्थान आधुनिक चिकित्सा पद्धति (Allopathy) ले रही है।

नृजातीय चिकित्सा अथवा एथनोमेडिसिन (Ethnomedicine) : एक परिचय

- प्रत्येक समाज में सामान्य रोगों के उपचार के लिये कुछ पद्धतियाँ विकसित होती हैं, जिनमें पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है।
- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) एथनोमेडिसिन को विभिन्न संस्कृतियों के देशज सिद्धांतों, विश्वासों तथा ज्ञान, कौशल एवं प्रथाओं के योग के रूप में परिभाषित करता है।
- इसमें पादप, जीव या खनिज आधारित औषधि, आध्यात्मिक उपचार, मानवीय तकनीक, ज्ञान या कौशल तथा व्यायाम को शामिल किया जाता है। शारीरिक तथा मानसिक रोगों की रोकथाम, उपचार में इन सभी घटकों को एकल या संयोजन के आधार पर प्रयोग किया जाता है।
- एथनोमेडिसिन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य शारीरिक और सांस्कृतिक/सामाजिक दोनों प्रकार का प्राणी है। यह एथनोमेडिसिन तथा आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा के बीच का मूल अंतर है, जहाँ मानव को केवल शारीरिक प्राणी (मानसिक रोगों को छोड़कर) माना जाता है।

एथनोमेडिसिन की शुरुआत

- आदि काल से ही प्रजातीय समूहों में जड़ी-बूटियों का प्रयोग उपचार हेतु होता रहा है। भारत, ग्रीस तथा अरब सहित विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों को विकसित किया लेकिन वे सभी मुख्य रूप से पादप आधारित थीं।
- अलग-थलग रहने वाले जनजातीय समुदाय रोगों के उपचार हेतु स्वयं की विकसित चिकित्सा पद्धति को ही अपनाते हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के एक अनुमान के अनुसार, विकासशील देशों में लगभग 88% लोग अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरतों के लिये मुख्य रूप से पारंपरिक दवाओं पर निर्भर हैं।
- भारत के अधिकांश लोक समुदायों में स्वास्थ्य देखभाल की जीवंत परंपराएँ विद्यमान हैं, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध वनस्पतियों तथा जीवों के प्रयोग पर आधारित हैं।
- इसके अंतर्गत माँ-शिशु की देखभाल, घरेलू उपचार के साथ-साथ साँप के विष, दंत-चिकित्सा, अस्थि-भंजन और पुरानी बीमारियों से संबंधित उपचारों को शामिल किया जाता है।

एथनोमेडिसिन की प्रक्रिया

- एथनोमेडिसिन एक समूह आधारित अभ्यास है, जिसमें बीमारियों को, किसी समूह के सदस्य के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है।

- इसमें लोगों का एक समूह इलाज के लिये आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करता है और लेप या काढ़ा तैयार करता है। इसमें उपचार की एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें लोगों का एक समूह या पूरा गाँव भाग लेता है और मुख्य उपचारकर्ता की उपचार प्रक्रिया में मदद करता है।
- कभी-कभी इसमें उपचार प्रक्रिया जनजातीय या स्वदेशी धर्म की प्रथाओं पर आधारित होती है, जिसमें किसी वृक्ष या स्थान या प्रकृति की पूजा की जाती है।
- प्रत्येक समुदाय में किसी विशेष स्थान या वृक्ष को पवित्र माना जाता है; उदाहरणस्वरूप, उराँव जनजाति साल (Shorea robusta) के वृक्ष तथा कदंब (Nauclea parvifolia) के पेड़ के आसपास की जगह की पूजा करती है।

एथनोमेडिसिन के समक्ष संकट

- एथनोमेडिसिन पद्धति में औषधि के रूप में जड़ी-बूटियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें जंगलों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जंगल के वन विभाग के अंतर्गत आने से यह पद्धति काफी हद तक प्रभावित हुई है।
- टिंबर राज्य के लिये राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है जिसके कारण वनों की कटाई में वृद्धि हुई है। साथ ही, खनन, कृषि, उद्योग, निर्माण आदि के लिये भी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है जिससे वनों में पारंपरिक या औषधीय पादप समाप्त हो रहे हैं।
- कई औषधीय पादपों को खर-पतवार घोषित किया गया है, जिससे धीरे-धीरे यह समाप्त हो रहे हैं।
- इस चिकित्सा पद्धति से संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं और न ही इन्हें संहिताबद्ध ही किया गया है। यह पद्धति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामान्यता मौखिक या अनौपचारिक रूप से हस्तांतरित होती है, लेकिन वर्तमान में इस पद्धति को जानने वाले कम लोग ही बचे हैं जिससे यह धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है।
- वर्तमान में आधुनिक तथा एलोपैथी औषधियों का प्रयोग बढ़ रहा है। जनजातीय समूहों में भी इनका प्रचलन आरंभ हो जाने से लोग एथनोमेडिसिन की बजाय एलोपैथी को अपना रहे हैं।
- एथनोमेडिसिन की तुलना में आधुनिक चिकित्सा पद्धति अधिक विकसित है जिस कारण लोग आधुनिक चिकित्सा को अधिक अपना रहे हैं।

एथनोमेडिसिन का भविष्य

- एथनोमेडिसिन एक गैर-संहिताबद्ध पद्धति है इसलिये इसकी उपयोगिता को मापना एक चुनौती है। हालाँकि, एलोपैथी के प्रभाव से, एथनोमेडिसिन ने भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समान नाम वाले रोगों की पहचान शुरू कर दी है।
- एथनोमेडिसिन के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के तत्काल प्रयास किये जाने चाहिये। हालाँकि, भारतीय गुणवत्ता परिषद् तथा 'फाउंडेशन फॉर रिवाइटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन' (FRLHT) ने इसके अंतर्गत उपचार के प्रमाणन के लिये विशेष योजना तैयार की है।
- भविष्य हेतु एथनोमेडिसिन पद्धति को संरक्षित करने के लिये इसका दस्तावेज़ीकरण आरंभ किया गया है। इसके तहत झारखंड में लगभग पचास पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हुए 29 विभिन्न प्रकार के लेप और काढ़े तैयार करने के तरीकों का दस्तावेज़ीकरण किया गया है।
- चार्ल्स एनीनम ने अपने लेख 'इकोलॉजी एंड एथनोमेडिसिन' में लिखा है कि विभिन्न समुदायों के लोकगीत वर्तमान नृजातीय औषधियों को खोजने में महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हुए हैं। कई महत्त्वपूर्ण आधुनिक औषधियों (जैसे– डिजीटॉक्सिन, रिसरपाइन, टूबोक्यूराइन, एफेड्रिन आदि) को लोककथाओं के प्रमुख नामों से खोजा गया है। अत: एथनोमेडिसिन के विकास हेतु लोकगीतों एवं लोककथाओं की पड़ताल होनी चाहिये।
- पिछले कुछ समय से लोग आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी औषधियों के स्थान पर पारंपरिक पद्धतियों व तरीकों को अपना रहे हैं अत: एथनोमेडिसिन के संदर्भ में भी यह उम्मीद की जा सकती है कि जनजातीय समुदायों के साथ-साथ अन्य लोग भी इस पद्धति को अपनाएँगे।

निष्कर्ष

एथनोमेडिसिन दूर-दराज के क्षेत्रों तथा नृजातीय समूहों के लिये रोगों के उपचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, यह इनकी दैनिक आजीविका में भी उल्लेखनीय योगदान देती है। वर्तमान समय में जब देश की एक बड़ी आबादी अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है तो इसके लिये यह चिकित्सा एक वरदान है। अत: एथनोमेडिसिन के विकास तथा संरक्षण की दिशा में प्रयास होने चाहिये। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक औषधीय पौधों से संबंधित जानकारी का दस्तावेज़ीकरण किया गया है लेकिन इनके उपयोग से संबंधित जानकारी हेतु और अधिक प्रयासों व शोध की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नृजातीय चिकित्सा पद्धति के संरक्षण के उपायों को भी तत्काल लागू किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 : प्रमुख निष्कर्ष

संदर्भ

हाल ही में जारी 5वें 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS-5) के प्रथम चरण में कोविड से पहले के सूक्ष्म विकास प्रदर्शन के कुछ आयामों की जानकारी दी गई है। पहले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों (असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरल, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव) प्रदेशों के आँकड़े शामिल हैं। हालाँकि, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु आदि बड़े प्रदेशों के आँकड़े इनमें शामिल नहीं हैं।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण में जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण से जुड़े विभिन्न संकेतकों पर जानकारी एकत्र करने के लिये घरेलू स्तर पर साक्षात्कार लिये गए हैं।
- वर्ष 2015-16 में जारी किये गए NFHS-4 के आँकड़ों की तुलना में इस बार वैक्सीन की आपूर्ति में काफी वृद्धि देखी गई है।
- शेष 12 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े आँकड़ों को दूसरे चरण में जारी किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इन राज्यों में सर्वेक्षण रोक दिया गया था। अब सर्वेक्षण पुन: शुरू किया गया है और इसके मई 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

आँकड़ों का समायोजन

- एन.एफ.एच.एस. में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित 42 संकेतक को शामिल किया गया है।
- ये संकेतक नौ श्रेणियों में विभाजित हैं और इन्हें प्रयासों एवं परिणामों (Inputs and Outcomes) के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे नवजात शिशु तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और विभिन्न पोषण संकेतकों (न्यूट्रीशन इंडिकेटर्स) को परिणामों के रूप में विभाजित किया गया है तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसवोत्तर देखभाल के संकेतकों (Post-natal Care Indicators) और बच्चों के भरण-पोषण आदि को प्रयासों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण वाले राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट आई है एवं गर्भनिरोधकों के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई है।
- सर्वेक्षण में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण कवरेज में सुधार देखा गया है। नवजात शिशु तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी देखी गई

है तथा एन.एफ.एच.एस.-4 की तुलना में इस चरण में 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नवजात मृत्यु दर (NMR) में भी कमी देखी गई है।

- राज्यों की व्यक्तिगत कार्यान्वयन क्षमता ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कई परिणाम राज्यस्तरीय कार्यान्वयन द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, इसलिये अकेले राज्य या केंद्र को सफलता या असफलता के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकताएँ

- यह समस्या पोषण से संबंधित कुछ पहलुओं को ही हल करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। पूरक पोषण (अच्छी गुणवत्ता के अंडे, फल आदि), संवृद्धि व विकास की उचित निगरानी जैसे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ-साथ समेकित बाल विकास योजना एवं स्कूलों में दिये जाने वाले भोजन के माध्यम से खाद्य व्यवहार में परिवर्तन करने और इन्हें अधिक संसाधन प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- सार्वभौमिक मातृत्व लाभ (Universal Maternity Entitlements) और बाल देखभाल जैसी सेवाओं के माध्यम से विशेष स्तनपान, शिशु एवं छोटे बच्चों को उचित आहार प्रदान करने के साथ-साथ महिलाओं के अवैतनिक कार्य को मान्यता देने के मुद्दे पर भी प्रगति किये जाने की आवश्यकता है।
- खाद्य पदार्थों के उत्पादन में पोषणयुक्त कृषि प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है।
- कुल मिलाकर मुख्य मुद्दा यह है कि कुपोषण के मूल निर्धारकों को लंबे समय तक नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इन निर्धारकों में घरेलू खाद्य सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और न्यायसंगत लैंगिक समानता शामिल हैं।
- साथ ही, एक रोज़गार केंद्रित विकास रणनीति भी अनिवार्य है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और सामाजिक सुरक्षा के लिये बुनियादी सेवाओं का सार्वभौमिक प्रावधान शामिल हो।

आगे की राह

- 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 5 में की गई चर्चा के अनुरूप ही सरकार को बड़ी कल्याण पहल के रूप में नवजात बच्चों (और उनकी माताओं) के गर्भ से लेकर पाँच वर्ष की आयु होने तक उनकी देखभाल पर ध्यान देना होगा।
- बाल कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये न केवल प्रत्यक्ष कार्यक्रम बल्कि देश में प्रारंभ किये गए आर्थिक विकास के समग्र मॉडल पर भी गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही, कुपोषण की चिंताजनक स्थिति इसे दूर करने की दिशा में प्रतिबद्धता और प्राथमिकता के साथ-साथ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को इंगित करती है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

- 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NFHS) का आयोजन 'अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान' (IIPS), मुंबई के समन्वय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में किया जाता है।
- यह संपूर्ण भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला बहुचक्रीय सर्वेक्षण है। पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS–1) वर्ष 1992-93 में आयोजित किया गया था।
- दूसरा, तीसरा और चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्रमशः वर्ष 1998-99, 2005-06 और 2015-16 में आयोजित किया गया था।
- यह सर्वेक्षण अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के अलावा ORC Macro, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईस्ट-वेस्ट सेंटर, होनोलुलु, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संस्थानों के सहयोग से तैयार किया जाता है।

हाइपोथर्मिया (Hypothermia)

संदर्भ

हाल ही में, 'भारत मौसम विभाग' (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में गंभीर शीत लहर का पूर्वानुमान लगाते हुए इन क्षेत्रों के लोगों को शराब के सेवन न करने और ठंड से बचने के साथ ही 'हाइपोथर्मिया' की स्थिति से बचने की सलाह भी दी है।

प्रमुख बिंदु

- आई.एम.डी. के विशेषज्ञों के अनुसार, शराब हमारे शरीर के तापमान को कम करके हमें गर्म होने का एहसास देती है लेकिन इसके कारण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ सकता है।
- अल्कोहल मुख्यत: एक वैसोडिलेटर (Vasodilator) होता है, अर्थात् यह रक्त वाहिकाओं को शिथिल कर देता है, इसलिए शराब का सेवन करने के बाद त्वचा की सतह पर रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, परिणामस्वरूप शरीर गर्मी महसूस करता है।
- आई.एम.डी. ने शीतदंश (Frostbite) की भी चेतावनी दी है। इसमें त्वचा पीली, कठोर और सुन्न हो जाती है और अत्यधिक ठंड की स्थिति में शरीर पर काले फफोले भी पड़ जाते हैं।
- आई.एम.डी. ने शीतलहर की स्थिति में लोगों से बाहरी गतिविधियों को सीमित करने, तेल या क्रीम के साथ नियमित रूप से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करने, विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्ज़ियाँ खाने और शरीर की प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिये लगातार गर्म तरल पदार्थ पीते रहने का भी आग्रह किया है।

हाइपोथर्मिया

- हाइपोथर्मिया एक गंभीर शारीरिक स्थिति है, जिसमें शरीर ऊष्मा/गर्मी उत्पन्न करने से पहले ही इसे खो देता है, परिणामस्वरूप शरीर का तापमान सामान्य रूप से कम हो जाता है।
- सामान्य शरीर का तापमान लगभग 37°C होता है, हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का तापमान 35°C से भी नीचे चला जाता है।

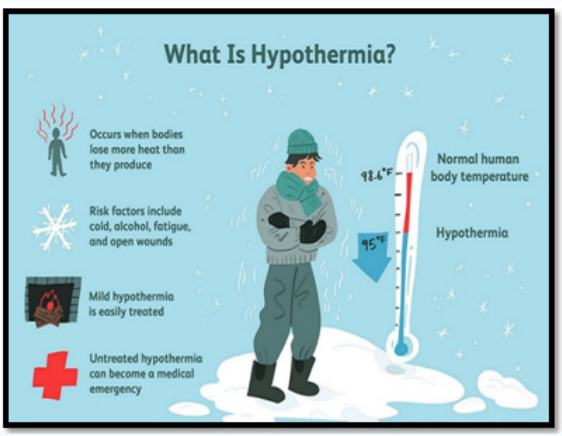

- सामान्य लक्षणों में कंपकंपी, साँस लेने की धीमी दर, स्पष्ट बोलने में दिक्कत, ठंडी त्वचा और थकान आदि शामिल हैं। विशेष परिस्थितियों में हाइपोथर्मिया के कारण सोचने-समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।
- नवजात तथा वृद्ध लोगों को यह अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि इनकी सामान्य शारीरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता कम होती है।
- अमूमन मानव मष्तिष्क में हाइपोथैलेमस के प्रभावित होने के कारण हाइपोथर्मिया की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रक के रूप में कार्य करता है।
- हाइपोथर्मिया के 68% मामलों में मुख्य कारक शराब को माना गया है।

देश की पहली न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 'न्यूमोसिल'

संदर्भ

हाल ही में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) ने स्वास्थ्य संगठन 'पथ' एवं 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से तैयार देश की पहली न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV) 'न्यूमोसिल' विकसित की है।

प्रमुख बिंदु

- इस वैक्सीन का विकास देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा। न्यूमोकॉकल या निमोनिया/न्यूमोनिया रोग विश्व भर में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के लिये अभी भी बड़ा खतरा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में निमोनिया से 1,27,000 बच्चों की मृत्यु हुई थी।
- वैश्विक रूप से पाँच वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के सबसे बड़े दो कारण निमोनिया और डायरिया हैं।
- न्यूमोसिल, कमज़ोर प्रतिजन के लिये मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के निर्माण में सहायक होगी। यह गावी की वैक्सीन के मुकाबले 30% सस्ती है और इसकी प्रति डोज में मात्र 2-3 डॉलर की लागत आएगी।
- न्यूमोसिल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (इंडिया) द्वारा जुलाई 2020 में लाइसेंस दिया गया।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में इस वैक्सीन को भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत शामिल किया गया था। इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में की गई है।
- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डोज/खुराक के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है तथा इसने कोविशील्ड का भी निर्माण किया है, जो एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का भारतीय संस्करण है। इस इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का प्रयोग लगभग 170 देशों में किया जाता है और विश्व का प्रत्येक तीसरा बच्चा इसके द्वारा बनाई गई किसी-न-किसी वैक्सीन से प्रतिरक्षित है।

न्यूमोकॉकल रोग

- स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया जीवाणु, जिसे न्यूमोकॉकल जीवाणु, न्यूमोकॉक्सी (बहुवचन) या न्यूमोकॉकस (एकवचन) भी कहा जाता है, छोटे बच्चों में रुग्णता का एक प्रमुख कारण है।
- अभी तक लगभग 90 प्रकार के न्यूमोकॉकल जीवाणुओं के बारे में जानकारी मिली है।
- इन जीवाणुओं के कारण अन्य रुग्णताओं के साथ-साथ रक्तप्रवाह संक्रमण (बैक्टीरिमिया), मेनिंजाइटिस, साइनुसाइटिस तथा कुछ अन्य संक्रमण भी हो सकते हैं।
- समग्र रूप से, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया के कारण होने वाली विभिन्न रुग्णताओं को न्यूमोकॉकल रोग कहा जाता है। विकासशील देशों में इस रोग की स्थिति अधिक गंभीर है।
- इसके घातक परिणामों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में सभी देशों में नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों में न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की।
- न्यूमोकॉकल रोग से वयस्क भी बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं। इस रोग के लक्षण विभिन्न जीवाणुओं के कारण उत्पन्न रुग्णता के आधार पर अलग-अलग होते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, सीने में दर्द, कफ और साँस का फूलना शामिल हैं।
- इस रोग के टीके का निर्माण जीवाणु जनित सेरोटाइप से सुरक्षा के लिये किया जाता है, जो अधिकांश न्यूमोकॉकल रोगों के लिये उत्तरदायी होता है।

- न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन/टीके के प्रचलित सेरोटाइप्स में 7 (PCV7), 10 (PCV10), 13 (PCV13) आदि प्रमुख हैं। न्यूमोसिल को सेरोटाइप 6 और 19 द्वारा निर्मित किया गया है।
- इन सबके अतिरिक्त, एक अनकॉन्जुगेट टीका, जिसमें 23 सेरोटाइप्स (PPSV23) शामिल हैं, भी उपलब्ध है। अनकॉन्जुगेट टीका एक पॉलिसैकराइड टीका होता है और सभी पॉलीसैकराइड टीकों के तरह ही यह भी वयस्कों में अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह दो वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में सतत् रूप से प्रतिरक्षा क्षमता का निर्माण नहीं करता है।

भारत में एनीमिया की चिंताजनक स्थिति

संदर्भ

हाल ही में जारी किये गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, भारत में महिलाएँ और बच्चे अत्यधिक संख्या में एनीमिया (रक्ताल्पता) से पीड़ित हैं और हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में इसका प्रसार सबसे अधिक है।

क्या है एनीमिया?

- लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs) की संख्या सामान्य स्तर से कम होने या हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने की स्थिति को एनीमिया कहते हैं।
- इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है और शारीरिक व मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, इससे थकान, ठंड, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और साँस की कमी महसूस हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, इससे मातृ मृत्यु दर में वृद्धि, अन्य गंभीर बीमारियों की शुरुआत के साथ-साथ किशोरियों की शारीरिक व प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे जनसंख्या की कम उत्पादकता से राष्ट्र को आर्थिक नुकसान पहुँचता है।

कारण

- आहार में लौह तत्त्व, फोलिक एसिड या विटामिन बी12 की कमी एनीमिया का सामान्य कारण है। साथ ही, कम उम्र की माताओं को एनीमिया होने की संभावना अधिक होती है। भारत में प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) की आधी से अधिक महिलाएँ एनीमिक हैं।
- कुछ अन्य स्थितियाँ भी एनीमिया के लिये उत्तरदायी हो सकती हैं, जिनमें गर्भावस्था, अत्यधिक मात्रा में मासिक स्राव, रक्त विकार (सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया) या केंसर, आनुवंशिक विकार और संक्रामक रोग शामिल हैं।

एनीमिया के सामान्य लक्षण

जल्दी थकावट महसूस होना, तेज़ धड़कन, साँस लेने में कठिनाई और सिरदर्द के साथ-साथ एकाग्रता का भंग होना, त्वचा का पीलापन, चक्कर आना व अनिद्रा इसके सामान्य लक्षण हैं।

देश में एनीमिया की व्यापकता का स्तर

- 'राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण' (NHFS) 2015-16 के अनुसार, 6-59 महीने के लगभग 58% बच्चे और 15-49 वर्ष की महिलाओं पर किये गए सर्वेक्षण में लगभग 53% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित थीं।
- एन.एच.एफ.एस.-5 के पहले चरण में 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये फैक्ट शीट जारी की गई है। इस सर्वेक्षण के दौरान 6 से 59 महीने के बच्चों और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं और पुरुषों के बीच एनीमिया का परीक्षण किया गया।

- इन 22 में से 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आधे से अधिक बच्चे एनीमिक हैं। इसी तरह 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50% से अधिक महिलाएँ एनीमिक हैं।
- एनीमिक बच्चों व महिलाओं का अनुपात लक्षद्वीप, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड में तुलनात्मक रूप से कम है और लद्दाख, गुजरात, जम्मू-कश्मीर व पश्चिम बंगाल में अधिक है।
- इनमें से अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुषों में एनीमिया का स्तर 30% से कम था।

कार्यप्रणाली

- एन.एफ.एच.एस. ने एनीमिया के आकलन के लिये केशिका रक्त (Capillary Blood) का उपयोग किया। बच्चों में 11 ग्राम/डेसीलीटर (g/dl) से कम हीमोग्लोबिन का स्तर एनीमिया का परिचायक है।
- सामान्य (गैर-गर्भवती) और गर्भवती महिलाओं के लिये यह स्तर क्रमशः 12 ग्राम/डेसीलीटर और 11 ग्राम/डेसीलीटर से कम था, जबकि पुरुषों के लिये यह 13 ग्राम/डेसीलीटर से कम था।
- बच्चों में इसके प्रसार को ऊँचाई के लिये और वयस्कों में ऊँचाई तथा धूम्रपान की स्थिति के लिये इसे समायोजित किया गया था।

देश में एनीमिया के उच्च स्तर के कारण

- लौह और विटामिन बी12 की कमी वाले एनीमिया भारत में दो सबसे सामान्य प्रकार के एनीमिया हैं।
- महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान आयरन की कमी और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिये आयरन की उच्च माँग के कारण महिलाओं में आयरन की कमी का प्रसार पुरुषों की अपेक्षा अधिक है।
- चावल व गेहूँ पर अधिक निर्भरता के कारण आहार में मोटे आनाजों की कमी, हरी एवं पत्तेदार सब्ज़ियों की कम खपत और निम्न पोषण स्तर वाले डिब्बाबंद व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अधिकता भारत में एनीमिया के उच्च प्रसार के कारण हो सकते हैं।
- आहार एवं भोजन की आदतों में बदलाव और अनाज तथा प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में विविधता की कमी भी इसका एक कारण है।
- हालाँकि, भारत में एनीमिया का स्तर स्वतंत्रता के बाद भी लगातार उच्च बना हुआ है और यहाँ तक कि हरित क्रांति के बाद आहार पैटर्न में हुए बदलाव के बाद भी इसमें कमी नहीं आई है। अतः इस संबंध में एक गहन शोध की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिये आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारक उत्तरदायी हो सकता है।
- इसके अलावा, हीमोग्लोबिन का वर्तमान मानदंड पश्चिमी जनसंख्या पर आधारित है और भारत में इसके सामान्य मानक भिन्न हो सकते हैं। ऐसी महिलाएँ भी हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कभी-कभी छह या आठ तक गिर जाता है परंतु वे स्वस्थ रहती हैं।

पश्चिमी हिमालय का ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र और एनीमिया

- सर्वेक्षण के अनुसार, लद्दाख संघशासित क्षेत्र में 92.5% बच्चे, 92.8% महिलाएँ और करीब 76% पुरुष एनेमिक हैं। इससे सटे हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले में 91% बच्चे और 82% महिलाएँ एनीमिक हैं। ये दोनों क्षेत्र हिमालय के ठंडे रेगिस्तान का हिस्सा हैं।
- जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के बाकी हिस्सों में एनीमिया की व्यापकता अपेक्षाकृत कम है। ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में एनीमिया के उच्च प्रसार का कारण प्रत्येक वर्ष लंबी सर्दियों के दौरान ताज़े सब्ज़ियों व फलों की कम आपूर्ति हो सकता है।

एनीमिया उन्मूलन के लिये सरकारी पहलें

- भारत सरकार द्वारा संचालित 'एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2018 से 2022 तक प्रतिवर्ष बच्चों, वयस्कों और प्रजनन आयु वर्ग वाली महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 3% की कमी लाना है।

इसके तहत आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण और डी-वार्मिंग (De-worming – आँतों के परजीवी संक्रमण के कारण एनीमिया के प्रसार को रोकना) जैसे उपाय किये जा रहे हैं।

- किशोर और किशोरियों के बीच एनीमिया के उच्च प्रसार को कम करने के लिये साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक (WIFS) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- एनीमिया से प्रभावित गर्भवती महिलाओं के मामलों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग के लिये स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ-साथ मदर-चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को लागू किया गया है।
- ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस में उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क का उपयोग करते हुए एनीमिया की रोकथाम के लिये गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जाँच, प्रसव-पूर्व देखभाल, आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण किया जा रहा है।
- सुरक्षा मातृ अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को एनीमिया की विशेष जाँच की जाती है।

रोकथाम के लिये सुझाव

- स्वस्थ आहार की आदतों का विकास, विविधतापूर्ण खाद्य-पदार्थों का प्रयोग और मौसमी फलों व सब्ज़ियों (विशेषकर हरी पत्तेदार) का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- जीन चिकित्सा द्वारा आनुवंशिक एनीमिया का सफल उपचार किया जा सकता है। साथ ही, खाद्य और आहार विविधता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- एनीमिया (रक्ताल्पता) के प्रसार को रोकने के लिये खाद्य का फूड फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्त्वों से चावल का फोर्टिफिकेशन इसका अच्छा विकल्प है।
- एक अन्य उपाय माताओं द्वारा शिशुओं को उचित स्तनपान कराना है। यह शुरुआती 1,000 दिनों में पोषण की कमी पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
- साथ ही, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में पोषणयुक्त कृषि प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है। घरेलू खाद्य सुरक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और न्यायसंगत लैंगिक समानता भी एनीमिया में सहायक हो सकती हैं।
- विदित है कि सामुदायिक कॉर्ड ब्लड बैंकिंग की सहायता से महाराष्ट्र में गंभीर रक्त विकार (अप्लास्टिक एनीमिया) से एक पीड़ित की जान बचाई गई है।

❐❐❐

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
इन कोर्सेज़ के वीडियो के साथ-साथ पाठ्य-सामग्री प्रिंटेड फॉर्म में कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।
सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

8 ऊर्जा एवं अवसंरचना विकास

स्पेक्ट्रम की नीलामी

संदर्भ

- हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने कहा कि 4G स्पेक्ट्रम के लिये 700, 800, 900 के साथ-साथ 1,800, 2,100, 2,300 और 2,500 मेगाहर्ट्ज (MHz) बैंड में नीलामी 01 मार्च से प्रारंभ होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी का यह छठा दौर है। हालाँकि, सरकार ने 3300-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड को इस बार की नीलामी से बाहर रखा है। यह नीलामी प्रक्रिया चार वर्ष बाद होने जा रही है और 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (TRAI) द्वारा आधार मूल्य की गणना और सुझाव दिये जाने के बाद संपन्न हो रही है।

क्या है स्पेक्ट्रम नीलामी?

- सेलफोन और वायरलाइन टेलीफोन जैसे उपकरणों को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिये संकेतों (Signals) की आवश्यकता होती है। इन सिग्नल्स को रेडियो तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, जिन्हें किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिये निर्दिष्ट आवृत्तियों पर भेजा जाना आवश्यक होता है।
- केंद्र सरकार के पास देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का स्वामित्व होता है, जिनमें रेडियो तरंग भी शामिल है। सेलफोन, वायरलाइन टेलीफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण समय-समय पर सिग्नल्स के लिये अधिक स्थान प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- इसके लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार समय-समय पर दूरसंचार विभाग के माध्यम से रेडियो तरंगों की नीलामी करती है।
- इन रेडियो तरंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो बैंड में उप-विभाजित होती हैं और जिनमें अलग-अलग आवृत्तियाँ (Frequencies) होती हैं। ये सभी रेडियो तरंगें एक निश्चित अवधि के लिये बेची जाती हैं, जिसके बाद इनकी वैधता समाप्त हो जाती है।
- अंतिम बार स्पेक्ट्रम की नीलामी वर्ष 2016 में हुई थी, जब सरकार ने 5.60 लाख करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर 2,354.55 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की पेशकश की थी।
- हालाँकि, सरकार उस समय केवल 965 मेगाहर्ट्ज़ बैंड बेचने में सफल रही थी, जो नीलामी के लिये रखे गए स्पेक्ट्रम का लगभग 40% ही था। साथ ही, इससे प्राप्त कुल बोलियों का मूल्य सिर्फ 65,789 करोड़ रुपए था।
- ध्यातव्य है कि कंपनियों द्वारा खरीदे गए रेडियो तरंगों की वैधता वर्ष 2021 में समाप्त होने वाली है, जिस कारण नई स्पेक्ट्रम नीलामी की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
- 01 मार्च से प्रारंभ होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी के सभी बैंडों का आरक्षित मूल्य 3.92 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न कंपनियों की माँग के आधार पर रेडियो तरंगों की कीमत अधिक हो सकती है परंतु आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं जा सकती है।

स्पेक्ट्रम के लिये पात्र कंपनियाँ

- तीनों निजी दूरसंचार कंपनियाँ अपने नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या का समर्थन करने हेतु अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीदने के लिये योग्य दावेदार हैं। इनमें रिलायंस जियो इंफोकॉम, भारती एयरटेल और वी.आई. (Vi) शामिल हैं।

- इन तीनों के अलावा, विदेशी कंपनियों सहित नई कंपनियाँ भी एयरवेव हेतु बोली लगाने के लिये पात्र हैं। हालाँकि, इसके लिये विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी एक शाखा स्थापित करनी होगी और भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना होगा या किसी भारतीय कंपनी के साथ गठजोड़ करना होगा।
- सफल बोलीदाताओं को वायरलाइन सेवाओं को छोड़कर स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में समायोजित सकल राजस्व (AGR) का 3% देना होगा।

लाभ

- दूरसंचार उद्योग के संगठन 'सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (COAI) ने कहा कि स्पेक्ट्रम से दूरसंचार कंपनियों को डाटा के बढ़ते प्रयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- हालाँकि, रेडियो तरंगों का आधार मूल्य कम होता तो कंपनियों को नेटवर्क में अतिरिक्त निवेश का प्रोत्साहन मिलता। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कंपनियाँ नए स्पेक्ट्रम में रुचि लेने की बजाय पुराने स्पेक्ट्रम के नवीनीकरण पर अधिक ध्यान दे सकती हैं।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल

संदर्भ

- हाल ही में, कोयला मंत्रालय ने भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिये आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करने तथा मंजूरी प्रदान करने के लिये एक एकीकृत मंच 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल' (Single Window Clearance Portal) की शुरुआत की है।
- भारत में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के सफल बोलीदाताओं के साथ समझौतों को निष्पादित करने के लिये नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

कोयला खदान नीलामी में निहित संभावनाएँ

- भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोयला क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- लंबे समय से कोयला क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता थी।
- इस नीलामी के तहत 19 सफल बोलीदाताओं को खदानें आवंटित की गई हैं, जिनमें वेदांता, अदानी, जिंदल, हिंडाल्को जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।
- इस खदान नीलामी की सफलता भारत के कोयला आयात को लगभग 20% तक कम कर आत्मनिभर भारत के लिये मार्ग प्रशस्त करेगी।
- इससे राज्यों को प्रतिवर्ष लगभग 6,500 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही 70,000 से अधिक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
- ये खदानें पाँच राज्यों– मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। इनसे समग्र रूप से प्रतिवर्ष लगभग 51 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा।

लाभ

- सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' की अवधारणा पर आधारित है, जो भारतीय कोयला क्षेत्र में व्यापार सुगमता के लिये एक मील का पत्थर साबित होगा।
- वर्तमान में, देश में कोयला खदान शुरू करने से पूर्व केंद्र या राज्य सरकारों की ओर से 19 प्रमुख अनुमोदन या मंजूरियाँ लेनी पड़ती हैं, जिनमें खनन योजना, खदान बंद करने की योजना, खनन पट्टे की मंजूरी,

पर्यावरण और वन मंजूरी, वन्य जीवन की मंजूरी, पर्यावरण, सुरक्षा से संबंधित मंजूरी, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, श्रमिकों का कल्याण आदि क्षेत्रों से अनुमोदन शामिल हैं।

- एकीकृत प्लेटफॉर्म की अनुपस्थिति में कंपनियों को विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों से अलग-अलग अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता था, जिससे कोयला खदानों में कोयला उत्पादन करने की प्रक्रिया में देरी होती थी।
- अब यह पोर्टल खनन आवेदनों की मंजूरी और क्लीयरेंस की जटिल प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने में मदद करेगा।
- इस पोर्टल पर आवेदन के सभी ज़रूरी प्रारूप उपलब्ध होंगे तथा ऑनलाइन माध्यम से आवेदनों को मंजूरी/क्लीयरेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर

करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...

फॉलो करें

www.sanskritiias.com

न्यूज़ आर्टिकल
- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्यसभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

जिस्ट
करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ईपीडब्ल्यू) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

PT Card
प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स
करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

PT Quiz
प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या-सहित उत्तर।

मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर
प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

शॉर्ट आर्टिकल

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको अन्य किसी स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 7428085757/58 या मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on:

9 कृषि एवं अर्थव्यवस्था

शहरी रोज़गार से संबंधित पहलू

संदर्भ

भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक संकुचन के बाद धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। आर्थिक विश्लेषक वित्तीय विस्तार की आवश्यकता और 'वी-शेप रिकवरी' की व्यवहार्यता पर बहस कर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हालिया आँकड़े जुलाई माह से रोज़गार की रिकवरी में क्रमिक मंदी की ओर संकेत कर रहे हैं। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय बेरोज़गारी दर में वृद्धि हुई है और यह नवंबर में 6.51% से बढ़कर दिसंबर में 9.06% हो गई है।

शहरी बेरोज़गारी और मनरेगा पर व्यय

- ग्रामीण क्षेत्र की ओर श्रमिकों के लौटने के कारण 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) के व्यय में वृद्धि होने के साथ-साथ इसके कार्यदिवसों में भी 243% की वृद्धि हुई है।
- इससे मनरेगा पर निर्भरता बढ़ गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नवंबर महीने तक कुल आवंटन का लगभग 90% खर्च किया है, जबकि अभी भी काम की माँग करने वाले 75 मिलियन परिवारों में से लगभग 13% की माँगे पूरी नहीं हो पाई हैं।
- हालाँकि, कई भारतीय शहरों में बंद पड़े कारोबार का अर्थ है कि लाखों श्रमिकों ने या तो काम छोड़ दिया है या वे नए प्रकार के कार्यों में संलग्न हो गए हैं। कुछ लोगों के लिये 'गिग अर्थव्यवस्था' उनके रोज़गार का एकमात्र स्रोत है।
- उचित वेतन, स्थिति, अनुबंध, प्रबंधन और प्रतिनिधित्व के पाँच मैट्रिक्स के आधार पर शहरी रोज़गार से संबंधित एक मूल्यांकन किया गया। इनमें उबर, ओला, स्विगी और जोमैटो जैसे रोज़गार प्रदाता मंच शामिल हैं।

मूल्यांकन

- पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य मूल्यांकन का रहता है, क्योंकि गिग श्रम के कार्य और श्रमिकों के बारे में मौजूदा समझ स्वयं इन मंचों द्वारा प्रदान किये गए सीमित आँकड़ों पर निर्भर हैं।
- इसके अलावा, इन रोज़गार प्रदाता मंचों के पैमाने और प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले स्वतंत्र अध्ययन बहुत कम हैं। इनमें से अधिकांश नियामक इन मंचों से संबंधित श्रम और उसके आसपास के बुनियादी आँकड़ों व सवालों पर अंधेरे में ही रहते हैं।
- अब तक भारत में गिग श्रमिकों की कुल संख्या से संबंधित कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, इन प्लेटफॉर्मों की केंद्रीकृत प्रकृति और बड़े आकार के कारण श्रम मंत्रालय के लिये डाटा के संग्रहण को अपेक्षाकृत सीधा व आसान बनाया जाना चाहिये।

विनियमन का मुद्दा

- अगला मुद्दा विनियमन का है, जो काफी संवेदनशील है। संवेदनशीलता का कारण प्राथमिक रूप से गिग श्रम की विविधतापूर्ण प्रकृति है। कुछ श्रमिक इन मंचों का उपयोग अनियमित आजीविका या अंशकालिक नौकरी के लिये करते हैं, जबकि कुछ के लिये यह रोज़गार का प्राथमिक स्रोत है।
- यह गत्यात्मकता 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' जैसी विनियामक रणनीति के जोखिम से और अधिक जटिल हो जाती है, जो एक जैसे बाज़ारों के साथ-साथ फ्रीलांसरों (अत्यधिक कुशल और अत्यधिक भुगतान पाने वाले) के रूप में उभर रहे नए व अलग प्रकार के बाज़ारों को भी अनजाने में नुकसान पहुँचाती है। गौरतलब है कि महामारी के चलते फ्रीलांस मार्केट का तेज़ी से विकास हुआ है।

- इसके लिये कुछ फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से सरकार इन प्लेटफॉर्मों के साथ सशर्त भागीदारी कर सकती है। इस संबंध में प्रधानमंत्री स्वनिधि (पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि) योजना के अंतर्गत स्विगी का स्ट्रीट फूड वेंडर प्रोग्राम एक अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है।
- इसके तहत स्थापित किये जाने वाले स्ट्रीट वेंडर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण व प्रमाणन सुनिश्चित किया जा रहा है।
- नौकरियों के सृजन के साथ-साथ स्वैच्छिक रूप से गुणवत्ता मानकों को अपनाना सरकार और रोज़गार प्रदाता के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी का एक उदाहरण है।

आगे की राह

- इन मंचों को सरकारी समर्थन प्राप्त करने हेतु मानदंडों और श्रमिक क्षतिपूर्ति मानकों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।
- शहरी रोज़गार गारंटी के मौजूदा प्रस्तावों में सरकारी खजाने से ₹1 लाख करोड़ की लागत से श्रमिकों को लगभग ₹300 दैनिक वेतन दिया जा सकता है।
- श्रमिकों की नियुक्ति के लिये श्रम प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग करने से न केवल लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी (सरकार और भागीदारों के लिये) बल्कि इससे एक ऐसे वातावरण का भी निर्माण होगा, जहाँ फर्मों को सरकार के साथ सहयोग करने की संभावना में वृद्धि होगी।
- सीमित वित्तीय साधन और देश के उपभोग आधार को बढ़ाने की आवश्यकता सरकार को नए साझेदारों व भागीदारों के साथ सहजीवी संबंध बनाने के लिये प्रेरित कर सकती है।
- शहरी श्रम प्रदान करने में उद्योग 4.0 प्लेटफॉर्मों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अत: मूल्यांकन, सहयोग और विनियमन सरकार का लक्ष्य होना चाहिये।
- महामारी के कारण भविष्य में भारत को अलग प्रकार से कार्य-पद्धति और उसके प्रति समझ को परिभाषित करने की आवश्यकता है अत: इसके लिये नौकरियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ आजीविका की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

चुनावी बॉण्ड और सूचना का अधिकार

संदर्भ

'केंद्रीय सूचना आयोग' (CIC) के एक हालिया आदेश ने वर्ष 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना (Electoral Bond Scheme) में अंतर्निहित समस्याओं को एक बार फिर से उजागर कर दिया है।

वर्तमान मुद्दा

- केंद्रीय सूचना आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के उस तर्क को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि आर.टी.आई. अधिनियम के तहत दान या चंदा-दाताओं, प्राप्तकर्ताओं और उसके विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ दायर एक अपील के संदर्भ में सी.आई.सी. ने यह मत व्यक्त किया है। इस निर्णय से सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत चुनावी बॉण्ड से संबंधित दान दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के बारे में किसी प्रकार का विवरण प्राप्त करने के सभी प्रभावी रास्ते बंद हो गए हैं।

योजना में निहित समस्याएँ

- इस योजना के अंतर्गत राजनीतिक दान देने वालों की पहचान छुपाने के साथ-साथ दान की राशि को भी गुप्त रखा जाता है। वास्तव में, यह योजना अपारदर्शी और मनमानी को बढ़ावा देने वाली है।

- इस प्रकार, इस योजना में दोनों पक्षों को अघोषित लाभ पहुँचाने की व्यवस्था है, जिसमें राजनीतिक दल और अधिकांशत: कॉर्पोरेट शामिल हैं। ऐसी व्यवस्था चुनावी लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध होने के साथ-साथ वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी प्रतिकूल है।
- 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ' (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है।
- आर.टी.आई. अधिनियम का दुरुपयोग।
- यह योजना एस.बी.आई. के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने के लिये बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। इससे संबंधित सूचना को सार्वजनिक न करने के संबंध में एस.बी.आई. ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदत्त दो आधारों का प्रयोग किया है, जो सूचना के प्रकटीकरण के लिये कुछ छूट प्रदान करता है।
- पहला, जो जानकारी माँगी गई है उसमें प्रत्ययी संबंध या विश्वास के रिश्ते (Fiduciary Capacity) का प्रश्न न हो और दूसरा, इसमें कोई सार्वजनिक हित न शामिल हो।
- धारा 8(2) के अनुसार, यदि सार्वजनिक हित किसी व्यक्ति/संस्थान के संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक महत्त्वपूर्ण है तो ऐसी जानकारी माँगी जा सकती है। हालाँकि, यह बाध्यकारी नहीं है और केंद्रीय सूचना आयोग इस मामले में निर्णय लेने में स्वतंत्र है, जिसका दुरुपयोग किया जाता रहा है।
- राजनीतिक मामले में जनहित निर्विवाद रूप से संरक्षित हितों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। साथ ही, सी.आई.सी. ने पहले के एक आदेश में राजनीतिक दलों को आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण माना है।
- दान दाताओं से पार्टियों को प्राप्त धन मतदाताओं के लिये स्वाभाविक रूप से उनके वित्तपोषण और कार्यप्रणाली को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- अत: इस मुद्दे को सार्वजनिक महत्त्व का न मानना सी.आई.सी. की विफलता को दर्शाता है। साथ ही, तकनीकी आपत्तियों का सहारा लेना आर.टी.आई. अधिनियम के उद्देश्य भी ही प्रभावित करता है।

अंतिम मध्यस्थ

- सी.आई.सी. का आदेश चुनावी बॉण्ड और इसी प्रकार की अन्य सहवर्ती जानकारी के संबंध में किसी भी आर.टी.आई. अनुरोध पर रोक लगा देता है।
- इस योजना के संबंध में कानून का निर्धारण करने और केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय की व्याख्या करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।
- चुनावी बॉण्ड और इसकी पारदर्शिता के संबंध में ए.डी.आर. (ADR) और एक राजनीतिक दल द्वारा दायर याचिकाएँ विचाराधीन हैं। इसलिये, केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को भी उच्चतम न्यायालय में सुना जा सकता है।
- इस संबंध में चुनाव आयोग ने वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में कहा कि राजनीतिक दलों को प्राप्त दान और उसके खर्च के तरीकों की घोषणा चुनाव प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही हेतु महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बारे में सार्वजनिक जानकारी स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनिवार्य तथा अपरिहार्य हिस्सा है। राजनीतिक वित्तपोषण से संबंधित जानकारी को गुप्त रखना लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभों के विरुद्ध है।

- जब मतदाता को यह जानने की अनुमति है कि कोई उम्मीदवार कितने मुकदमों का सामना कर रहा है, तो उसे यह भी जानने का अधिकार होना चाहिये कि उस दल और उसके उम्मीदवार का खर्च कौन वहन कर रहा है?
- एक अनसुलझा कानून उतना ही खतरनाक होता है जितना कि एक गलत कानून। अत: न्यायालय को निर्णायक रूप से चुनावी बॉण्ड की संवैधानिकता और संबंधित सवालों का निपटारा करना आवश्यक है।

प्रवर्तन निदेशालय और संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया

संदर्भ

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ी कई संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किये। कुर्क की गई संपत्तियों में उनके निवास स्थान सहित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियाँ भी शामिल हैं।

क्या है कुर्की की प्रक्रिया?

- ई.डी. द्वारा जारी किया गया अनंतिम कुर्की आदेश किसी संपत्ति को तत्काल प्रभाव से सील करने के लिये बाध्य नहीं करता है और व्यक्ति उस घर में तब तक रह सकता है जब तक कि मामला अदालत में लंबित है।
- ई.डी. का आदेश 180 दिनों के लिये वैध होगा और इस दौरान सील करने के आदेश की पुष्टि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिये। यदि इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तो संपत्ति स्वचालित रूप से कुर्क मुक्त (Release) हो जाएगी।
- पुष्टि के बाद प्रतिवादी 45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में इस निर्णय को चुनौती देने के साथ-साथ संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी इसे ले जा सकता है।

संपत्ति की कुर्की और कानूनी पक्ष

- कुर्की का उद्देश्य कुर्क संपत्ति के लाभों से अभियुक्त को वंचित करना है। साथ ही, मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक कानून प्रतिवादी को उस संपत्ति से बाहर रहने या उसका प्रयोग न करने का भी प्रावधान कर सकता है।
- हालाँकि, संबंधित मामलों के किसी तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचने तक उन संपत्तियों को आमतौर पर सील नहीं किया जाता है, जो उपयोग में हैं।
- सामान्यत: प्रतिवादी अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालयों में संपत्ति की रिहाई को सुनिश्चित कर सकता है या स्टे ले सकता है और मामले को अदालत में लंबित रहने तक उसका उपयोग कर सकता है।
- साथ ही, कुर्की के अंतर्गत चल रहे व्यवसाय को बंद/रोका नहीं जाता है। उदाहरण के लिये यदि किसी होटल को पी.एम.एल.ए. के तहत कुर्क किया जाता है, तो भी वह अपना व्यवसाय जारी रख सकता है।

क्यों की जाती है कुर्की?

- पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत किसी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन को प्रवर्तन निदेशालय के निर्देश पर कुर्क किया जाता है। हालाँकि, यदि वह धन उपलब्ध नहीं है, तो निदेशालय उसी मूल्य के बराबर अन्य संपत्ति को कुर्क कर सकता है।
- विदित है कि पी.एम.एल.ए. के अंतर्गत किसी 'आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन' को परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी गतिविधि से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश के भीतर या बाहर अर्जित की गई संपत्ति को 'अपराध से अर्जित आय' (ProceeosQ of Crime) कहा जाता है।

क्या होता है सील की गई संपत्ति का?

- कुर्क की गई संपत्ति सामान्यत: वर्षों तक बिना किसी प्रयोग के बंद पड़ी रहती है। ऐसी संपत्तियों के अनुरक्षण के लिये एक निकाय का प्रावधान है परंतु अभी तक इसे स्थापित नहीं किया गया है।
- कुर्क किये गए वाहनों को केंद्रीय भंडारण निगम के स्वामित्व वाले गोदामों में भेज दिया जाता है, जहाँ वाहन पार्किंग का भुगतान ई.डी. करता है।
- समय के साथ-साथ वाहन खराब हो जाते हैं और मुकदमे के अंत तक ई.डी. व प्रतिवादी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में, निदेशालय प्राय: वाहन के मूल्य से अधिक किराए का ही भुगतान कर देता है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

- प्रवर्तन निदेशालय एक संघीय संस्था है। इसकी स्थापना 01 मई, 1956 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1947 (फेरा,1947) के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने हेतु आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक 'प्रवर्तन इकाई' के रूप में की गई थी।
- वर्तमान में यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके पाँच क्षेत्रीय कार्यालय– मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में हैं।
- इसके प्रमुख कार्यों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन की जाँच और निपटारा करने के साथ-साथ धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जाँच और कार्यवाही करना शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर के लिये नई औद्योगिक विकास योजना

संदर्भ

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये औद्योगिक विकास हेतु एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये रोज़गार सृजन करना है।
- साथ ही, नए निवेश को आकर्षित करना और कौशल विकास एवं सतत् विकास पर बल देना है, जिससे जम्मू-कश्मीर के वर्तमान औद्योगिक इकोसिस्टम में मौलिक परिवर्तन हो सकें और जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय स्तर पर देश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो सके।
- इसके अतिरिक्त, इस योजना का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास का विस्तार ब्लॉक स्तर तक करना है। यह लक्ष्य किसी भी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना में पहले तय किया गया है।
- इस योजना की अवधि वर्ष 2037 तक निर्धारित की गई है तथा इसकी कुल लागत 28,400 करोड़ रुपए है।
- इसके तहत विनिर्माण क्षेत्र में प्लांट, मशीनरी या भवन निर्माण और सेवा क्षेत्र में टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण में निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएँगे–
  - पूँजी निवेश प्रोत्साहन
  - पूँजी ब्याज सहायता
  - जी.एस.टी. से संबंधित प्रोत्साहन
  - कार्यशील पूँजी ब्याज प्रोत्साहन

- यह योजना छोटी और बड़ी दोनों इकाइयों के लिये है। इस योजना के पंजीकरण और क्रियान्वयन में जम्मू-कश्मीर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index)

- हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा और उसके विभिन्न स्तरों को समझने के लिये एक समग्र 'डिजिटल भुगतान सूचकांक' (DPI) का निर्माण किया है। इस सूचकांक का आधार वर्ष/अवधि मार्च 2018 निर्धारित की गई है।
- सूचकांक को मार्च 2021 से चार महीने के अंतराल के साथ केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा।
- इसे पाँच व्यापक मानकों के आधार पर तैयार किया गया है, जो विभिन्न समयावधि में डिजिटल भुगतानों की गहराई से जाँच करने में सक्षम हैं। ये मानक निम्नलिखित हैं :
  1. भुगतानकर्ता (25% भारांश)
  2. भुगतान अवसंरचना– माँग पक्ष के कारक (10% भारांश)
  3. भुगतान अवसंरचना– आपूर्ति पक्ष के कारक (15% भारांश)
  4. भुगतान प्रदर्शन (45% भारांश)
  5. उपभोक्ता केंद्रित (5% भारांश)
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, इन मानकों के उप-मानक (Sub Parameters) भी होंगे जिनमें विभिन्न संकेतक शामिल होंगे।
- रिज़र्व बैंक के अनुसार, मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिये डी.पी.आई. क्रमशः 153.47 और 207.84 रही, जो अच्छी वृद्धि का संकेत है।
- भारत में बढ़ते डिजिटल भुगतान की वजह से इन भुगतानों से जुड़े सभी नए बदलाव या ट्रेंड्स का आकलन आवश्यक है। सूचकांक के रूप में इनके सटीक आकलन से भविष्य में डिजिटल पेमेंट से जुड़े दिशा निर्देशों, अधिनियमों एवं विनियमों को लागू करने में सरकार को सहायता मिलेगी।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच डिजिटल भुगतान तेज़ी से बढ़ा है। डिजिटल भुगतान की संख्या मार्च 2016 में 593.61 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 तक 3434.56 करोड़ हो गई है। यह पाँच साल में करीब 5.8 गुना बढ़ा है।

लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) प्रणाली

संदर्भ

हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने 'रियलटाइम ग्रॉस सेटलमेंट' (RTGS) तथा 'नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर' (NEFT) द्वारा 50 करोड़ और उससे अधिक के सभी भुगतान एवं लेनदेन के लिये 'लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर' (LEI) प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- यह प्रणाली आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी।
- रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रणाली को वित्तीय लेनदेन में बेहतर जोखिम प्रबंधन एवं गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जाएगा।
- इस प्रणाली के अंतर्गत बैंकों को अपने भुगतान संदेशों में प्रेषक एवं लाभार्थी की जानकारी को शामिल करना होगा।
- यह प्रणाली बैंकों के बड़े लेनदेन पर नज़र रखने में भी सहायक होगी।

लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (Legal Entity Identifier — LEI)

- LEI 20-अंकों की यूनीक संख्या है, जिसका प्रयोग विश्व-भर में वित्तीय लेनदेन तथा पार्टियों/लीगल एंटिटी की पहचान करने के लिये किया जाता है।
- रिज़र्व बैंक ने बड़े पैमाने पर कर्ज़ लेने वालों तथा नॉन-डेरीवेटिव मार्केट्स के साथ ही बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिये भी LEI को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है।
- भारत में LEI को 'लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड' (LEIL) से प्राप्त किया जा सकेगा। LEIL भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत LEI को जारी करती है।
- LEIL 'भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड' (Clearing Corporation of India Ltd — CCIL) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)

- CCIL की स्थापना अप्रैल, 2001 में धन, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा आदि में लेनदेन हेतु गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्यों के लिये की गई थी।
- यह वैश्विक LEI प्रणाली के 'नियामक निरीक्षण समिति' द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके द्वारा जारी विशिष्ट पहचान कोड वैश्विक स्तर पर मान्य है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में वैश्विक स्तर की कानूनी पहचानकर्ता इकाई जारी करने के लिये 'भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड' को वर्ष 2014 में अधिकृत किया गया था।

शैडो उद्यमिता का विकास

संदर्भ

शैडो उद्यमशीलता का वैश्विक उदय न केवल शिक्षा क्षेत्र बल्कि वित्त (आसान ऋण के लिये), सट्टेबाजी (ऑनलाइन खेल) अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा (ई-फार्मेसियों) जैसे अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। इसकी क्षमता को देखते हुए शैडो उद्यमिता के विनियमन की आवश्यकता है।

शैडो उद्यमी (Shadow Entrepreneurs)

- 'शैडो उद्यमी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जो वैध वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं, परंतु वे अपने व्यवसायों का पंजीकरण नहीं कराते हैं।
- वे कर का भुगतान नहीं करते तथा सरकारी अधिकारियों की पहुँच से बाहर शैडो अर्थव्यवस्था में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- इन व्यवसायों में प्रमुख रूप से बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा, सड़क के किनारे फूड स्टाल जैसी कई गतिविधियाँ शामिल हैं। वर्ष 2014 में 68 देशों के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में शैडो उद्यमियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि सबसे कम संख्या यू.के. में है।

शैडो उद्यमिता के उदय का कारण

- **माँग और आपूर्ति–** कोविड-19 जैसी परिस्थितियों के चलते माँग एवं आपूर्ति में अनियमितता के कारण बढ़ती कीमतों और उपलब्धता में कमी जैसे कारकों से निपटने के लिये एक नए व समानांतर बाज़ार का विकास हो जाता है।
- **प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा–** शैडो उद्यमी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे पूरक व अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश करते हैं, जहाँ पारंपरिक सेवा प्रदाताओं को सेवा प्रदान करने में समस्या होती है तथा जिन सेवाओं तक उपभोक्ताओं की पहुँच सीमित होती है। शैडो उद्यमिता में प्रौद्योगिकी सक्षम नए बाज़ारों के विकास से नए और तकनीक सुलभ उपभोक्ताओं का प्रवेश होता है।

- **कर विधान और कानून–** कराधान और कानूनों के प्रवर्तन व क्रियान्वयन भी इसके विकास का एक कारण है। कर की उच्च दर के साथ-साथ कानूनों के प्रवर्तन में ढिलाई, कर से बचने और औपचारिक व्यवसायों में निवेश को हतोत्साहित करती है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमशीलता की गतिविधि को प्रेरित करती है।

लाभ

- **रोज़गार प्रदाता–** भारत में अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकांश नौकरियाँ शैडो उद्यमिता के अंतर्गत ही आती हैं और इस प्रकार यह रोज़गार प्रदान करने में सहायक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि, शैडो उद्यमिता गैर कृषि रोज़गार प्रदान करके कृषि पर दबाव को कम करता है।
- **अतिरिक्त विकल्प–** आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ-साथ यह गरीबी को भी कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही, शैडो उद्यमिता के विकास से उपभोक्ताओं को एक से अधिक विकल्प उपलब्ध होता है, जो उनकी सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि करता है।

हानि

- **आर्थिक विकास में बाधक–** शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत में बड़ी संख्या में शैडो उद्यमी कार्यरत हैं, जो अपने व्यवसाय को आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं कराते हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
- **राजस्व की क्षति–** शैडो अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप कर राजस्व का नुकसान होता है और पंजीकृत व्यवसायों के लिये अनुचित प्रतिस्पर्धा के विकास तथा घटिया उत्पादकता के कारण आर्थिक विकास में बाधा आती है।
- **भ्रष्टाचार में वृद्धि–** इन व्यवसायों के पंजीकृत नहीं होने के कारण ये कानून की पहुँच से परे होते हैं, जिससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।
- **प्रतिस्पर्धा में कमी–** इस बाज़ार के विकास से प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। इसके अतिरिक्त यह संदिग्ध और अवैध अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देता है। हाल ही में एप आधारित त्वरित लोन सुविधा, उसकी छुपी शर्तों व उच्च ब्याज दर के कारण मौत के कई मामलें सामने आए हैं।
- **निवेश में कमी–** अनौपचारिक उद्यमी अपने व्यवसायों में औपचारिक लोगों की तुलना में बहुत कम निवेश करते हैं, जिसका अर्थ है कि औपचारिकता का परिसंपत्ति के आकार से सकारात्मक संबंध है।

उपाय

- **संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि–** विश्व भर में अपने व्यवसायों को पंजीकृत कराने वाले उद्यमियों पर आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों की गुणवत्ता का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि शैडो उद्यमी राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों की गुणवत्ता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जहाँ आर्थिक और राजनैतिक ढाँचे विकसित हैं, व्यक्तियों के औपचारिक उद्यमी बनने और उनके द्वारा व्यवसाय को पंजीकृत कराने की अधिक संभावना होती है; क्योंकि इससे वे लाभ की स्थिति में आ सकते हैं।
- **आर्थिक नीतियाँ–** सरकार की नीतियाँ शैडो अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्यमियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में सहायक हो सकती हैं; क्योंकि शैडो उद्यमियों के लिये नवाचार करने, पूँजी जमा करने और अर्थव्यवस्था में निवेश करने की संभावना कम होती है, जो आर्थिक विकास को बाधित करती है।
- **उचित विनियमन–** शैडो उद्यमशीलता को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या वित्त क्षेत्र में विनियमित करने के लिये अधिकारियों और एजेंसियों के बीच गतिविधियों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा एच.डी.एफ.सी. बैंक को 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक' (D-SIBs) के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया है।

पृष्ठभूमि

- वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी स्थितियों एवं वित्तीय प्रणाली संबंधी अन्य जोखिमों से निपटने हेतु वर्ष 2010 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'वित्तीय स्थिरता बोर्ड' (FSB) ने प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण संस्थाओं/बैंकों (SIFIs/Banks) के जोखिमों को कम करने के लिये एक रूपरेखा प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया।
- विकसित एवं विकासशील देशों के सदस्यों द्वारा गठित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर 'बेसल समिति' ने भी 'वैश्विक प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) के लिये नवंबर, 2011 में एक रूपरेखा तैयार की और सदस्य देशों से घरेलू स्तर पर भी डी.-एस.आई.बी. के लिये विनियामक रूपरेखा अपनाने की अनुशंसा की।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक (Domestic Systemically Important Banks – D-SIBs)

- आर.बी.आई. के अनुसार, कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस-जूरीडिक्शनल गतिविधियों, जटिलता, परस्पर संबंध तथा स्थानापन्नता के अभाव के कारण प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण होते हैं और जिन बैंकों की संपत्ति कुल जी.डी.पी. के 2% से अधिक है उन्हें डी.-एस.आई.बी. के रूप में चिह्नित किया जाता है।
- प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों को 'टू बिग टू फेल' (Too BigTo Fail) के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- इन्हें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक इसलिये कहा जाता है; क्योंकि ये बैंक अपने कार्यों तथा अपनी विशेषताओं के कारण इतने महत्त्वपूर्ण होते हैं कि आसानी से विफल नहीं हो सकते।
- इनमें से किसी भी बैंक की विफलता का वित्तीय प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इससे अर्थव्यवस्था भी व्यापक रूप से बाधित होगी।
- ये बैंक प्रणालीगत तथा नीतिगत जोखिमों से निपटने के लिये अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन होते हैं।
- मानदंडो के अनुरूप निरंतर संचालन के लिये सरकार द्वारा इन बैंकों के लिये अलग से पूँजी का प्रावधान किया जाता है।
- ये बैंक फंडिंग मार्केट में कुछ खास फायदों का भी लाभ प्राप्त करते हैं।

आर.बी.आई. द्वारा 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों' को चिह्नित करने की प्रक्रिया

- आर.बी.आई. ने 22 जुलाई 2014 को डी.-एस.आई.बी. के लिये बी.सी.बी.एस. (Basel Committee on Banking Supervision) प्रारूप पर आधारित एक फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके तहत आर.बी.आई. के लिये यह अपेक्षित था कि वह अगस्त 2015 से लेकर प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में डी.-एस.आई.बी. के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नाम घोषित करे।
- इस प्रारूप के आधार पर ही आर.बी.आई. ने 31 अगस्त, 2015 को 'प्रथम' 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों' की सूची जारी की।
- आर.बी.आई, डी.-एस.आई.बी. की पहचान के लिये बैंक का आकार, अंतर-संबंध, प्रतिस्थापन तथा जटिलता जैसे संकेतकों को अपनाता है।
- इन बैंकों को चिह्नित करने के लिये आर.बी.आई. एक कट-ऑफ स्कोर निर्धारित करता है, जिसके ऊपर बैंकों को डी.-एस.आई.बी. माना जाता है।

- प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्कोर (Systemic Important Scores– SIC) के आधार पर बैंकों को चार विभिन्न समूहों में रखा जाता है।
- डी.-एस.आई.बी. के तहत बैंकों को अपने-अपने समूहों के आधार पर जोखिम भारित आस्तियों (RWA) के रूप में 0.20% से 0.80% तक अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) पूँजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- डी.-एस.आई.बी. के लिये अतिरिक्त सी.ई.टी.-1 (CET-1) की आवश्यकता 1 अप्रैल, 2016 से चरणबद्ध और 1 अप्रैल, 2019 से पूरी तरह से प्रभावी हो गई।

आर.बी.आई. के प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंक

- आर.बी.आई. की 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों' की सूची में शुरुआत में (वर्ष 2015 में) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) तथा आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) बैंक को शामिल किया गया था। सितंबर 2017 में एच.डी.एफ.सी. बैंक को भी इसमें शामिल किया गया।
- वर्तमान में इस सूची में केवल तीन बैंक– एस.बी.आई. (SBI), आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) तथा एच.डी.एफ.सी. (HDFC) ही शामिल हैं। यह सूची 31 मार्च, 2020 तक बैंकों से एकत्र किये गए आँकड़ों पर आधारित है।
- केंद्रीय बैंक के अनुसार, अगर भारत में विदेशी बैंक की शाखा, एक वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंक (G-SIB) है, तो उसे अपने आर.डब्ल्यू.ए. के अनुपात के अनुसार, देश में अतिरिक्त सी.ई.टी.-1 पूँजी अधिभार को बनाए रखना होगा।
- एस.बी.आई. के संदर्भ में आर.डब्ल्यू.ए. के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सी.ई.टी.-1 (CET-1) की आवश्यकता 0.60% है, जबकि आई.सी.आई.सी.आई. तथा एच.डी.एफ.सी. बैंकों के लिये यह 0.20% है।

कृषि कानूनों पर आई.एम.एफ. का दृष्टिकोण

संदर्भ

वैश्विक ऋणदाता आई.एम.एफ. (IMF) ने भारत सरकार द्वारा पारित कृषि अधिनियमों को कृषि सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम माना है।

आई.एम.एफ. का मत

आई.एम.एफ. के अनुसार, किसानों को विक्रेताओं के साथ सीधे अनुबंध करने में मदद मिलेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका को कम करके किसानों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलने के साथ-साथ दक्षता में वृद्धि और ग्रामीण विकास में सहायता मिलेगी।

आई.एम.एफ. द्वारा सुझाए गए उपाय

- हालाँकि, आई.एम.एफ. ने कहा है कि नई प्रणाली को अपनाने के दौरान पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से लोगों की सुरक्षा के लिये एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है।
- इन सुधारों से प्रभावित होने वाले लोगों को रोज़गार के क्षेत्र में समायोजित करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
- इन सुधारों का लाभ वस्तुतः इसकी प्रभावशीलता और उनके कार्यान्वयन के समय पर निर्भर करेगा। अतः सुधारों के साथ इन मुद्दों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।

कृषि ऋण और छोटे किसान

संदर्भ

कृषि सुधारों का मुद्दा न केवल राजनेताओं बल्कि नीति निर्धारकों के लिये भी अहम बन चुका है। फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ आय में सुधार करने के लिये छोटे किसानों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना चाहिये। यद्यपि, पिछले कई दशकों में केंद्र, राज्यों और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों से ऋण की मात्रा में सुधार हुआ है; परंतु दुर्भाग्यवश इसकी गुणवत्ता एवं कृषि पर इसके प्रभाव में विशेष फर्क नहीं पड़ा है।

रियायती कृषि ऋण की स्थिति

- **ऋण सीमा में वृद्धि–** प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार सब्सिडी वाले कृषि ऋण के लक्ष्य में वृद्धि की घोषणा करती है और बैंक इन लक्ष्यों से आगे भी निकल जाते हैं। वर्ष 2011-12 में ऋण लक्ष्य ₹4.75 लाख करोड़ था, जबकि ₹ 21,175 करोड़ की आवंटित सब्सिडी के साथ वर्ष 2020-21 में कृषि ऋण ₹15 लाख करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच गया है।
- **आय में स्थिरता–** यदि कृषि संवृद्धि बढ़ाने में कृषि ऋण प्रभावी और सक्षम होता तो 85% से अधिक किसानों की आय वर्षों तक स्थिर नहीं बनी रहती। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि क्या ये ऋण वास्तव में किसानों को लाभ पहुँचा रहे हैं?

समस्याएँ और चुनौतियाँ

- **ऋण तक पहुँच न होना–** पिछले 10 वर्षों में कृषि ऋण में 500% की वृद्धि हुई है; परंतु 12.56 करोड़ लघु और सीमांत किसानों में से 20% किसान भी इस ऋण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
- **कृषि उपकरणों पर उच्च ब्याज दर–** कृषि ऋण में वृद्धि के बावजूद आज भी देश में बेचे जाने वाले 95% ट्रैक्टर और अन्य कृषि-औज़ार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा उच्च ब्याज दर (18%) पर वित्त पोषित किया जा रहा है, जबकि इन्हीं उपकरणों को खरीदने के लिये बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले दीर्घावधि ऋण की ब्याज की दर 11% है।
- **बड़ी जोत वालों को अधिक ऋण–** आर.बी.आई. ने संस्थागत स्रोतों (जैसे- बैंक, सहकारी समिति) से भी निम्नतम भूमि जोत (दो हेक्टेयर तक) वाले कृषि परिवारों को रियायती कृषि ऋण का लगभग 15% मिलने पर सवाल उठाया है। इसका 79% हिस्सा उच्चतम भूमि जोत (दो हेक्टेयर से अधिक) वाले कृषि परिवारों को प्रदान किया जा रहा है।
- **एग्री-बिज़नेस कंपनियों को अधिक ऋण–** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 'कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण' में संस्थागत ऋणों में उच्चतम भूमि जोत के स्वामियों की अधिक हिस्सेदारी है, जो यह दर्शाता है कि बड़े किसानों और एग्री-बिज़नेस कंपनियों द्वारा रियायती कृषि ऋण का एक बड़ा हिस्सा हथिया लिया जाता है।
- **एग्री-क्रेडिट की अस्पष्ट परिभाषा–** कृषि ऋण की ढीली और अस्पष्ट परिभाषा ने एग्री-बिज़नेस क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान किये जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि की है।
- **ऋण सीमा का उल्लंघन–** यद्यपि आर.बी.आई. ने बैंक के कुल समायोजित निवल बैंक ऋण/क्रेडिट (Adjusted Net Bank Credit) के लिये एक सीमा तय की है; परंतु बैंक नियमित रूप से इसका उल्लंघन करते हैं। कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 18% कृषि क्षेत्र को प्रदान किया जाना चाहिये। साथ ही, कुल कृषि ऋण का 8% अनिवार्य रूप से लघु और सीमांत किसानों को और 4.5% अप्रत्यक्ष लोन के रूप में दिया जाना चाहिये।

- वर्ष 2017 में नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र को मुहैया कराए गए कुल कृषि-क्रेडिट का 53% मुंबई शहर और उपनगरों को आवंटित किया गया था, जहाँ कोई कृषक नहीं बल्कि केवल कृषि व्यवसाय ही हैं। इसमें अप्रत्यक्ष लोन खाद, कीटनाशक, बीज और कृषि उपकरणों के डीलरों और विक्रेताओं को प्रदान किया गया।

अनियमितताएँ

- **विभिन्न विसंगतियाँ–** वर्ष 2019 में आर.बी.आई. के आंतरिक कार्य समूह ने पाया कि कुछ राज्यों में कृषि क्षेत्र में किया गया ऋण वितरण उस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में कृषि के अंश से अधिक था। साथ ही, 'फसल के लिये ऋण का वितरण' उसके 'लागत आवश्यकता' से बहुत अधिक था।
- **गैर-कृषि उद्देश्यों में प्रयोग–** इसका उदाहरण केरल (326%), आंध्र प्रदेश (254%), तमिलनाडु (245%), पंजाब (231%) और तेलंगाना (210%) हैं। यह असमानता दर्शाती है कि ऋण का प्रयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये किया गया है, जिसका एक कारण कम ब्याज दर पर प्राप्त रियायती ऋण को अन्य छोटे किसानों और खुले बाज़ार में उच्च ब्याज दर पर पुनर्वितरित किया जाना है।

उपाय

- **प्रत्यक्ष सहायता–** छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिये उन्हें बेहद रियायती ऋण के बजाय, प्रति हेक्टेयर के आधार पर प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान किये जाने पर विचार करना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग–** भारत में कृषि परिवारों के बीच मोबाइल फोन की पहुँच 89.1% से अधिक होने के कारण प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों के माध्यम से अधिक से अधिक कृषि परिवारों के लिये संस्थागत ऋण वितरण किया जा सकता है।
- **फसल रिकॉर्ड का प्रयोग–** इसके अतिरिक्त विभिन्न एप के माध्यम से डिजिटल भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में सैटेलाइट इमेज का प्रयोग करके फसल उगाने के लिये किसान क्रेडिट कार्ड ऋण को डिजिटल रूप से विस्तारित किया जा सकता है।
- **भूमि पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार–** भूमि पट्टेदारी व्यवस्था के ढाँचे में सुधार करने के साथ-साथ कृषि ऋण सुधारों के विषय में राज्यों और केंद्र के बीच आम सहमति बनाने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनाए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।
- कमोडिटी स्टॉक के विरुद्ध छोटे किसानों के 'किसान उत्पादक संगठनों' को उच्चतर फसल ऋण की सुविधा के लिये कृषि ऋण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना भी एक अच्छा उपाय है।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, देश में छोटे और सीमांत किसानों वाले घरों की कुल संख्या 12.56 करोड़ थी। विदित है कि छोटी और सीमांत जोत भारत की कुल जोत का 86.1% हैं।

MICE पर्यटन की संभावनाएँ

संदर्भ

हाल ही में, गुजरात ने पर्यटन नीति की घोषणा की है, जिसमें MICE पर्यटन पर विशेष बल दिया गया है। इसका उद्देश्य निवेश और आजीविका के अवसरों पर ध्यान देने के साथ-साथ राज्य को देश के अग्रणी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इस नीति द्वारा सरकार गुजरात को 'MICE पर्यटन' का केंद्र बनाना चाहती है। गुजरात की नई पर्यटन नीति 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2025 तक के लिये घोषित की गई है।

क्या है MICE पर्यटन?

'बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों' का ही संक्षिप्त नाम MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) है। वास्तव में यह बिज़नेस टूरिज़्म का एक रूप है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को किसी गंतव्य की ओर आकर्षित करता है। MICE पर्यटन की अवधारणा वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों का परिणाम है।

नीति में MICE पर्यटन को आकर्षित करने का प्रस्ताव

- गुजरात सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिये रात-भर रुकने वाले प्रति विदेशी प्रतिभागियों के लिये कार्यक्रम आयोजकों को 5,000 रुपये सहायता की घोषणा की है, इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है।
- इस नीति में घरेलू आयोजनों के लिये 2 लाख रुपए प्रति इवेंट की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। हालाँकि, इस वित्तीय सहायता के लिये प्रतिवर्ष प्रत्येक आयोजक के लिये तीन आयोजनों की सीमा निर्धारित की गई है।
- गुजरात को बड़े व महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन स्थल के रूप में उभरने के लिये विशाल सम्मेलन केंद्रों की आवश्यकता है। इस नीति में बड़े सम्मेलन केंद्रों के निर्माण के लिये विशेष प्रोत्साहन का वादा किया गया है, जिसमें पात्र पूँजी निवेश पर 15% पूँजीगत सब्सिडी शामिल है।
- इसके अतिरिक्त सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर पट्टे (Lease) पर भूमि देने का भी वादा किया है।

वर्तमान में गुजरात में MICE गंतव्य

- गाँधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र एक प्रमुख स्थल है, जिसे 'वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन' के आयोजन स्थल के रूप में निर्मित किया गया था।
- इस परिसर में स्थित नमक के टीले के आकार में निर्मित दांडी कुटीर, गाँधीजी को समर्पित एक मल्टीमीडिया संग्रहालय है। यह किसी एक व्यक्ति को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहाँ पिछले वर्ष फरवरी में प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिये (CMS COP13) 13वीं यू.एन. अभिसमय का आयोजन किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, केंद्रीय गुजरात के नर्मदा ज़िले में केवडिया के पास टेंट सिटी को एक आदर्श सम्मेलन स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों का सम्मलेन आयोजित किया गया था। कच्छ के व्हाइट डेज़र्ट में धोर्डो टेंट सिटी भी एक प्रमुख स्थल है।

MICE पर्यटन पर विशेष ध्यान दिये जाने के कारण

- आज के समय में MICE इवेंट प्रमुख पर्यटन जनरेटर है और इस क्षेत्र में गुजरात के लिये बहुत संभावनाएँ हैं। इस नीति का लक्ष्य गुजरात को देश के शीर्ष पाँच MICE पर्यटन स्थलों में से एक बनाना है।
- गुजरात में MICE कार्यक्रमों के आयोजन और सम्मेलन केंद्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करके MICE पर्यटन क्षमता में अंतराल को भरने की कोशिश की जा रही है।
- व्यवस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये आए हुए आगंतुकों को कुछ अतिरिक्त दिनों के लिये रोककर, गुजरात पर्यटन के आकर्षक केंद्रों तक जाने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।

गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थल

- गुजरात में प्रमुख पर्यटन स्थलों में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी', एशियाई शेरों का एकमात्र आवास 'गिर', एशिया का सबसे लंबा 'गिरनार रोपवे' तथा भारत का पहला यूनेस्को विश्व विरासत शहर 'अहमदाबाद' शामिल हैं।

- इसके अतिरिक्त गुजरात में विश्व का सबसे पहला ज्ञात गोदी (Dock) और भारत का पहला बंदरगाह शहर (Port City) 'लोथल', सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता का एक प्रदर्शन स्थल 'धोलावीरा' के साथ-साथ भारत के 'ब्लू फ्लैग' समुद्र तटों में से एक 'शिवराजपुर' तथा अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट से केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक भारत की पहली सीप्लेन सेवा प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

MICE का भविष्य

- सिंगापुर के पर्यटन राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा MICE पर्यटन से आता है और हाल के वर्षों में भारत एक बड़े MICE डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हुआ है। अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में से केवल 4% की मेजबानी करता है।
- गौरतलब है कि वैश्विक रूप से MICE कार्यक्रमों के लिये प्रत्येक वर्ष लगभग 50 मिलियन यात्राएँ की जाती हैं।
- MICE पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत को जापान की तरह MICE पर्यटन के अनुसंधान और नवाचार में अधिक निवेश करना चाहिये। विदित है कि जापान MICE पर्यटन के मामले में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रथम और भारत पाँचवें स्थान पर है।

एन.पी.ए. की समस्या और बैड बैंक

संदर्भ

महामारी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में संकुचन के कारण वाणिज्यिक बैंकों के एन.पी.ए. या दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में वृद्धि देखने को मिली है। इसलिये हाल ही में रिज़र्व बैंक बैड बैंक के निर्माण संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने के लिये सहमत हुआ है। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा महामारी के समय लागू किये गए 6 माह के ऋण अधिस्थगन की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है।

बैड बैंक क्या है?

- बैड बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से उनके एन.पी.ए. अथवा दबावग्रस्त ऋणों को मुख्यत: रियायती बाज़ार मूल्य पर खरीदती है। इसके उपरांत, बैड बैंक इन एन.पी.ए. अथवा दबावग्रस्त ऋणों की व्यावसायिक प्रबंधन, बिक्री अथवा पुनर्संरचना के माध्यम से रिकवरी अथवा वसूली करते हैं, अर्थात् यह एक प्रकार की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) या एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है।
- यह बैंक ऋण नहीं देते और न ही जमाएँ स्वीकार करते हैं, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को अच्छी स्थिति में दर्शाने और दबावग्रस्त ऋण का समाधान करने में मदद करते हैं।
- बैड बैंक को शुरू में सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और ये बैंकों एवं अन्य निवेशकों के साथ नियत समय में सह-निवेश करते हैं।
- बैड बैंक में सरकार की भूमिका को एन.पी.ए. के प्रबंधन में तेज़ी लाने हेतु एक साधन के रूप में देखा जाता है।
- दबावग्रस्त ऋण का टेकओवर आम तौर पर ऋण की बुक वैल्यू से कम होता है और बैड बैंक बाद में अधिक से अधिक ऋण वसूली की कोशिश करते हैं। विदित है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में, 'सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपदा पुन: प्रतिष्ठापन एजेंसी' (PARA) को बैड बैंक के रूप में गठित करने का सुझाव दिया गया था।

बैड बैंक के वैश्विक उदाहरण

- बैड बैंक की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ष 1988 में वाणिज्यिक अचल संपत्ति पोर्टफोलियो संबंधी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से पिट्सबर्ग में प्रस्तुत किया गया था।

- इसके बाद यह अवधारणा स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों में लागू की गई। हालाँकि, रिजॉल्यूशन एजेंसियाँ या ए.आर.सी. बैंक के रूप में स्थापित हुए जो उधार या उधार की गारंटी देते थे; परंतु यह जल्द ही लापरवाह उधारदाताओं में बदल गए।

बैड बैंक की आवश्यकता

- एन.पी.ए. की समस्या बैंकिंग क्षेत्र में लगातार बनी हुई है, विशेषकर कमज़ोर बैंकों के साथ, तो ऐसे में एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो एन.पी.ए. के प्रबंधन में सहायक हो।
- पूर्व में कई अन्य देशों ने वित्तीय प्रणाली में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने हेतु अमेरिका के संस्थागत व्यवस्था राहत कार्यक्रम (TARP) जैसे संस्थागत तंत्र स्थापित किये थे।
- बैड बैंक की आवश्यकता तब अधिक महसूस की गई जब आर.बी.आई ने बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) शुरू की थी। इसमें आर.बी.आई ने पाया कि कई बैंकों ने बैलेंस शीट को अच्छी स्थिति में दिखाने के लिये दबावग्रस्त ऋणों को छिपाया था।
- कई प्रक्रियात्मक मुद्दों के कारण ए.आर.सी. दबावग्रस्त ऋण का समाधान करने में विशेष सफल नहीं हो सके।
- हालाँकि, आम सहमति के अभाव में बैड बैंक का विचार केवल कागज़ों पर ही बना रहा।

रिज़र्व बैंक और सरकार का रुख

- रिज़र्व बैंक ने काफी लंबे समय से बैड बैंक के निर्माण के संदर्भ में विशेष रुचि नहीं दिखाई थी परंतु अब ऐसे संकेत हैं कि रिज़र्व बैंक इस पर विचार करेगा।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि इन परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों के उद्देश्य को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के क्रमिक समाधान तक ही सीमित रखा जाना चाहिये।

महामारी और एन.पी.ए.

- दबावग्रस्त ऋण के कारण अर्थव्यवस्था में संकुचन और अन्य कई क्षेत्रों में वित्तीय संकट के बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
- आर.बी.आई. ने अपनी हालिया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बैंकिंग क्षेत्र का सकल एन.पी.ए. सितंबर 2020 में 7.5% से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5% होने की संभावना है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर अर्थव्यवस्था में संकट की स्थिति लगातार बनी रहती है तो यह अनुपात 14.8% तक बढ़ सकता है।

सुझाव

- आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर आचार्य ने दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की समस्या को हल करने के लिये दो मॉडल सुझाए। पहला, एक निजी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (PAMC) का निर्माण, जो दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हो और जहाँ ऋण माफी के मध्यम स्तर के साथ-साथ अल्पावधि में संपत्तियों के आर्थिक मूल्य का निर्धारण भी हो सके।
- दूसरा मॉडल, नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (NAMC) है, जो उन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होगा जहाँ समस्या न केवल अतिरिक्त क्षमता की है, बल्कि जहाँ मध्यम अवधि के लिये आर्थिक रूप से गैर-लाभकारी संपत्ति भी विद्यमान है।

क्या बैड बैंक उचित समाधान है?

- महामारी से संबंधित आर्थिक संकटों का समाधान हो जाने के पश्चात् आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक व्यवस्था गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का प्रबंधन करने के लिये पर्याप्त है।
- वर्ष 2003-08 तक की अवधि में भारत की आर्थिक एवं साख वृद्धि उच्च थी, जिसके कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी।

- बैंकों में प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) वर्ष 2016 में 42% था जो सितंबर 2020 में 72.4% हो गया था। मार्च 2020 में सकल एन.पी.ए. घटकर 2.8% हो गया था।
- विदित है कि पी.सी.आर. किसी बैंक द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु अलग से फंड्स के प्रावधान को इंगित करता है।, इसके तहत कोई बैंक दबावग्रस्त ऋण से होने वाले घाटे को पूरा करता है।
- गौरतलब है कि दबावग्रस्त ऋणों में लगातार गिरावट आ रही है। परिणामस्वरूप वर्तमान समय में बैड बैंक स्थापना की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा जारी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय रेलवे वित्त निगम का आई.पी.ओ. (IPO) जारी करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रेल वित्त निगम ने वर्ष 2021 में दो दिन के लिये पहला इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) जारी किया।
- निवेशकों द्वारा 309.48 करोड़ इक्विटी शेयर्स के लिये बोली लगाई गई, जबकि इसका ऑफर साइज़ 1.24 करोड़ इक्विटी शेयर का है। निवेशकों द्वारा इसे अंतिम दिन 3.45 गुना सब्सक्राइब किया गया।
- विदित है कि सरकार द्वारा आई.पी.ओ. के माध्यम से 4,633.4 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस आई.पी.ओ. के बाद आई.आर.एफ.सी. में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 86.4% हो जाएगी।
- आई.आर.एफ.सी. का यह आई.पी.ओ. किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किया गया पहला आई.पी.ओ. है।
- आई.आर.एफ.सी. द्वारा आई.पी.ओ. से प्राप्त आय का उपयोग पूँजी आधार को बढ़ावा देने तथा अन्य उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाएगा।
- आई.आर.एफ.सी. (IRFC) का आई.पी.ओ. सार्वजनिक क्षेत्र में किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) द्वारा पहला आई.पी.ओ. है।
- आई.आर.एफ.सी., पी.एस.यू. (PSU) सेक्टर का पहला एन.बी.एफ.सी. है, जो सार्वजनिक हो रहा है।

भारतीय रेलवे वित्त निगम

- आई.आर.एफ.सी. वर्ष 1986 में स्थापित घरेलू और विदेशी बाज़ारों से धन जुटाने के लिये भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्तपोषण शाखा है।
- आई.आर.एफ.सी. का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे की 'अतिरिक्त बजटीय संसाधन' (EBR) की आवश्यकता के बड़े हिस्से को बाज़ार की उधारी के माध्यम से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों और शर्तों पर पूरा करना है।
- आई.आर.एफ.सी., रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुसूची 'A' के सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अंतर्गत जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है।
- विदित है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2017 में पाँच रेलवे कंपनियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी थी। उनमें से चार- इरकॉन (IRCON) इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड (RITES Ltd), रेल विकास निगम लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्प (IRCTC) पहले ही सूचीबद्ध हो चुके हैं।

इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)

- जब कोई कंपनी पूँजी जुटाने के लिये प्राथमिक बाज़ार में पहली बार प्रतिभूतियों की सार्वजनिक रूप से बिक्री करती है तो इस प्रक्रिया को इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) कहते हैं। इसे न्यू इश्यू मार्किट के रूप में भी जाना जाता है।

- आई.पी.ओ. जारी करने के साथ ही कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, जिसमें व्यक्तिगत निवेशकों से लेकर संस्थागत निवेशकों की भी हिस्सेदारी होती है।
- भारत में कोई कंपनी सेबी (SEBI) के माध्यम से ही आई.पी.ओ. ला सकती है, इसके लिये इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिये आवश्यक शर्तों का पालन करना होता है।
- इसके अंतर्गत केवल वही कंपनियाँ आई.पी.ओ. जारी कर सकती हैं, जिनकी न्यूनतम पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ हो।
- कोई कंपनी जितने शेयरों की बिक्री करना चाहती है यदि निवेशक उससे अधिक शेयरों की बोली लगा देते हैं तो आई.पी.ओ. को ओवरसबस्क्राइब्ड माना जाता है।

आई.पी.ओ. के लाभ

- आई.पी.ओ. के माध्यम से किसी कंपनी को अपने विस्तार हेतु पूँजी जुटाने में मदद मिलती है तथा कंपनी का कारोबार बढ़ता है।
- सामान्य निवेशकों के लिये आई.पी.ओ. के माध्यम से निवेश करना आसान होता है।
- आई.पी.ओ. के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का प्रयोग कंपनी नए पूँजीगत उपकरणों तथा आधारभूत ढाँचे में निवेश के लिये करती है।

कारावास पर्यटन

- महाराष्ट्र सरकार, राज्य के कारावासों के ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए 26 जनवरी को कारावास पर्यटन पहल शुरू करेगी। इस पहल का पहला चरण पुणे स्थित 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से प्रारंभ होगा।
- कई स्वतंत्रता सेनानियों को यरवदा जेल में केद किये जाने के कारण इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का दूसरा चरण नागपुर, ठाणे और रत्नागिरी जेलों में शुरू होगा।
- महाराष्ट्र में विभिन्न जेलों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक विशिष्ट महत्त्व है। महात्मा गाँधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था, को यरवदा जेल में कैद किया गया था।
- अंबेडकर और महात्मा गाँधी के बीच हुआ समझौता, जिसे 'पूना पैक्ट' के नाम से जाना जाता है, यरवदा सेंट्रल जेल में संपन्न हुआ था। महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी चापेकर बंधुओं ने भी इसी कारावास में देश की आज़ादी के लिये अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस पहल के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य के जेल विभाग को सौंपी गई है।

लौह अयस्क नीति, 2021

संदर्भ

रेल मंत्रालय द्वारा नई लौह अयस्क नीति की घोषणा की गई है, जिसे 'लौह अयस्क नीति, 2021' नाम दिया गया है तथा यह 10 फरवरी से लागू होगी।

लौह अयस्क नीति, 2021

- यह नीति रेल बोगियों के आवंटन और लौह अयस्क की ढुलाई का नियमन करती है। इस नीति का उद्देश्य ग्राहकों की लौह अयस्क की ढुलाई से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना तथा इस्पात उद्योग में माल ढुलाई से जुड़ी सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है।

- रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक रेक मूवमेंट (EDRM) कार्यालय (कोलकाता), जो लौह-अयस्क यातायात के आवागमन के लिये कार्यक्रमों को मंजूरी देता है, की नई नीति में कोई नियामक भूमिका नहीं होगी। साथ ही, रेलवे द्वारा प्रलेखन की जाँच को भी समाप्त कर दिया गया है।
- नई नीति के प्रावधानों को रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) द्वारा रेक अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल में अपडेट किया जाएगा। इसके तहत ग्राहकों को प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था ग्राहक की प्रोफाइल के आधार पर सिस्टम द्वारा स्वत: तैयार की जाएगी।
- ग्राहक माल ढुलाई के लिये अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकताओं का चयन करने के लिये स्वतंत्र होंगे। इसके लिये अब उन्हें अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- अब ग्राहक को किसी भी प्राथमिकता श्रेणी में अपने माल की ढुलाई के लिये वचन पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेखित होगा कि माल की खरीद से लेकर उसकी ढुलाई और उसके इस्तेमाल में केंद्र तथा राज्य सरकारों के नियमों और कानूनों का अनुसरण किया गया है।
- घरेलू विनिर्माण से जुड़ी गतिविधियों के लिये लौह अयस्क की ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- देश के अंदर लौह-अयस्क परिवहन ढुलाई में उन स्टील, पिग आयरन, स्पंज आयरन, पेलेट या सिंटर प्लांट मालिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास लोडिंग और अनलोडिंग दोनों की अपनी निजी साइडिंग भी हो।
- लौह अयस्क की प्राथमिकता के आधार पर ढुलाई की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब लौह अयस्क ढुलाई की प्राथमिकता का निर्धारण ग्राहकों द्वारा विकसित लोडिंग और अनलोडिंग की बुनियादी ढाँचागत व्यवस्था की उपलब्धता के आधार पर किया जा जाएगा, ताकि लौह अयस्क की ढुलाई में तेज़ी आ सके।
- आवंटन तथा माल ढुलाई के संदर्भ में नए और पुराने संयंत्रों को एक समान महत्त्व दिया जाएगा।
- विदित है कि, रेलवे के कुल माल परिवहन में लौह अयस्क दूसरा सबसे प्रमुख उत्पाद है। वर्ष 2019-2020 में भारतीय रेलवे के कुल 1210 मिलियन टन माल ढुलाई में लगभग 17% हिस्सेदारी लौह अयस्क और इस्पात (53.81 मिलियन टन स्टील और 153.35 मिलियन टन लौह अयस्क) की रही।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 15 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण (PMKVY 3.0) का शुभारंभ किया है। विदित है कि कौशल विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसके तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- योजना के तीसरे चरण को वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर बदलती कौशल माँगों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है, जो 'वोकल फॉर लोकल' दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अंतर्गत, लगभग 600 केंद्रों में 300 से अधिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य कौशल विकास को अधिक माँग-संचालित बनाना और अधिक विकेंद्रीकृत करना है।
- यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण वर्ष 2020-21 में पायलट आधार पर चलाया जाएगा। इसके तहत 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये लगभग 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण (वर्ष 2021-2026) के लिये कार्यान्वयन ढाँचे के निर्माण की शुरुआत कर दी गई है।
- राज्य कौशल विकास मिशन के मार्गदर्शन में ज़िला कौशल समितियाँ (OsQCs) ज़िला स्तर पर कौशल अंतराल को कम करने तथा आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तीसरा चरण राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर संपर्क को और मज़बूत करके परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।

भारतीय नवाचार सूचकांक, 2020

- नीति आयोग ने 'इंस्टीट्यूट फॉर कंपीटिटिवनेस' के सहयोग से भारतीय नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसका पहला संस्करण अक्तूबर 2019 में जारी किया गया था।
- इस सूचकांक को राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं पर आधारित पाँच कारकों- मानव पूँजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक वातावरण, सुरक्षा व कानूनी वातावरण तथा दो प्रदर्शन मापदंडों; ज्ञान उत्पादन व ज्ञान प्रसार के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्रमुख राज्य (17), पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य (10), केंद्रशासित प्रदेश/सिटी राज्य/छोटे राज्य (09)।
- प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जबकि महाराष्ट्र एक स्थान की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान तथा तमिलनाडु एक स्थान नीचे खिसककर तीसरे स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि प्रमुख राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष पाँच स्थानों पर चार दक्षिणी राज्य- कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल शामिल हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे नीचे क्रमशः बिहार (17वीं), छत्तीसगढ़ (16वीं) और झारखंड (15वीं) का स्थान है।
- पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर, जबकि चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर आ गया है।
- विदित है कि कर्नाटक को वेंचर कैपिटल सौदों, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के निर्यात के कारण प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से भी नवाचार क्षमताओं में वृद्धि हुई है।

हरित बॉन्ड

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जानकारी दी है कि हरित बॉन्डों को जारी करने संबंधी लागत अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2015 के बाद जारी किये गए 5 से 10 वर्षों के मध्य परिपक्वता अवधि वाले हरित बॉन्डों के लिये औसत कूपन दर सामान्यतः कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्डों की तुलना में अधिक है।
- हालाँकि, अमेरिकी डॉलर के लिये 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले हरित बॉन्डों की कूपन दर कॉर्पोरेट बॉन्डों से कम थी।
- विदित है कि भारत में अधिकांश हरित बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या बेहतर वित्तीय स्थिति वाले कॉर्पोरेट द्वारा ही जारी किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के हरित बॉन्ड जारीकर्ताओं ने इसके गैर-जारीकर्ताओं की तुलना में ऋण-संपत्ति अनुपात से संबंधित कम सूचनाएँ प्रदान की।
- मार्च 2018 तक, भारत में जारी किये गए कुल बॉन्डों में हरित बॉन्ड केवल 0.7% थे, जबकि वर्ष 2020 के आँकड़ों के अनुसार, गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिये दिया गया बैंक ऋण, ऊर्जा क्षेत्र पर बैंक बकाए का 7.9% है।
- इसमें उच्च उधार लागत सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है और ऐसा मुख्यतः असममित जानकारी के कारण हुआ।

- इस संदर्भ में देश में एक बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे परिपक्वता अवधि के बेमेल तथा उधार लागत को कम करने में और इस क्षेत्र में कुशल संसाधन आवंटन में मदद मिलेगी।

हरित बॉन्ड

- हरित बॉन्ड, अन्य बॉन्डों की ही तरह होते हैं लेकिन इनके माध्यम से केवल हरित अर्थात् पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में ही निवेश किया जा सकता है।
- इनमें अक्षय ऊर्जा, कम कार्बन उत्सर्जन, स्वच्छ परिवहन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन जैसी परियोजनाएँ शामिल होती हैं।
- विश्व बैंक तथा यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा पहली बार वर्ष 2007 में यह बॉन्ड लाए गए थे।
- भारत में सबसे पहले हरित बॉन्ड येस बैंक ने वर्ष 2015 में जारी किये थे।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

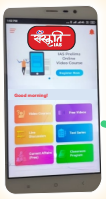

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन
वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा – अखिल मूर्ति

इतिहास में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की संपूर्ण अध्ययन-सामग्री
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र अध्ययन-सामग्री

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा – कुमार गौरव

भूगोल में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की संपूर्ण अध्ययन-सामग्री
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र अध्ययन-सामग्री

नोट : उपर्युक्त संपूर्ण अध्ययन-सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

10 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

मानव निर्मित आर्द्रभूमि और अपशिष्ट जल का शोधन

संदर्भ

यमुना में बहने वाले अनुपचारित वाहित मल (Untreated Sewage) के कुछ हिस्से को प्राकृतिक रूप से उपचारित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे वाहित मल उपचार संयंत्रों पर पड़ने वाले भार को कम किया जा सकता है। दिल्ली में इस अनोखे और धारणीय प्रयोग पर कार्य चल रहा है।

एक अभिनव प्रयोग

- लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर विकसित किये जा रहे दक्षिणी दिल्ली जैव-विविधता पार्क में 11 'कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम' (Constructed Wetland Systems) का निर्माण किया जा रहा है।

- इस सिस्टम में प्राकृतिक रूप से वाहित मल का शोधन/उपचार करने के लिये बोल्डर्स (पत्थर के टुकड़े) और विभिन्न प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है।
- वर्ष 2016 में दिल्ली में ही नीला हौज जैव-विविधता पार्क में एक झील को पुनर्जीवित करने के लिये इस सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा चुका है।

प्रक्रिया

- इस प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं और इसमें विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। नाले के मुहाने या वाहित मल के स्रोत पर बोल्डर्स और पौधों का उपयोग करके एक आर्द्रभूमि परिसर का निर्माण किया जाता है।
- यह स्रोत या नाली एक 'ऑक्सीकरण तालाब' (Oxidation Pond) में जाकर मिलती है, जो उपचार प्रक्रिया का पहला चरण है। यहाँ अपशिष्ट में उपस्थित ठोस और जैविक पदार्थ को तार की जाली से हटा दिया जाता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुल जाती है।
- विदित है कि ऑक्सीकरण तालाब को 'अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब' (Waste Stabilization Ponds — WSPs) भी कहा जाता है। इनका उपयोग वाहित मल से जैविक सामग्री और रोगाणुओं को हटाने के लिये किया जाता है।

- इसके बाद पानी बोल्डर्स से बने छोटे-छोटे चैनलों व रिज से होकर गुज़रता है और हलचल पैदा होने के कारण वातन/वायु-मिश्रण (Aeration – द्रव में गैस को मिलाना) की प्रक्रिया होती है। वातन के कारण पानी और वायु के निकट संपर्क से छोटे-छोटे बुलबुले उत्पन्न होते हैं और उसमें घुली गैसों को बाहर निकालते हैं।
- बोल्डर्स के कारण जितनी अधिक हलचल उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन संतृप्ति और पानी की गुणवत्ता उतनी बेहतर होती है। हलचल के कारण ही जलप्रपात में अधिकतम ऑक्सीजन संतृप्ति होती है और इसलिये पानी की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है।
- उपचार प्रक्रिया के अंतिम चरण में इस जल को पौधों की कई प्रजातियों से गुज़ारा जाता है, जो आर्सेनिक सहित भारी धातुओं के उपचार में प्रभावी होते हैं। इन पौधों में टाइपा (Typha), फरागमाइट्स (Phragmites), इपोमिया (Ipomoea) और साइप्रस (Cyprus) शामिल हैं।
- अशोधित वाहित मल इन पौधों के लिये भोजन का कार्य करते हैं और पौधे इससे पोषक तत्त्वों का कर्षण करते हैं, जो इनकी वृद्धि में भी सहायक होते हैं।

लाभ

- 'वाहित मल उपचार संयंत्रों' (STPs) को चलाने के लिये बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि इस प्राकृतिक विधि में विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है।
- साथ ही, वाहित मल की मात्रा कम या अधिक होने पर वाहित मल उपचार संयंत्र कार्य नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम इनका एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है।
- साथ ही, यह महँगे वाहित मल उपचार संयंत्रों की आवश्यकता को भी कम करता है। उपचारित पानी को आर्द्रभूमि के माध्यम से नदी में छोड़ा जाता है, जो पुनर्भरण और जल निकायों की स्वच्छता में सहायक होता है।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया ने नीला हौज जैव-विविधता पार्क स्थित झील में घुलित ऑक्सीजन (DO) की सांद्रता बढ़ा दी है जो 4 मिग्रा. प्रति लीटर के आसपास है और यह पानी में मछली के प्रसार के लिये आवश्यक घुलित ऑक्सीजन मानदंड के करीब है।

दीपोर बील (Deepor Beel)

संदर्भ

असम के कामरूप ज़िला प्रशासन ने दीपोर बील (आर्द्रभूमि) और उसके आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

दीपोर बील : संबंधित तथ्य

- दीपोर बील असम के कामरूप ज़िले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में, मुख्य नदी के दक्षिण में स्थित एक स्थाई मीठे पानी की झील है।
- निचले असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित यह सबसे बड़े बील (तालाब के सामान) में से एक है। इसे बर्मा मानसून वन जीवविज्ञान क्षेत्र के तहत एक आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इस बील के जैविक एवं पर्यावरणीय महत्त्व को देखते हुए इसके संरक्षण के लिये इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, यह एक महत्त्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साथ ही, यह कई प्रवासी प्रजातियों का वास स्थान भी है।

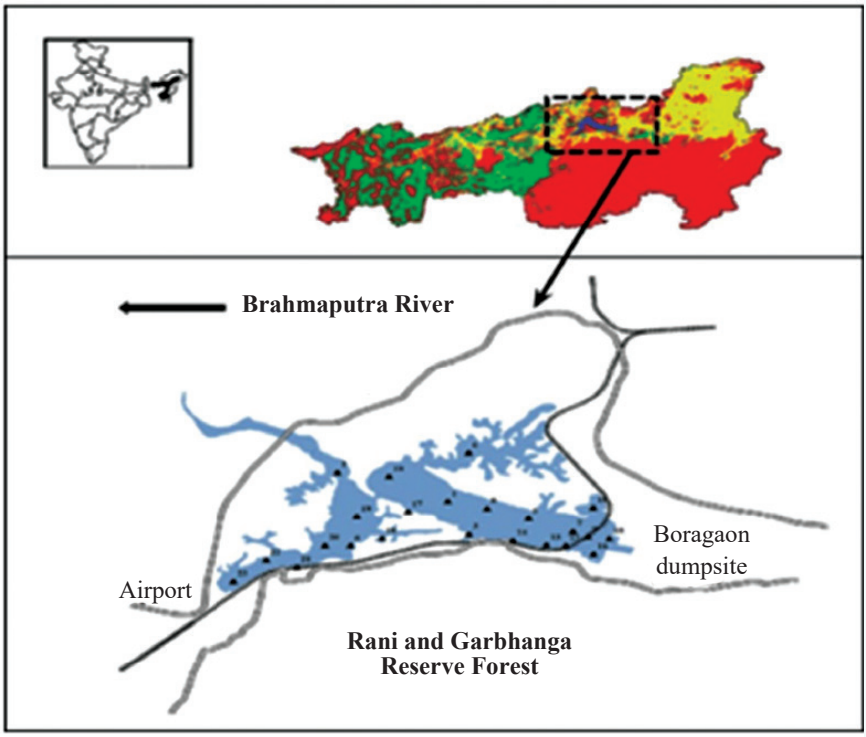

- इसका क्षेत्रफल 1980 के दशक के अंत में लगभग 6,000 हेक्टेयर था। वर्ष 1991 से अब तक इसके क्षेत्र में लगभग 35% की कमी आई।
- दीपोर बील के पास ही रानी और गरभंगा आरक्षित वन क्षेत्र भी है, जहाँ एशियाई हाथियों की घनी आबादी पाई जाती है और यह स्थानिक प्रजाति 'व्हाइट हेडेड गिब्बन' का आवास स्थल भी है। साथ ही, यहाँ तितलियों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।
- विदित है कि वर्ष 2018 में 'राष्ट्र स्तरीय विश्व आर्द्रभूमि दिवस' (2 फरवरी) का आयोजन दीपोर बील में ही किया गया था।
- वर्तमान में यह आर्द्रभूमि संकट का सामना कर रही है, क्योंकि मोरा भरालू चैनल (गुवाहाटी) के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कलमोनी, खोंजन तथा बसिस्ता जैसी छोटी नदियों के साथ इसका संपर्क टूट रहा है।

पोंग डैम (Pong Dam)

संदर्भ

हाल ही में, पोंग डैम के आसपास के क्षेत्र में लगभग 1,400 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए।

प्रमुख बिंदु

- मृत पक्षियों में बार हेडेड गूज, ब्लैक हेडेड गुल, रिवर टर्न, कॉमन टील और शॉवलर शामिल हैं। धामेटा एवं नगरोटा सहित अभयारण्य के विभिन्न हिस्सों में ये पक्षी मृत पाए गए। हालाँकि, प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है।
- मौत के कारण का पता लगाने के लिये 'रीजनल डिजीज डॉयग्नोस्टिक लेबोरेटरी' (जालंधर), 'इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट' (बरेली), 'वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (देहरादून) तथा 'राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग प्रयोगशाला' (भोपाल) में परीक्षण हेतु पक्षियों के शव से लिये गए नमूने भेजे गए हैं।

- विदित है कि नवंबर 2019 में राजस्थान की सांभर झील में एवियन बोटुलिज्म (जीवाणु रोग) के कारण 18,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी।

पोंग डैम

- पोंग डैम या झील एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले की शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्रभूमि में ब्यास नदी पर किया गया है। इसे ब्यास झील भी कहते हैं।
- इसका निर्माण वर्ष 1975 में महाराणा प्रताप के सम्मान में किया गया था, जिस कारण इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है।
- 15 दिसंबर, 2020 को हुई जनगणना में यहाँ लगभग 57,000 प्रवासी पक्षी दर्ज किये गए थे, जिनमें हेडेड गूज, ब्लैक हेडेड गुल, रिवर टर्न, कॉमन टील, शॉवलर, व्हॉपर स्वान, इंडियन स्किमर और व्हाइट रंप्ड वल्चर शामिल हैं।
- यह भरतपुर अभयारण्य के बाद देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ प्रत्येक वर्ष लाल गर्दन वाले ग्रेब (grebe) आते हैं।
- पोंग डैम सबसे महत्त्वपूर्ण मछली जलाशय है। इसमें राजसी मछली (Majestic Fish) अधिक मात्रा में पाई जाती है।
- ध्यातव्य है कि पोंग आर्द्रभूमि को वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था।

प्राकृतिक पूँजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन

संदर्भ

प्राकृतिक पूँजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (NCAVES) इंडिया फोरम–2021 का वर्चुअल आयोजन 14, 21 और 28 जनवरी को किया गया है।

प्राकृतिक पूँजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन इंडिया फोरम–2021

- इसका आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से 'सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' (MOSPI) द्वारा किया गया।
- इसके अंतर्गत एम.ओ.एस.पी.आई. ने संबंधित हितधारकों, जैसे– पर्यावरणीय खातों का उपयोग करने वाले निर्माताओं और नीति निर्धारकों के मध्य परामर्श प्रक्रिया हेतु समन्वय स्थापित करने के लिये एक तंत्र स्थापित किया है।
- यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित और 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) एवं 'जैव-विविधता पर अभिसमय' (CBD) द्वारा समर्थित प्राकृतिक पूँजी लेखा तथा पारिस्थितिकी सेवाएँ मूल्यांकन परियोजना में भारत एक भागीदार राष्ट्र है।
- इस परियोजना में भारत के अतिरिक्त अन्य देश– ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको हैं।
- इस परियोजना के तहत 'भारत–ई.वी.एल. उपकरण' का विकास भी एक प्रमुख उपलब्धि है, जो विभिन्न अध्ययनों के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों की पारिस्थितिकीय सेवाओं की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने में सक्षम है। साथ ही, यह उपकरण उपलब्ध साहित्य और जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार पूरे देश में अनुमानों की व्यावहारिकता के संदर्भ में आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- इस परियोजना में भागीदारी के कारण एम.ओ.एस.पी.आई. को यू.एन.–एस.ई.ई.ए. फ्रेमवर्क के अनुरूप पर्यावरणीय खातों के संकलन को शुरू करने और वर्ष 2018 से वार्षिक आधार पर अपने प्रकाशन 'एनवायरनमेंट स्टेट्स इंडिया' में पर्यावरणीय खातों को जारी करने में विशेष मदद मिली है।

प्राकृतिक पूँजी लेखा

- प्राकृतिक पूँजी को प्राकृतिक संपत्ति भंडार के रूप में जाना जाता है, जिसमें भू-तत्त्व, मृदा, वायु, जल तथा अन्य सभी जैविक तत्त्व शामिल हैं। मनुष्य को प्राकृतिक सेवाएँ एक विस्तृत शृंखला के रूप में प्राप्त होती हैं, जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ कहा जाता है।
- मनुष्य प्राकृतिक पूँजी का अत्यधिक मात्रा में दोहन करता है, जिसका पुनर्भुगतान किया जाना आवश्यक है। इसके लिये वस्तुओं का पुनर्नवीनीकरण तथा कचरे का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिये।
- 'प्राकृतिक पूँजी लेखा (NCA) एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग से संबंधित आय और लागत को समायोजित करने के लिये किया जाता है। यह पद्धति वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित की गई एक रूपरेखा पर आधारित है, जिसे 'पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली' (SEEA) कहा जाता है।
- एन.सी.ए. यह आकलन करने में सहायता करता है कि उपलब्ध प्राकृतिक पूँजी का प्रबंधन और उपयोग संधारणीय रूप से किया गया है अथवा नहीं। एन.सी.ए. को पारंपरिक आर्थिक खातों के साथ संबद्ध किया जाता है, जिससे यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों को समझने में सहायता करता है।

उद्देश्य

- प्राकृतिक पूँजी लेखांकन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के योगदान के संबंध में जानकारी एकत्र करना है। यह हरित जी.डी.पी. के मापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- यह बेहतर परिणामो के लिये राष्ट्रीय खातों में प्राकृतिक पूँजी एवं संसाधनों को शामिल करता है, साथ ही यह अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन हेतु जल, ऊर्जा आदि के क्षेत्रक आगत खाते से संबंधित विस्तृत आँकड़े भी प्रदान करता है।

आवश्यक दिशा-निर्देश

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर भौतिक एवं मौद्रिक खातों में पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विभिन्न खातों का चयन तथा एक राष्ट्रीय योजना का विकास करना।
- ऐसी कार्यप्रणालियों का विकास करना जो परियोजना के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन तथा पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली-प्रायोगिक पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन (SEEA - EEA) के संदर्भ में वैश्विक अनुसंधान लक्ष्यों में योगदान देती हैं।
- सतत् विकास लक्ष्य 2030, आइची लक्ष्यों (Aichi Targets) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संदर्भ में संकेतकों के एक समुच्चय का विकास करना।
- सी.ई.ई.ए. और कॉर्पोरेट सततता रिपोर्टिंग के मध्य सरेखण में योगदान देना।
- प्राकृतिक पूँजी लेखांकन पेशेवर समुदाय के परिवर्द्धन के लिये संवर्द्धित क्षमता निर्माण और ज्ञान को साझा करना।

भारत में प्राकृतिक पूँजी लेखा की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1999-2000 में प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन पर भारत का पहला पायलट अध्ययन गोवा में कराया गया था। प्रथम अध्ययन की सफलता के बाद इसी तरह की लेखांकन प्रक्रियाएँ 8 राज्यों में दोहराई गईं।
- इन लेखांकन पद्धतियों के क्रियान्वयन के परिणाम डॉ. किरीट पारिख की अध्यक्षता में वर्ष 2010 में गठित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए थे। इस समिति ने एक 'राष्ट्रीय लेखांकन पद्धति' विकसित करने की भी सिफारिश की थी।
- वर्ष 2011 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसे भारत में 'हरित राष्ट्रीय लेखांकन' के लिये एक रूपरेखा तैयार करने का कार्य दिया गया।

- भारत में संशोधित कार्यात्मक लेखांकन प्रणाली को वर्ष 2015 तक अमल में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
- 'प्राकृतिक संसाधन लेखांकन' (NRA) डेटाबेस तैयार करने के लिये राज्यों से आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त करने संबंधी कार्य लगातार किये जा रहे हैं। इसके लिये गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और मेघालय सहित कई राज्यों में पायलट अध्ययन कराए गए हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

संदर्भ

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति (The Standing Committee of National Board of Wildlife) ने हाल ही में, देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) के प्रबंधन हेतु परामर्श को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परामर्श में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये ऐसे विशेष उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे मानव एवं वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएँ कम होंगी और विभागों के बीच समन्वय स्थापित होगा तथा प्रभावी कार्रवाई में तेज़ी आएगी।
- इस परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के खंड 11(1) (B) के अनुसार, संकटग्रस्त वन्यजीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मज़बूत बनाने की परिकल्पना की गई है।
- मानव एवं वन्यजीव संघर्ष के कारण होने वाले फसलों के नुकसान के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति और वन्य क्षेत्रों के भीतर चारे तथा पानी के स्रोतों को बढ़ाना जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की भी बात की गई।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार के किसी भी संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान 24 घंटे के अंदर किया जाए।
- विदित है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5(A) के तहत किया गया है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति कई स्तरों पर जाँच के बाद प्रस्तावों पर विचार करती है और इसमें राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, राज्य सरकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड की सिफारिशें शामिल होती हैं।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थाई समिति की बैठकों के दौरान निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ सदस्यों के विचारों पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता है।
- बैठक में राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली 'केराकल' को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'वन्यजीव निवास स्थलों का विकास' योजना के तहत संरक्षण देने पर भी ज़ोर दिया गया।
- केराकल को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया जाएगा। ध्यातव्य है कि लुप्तप्राय प्रजातियों के पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अब तक 22 वन्यजीव प्रजातियों को सूची में शामिल किया गया है।

विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण और आदिवासी एवं देशज लोगों के अधिकार

संदर्भ

यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों (प्राकृतिक) तथा जैव-विविधता के संरक्षण के लिये किये जा रहे उपायों से पश्चिमी घाट में निवास करने वाले आदिवासियों तथा वहाँ के देशज लोगों के अधिकार प्रभावित

हो रहे हैं। साथ ही, उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों से भी दूर किया जा रहा है, जो कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनको प्राप्त वन अधिकारों का उल्लंघन है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट के 39 ऐसे क्षेत्र जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा आरक्षित वन शामिल हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किये गए थे।
- ये सभी प्राकृतिक स्थल जैव-विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इन घोषित विश्व विरासत स्थलों में से 10 स्थल कर्नाटक में हैं।

आदिवासियों तथा देशज लोगों की चिंताएँ

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इन विरासत स्थलों को पहचानने की प्रक्रिया शुरू होने से पश्चिमी घाट के आदिवासी तथा देशज लोग चिंतित हैं।
- दशकों से इस क्षेत्र में बसे हुए इन देशज लोग को अपने भूमि संबंधी अधिकारों के समाप्त होने की आशंका है।
- इन क्षेत्रों को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है, जिससे इनमें चयनित गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं, जिस कारण ये आदिवासी तथा देशज लोग और भी असंतुष्ट हैं।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लागू होने तथा वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थानीय निवासियों के अधिकारों की घोषणा के पश्चात् पश्चिमी घाट में रहने वाले इन आदिवासी तथा देशज लोगों का विश्व धरोहर स्थलों की घोषणा के उपरांत अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता का सामना करना अवश्य ही चिंताजनक है।

पश्चिमी घाट में निवास करने वाली जनसंख्या की संरचना

- कर्नाटक की कुल जनसंख्या का 6.95% भाग आदिवासी जनसंख्या का है। इस जनसंख्या में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) सहित पश्चिमी घाट के देशज लोगों का हिस्सा 44.2% है।
- पश्चिमी घाट में गुवालिस, कुनबीस, हलाक्की वक्कला, कारे वक्कला, कुंबी और कुलवाड़ी मराठी जैसे समुदाय बड़ी संख्या में निवास करते हैं।
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वे 'अन्य परंपरागत वन निवासी' के रूप में रह रहे हैं। इस अधिनियम के अनुसार, उन लोगों को 'अन्य परंपरागत वन निवासी' माना गया था जो पिछली तीन पीढ़ियों अर्थात् पिछले 75 वर्षों से इन वनों में रह रहे हैं और जीविकोपार्जन के लिये वन भूमि का उपयोग करते हैं।
- ये लघु वनोत्पाद, जैसे– दालचीनी, कोकम आदि को एकत्रित करके अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं।

कर्नाटक में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

- कर्नाटक 'वन अधिकार अधिनियम' को लागू करने में अन्य राज्यों की तुलना में असफल रहा है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 30 अप्रैल 2018 तक राज्य ने वन अधिकार हेतु प्रस्तुत किये गए। कुल दावों में से केवल 5.7% को ही मान्यता दी थी और राज्य का दावा था कि उसने 70% मामलों का निपटान कर दिया है।
- आँकड़ों के अनुसार, कुल प्रस्तुत दावों में 17.5% दावे आदिवासियों द्वारा किये गए थे, जिनमें से लगभग सभी का निपटान कर दिया गया, जबकि अन्य दावों को वैध साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसका आशय यह है कि अन्य पारंपरिक वन निवासियों द्वारा प्रस्तुत दावों को असंगत माना गया।

वास्तविक परिदृश्य

- हालाँकि, यह विचार सही नहीं है कि आदिवासियों या अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकारों से वंचित करना संरक्षण का उद्देश्य है।

- कानून के अनुसार, संरक्षण के लिये केवल उन भूमियों को मान्यता दी जाती है, जहाँ लोग 13 दिसंबर 2005 की तुलना में बाद के समय में अपना दावा सिद्ध नहीं करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, पारंपरिक वन निवासियों द्वारा दावा की गई भूमि का संयुक्त विस्तार तुलनात्मक रूप से उस भूमि से कम है, जो बाँध-निर्माण, खनन, विद्युत संयंत्रों और रेलवे लाइनों एवं सड़कों के निर्माण हेतु प्रयुक्त हुई है।
- आँकड़ो के अनुसार, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से पूर्व ही वर्ष 1980 तक 43 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र पर कानूनी एवं अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया था।
- हालाँकि, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद भी वन संरक्षण की दिशा में विशेष परिवर्तन नहीं आया है।
- जैव-विविधता के संरक्षण हेतु देशज लोगों को अपने प्राकृतिक आवास से अलग करने संबंधी अपनाया गया दृष्टिकोण उनके और संरक्षणवादियों के मध्य संघर्ष का मूल कारण है।
- इस दृष्टिकोण से संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का विचार पूरी तरह से विफल हुआ है।
- ग्लोबल एन्वायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि विश्व-भर में संरक्षित क्षेत्र का तो विस्तार हो रहा है, परंतु जैव-विविधता का ह्रास हुआ है।
- इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अन्य उपायों की तुलना में आदिवासी समूह या अन्य पारंपरिक वन निवासी प्रकृति के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

- पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करना इस क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिये उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों को मान्यता देना।
- इसके लिये आवश्यक है कि जैव-विविधता के संरक्षण के लिये इस प्रकार के उपाय किये जाएँ जो वन निवासियों के अधिकारों का हनन न करें।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की पुष्टि की गई है कि जैव-विविधता को संरक्षित करने के लिये उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से सशक्त होना चाहिये।
- वन अधिकार अधिनियम इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये एक आदर्श साधन है। इसे धरातल पर साकार रूप देने के लिये सरकार को चाहिये कि वह क्षेत्र में अपनी एजेंसियों और वनों पर निर्भर लोगों के बीच विश्वास कायम करने का प्रयास करे।
- यह विश्वास कायम करने के लिये आवश्यक है कि उन्हें भी देश के बाकी सभी नागरिकों के समान समझा जाए।

प्रिलिम्स फैक्ट्स

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

- आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति दिलाने और वनों पर उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिये संसद ने दिसंबर, 2006 में 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून' पास किया था। इसे 1 जनवरी 2008 को लागू कर दिया गया।
- इस कानून के अनुसार 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व वन भूमि पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सभी समुदायों को वनों में रहने और आजीविका का अधिकार प्रदान किया गया है।
- वहीं कानून की धारा 2 के अनुसार, अन्य परंपरागत वन निवासियों को अधिकार प्राप्त करने के लिये (जो उक्त अवधि से पहले वन क्षेत्र में रह रहे हों) तीन पीढ़ियों (एक पीढ़ी के लिए 25 साल) से वहाँ रहने के साक्ष्य प्रस्तुत करने के होंगे।
- वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत शुरू में ग्राम सभा द्वारा इस संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि किसके अधिकारों की और किन संसाधनों पर मान्यता प्रदान करनी है।
- यह प्रस्ताव बाद में तालुका स्तर पर और तत्पश्चात् ज़िला स्तर पर जाँचा और अनुमोदित किया जाता है।
- जाँच समितियों में तीन सरकारी अधिकारी (वन, राजस्व तथा जनजाति कल्याण विभाग का अधिकारी) और उस स्तर पर जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय निकाय के तीन निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह समितियाँ अपील की सुनवाई भी करती हैं।

त्सो कार आर्द्रभूमि परिसर (Tso Kar Wetland Complex)

संदर्भ

हाल ही में, भारत में 'त्सो कार आर्द्रभूमि परिसर' को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में स्थित दूसरा ऐसा स्थल है। अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की संख्या 42 हो गई है, जो दक्षिण-एशिया में सर्वाधिक है।

- 'स्टार्टअपसुक त्सो' (Startsapuk Tso) दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर में फैली मीठे पानी की झील तथा 'त्सो कार' (Tso Kar) उत्तर में लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली एक अत्यधित लवणीय झील (Hypersaline Lake) है। लवणीय जल के वाष्पीकरण के कारण इसके किनारों पर सफेद नमक की चादर जैसी दिखाई देती है, इस कारण इसे त्सो कार कहा जाता है, जिसका अर्थ 'सफेद झील' है।
- बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार, त्सो कार बेसिन ए1 श्रेणी का महत्त्वपूर्ण बर्ड एरिया (आई.बी.ए.) तथा मध्य एशियाई फ्लाईवे में एक महत्त्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल भारत में ब्लैक-नेक्ड क्रेन (ग्रस नाइग्रीकोलिस) के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त, यह ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीबे (पोडिसेक्रिस्ट्रैटस), बार-हेडेड गीज (अनसेरिंडिकस), रूडी शेल्डक (टेडोर्नफेरफ्रुगिनिया), ब्राउन-हेडेड गल (लार्सब्रननिसेफालस), लेजर सैंड-प्लोवर (चारेडेरिसुस्मोलस) आदि का भी प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है।
- त्सो मोरीरी/मोरीरी झील या 'माउंटेन लेक' लद्दाख में चांगथांग पठार पर अवस्थित एक झील है। इसे वर्ष 2002 में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर वेटलैंड स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था।

प्रौद्योगिकियों में दुर्लभ पार्थिव धातुएँ : एक विश्लेषण

संदर्भ

ई-कचरे के बाल स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण ने रासायनिक जलन, कैंसर और विकास के अवरुद्ध होने आदि के बारे में चिंता जताई है।

दुर्लभ पार्थिव धातुएँ (Rare Earth Metals)

- दुर्लभ पार्थिव धातुओं को दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व भी कहा जाता है। इनमें सत्रह रासायनिक तत्त्वों को शामिल किया जाता है, जिनमें 15 लैंथेनाइड्स (Lanthanides) तथा स्केंडियम व यट्रियम (Yttrium) भी शामिल हैं।
- 15 लैंथेनाइड्स में लैन्थनम (Lanthanum), सीरियम (Cerium), प्रेजोडीमियम (Praseodymium), नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम (Samarium) और युरोपियम को शामिल किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त, इस सूची में गैडोलिनियम, टर्बियम, डिसप्रोसियम (Dysprosium) के साथ-साथ होल्मियम (Holmium), अर्बियम (Erbium), थुलियम, यट्टर्बियम (Ytterbium) और ल्यूटेटियम (Lutetium) भी शामिल हैं।
- नाम के बावजूद दुर्लभ पार्थिव धातुएँ पृथ्वी की भू-पर्पटी में प्रचुरता से पाई जाती हैं। ये तत्त्व एक जगह नहीं बल्कि बिखरे हुए स्वरुप तथा कम सांद्रता में पाए जाते हैं, जिनका आर्थिक रूप से दोहन महँगा होता है।

दुर्लभ पार्थिव धातुओं का प्रयोग

- स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पवन, भू-तापीय, सौर, ज्वारीय और विद्युत ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विकसित किया जा रहा है।
- इस स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों में विभिन्न दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों का उपयोग किया जाता है। इनमें विंड टरबाइन मैग्नेट, सौर सेल, स्मार्टफोन के घटक और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाले सेल शामिल हैं।
- वर्ष 1948 तक भारत और ब्राज़ील विश्व में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के प्राथमिक उत्पादक थे। वर्तमान में सबसे अधिक दुर्लभ पार्थिव धातुओं वाले देशों में चीन (विश्व में सबसे बड़ा भंडार), अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, वियतनाम के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, रूस, म्यांमार और इंडोनेशिया शामिल हैं।

दुर्लभ पार्थिव धातुओं के दोहन से हानियाँ

- दुर्लभ पार्थिव धातुओं के निष्कर्षण और खनन से किसी भी अन्य खनन प्रक्रियाओं के समान ही भूमि का उपयोग व दोहन, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक क्षति होती है। साथ ही, इसके खनन में अत्यंत ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन और भूमि में विषाक्त पदार्थों का प्रवेश हो जाता है।
- इन धातुओं में से कई, जिनमें पारा, बेरियम, सीसा, क्रोमियम और केडमियम भी शामिल हैं, मानव सहित विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक हैं।
- ई-कचरे तथा त्याज्य उत्पादों से इन तत्त्वों का निष्कर्षण या उनको नष्ट करना मुश्किल और महँगा होता है। यही कारण है कि इन तत्त्वों का पुनः उपयोग करने के लिये विकासशील देशों को निर्यात किये गए ई-कचरे में से अधिकांश को डंप कर दिया जाता है।

चुनौतियाँ

- दुर्लभ पार्थिव तत्त्वों का पुनर्चक्रण करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक बार उपकरणों में लगाने के बाद इन्हें बाहर निकालना मुश्किल होता है। प्रयोग किये गए फोन या अन्य आई.टी. उपकरणों को फेंकने की

बजाय उनसे अधिक लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया जाना चाहिये। उपयुक्त पुनर्चक्रण विधियों का उपयोग दुर्लभ पार्थिव तत्त्वों की लागत को कम रखने और उपयोग को अधिकतम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- सबसे उन्नत तकनीकों और अक्षय ऊर्जा क्रांति के लिये महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में इन धातुओं का उपयोग सावधानी, ईमानदारी और स्वच्छात्मक उपायों के साथ किया जाना चाहिये, जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
- तेल और गैस के कार्टेलाइजेशन की तरह दुर्लभ पार्थिव धातुओं के भंडारों और आपूर्ति शृंखलाओं में भी कार्टेलाइजेशन की संभावनाएँ हैं। ये संभावनाएँ विकास मॉडल में परिवर्तन, नवाचार और संसाधन उपलब्धता की खोज से प्रेरित हैं। यहाँ कार्टेल से तात्पर्य उत्पादन, वितरण और मूल्य को नियंत्रित करने के लिये बनाई गई कंपनियों या राष्ट्रों के समूह हैं।
- चीन द्वारा इस क्षेत्र में आधिपत्य का इरादा और विश्व के ऊर्जा परिदृश्य के विभिन्न क्षेत्रों व पहलुओं को नियंत्रित करने का लक्ष्य पर्यावरण के साथ-साथ भू-राजनीति एवं वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिये भी सही नहीं है।

समाधान

- विभिन्न तकनीकों में इन दुर्लभ पार्थिव धातुओं का निरंतर उपयोग करने के लिये इसका पुनर्चक्रण एक अच्छा विकल्प है जिस पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें शोध और नवाचार की आवश्यकता है।
- विभिन्न देशों द्वारा नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों का अनुसरण करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब दुर्लभ पार्थिव धातुओं का सबसे बड़ा भंडार चीन में है और वह सबसे बड़ा उपयोगकर्ता होने के साथ-साथ अधिकांश आपूर्ति शृंखलाओं में शामिल है।

समुद्री शैवाल : संरक्षण की आवश्यकता

समुद्री शैवाल

- समुद्री शैवाल को सीवीड (Seaweed) कहते हैं। यह एक आदिम (Primitive) पुष्प-रहित समुद्री शैवाल है, जिसमें जड़, तना और पत्तियाँ नहीं होती हैं।
- समुद्री शैवाल सौर प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण और समुद्री जल में मौजूद पोषक तत्त्वों के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। ये अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
- समुद्र में अधिक घनत्व वाले पानी के नीचे पाए जाने वाले बड़े एवं लंबे समुद्री शैवाल के जंगलों को 'केल्प वन' (Kelp Forests) कहा जाता है।

लाभ

आवास के रूप में

इसकी हज़ारों प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जो आकार, आकृति और रंग में काफी भिन्न होती हैं। ये समुद्री जीवों के लिये आवास प्रदान करती हैं और उन्हें खतरों से बचाती हैं।

खाद्य के रूप में

- 'केल्प वन' मछली, घोंघे और समुद्री अर्चिन (Sea Urchin) के लिये पानी के नीचे एक नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, शाकाहारी समुद्री जीव भी इसके 'थैलस' (Thallus) को खाकर जीवनयापन करते हैं। इसके अतिरिक्त, समुद्री शैवाल, समुद्री जीवों को जैविक पोषक तत्त्वों की आपूर्ति भी करते हैं।
- वस्तुत: 'थैलस' से आशय एक ऐसे पादप से होता है, जिसमें जड़ों, संवहन तंत्र, पत्ती व तने का अभाव होता है किंतु इस प्रकार के पादपों में डंठल जैसी संरचना पाई जाती है।

पारिस्थितिक तंत्र के लिये

- ये शैवाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वृहद् जल निकायों में पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्त्व समुद्री जीवों के लिये विषैले और मृत्युकारक हो सकते हैं।
- समुद्री शैवाल समुद्र के उथले और गहरे जल में (अधिकांशत: अंतर्ज्वारिय क्षेत्र (Intertidal Region) में) पाए जाने के साथ-साथ ज्वारनदमुख (Estuaries) और पश्चजल/बैकवाटर्स (Backwaters) में पाए जाते हैं, जो अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करते हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं।

जैव-संकेतक के रूप में

- समुद्री शैवाल जैव-संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। जब कृषि, जलीय कृषि (Aquaculture), उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा समुद्र में प्रवेश करता है तो यह पोषक तत्त्वों के असंतुलन का कारण बनता है, जिससे शैवाल प्रस्फुटन (Algal Bloom) होता है।
- 'शैवाल प्रस्फुटन' समुद्री रासायनिक क्षति का संकेतक है। जलीय निकाय में शैवालों का तेज़ी से बढ़ना शैवाल प्रस्फुटन या शैवाल विकसन कहलाता है। इसके कारण जल का रंग बदल जाता है।

समुद्री क्षरण रोकने में सहायक

- समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण के लिये लौह खनिज पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। जब इस खनिज की मात्रा अनुमन्य या संतुलित स्तर से अधिक हो जाती है तो यह समुद्री जीवन के लिये खतरनाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में समुद्री शैवाल इसका प्रयोग करके समुद्री क्षरण को रोकने में सहायक होते हैं।
- इसी तरह समुद्री शैवाल समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अधिकांश भारी धातुएँ को भी हटाने में सहायक होते हैं।

जलवायु परिवर्तन और समुद्री शैवाल

- जलवायु परिवर्तन को कम करने में समुद्री शैवाल की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कुल समुद्री क्षेत्र के केवल 9% हिस्से में समुद्री शैवाल की उपस्थिति (वनीकरण) प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण (CO_2 Sequestration) करने में सक्षम है। अत: कार्बन पृथक्करण के लिये समुद्री शैवाल को उगाने के लिये 'समुद्री वनीकरण' के रूप में एक प्रस्ताव भी पेश किया गया है।

कृषि और पशुपालन में

- कृषि और पशुपालन में समुद्री शैवाल का महत्त्व उल्लेखनीय है। इनका उपयोग उर्वरकों के रूप में और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिये किया जा सकता है।
- इसके अलावा, पशुओं को जब समुद्री शैवाल खिलाया जाता है तो उनसे मीथेन उत्सर्जन काफी हद तक कम हो सकता है।

अन्य लाभ

इसके अतिरिक्त, समुद्री शैवाल समुद्र तट के कटाव से निपटने में भी सहायक हो सकते हैं। साथ ही, इसका उपयोग टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन और पेंट तैयार करने में एक घटक के रूप में किया जाता है।

भारत में समुद्री शैवाल

- दक्षिण-पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के सम्मिलन बिंदु पर स्थित तमिलनाडु का समुद्री तट 1,076 किमी. लंबा है।
- मन्नार की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में चट्टान युक्त अंतर्ज्वारिय और निचले अंतर्ज्वारिय क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की कई प्रजातियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ समुद्री शैवाल की लगभग 302 प्रजातियाँ विद्यमान हैं।

हानि

- हालाँकि, समुद्री शैवाल की कुछ दुर्लभ प्रजातियाँ प्रवाल भित्तियों को तोड़ती हैं और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाती हैं।
- पेप्सिको (एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी) द्वारा इस क्षेत्र में समुद्री शैवाल की एक विदेशी और आक्रामक प्रजाति (कप्पाइकस अल्वारेज़ी- Kappaphycus Alvarezi) की खेती से समुद्री जीवों के लिये एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसने धीरे-धीरे प्रवाल भित्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया हैं।
- मछुवारा समूह की ज़्यादातर महिलाएँ इन द्वीपों के आसपास रोज़ाना समुद्री शैवाल को एकत्र करती हैं और ऐसा करते समय वे प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुँचाती हैं।
- मैकेनिकल ड्रेजिंग (Mechanical Dredging) बड़े समुद्री शैवालों द्वारा निर्मित केल्प वनों को नुकसान पहुँचाती है। समुद्री शैवाल का विवेकहीन तरीके से किया गया संग्रहण भी उपयोगी शैवाल को गंभीर नुकसान पहुँचाता है।
- मैकेनिकल ड्रेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें यांत्रिक उपकरणों जैसे- बाल्टी, ग्रेब आदि का उपयोग करके तलछटों और अवसादों को उठाया जाता है।

आगे की राह

- वर्ष 2005 में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। इसके तहत केवल पाक खाड़ी के उत्तर और थुथुकुडी तट के दक्षिण के समुद्री जल में ही विदेशी प्रजातियों की खेती को प्रतिबंधित किया गया था। इस क्षेत्र में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।
- प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिये वन विभाग साल 2014 से प्रतिवर्ष समुद्री शैवाल को हटा रहा है। समुद्री शैवाल के पारिस्थितिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे समुद्री शैवालों के स्थाई प्रबंधन के लिये त्वरित और वैज्ञानिक कार्रवाई प्रारंभ करें ताकि इनका संरक्षण किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, आई.यू.सी.एन. (IUCN) द्वारा समुद्री शैवाल की संरक्षण स्थिति का भी मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश में दावानल की बढ़ती घटनाएँ

संदर्भ

- हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम में अक्सर वनाग्नि/दावानल की घटनाएँ सामने आती हैं।
- हाल ही में कुल्लू में विकराल रूप से फैल रहे एक दावानल को मुश्किल से काबू में किया जा सका।
- कुल्लू के अलावा शिमला और राज्य के अन्य हिस्सों में भी दावानल की घटनाएँ दर्ज की गई थीं।

हिमाचल प्रदेश का वन आवरण

- यद्यपि हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का दो-तिहाई भाग कानूनी रूप से वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है; लेकिन इस क्षेत्र का अधिकांश भाग स्थाई रूप से बर्फ, ग्लेशियर, ठंडे रेगिस्तान या अल्पाइन घास के मैदानों से ढका हुआ है।
- यदि इन क्षेत्रों को अलग कर दिया जाय, तो भारत के वन सर्वेक्षण के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का प्रभावी वन क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% (15,434 वर्ग किलोमीटर) है।
- चीड़, देवदार, ओक, केल और स्प्रूस यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पेड़ हैं।

इन जंगलों में आग कैसे लगती है?

- सामान्यत: मानसून और सर्दियों में वर्षा की अवधि को छोड़कर वनों में आग का खतरा बना रहता है।

- दावानल राज्य में लगभग हर वर्ष होने वाली घटना है और प्रमुख तौर पर चीड़ और देवदार के जंगलों में ये घटनाएँ होती हैं।
- गर्मियों के मौसम में राज्य की निचली और मध्यम पहाड़ियों में अक्सर आग लगती है। यहाँ भी सामान्यत: चीड़ और देवदार के वन ही पाए जाते हैं।
- मार्च से जून तक शुष्क गर्मी के मौसम में चीड़, देवदार के पेड़ों से अत्यधिक-दहनशील सुई के आकार के पत्ते गिरते हैं। यदि गिरी हुई सुई के सामान सूखी पत्तियों में एक बार आग लग जाती है तो बहने वाली हवा के कारण यह पूरे जंगल में तीव्र गति से फैल जाती है।
- हालाँकि, मोटी छाल के कारण चीड़ और देवदार के पेड़ आग से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं और मानसून के दौरान वापस हरे भरे हो जाते हैं।

आग लगने के कारण

- सामान्यत: प्राकृतिक कारणों जैसे कि बिजली गिरने या बाँस की लकड़ियों के आपस में रगड़ने की वजह से आग लग सकती है, लेकिन वन अधिकारियों का मानना है कि जंगल में लगने वाली अधिकतर आगों (दावानल) के लिये सामान्यत: मानवीय कारक ही जिम्मेदार होते हैं ।
- वनों में जब घास सूख जाती है तब किसी माचिस या बीड़ी/ सिगरेट आदि की एक छोटी सी चिंगारी के कारण भी भीषण आग लग सकती है।
- चीड़ या देवदार की सूखी पत्तियों के बिजली के खंभे पर गिरने पर भी चिंगारी निकल सकती है और वह आग का रूप ले सकती है।
- ऐसे लोग जो जंगलों से कुछ खाने/लकड़ी आदि का सामना लेने जाते हैं या अपने पशुओं को चराने के लिये जंगल लेकर जाते हैं, कभी-कभी खाना बनाने के लिये अस्थाई रूप से चूल्हे बनाते हैं और खाना खा लेने के बाद उसे वैसे ही सुलगता छोड़ कर चले जाते हैं, जो बाद में आग में बदल सकता है।
- इसके अलावा, जब लोग अपने खेतों को साफ करने के लिये की ठूंठ या सूखी घास (पराली) को जला देते हैं तो इससे भी जंगलों में आग फैल जाती है।
- वन भूमि पर सूखे पत्तों का कूड़ा एक तैयार ईंधन के रूप में काम करता है। साथ ही, पेड़ के गिरे पत्ते, खरपतवार आदि भी ईंधन का काम करते हैं।
- फैला हुआ कूड़ा, अपघटित होने वाले कार्बनिक यौगिक जैसे मिट्टी, लकड़ी, झाड़ियाँ, जड़ें, पीट आदि भी दहन को और ज़्यादा तीव्र कर देते हैं।
- यदि आग के ऊपर पहुँचने की बात की जाए तो सूखे खड़े पेड़, काई, लाइकेन, शुष्क एपिफाइटिक या परजीवी पौधे आदि आग को जंगलों में ऊपर तक फैला सकते हैं।

दावानल से नुकसान

- दावानल की वजह से वनों की पुनर्जनन क्षमता और उनकी उत्पादकता को बहुत नुकसान पहुँचता है।
- ओक और देवदार जैसे नमी वाले पेड़ विदेशी खरपतवारों के लिये स्रोत का कार्य कर सकते हैं, जिससे खरपतवार बाद में पूरे जंगल में फैल जाते हैं।
- वन सामान्य रूप से जलधाराओं और झरनों को निरंतर प्रवाह बनाए रखने में सहायक होते हैं और स्थानीय समुदायों के लिये जलाने की लकड़ी, चारे और अन्य उत्पादों के स्रोत भी होते हैं। अत: आग लगने की दशा में इन सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- दावानल से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों भी नष्ट हो जाते हैं और यह ज़मीन की ऊपरी परत के क्षरण को भी ट्रिगर कर सकती है।
- दावानल से वन्य जीवों के आश्रयस्थल भी विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

- कभी-कभी, जंगल की आग नियंत्रण से बाहर होकर मानव बस्तियों तक फैल जाती है, इस प्रकार मानव जीवन और संपत्ति के लिये भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- हिमाचल वन विभाग के अनुसार, दावानल से हर वर्ष कई करोड़ रुपयों का नुकसान होता है।
- वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के बीच दावानल से राज्य को लगभग 1.7 से 3.5 करोड़ रुपए की हानि हुई।

दावानल को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय

- मौसम संबंधी आँकड़ों का उपयोग करते हुए आग लगने वाले दिनों का पूर्वानुमान लगाना, सूखे बायोमास वाले स्थलों को साफ रखना, जंगल में सूखे कूड़ों को हटाना, अग्नि-सह्य पौधों को लगाना आदि कुछ तरीके हैं जिनसे दावानल की घटनाओं को कम किया जा सकता है।
- दावानल की दशा में अग्निशमन का उचित समय पर पहुँचना भी आवश्यक है।
- वर्ष 1999 में राज्य सरकार ने दावानल से जुड़े नियमों को अधिसूचित किया, जिनमें वन क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों को प्रतिबंधित या विनियमित किया गया था, जैसे– किसी भी उद्देश्य से आग जलाना, पराली जलाना, ज्वलनशील वन उपज का ढेर एकत्रित करना आदि।

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, 2020

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, 2020 जारी की है। पहली बार यह वर्ष 2014 में जारी की गई थी, तब से प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है।
- यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु किये जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संदर्भित करती है। इसके लिये रिपोर्ट में अनुकूलन लागत, अनुकूलन वित्त तथा अनुकूलन वित्त-अंतराल जैसी अवधारणाओं को अपनाया जाता है।
- 'अनुकूलन लागत' में अनुकूलन उपायों की लागत को शामिल किया जाता है, वहीं 'अनुकूलन वित्त' विकासशील देशों के लिये धन प्रवाह को संदर्भित करता है और अनुकूलन लागत तथा अनुकूलन वित्त के बीच का अंतराल 'अनुकूलन वित्त-अंतराल' कहलाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन प्रभावों के अनुकूलन की वार्षिक लागत वर्ष 2050 तक चौगुनी होने का अनुमान है। अर्थात् वर्तमान में यह लागत 70 बिलियन डॉलर है जो वर्ष 2050 में बढ़कर 280-500 बिलियन डॉलर हो सकती है।
- हालाँकि, विकसित देशों की अनुकूलन लागत अधिक है किंतु इनकी जी.डी.पी. के संदर्भ में विकासशील देशों पर अनुकूलन का अधिक दबाव पड़ा है। विकासशील देश विशेषकर अफ्रीकी तथा एशियाई देश, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये कम से कम तैयार हैं, इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के लगभग तीन-चौथाई देशों द्वारा अनुकूलन योजनाएँ अपनाई गई हैं परंतु इन योजनाओं का कार्यान्वयन तथा वित्तपोषण आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। साथ ही, कोविड-19 महामारी, बढ़ता वैश्विक तापमान, बाढ़, सूखा, दावानल तथा टिड्डियों का प्रकोप जैसी वैश्विक चुनौतियों ने अनुकूलन को प्रभावित किया है। रिपोर्ट में अनुकूलन हेतु प्राकृतिक समाधानों को अपनाने का सुझाव दिया गया है।

भारत का आर्कटिक नीति मसौदा

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार ने आर्कटिक नीति मसौदा जारी किया है।

आर्कटिक नीति मसौदा

- इस नीति में आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थाई पर्यटन, खनिज तेल तथा गैस की खोज के विस्तार हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
- इसमें आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भारत के मानसून के साथ इसके संबंधों को समझना आदि को शामिल किया गया है।
- नीति में आर्कटिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों का जिम्मेदारीपूर्वक अन्वेषण व खनन, बंदरगाहों, रेलवे एवं हवाई अड्डों में निवेश के अवसरों को पहचानने की आवश्यकता जाहिर की गई है।
- यह नीति पाँच स्तंभों पर आधारित है:
  - विज्ञान और अनुसंधान गतिविधियाँ
  - आर्थिक और मानव विकास सहयोग
  - परिवहन और कनेक्टिविटी
  - शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  - राष्ट्रीय क्षमता निर्माण।
- गोवा स्थित 'नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च' वैज्ञानिक अनुसंधान का नेतृत्व करेगा और एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- यह घरेलू वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय विश्वविद्यालयों में पृथ्वी विज्ञान, जैविक विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के विषयों के पाठ्यक्रम में आर्कटिक अनिवार्यताओं को शामिल करने के लिये विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी।
- आर्कटिक अनुसंधान भारत के वैज्ञानिक समुदाय को तीसरे ध्रुव - हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की दर का अध्ययन करने में मदद करेगा जो कि भौगोलिक ध्रुवों से बाहर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है।

आर्कटिक क्षेत्र

- आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आठ देश; डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, फिनलैंड, तथा आइसलैंड आते हैं। ये देश अंतर-सरकारी फोरम 'आर्कटिक परिषद्' के सदस्य हैं।
- इस क्षेत्र में लगभग चालीस लाख लोग रहते हैं, जिसमें से लगभग 10% लोग स्थानीय या मूल निवासी हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक के लिये अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और वर्ष 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन 'हिमाद्रि' की स्थापना की।

- भारत वर्ष 2013 और 2019 में आर्कटिक परिषद् का पर्यवेक्षक चुना गया था।

खनिज संसाधनों का दोहन और अंतर-पीढ़ीगत समता

संदर्भ

वर्तमान में खनिज संसाधनों का दोहन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब इनका दोहन लाभ कमाने तथा राजस्व की प्राप्ति के लिये भी किया जा रहा है। जिस दर से खनिज संसाधनों का दोहन किया जा रहा है वह भावी पीढ़ियों की आवश्कताओं से एक प्रकार का समझौता है। अत: खनिजों के दोहन के संदर्भ में पुनर्विचार किये जाने की आवश्कता है।

अंतर-पीढ़ीगत समता का सिद्धांत

- इस सिद्धांत के अनुसार, वर्तमान पीढ़ी का यह उत्तरदायित्व है कि वह संसाधनों के उचित उपयोग तथा पारिस्थितकी संतुलन को बनाए रखते हुए भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ्य, संसाधनपूर्ण एवं सुरक्षित पर्यावरण का हस्तांतरण करे।
- वर्तमान पीढ़ी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये भावी पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता नहीं कर सकती और यह सतत् अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से परिलक्षित होता है।
- अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत वर्तमान पीढ़ी को यह सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि वह भावी पीढ़ियों को कम से कम उतने संसाधन तो अवश्य प्रदान करें जितने उसे प्राप्त हुए हैं।
- यदि वर्तमान पीढ़ी अंतर-पीढ़ीगत समानता का पालन करने में सफल होती है तो भावी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी के अनुसार आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर सकेगी।

खनिज नीति से संबंधित मुद्दे

- भारत की राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में कहा गया है कि "प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज भी शामिल हैं, एक साझा विरासत है, जहाँ राष्ट्र नागरिकों की ओर से ट्रस्टी की भूमिका निभाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस विरासत का लाभ मिल सके।"
- ऐसे में तेल, गैस और खनिजों का अधिक निष्कर्षण प्रभावी रूप से इस विरासत को बेचने जैसा है।
- दुर्भाग्य से सरकार खनिज बिक्री की प्राप्तियों को राजस्व या आय के रूप में मानती है जो कि मूल रूप से विरासत में मिली संपत्ति की ही बिक्री है।
- साथ ही, इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकारें खनिजों को उनकी वास्तविक कीमतों से कम पर उन कीमतों पर बेचती हैं जो लॉबिंग, राजनीतिक चंदे तथा भ्रष्टाचार से प्रेरित होती हैं।

गलत मूल्यांकन

- सरकार द्वारा खनिज बिक्री से प्राप्त आगमों को 'राजस्व' माना जाता है और इसके अनुसार ही इसे व्यय भी किया जाता है।
- विश्व-भर में खनिज संसाधनों के खनन से हो रही क्षति के अनुभवजन्य साक्ष्य बढ़ रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी इस बात के प्रमाण मिले हैं कि संसाधन संपन्न देशों की सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के निवल मूल्य में गिरावट का सामना करती हैं अर्थात, ये सरकारें निर्धन होती जा रही हैं।
- उच्च मुनाफे के कारण निष्कर्षक (Extractors) अधिक से अधिक खनिज संसाधनों का निष्कर्षण करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
- खनिज संसाधनों का अधिक खनन पहले से खराब स्थिति को और भी बदतर बना सकता है।
- सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन और खनिज संपदा हेतु रिपोर्टिंग के लिये मानकों की इस त्रुटि को सही किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- यदि खनिज संसाधनों का निष्कर्षण किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है तो मूल्य में शून्य हानि प्राप्त करना स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिये और ट्रस्टी के रूप में सरकार द्वारा पूर्ण आर्थिक मूल्य को प्राप्त किया जाना चाहिये।
- संसाधनों की किसी भी प्रकार की हानि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों के लिये नुकसानदेह है। यह विचार कि संसाधनों की कुछ हानियाँ लाभप्रद होती हैं, अनुचित है।
- भारत की राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में कहा गया है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी कि निष्कर्षित खनिज संसाधनों का पूरा मूल्य राज्य को प्राप्त हो।

- इस संदर्भ में नॉर्वे की तरह एक 'फ्यूचर जनरेशन फंड' के माध्यम से संपूर्ण खनिज बिक्री से प्राप्त होने वाली आय बचाई जानी चाहिये।
- 'फ्यूचर जनरेशन फंड' का राष्ट्रीय पेंशन योजना फ्रेमवर्क के माध्यम से निष्क्रिय निवेश किया जा सकता है।
- इस प्रकार के फंड की वास्तविक आय केवल नागरिकों के लाभांश के रूप में सभी में समान रूप से वितरित की जा सकती है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये यह अधिक उपयुक्त है क्योंकि इससे पूँजी-निर्माण होगा, बचत दर में वृद्धि होगी, जिससे घरेलू पूँजी अधिक उपलब्ध हो सकेगी और यह संभावित वापसी में सुधार करते हुए जोखिम में भी विविधता लाता है।

निष्कर्ष

सभी खनिज संसाधन वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ियों के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। चूँकि इन संसाधनों को एक बार उपभोग करने के पश्चात् पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः इनका संयमपूर्ण निष्कर्षण होना चाहिये, जिससे भावी पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके।

फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट

- हाल ही में, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर बने ओंकारेश्वर बाँध पर विश्व की सबसे बड़ी (600 मेगावाट क्षमता) सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किये जाने की घोषणा की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 तक विद्युत उत्पादन शुरू किये जाने की संभावना है, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हो सकेगी।
- इस परियोजना के तहत ओंकारेश्वर बाँध के 2000 हेक्टेयर बैकवाटर क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएँगे। बाँध के जल-स्तर के कम-ज़्यादा होने पर यह पैनल स्वचालित रूप से अपनी स्थिति को ऊपर-नीचे समायोजित करने में सक्षम है। इससे इन पर तीव्र लहरों तथा बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक तथा पावर ग्रिड ने उक्त परियोजना के विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही, विश्व बैंक के सहयोग से परियोजना की प्राथमिक व्यवहार्यता का अध्ययन पूरा किया जा चुका है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) ने केरल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट (452 KWh क्षमता) का निर्माण किया था। यह परियोजना कंपनी द्वारा 'हरित ऊर्जा पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट' को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है।

सुंदरवन बायोस्फीयर रिज़र्व के पक्षी

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) स्टेट्स के अनुसार, भारतीय सुंदरवन, जो विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन का हिस्सा है, पक्षियों की 428 प्रजातियों का आवास स्थल है।

प्रमुख बिंदु

- जे.एस.ई. द्वारा प्रकाशित "बर्ड्स ऑफ द सुंदरवन बायोस्फीयर रिज़र्व" न केवल सुंदरवन में पाए जाने वाले सभी पक्षियों से संबंधित दस्तावेज़ है, बल्कि यह क्षेत्र की सभी प्रजातियों के विस्तृत वितरण और स्थानीय डेटा के साथ व्यापक 'फोटोग्राफिक फील्ड गाइड' के रूप में भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य पक्षियों से संबंधित जानकारी को लोगों तक पहुँचाना है।

- सर्वे के अनुसार, सुंदरवन में पक्षियों की कुल 428 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से कुछ प्रजातियाँ जैसे कि 'मास्कड फिनफुट' और 'बफी फिश आउल' केवल सुंदरवन में ही रिकॉर्ड किये गए हैं।
- यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में ऑस्प्रे, ब्राह्मिनी चील, श्वेत पेट वाली समुद्री बाज वार्बलर्स और किंगफिशर प्रमुख पक्षी हैं।
- यह क्षेत्र देश में पाए जाने वाले किंगफिशर की 12 में से 9 प्रजातियों का आवास स्थल है जैसे- गोलियत बगुला और स्पून-बिल्ड सैंडपाइपर।
- भारत में पक्षियों की लगभग 1,300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 428 प्रजातियाँ सुंदरवन की हैं। इसका आशय है कि देश के लगभग एक तिहाई पक्षी सुंदरवन में पाए जाते हैं।
- ज्वारीय गतिविधियों के दौरान यहाँ जमा होने वाले मडफ्लैट्स (सूक्ष्मजीवों से समृद्ध) प्रवासी पक्षियों के लिये आदर्श भोजन है।
- सुंदरवन में पक्षियों की स्थिति से संबंधित यह प्रकाशन सुंदरवन के पारिस्थितिकी पहलू को उजागर करता है और इस क्षेत्र का विस्तृत विवरण भी प्रदान करता है।

सुंदरवन

- सुंदरवन, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में 4,200 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ एक दलदलीय वन क्षेत्र है। इसे सुंदरवन नाम इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सुंदरी वनों के कारण मिला है।
- भारत में यह पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना ज़िले के लगभग 19 विकासखंडों में फैला हुआ है।
- देश के सभी मैंग्रोव वनों का 60% हिस्सा केवल सुंदरवन में पाया जाता है जो कि सर्वाधिक विविधता युक्त प्राकृतिक भूदृश्य है।
- भारतीय सुंदरवन यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का हिस्सा है और यह रामसर स्थल के रूप में भी नामित है।
- इसका 2,585 वर्ग किमी क्षेत्र सुंदरवन टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आता है, जिसमें लगभग 96 रॉयल बंगाल टाइगर (2020 में अंतिम जनगणना के अनुसार) पाए जाते हैं।
- यहाँ पाए जाने वाले रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ के जलीय परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं और ये तैर भी सकते हैं।

11 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल ओशन

संदर्भ

हाल ही में, डॉ. हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 'भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र' (INCOIS) द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म 'डिजिटल ओशन' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 'डिजिटल ओशन', महासागरीय आँकड़ों के प्रबंधन (ओशन डेटा मैनेजमेंट) के लिये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- यह महासागर से संबंधित आँकड़ों को अनुसंधान व परिचालन संबंधी संस्थाओं, सामरिक उपयोगकर्ताओं, शैक्षणिक समुदायों, समुद्री उद्योग और नीति निर्माताओं सहित उपयोगकर्ताओं के एक विस्तृत समूह के साथ साझा करने में मदद करता है।
- यह आम जनता और सामान्य लोगों को सूचना तक पहुँच निशुल्क उपलब्ध कराता है।
- विदित है कि डिजिटल ओशन को हिंद महासागर के किनारे बसे सभी देशों में ओशन डाटा मैनेजमेंट में क्षमता निर्माण के लिये एक मंच के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

लाभ

- डिजिटल ओशन, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह महासागरों के टिकाऊ प्रबंधन और 'ब्लू इकोनॉमी' (सागर आधारित अर्थव्यवस्था) को विस्तार देने व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- यह गहरे महासागरीय अभियान, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर शोध, सागरीय खनिज संपदा तथा खाद्य स्रोतों से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएगा। इन आँकड़ों को साझा करना अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
- यह उपयोगकर्ताओं की एक विस्तृत श्रेणी के सभी आँकड़ों हेतु वन स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- इसकी परामर्श सेवाओं में मछली पकड़ने के संभावित क्षेत्रों के संबंध में सलाह, महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान, ऊँची लहरों तथा सुनामी की प्रारंभिक चेतावनी, चक्रवात के विकास और तेल रिसाव की सलाह इत्यादि शामिल हैं।
- यह संस्थान राष्ट्रीय एग्रो डाटा केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय एग्रो कार्यक्रम के क्षेत्रीय एग्रो डाटा सेंटर के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है।

चंद्रमा पर नाभिकीय संयंत्र

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और नासा द्वारा 'अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और प्रणोदन के लिये राष्ट्रीय रणनीति' जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- रणनीति के तहत 'अंतरिक्ष नीति निदेशिका-6' (SPD – 6) में नासा द्वारा वर्ष 2026-2027 तक चंद्रमा की सतह पर परमाणु विखंडन (Fission) ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- यह संयंत्र 40 किलोवाट या उससे अधिक विद्युत उत्पादन में सक्षम होगा।
- इसके अलावा, नासा का लक्ष्य वर्ष 2026 तक उड़ान से जुड़ी एक ऐसी हार्डवेयर प्रणाली विकसित करना है, जिसे वह चंद्रमा पर अभियान के दौरान लैंडर के साथ एकीकृत कर सके।
- ऐसा अनुमान है कि विखंडन ऊर्जा प्रणाली भविष्य में चंद्रमा तथा मंगल पर रोबोट और मानव अन्वेषण अभियानों को लाभान्वित करेगी।

चीन का रुख

- चीन ने इस खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेरिका की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के कारण भविष्य में चंद्रमा पर एक सैन्य होड़ शुरू हो सकती है।
- चीन के अनुसार, चंद्रमा पर हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग परमाणु विखंडन के लिये किया जा सकता है और चूँकि अमेरिका ने चंद्रमा पर मौजूद परमाणु सामग्रियों का दोहन कर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की बात कही है, अतः वह चंद्रमा का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के स्थल के रूप में कर सकता है।
- यद्यपि अमेरिका का कहना है कि उसका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक अनुसंधान और अध्ययन करने के लिये आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चंद्रमा से जुड़ी संधि को मंजूरी दी थी, जिसमें कहा गया था कि चंद्रमा या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर कोई भी देश कब्ज़ा कर अपनी संप्रभुता प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करेगा।
- हालाँकि, अमेरिका इस संधि में शामिल नहीं हुआ था लेकिन वह अभी तक इस संधि में तय नियमों का पालन करता आया है।

ट्रांसफैट की अनुमन्य मात्रा

संदर्भ

हाल ही में, 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) ने खाद्य पदार्थ सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम में एक संशोधन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संशोधन द्वारा तेल एवं वसा में ट्रांस फैटी एसिड (TFA) की अनुमन्य मात्रा वर्ष 2021 तक 3% और वर्ष 2022 तक 2% निर्धारित की गई है, वर्तमान में यह अनुमन्य मात्रा 5% है।
- वर्ष 2011 में भारत ने पहली बार ट्रांस फैटी एसिड की अनुमन्य मात्रा को विनियमित कर 10% निर्धारित किया, जिसे वर्ष 2015 में घटाकर 5% कर दिया गया था।
- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान तथा कुछ अन्य देशों को ट्रांस फैट के जोखिम से जुड़ी चेतवानी दी है और इस पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। ध्यातव्य है कि सिर्फ ट्रांस फैट की वजह से पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग 500,000 लोगों की हृदय रोगों से मृत्यु हो जाती है। इनमें से दो-तिहाई मौतें मात्र 15 देशों में होती हैं।

ट्रांस फैट अथवा ट्रांस फैटी एसिड (TFA)

- ट्रांस फैट अथवा ट्रांस फैटी एसिड **अत्यधिक हानिकारक प्रकार के असंतृप्त वसा** होते हैं, जो वानस्पतिक वसा, जैसे– मार्जरीन (कृत्रिम मक्खन) तथा घी (प्रशोधित मक्खन), हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल आदि के अलावा स्नैक्स, विभिन्न बेकरी उत्पादों तथा तले हुए खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं।
- दीर्घकाल तक खराब न होने, अन्य विकल्पों की तुलना में सस्ते होने के साथ ही स्वाद व लागत को प्रभावित नहीं करने के कारण उत्पादकों द्वारा ट्रांस फैट का अधिक प्रयोग किया जाता है।
- ये न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें हृदय रोग से बचाने में मदद करने वाले अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम कर देते हैं।
- इसके प्रयोग से **मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, उपापचयी सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध, बाँझपन, कैंसर** आदि का खतरा होता है तथा यह गर्भ में भ्रूण के विकास को भी हानि पहुँचा सकता है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. ने प्रति व्यक्ति कुल केलोरी मात्रा में 1% से कम कृत्रिम ट्रांस फैटी एसिड को अनुमन्य माना है। साथ ही, वर्ष 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को पूर्णत: खत्म करने का आह्वान किया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. ने भी खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड की सीमा को 2% तक सीमित करने तथा वर्ष 2022 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट को खत्म करने की अनुशंसा की है।

जियो-इंजीनियरिंग (Geo-Engineering)

संदर्भ

विगत कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से नई शमन तकनीक के रूप में जियो-इंजीनियरिंग लगातार चर्चा में रही है। हालाँकि यह भी देखा गया है कि ग्लोबल-वार्मिंग पर अंकुश लगाने की तमाम कोशिशों और जियो-इंजीनियरिंग के विकल्पों के बावजूद दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हो पाया है।

परिभाषा एवं प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल-वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में किये जाने वाले सुधारात्मक हस्तक्षेप को जलवायु इंजीनियरिंग, जियो-इंजीनियरिंग या भू-अभियांत्रिकी कहते हैं। यह तकनीक प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों; सौर विकिरण प्रबंधन (Solar Radiation Management), कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (Carbon dioxide Removal) और मौसम संशोधन (Weather Modification) के रूप में कार्य करती है।
- किसी ग्रह के पर्यावरण को बदलने के लिये तथा उसे और अधिक रहने योग्य बनाने का विचार काफी पुराना है, जैसे ग्रहीय इंजीनियरिंग (पृथ्वी जैसी सतह देने के लिये किसी ग्रह की सतह को भौतिक रूप से बदलना)।
- ग्रहों की इंजीनियरिंग के विपरीत, जियो-इंजीनियरिंग विशेष रूप से पृथ्वी पर केंद्रित तकनीक है।
- मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी कुछ गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। हालाँकि, ग्लोबल-वार्मिंग इन समस्याओं में सबसे प्रमुख है, लेकिन अन्य मुद्दों पर भी जियो-इंजीनियरिंग द्वारा समाधान खोजे जा रहे हैं।

जियो-इंजीनियरिंग की विशिष्ट तकनीकें

जियो-इंजीनियरिंग की विशिष्ट तकनीकें निम्नलिखित हैं –

- **सौर जियो-इंजीनियरिंग (Solar Geo-engineering) :** हवा में सल्फेट का छिड़काव कर सूर्य की किरणों का कृत्रिम परावर्तन कर उनकी तीव्रता को कम करना।
- **महासागर उर्वरीकरण (Ocean Fertilization) :** समुद्री वातावरण में लोहे या यूरिया डंपिंग द्वारा अधिक कार्बन अवशोषण के लिये फाइटोप्लांकटन के विकास को सक्षम बनाना।
- **क्लाउड ब्राईटनिंग (Cloud Brightening) :** बादलों को अधिक परावर्तक बनाने के लिये खारे पानी का छिड़काव।
- ध्यातव्य है कि बहुत समय तक 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित सी.डी.आर. (Carbon dioxide Removal) प्रौद्योगिकियों द्वारा प्राकृतिक कार्बन चक्र में जानबूझकर हस्तक्षेप किया जाता था। प्रमुख सी.डी.आर. प्रौद्योगिकियाँ निम्नलिखित थीं– कार्बन केप्चर और स्टोरेज (CCS), डायरेक्ट एयर केप्चर (DAC) और बायोएनर्जी विथ कार्बन केप्चर और स्टोरेज (BECCS) ।

भारत और भू-अभियांत्रिकी

- पूर्व में भारत में जियो-इंजीनियरिंग की पहल के रूप में लोहाफेक्स (LOHAFEX) नामक पदार्थ प्रयोग किया गया था। इस प्रयोग से लोहे द्वारा महासागर का ऊर्वरीकरण किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या लोहा 'एल्गल ब्लूम' का कारण बन सकता है? और क्या यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकता है?
- लोहाफेक्स, भारत के 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्' (CSIR) और जर्मनी में हेल्महोल्ज्ज फाउंडेशन (Helmholtz Foundation) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया प्रयोग था।
- लोहाफेक्स के दौरान क्लोरोफिल के स्तर में वृद्धि के अलावा एल्गल ब्लूम की वजह से जूप्लैंकटन का विकास भी देखा गया। ध्यातव्य है कि भोजन के लिये जूप्लैंकटन एल्गल ब्लूम पर निर्भर होते हैं। जूप्लैंकटन्स को बाद में बड़े समुद्री जीव खाते हैं।
- इस प्रकार लोहे द्वारा महासागर के ऊर्वरीकरण से समुद्री बायोमास में कार्बन स्थिरीकरण देखा गया था लेकिन अत्यधिक मत्स्यन की वजह से इसके प्रभाव अब कमज़ोर पड़ रहे हैं।

जियो-इंजीनियरिंग के अनपेक्षित परिणाम

- जियो-इंजीनियरिंग के परीक्षणों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन प्रयोगों के आशानुरूप परिणामों के लिये बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे, जिस वजह से अक्सर वैज्ञानिक या प्रयोगकर्ता पीछे हट जाते हैं या उन्हें वित्तपोषण की कमी पड़ जाती है।
- ग्रहीय स्तर पर यदि प्रयोग किये भी जाएँ तो उनके गंभीर हानिकारक परिणाम होने का जोखिम भी रहता है। उदाहरण के लिये सोलर जियो-इंजीनियरिंग, वर्षा के पैटर्न को बदल देती है, जो कृषि और पानी की आपूर्ति को बाधित कर सकती है। आर्कटिक के ऊपर के समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल का छिड़काव एशिया में मानसून को बाधित कर सकता है और सूखे को बढ़ा सकता है।

भू-राजनीतिक चिंताएँ

- जलवायु में हस्तक्षेप को परमाणु हथियारों की तरह ही बड़े स्तर पर विध्वंसक रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
- यदि देश हानिकारक तूफानों के रास्तों को बदलने पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और तूफानों की दिशा अन्य देशों की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं तो यह कृत्य युद्ध के समान ही माना जाएगा।

निष्कर्ष

- हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिये जियो-इंजीनियरिंग को डीप-डीकार्बोनाइजेशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिये, इसके द्वारा पृथ्वी के "क्लीन अप प्रोसेस" में तेज़ी आएगी।

- जियो-इंजीनियरिंग तकनीक की वजह से अन्य शमन उपायों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।
- विशिष्ट प्रौद्योगिकियाँ जो नकारात्मक उत्सर्जन को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकती हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित करने की आवश्यकता है और लोकतांत्रिक रूप से यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि वे सार्वजनिक हित में हों।
- जियो-इंजीनियरिंग को सभी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के पूरक के रूप में ही देखा जाना चाहिये, विकल्प के तौर पर नहीं।

फ्लू गैस डी-सल्फराइज़ेशन

संदर्भ

हाल ही में, ऊर्जा मंत्रालय ने तापीय शक्ति संयंत्रों (Thermal Power Plants) हेतु उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने के लिये निर्धारित समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने इन संयंत्रों के लिये उत्सर्जन मानकों के पालन हेतु फ्लू गैस डी-सल्फराइज़ेशन (FGD) इकाइयों को स्थापित करने के लिये वर्ष 2017 की समयसीमा निर्धारित की थी।
- एफ.जी.डी. इकाइयों को स्थापित करने का उद्देश्य थर्मल पावर प्लांटों से विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) को पृथक कर वायु की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।
- हालाँकि, बाद में इस समयसीमा को विभिन्न क्षेत्रों के लिये (अलग-अलग समयसीमा के साथ) वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया था।
- नवीनतम प्रस्ताव के अनुसार अभी आगामी समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

फ्लू गैस डी-सल्फराइज़ेशन (FGD)

- जीवाश्म ईंधन आधारित थर्मल प्लांटों तथा उत्सर्जक प्रक्रियायों में दहन के कारण निष्कासित सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) तथा अन्य गैसीय प्रदूषकों को पृथक करने या उपचारित करने की प्रक्रिया फ्लू गैस डी-सल्फराइज़ेशन कहलाती है।
- एफ.जी.डी. प्रक्रिया में आर्द्र स्क्रबिंग (Wet Scrubbing) तथा ड्राई स्क्रबिंग (Dry Scrubbing) शामिल होती हैं।
- आर्द्र स्क्रबिंग के अंतर्गत फ्लू गैसों को एक अवशोषक के संपर्क में लाया जाता है। यह अवशोषक तरल या ठोस सामग्री का घोल होता है, SO_2 तथा अन्य गैसीय प्रदूषक इस अवशोषक में घुल जाते हैं।
- ड्राई स्क्रबिंग में भी अवशोषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें अवशोषक के रूप में चूना पत्थर के पाउडर का प्रयोग किया जाता है।
- एफ.जी.डी. तकनीक गैसीय प्रदूषकों का उपचार कर वायु प्रदूषण की रोकथाम में प्रभावी योगदान देती है।

होलोपोर्टेशन (Holoportation)

- लॉस एंजेल्स स्थित प्रौद्योगिकी कंपनी पी.ओ.आर.टी.एल. ने होलोपोर्टेशन के लिये फोन बूथ-आकार की एक मशीन का निर्माण किया है, जो कृत्रिम बुद्धिमता (AI) का प्रयोग कर होलोग्राम के माध्यम से मशीन उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में किसी अन्य जीवित या मृतक व्यक्ति के रिकॉर्ड किये गए के साथ बात करने तथा आँकड़े एकत्र करने में सक्षम है।
- होलोपोर्टेशन, संवर्द्धित और आभासी वास्तविकता के साथ टेलीप्रिजेंस के लिये सुरक्षित एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सिस्टम है। यह 3-डी केमरों द्वारा वास्तविक समय में व्यक्ति एवं वस्तुओं सहित संपूर्ण स्थान

के उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन को संभव बनाती है, जो आभासी होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होता है। कोई व्यक्ति इसमें लगे 3-डी केमरे की सहायता से अपना होलोग्राम रिकॉर्ड कर उसे अन्य व्यक्ति को भेज सकता है।

- यह मानवाकार मशीन, 7 फीट लंबे, 5 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे उपकरणों से युक्त है। इस उपकरण के बाईं व दाईं तरफ फ्रंट बेजल पर दो स्पीकर लगे हुए हैं, जो आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। केमरे में मोशन केप्चर नामक एक फीचर होता है जो किसी व्यक्ति के मशीन के सामने आते ही स्वचालित हो जाता है।
- जब मशीन के सामने किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होती है, तो मशीन इस गतिविधि के सभी लक्षणों को त्रि-आयामी ढंग से केप्चर कर लेती है। उपयोगकर्ता फोन या स्मार्ट टैबलेट पर एक ऐप के माध्यम से डिवाइस को एक्सेस कर सकता है।

मैग्नेटोटेल्यूरिक (Magnetotelluric)

- मैग्नेटोटेल्यूरिक (MT) एक भू-भौतिकीय विधि है, जिसमें भूगर्भिक संरचनाओं एवं गतिविधियों के अध्ययन के लिये पृथ्वी के चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों की भिन्नता का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा भूकंप उत्प्रेरण की संभावना को बढ़ाने वाले तत्त्वों, जैसे मैग्मा आदि की आवृत्ति को मापा जाता है।
- इस विधि द्वारा 300 से 10,000 मीटर तक की गहराई में उच्च आवृत्तियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके लिये प्रायः तीन प्रमुख भूकंपीय स्रोतों, महेंद्रगढ़-देहरादून फॉल्ट (MDF), सोहना फॉल्ट (SF) और मथुरा फॉल्ट (MF) से मापों को लिया जाता है।
- मैग्नेटोटेल्यूरिक तकनीक को सर्वप्रथम 1940 के दशक में जापानी वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पर 1950 के दशक में रूसी और फ्रांसीसी भू-भौतिकीविदों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य शुरू किया गया।
- भूकंपीय खतरे के सटीक अनुमान के साथ-साथ इस जानकारी का उपयोग भूकंप-रोधी इमारतों, औद्योगिक इकाइयों और महत्त्वपूर्ण संरचनाओं, जैसे– अस्पतालों, स्कूलों आदि को डिज़ाइन करने के लिये भी किया जा सकता है। वाणिज्यिक उपयोगों में हाइड्रोकार्बन (तेल और गैस) अन्वेषण, भू-तापीय अन्वेषण, कार्बन अनुक्रम, खनन अन्वेषण तथा हाइड्रोकार्बन और भूजल की निगरानी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (Quantum Random Number Generator)

- हाल ही में, मुंबई में स्थित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी (DYSL-QT) ने एक 'क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर' (QRNG) विकसित किया है, जो यादृच्छिक क्वांटम घटनाओं का पता लगाकर उन्हें बाइनरी अंकों के अनुक्रम में परिवर्तित करने में सक्षम है। अभी तक इस संदर्भ में उपयोग की जा रही ज्ञात पद्धतियों से सटीक यादृच्छिकता को प्राप्त करना सामान्यतः असंभव है।
- यह जेनरेटर, फाइबर ऑप्टिक्स के 'फोटॉन बीम स्प्लिटर टकराव' क्रियाविधि पर कार्य करता है। फोटॉन द्वारा चुना गया पथ यादृच्छिक (Random) होता है तथा यादृच्छिकता को बाइनरी अंकों में अनुक्रमित किया जाता है, जिसे 'बिट्स' भी कहा जाता है।
- क्वांटम यांत्रिकी में वास्तविक यादृच्छिक संख्याएँ प्रदान करने की अंतर्निहित क्षमता होती है। इस कारण इसे यादृच्छिकता की आवश्यकता वाले वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिये महत्त्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस विकास के बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास क्वांटम घटना के आधार पर यादृच्छिक संख्या की पीढ़ी को प्राप्त करने की तकनीक है।
- विदित है कि क्वांटम संचार, क्रिप्टोग्राफी एप्लिकेशन, प्रमाणीकरण, वैज्ञानिक सिमुलेशन, लॉटरी और मौलिक भौतिकी प्रयोग में यादृच्छिक संख्याओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- DYSL-QT डी.आर.डी.ओ. की पाँच यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज़ में से एक है, जो पाँच अलग-अलग तकनीकों पर काम कर रही हैं। डी.आर.डी.ओ. की 4 अन्य यंग लेबोरेटरीज़- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

(DYSL–AI) बेंगलुरु, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी (DYSL–CT) चेन्नई, असममित टेक्नोलॉजी (DYSL–AT) कोलकाता, स्मार्ट मटीरियल्स (DYSL–SM) हैदराबाद हैं। इन्हें जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

रुथेनियम-106 (Ruthenium-106)

- 'भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र' (BARC) ने आँखों में ट्यूमर के उपचार के लिये रुथेनियम-106 पट्टिका (Ruthenium–106 Plaque) आधारित प्रथम स्वदेशी नेत्र केंसर थैरेपी विकसित की है। हाल ही में दिल्ली स्थित 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान' (AIIMS) में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है।
- रुथेनियम-106 पट्टिका को नेत्र-सर्जन द्वारा नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि नेत्र-ट्यूमर नेत्र के भीतरी भाग का ट्यूमर है जो कोशिकाओं के संग्रहण से निर्मित होता है। यह ट्यूमर अनियंत्रित रूप से वृद्धि करते हुए बढ़ने लगता है।
- परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से भारत में बनाई गई बार्क पट्टिका का उपयोग अब तक नेत्र केंसर के 7 मामलों में किया गया है, जिनमें से दो रेटिनोब्लास्टोमा, दो कोरॉयडल मेलानोमा, दो ऑक्यूलर फ्लोर स्क्वैमस नियोप्लासिया और एक कोरॉयडल हेमांगीओमा के मामले से संबंधित है।
- रुथेनियम-106 एक दुर्लभ भारी धातु रुथेनियम का रेडियोधर्मी रूप है, जो 'प्लैटिनम समूह' की धातु से संबंधित है। यह यूरेनियम-235 (परमाणु विखंडन रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का एक प्रकार है) के विखंडन से उत्पन्न होता है। अतः यह प्रयुक्त किये गए परमाणु ईंधन में पाया जाता है।
- रुथेनियम-106 का प्रयोग केंसर विकिरण चिकित्सा, विशेषकर नेत्र तथा त्वचा के ट्यूमर के उपचार हेतु किया जाता है। साथ ही, इसका उपयोग रेडियो-आइसोटोप के थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा उपग्रहों को ऊर्जा प्रदान करने के लिये भी किया जाता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश

संदर्भ

हाल ही में, अंतरिक्ष विभाग एवं इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति के नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की गई। इससे भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को नई गतिशीलता मिलने की संभावना है।

मुख्य बिंदु

- घोषित अंतरिक्ष नीति के दिशा-निर्देशों के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में अपने केंद्र स्थापित करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच साझेदारी से इस क्षेत्र में नए उपक्रमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इन साझा उपक्रमों के तहत उपग्रहों के विकास में साझेदारी, अंतरिक्ष विज्ञान को एक नई दिशा दे सकती है।
- ध्यातव्य है कि यदि विदेशी कंपनियों से साझेदारी नहीं होती है तो भी नए भारतीय स्टार्टअप और कंपनियाँ, अंतरिक्ष से संबंधित तकनीक और बुनियादी ढाँचे के विकास और व्यवसायीकरण में अपना योगदान दे सकेंगी।

अन्य बिंदु

- निवेश के नए नियमों के अनुसार विदेशी कंपनियों को इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्रक्षेपण और दूरमापी सेवाओं के प्रयोग की छूट होगी।
- इन कंपनियों को दूरसंचार और दूरमापी सुविधाओं के लिये भूतल केंद्रों के निर्माण में भी शामिल किया जा सकेगा।

- भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल, नार्वे-स्थित कांग्सबर्ग सैटेलाइट सर्विसेस (केसैट) के साथ साझेदारी की प्रक्रिया शुरू भी कर चुकी है।
- केसैट दुनियाभर में भूतल केंद्रों के एक बड़े नेटवर्क का संचालन करती है। इसके जरिये यह डाउनलिंक सेवाएँ और हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवाएँ मुहैया कराती है।
- एयरटेल की वनवेब कंपनी में भी हिस्सेदारी है। वनवेब कंपनी पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर लगाने वाले 648 उपग्रहों के एक समूह का निर्माण करने वाली है। यह दुनिया में छोटे उपग्रहों के सबसे बड़े समूहों में से एक होगा।
- स्पष्ट है कि देशभर में भूतल केंद्रों की स्थापना के मकसद से वनवेब में एयरटेल की हिस्सेदारी और केसैट के साथ उसका समझौता भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- देश के दूरदराज के वो भूभाग जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर के जरिये नहीं जोड़ा जा सकता, उन्हें इस गठजोड़ से काफी फायदा पहुँचने की संभावना है।
- यद्यपि विशेषज्ञों का मानना है कि सेना और उद्योग जगत के बीच सहयोग को मंजूरी देने वाले अंतरिक्ष विभाग के नए दिशा-निर्देशों को और स्पष्ट किये जाने की ज़रूरत है।
- संवेदनशीलता को देखते हुए रिमोट सेंसिंग, दूरसंचार और अंतरिक्ष से खींची जाने वाली तस्वीरों के मामलों में भारतीय सेना का न तो विदेशी कंपनियों से कोई गठजोड़ होगा और न ही इन संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा हित को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है।

वैश्विक स्थिति

- चीन और अमेरिका अपनी सेनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यापारिक इस्तेमाल में अग्रणी हैं।
- बीजिंग स्थित शिनवेई टेलीकॉम कंपनी और शिंघुआ यूनिवर्सिटी ने मिलकर सिमसैट उपग्रहों का एक जाल बिछाया है, जिनकी संख्या आगे चलकर 300 तक पहुँच सकती है। इनके जरिये समुद्री जहाज़ों, मोबाइल उपभोक्ताओं, गाड़ियों और हवाई जहाज़ों को तेज़ रफ्तार वाली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा, नैरोबैंड दूरसंचार और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता उपलब्ध कराई जा सकती है।
- चीन की एयरोस्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (सी.ए.एस.सी.) द्वारा विकसित और पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 300 से भी ज़्यादा उपग्रहों वाले 'होंग्यान महासमूह' चीन की फौज और असैनिक उपभोक्ताओं तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएँ मुहैया कराने में सफल रही है।

अनाज से इथेनॉल

संदर्भ

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिये 'अनाज आधारित भट्टियों' की स्थापना करने एवं मौजूदा अनाज आधारित भट्टियों को विस्तार देने की योजना को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- अनाज से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में लगभग 175 लाख मीट्रिक टन अनाज (चावल, गेंहू, जौ, मक्का और ज्वार) का इस्तेमाल होगा।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं भट्टियों को मिलेंगे, जो अनाजों की सूखी पिसाई की प्रक्रिया (ड्राई मीलिंग प्रोसेस) का इस्तेमाल करेंगी।

अनाज से इथेनॉल

- वर्ष 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये तथा रसायन एवं अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने हेतु लगभग 1,400 करोड़ लीटर एल्कोहल/इथेनॉल की ज़रूरत पड़ेगी।
- इसमें से 1,000 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता 20% मिश्रण के लक्ष्य को हासिल करने हेतु और 400 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता रसायन एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये होगी।
- इस 1,400 करोड़ लीटर की कुल आवश्यकता में से 700 करोड़ लीटर की आपूर्ति चीनी उद्योग और 700 करोड़ लीटर की आपूर्ति अनाज आधारित भट्टियों द्वारा की जाएगी।
- इसी क्रम में, चीनी उद्योग द्वारा लगभग 700 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिये करीब 60 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया जाएगा।
- इतनी मात्रा में चीनी के इस्तेमाल से चीनी उद्योग को अतिरिक्त चीनी के भंडारण की समस्या से निजात मिलेगी और चीनी मिलों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इससे वे गन्ना किसानों को उनके बकाए का भुगतान समय पर कर सकेंगी।
- गन्ना और इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से तीन राज्यों– उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। इन तीन राज्यों से इथेनॉल को दूरदराज के अन्य राज्यों में ले जाने पर भारी परिवहन खर्च आता है।
- देशभर में नई अनाज आधारित भट्टियाँ स्थापित करने से देश के अलग-अलग भागों में इथेनॉल का वितरण संभव हो सकेगा और इससे परिवहन पर आने वाला भारी खर्च भी बचाया जा सकेगा।

भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (Indian Sars – Cov-2 Genomics Consortium — INSACOG)

- हाल ही में, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और विश्व के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद सरकार ने वायरस निगरानी, जीनोम सीक्वेंसिंग और निरुपण में तेज़ी लाने की दिशा में कदम उठाते हुए 'भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम' का निर्माण किया है।
- सरकार ने इस कंसोर्टियम में 10 प्रयोगशालाओं को शामिल किया है, जिसमें से डी.बी.टी.- एन.आई.बी. एम.जी, जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम की समन्वय इकाई के रूप में एस.ओ.पी, आँकड़ों की व्याख्या, आँकड़ों के विश्लेषण, आँकड़े जारी करने आदि जैसे कार्यकलापों के संबंध में एन.सी.डी.सी. की एक नोडल यूनिट के साथ मिलकर कार्य करेगी।
- कंसोर्टियम का लक्ष्य नियमित आधार पर बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से कोरोना वायरस के जीनोमिक्स प्रकारों पर नज़र रखना है। यह भविष्य में संभावित वैक्सीनों के विकास में भी सहायता प्रदान करेगा।
- इसके अलावा यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव सहित जीनोमिक्स प्रकारों का जल्द पता लगाने के लिये सख्त निगरानी व्यवस्था भी स्थापित करेगा और असामान्य घटनाओं/प्रचलनों (तेज़ी से फैलने की घटनाओं, उच्च मृत्यु/रोग के प्रचलन क्षेत्रों आदि) में जीनोमिक्स प्रकारों का निर्धारण करेगा।
- INSACOG में एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति भी होगी, जो नीतिगत मामलों के लिये कंसोर्टियम को मार्गदर्शन प्रदान करेगी तथा कंसोर्टियम की निगरानी करेगी। इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन हेतु एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह भी होगा ।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आई.सी.एम.आर. और सी.एस.आई.आर. के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वय करके भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की कार्यनीति और योजना तैयार की गई है।

2D-इलेक्ट्रॉन गैस (2DEG)

संदर्भ

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के स्वायत्त निकाय 'नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' (INST) ने दो इन्सुलेट ऑक्साइड परतों के इंटरफेस पर अत्यधिक गतिशील 2D-इलेक्ट्रॉन गैस (2DEG) का उत्पादन किया है।

2D-इलेक्ट्रॉन गैस से संबंधित मुख्य बिंदु

- यह इलेक्ट्रॉन गैस किसी डिवाइस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्वांटम सूचना और सिग्नल को अत्यधिक गतिशीलता (Ultra High Mobility) के साथ स्थानांतरित करने में सक्षम है। साथ ही, यह डाटा भंडारण और मेमोरी को भी बढ़ा सकती है।
- इलेक्ट्रॉन गैस की उच्च गतिशीलता के कारण इलेक्ट्रॉन के नाभिक लंबी दूरी के माध्यम के भीतर आपस में टकराते नहीं हैं, फलस्वरूप वे लंबे समय तक मेमोरी व सूचना को भंडारित करने तथा लंबी दूरी तक स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, तीव्र प्रवाह के दौरान कम टकराव के कारण उनके मध्य प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे ऊर्जा की क्षति अपेक्षाकृत कम होती है। इसलिये ऐसे उपकरण जल्दी गर्म नहीं होते हैं तथा उनके संचालन हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

क्रियाविधि

- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिये इलेक्ट्रॉन के गुणधर्म में कुछ बदलाव किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन के 'आवेश' (Charge) की बजाय उसके 'चक्रण' (Spin) का उपयोग किया जाता है, यह प्रक्रिया 'स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम' कहलाती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के आधार पर विकसित प्रौद्योगिकी को 'इलेक्ट्रॉनिक्स', जबकि इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर आधारित प्रौद्योगिकी को 'स्पिन्ट्रॉनिक्स' कहा जाता है। जहाँ 'इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण' इलेक्ट्रॉन के 'आवेश संरक्षण के सिद्धांत' (Charge Conservation Theory) पर कार्य करते हैं, वहीं 'स्पिन्ट्रॉनिक्स उपकरण' इलेक्ट्रॉन के 'स्पिन वितरण के सिद्धांत' (Spin Distribution Theory) पर कार्य करते हैं।
- इस सिद्धांत के आधार पर विज्ञान की एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने 'स्पिन-इलेक्ट्रॉनिक्स' या 'स्पिन्ट्रॉनिक्स' का नाम दिया है। यह व्यवस्था 'रश्बा प्रभाव' (Rashba-Effect) की क्रियाविधि पर कार्य करती है, जिसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के भीतर स्पिन-बैंड विभाजित होते हैं। स्पिन्ट्रॉनिक्स उपकरण रश्बा प्रभाव की क्रियाविधि पर कार्य कर सकते हैं।

स्पिन्ट्रॉनिक्स तकनीक के अनुप्रयोग

- 'स्पिन्ट्रॉनिक्स' के अंतर्गत ठोस अवस्था वाले उपकरणों में इलेक्ट्रॉन के आंतरिक स्पिन और इसके चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्पिन्ट्रॉनिक्स प्रणाली को प्रायः तनु चुंबकीय अर्द्धचालकों (Dilute Magnetic Semiconductors) और हेस्लर मिश्रणों (Heusler Alloys) में अनुभव किया जा सकता है। इस तकनीक का अनुप्रयोग क्वांटम कंपयूटिंग और न्यूरोमॉर्फिक कंपयूटिंग के क्षेत्र में किया जा सकता है।
- स्पिन्ट्रॉनिक्स (इलेक्ट्रॉन स्पिन-ऑर्बिट टेक्नोलॉजी) के माध्यम से स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, स्पिन्ट्रॉनिक्स समर्थित उपकरणों में ऊष्मण (Heating) की समस्या भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है।

नैनो मिशन के बारे में

- वर्ष 2007 में भारत सरकार ने 'अंब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम' के रूप में नैनो मिशन की शुरुआत की थी।

- नैनो मिशन के तहत किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के मामले में दुनिया के शीर्ष पाँच देशों में शामिल हो गया है।
- 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' नैनो मिशन के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST)

- मोहाली (पंजाब) में स्थित 'नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान' विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 'नैनो मिशन' के तहत भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।
- यह संस्थान नैनो विज्ञान में रूचि रखने वाले जीव विज्ञानियों, रसायन विज्ञानियों, भौतिक विज्ञानियों, इंजीनियरों आदि को एकसाथ लाता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विशेष रूप से कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, पर्यावरण, जल इत्यादि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देना है।

5G तकनीक और भारत

संदर्भ

दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलिकॉम और अन्य औद्योगिक विशेषज्ञों से अगले 10 वर्षों के लिये 5G बैंड सहित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री तथा उपयोग के लिये निविष्टियों (Inputs) की माँग की है।

5G तकनीक क्या है?

- 5G इंटरनेट की पाँचवीं पीढ़ी है। इसका उपयोग लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (Long-Term Evolution – LTE) की अगली पीढ़ी का वर्णन करने हेतु किया जाता है। यह तकनीक 'अल्ट्रा लो लेटेंसी' के साथ तीव्र और अधिक विश्वसनीय संचार सेवाएँ प्रदान करती है।
- 5G तकनीक मुख्य रूप से 3 बैंड्स में काम करती है; निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम। इन सभी बैंड्स की उपयोग के साथ-साथ कुछ सीमाएँ भी होती हैं।
- निम्न बैंड स्पेक्ट्रम, इंटरनेट तथा डेटा एक्सचेंज की कवरेज एवं स्पीड के मामलें में अधिक उपयुक्त है। हालाँकि, इसकी अधिकतम स्पीड 100 एम.बी.पी.एस. (प्रति सेकंड मेगाबिट्स) तक सीमित है।
- वहीं मिड-बैंड स्पेक्ट्रम, निम्न बैंड की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है, लेकिन इसमें कवरेज क्षेत्र और सिग्नल की गुणवत्ता निम्न बैंड की तुलना में कम है।
- हाई-बैंड स्पेक्ट्रम बाकि बैंड्स की तुलना में उच्चतम गति प्रदान करता है, लेकिन इसमें अन्य की तुलना में बेहद सीमित कवरेज और कम सिग्नल प्राप्त होते हैं।
- 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को अधिकतम 20 Gbps (सेकंड प्रति गीगा बिट्स) तक दर्ज किया गया है। जबकि अधिकतर मामलों में, 4G में अधिकतम इंटरनेट की स्पीड 1 Gbps तक ही दर्ज की गई है।

5G तकनीक और भारत की स्थिति

- बेहतर नेटवर्क स्पीड तथा अधिकतम सिग्नल प्रदान करने के लिये विश्व के अन्य देशों की तरह भारत ने भी वर्ष 2018 तक 5G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई थी, परंतु यह सेवा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है।
- वर्तमान में भारत 5G सेवाओं को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में प्रयासरत है। इसी संदर्भ में देश की तीनों निजी दूरसंचार कंपनियों (रिलायंस-जियो, भारती एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया) ने दूरसंचार

विभाग से स्पेक्ट्रम आवंटन और 5G फ्रीक्वेंसी बैंड से संबंधित एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया है, ताकि वे इस संदर्भ में अपनी योजना बना सकें।

- हालाँकि, इसमें भारती एयरटेल तथा वोडाफोन आइडिया के समक्ष नकदी प्रवाह की कमी और पर्याप्त पूँजी का अभाव एक प्रमुख बाधा है।
- वहीं दूसरी ओर, रिलायंस जियो ने देश में इस वर्ष की दूसरी छमाही तक स्वदेशी 5G नेटवर्क शुरू करने की योजना बनाई है।
- 5G तकनीक भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक भाग है। 460 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल इंटरनेट बाज़ार है।
- एक अनुमान के अनुसार भारत वर्ष 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाज़ार बन सकता है, जिसमें से लगभग 8 करोड़ उपभोक्ता 5G तकनीक का उपयोग करेंगे।

हाई स्पीड रेल गलियारे के लिये लिडार सर्वेक्षण

संदर्भ

दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के निर्माण कार्य में लिडार (एरियल ग्राउंड) सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- दिल्ली-वाराणसी हाइस्पीड रेल गलियारे में लिडार सर्वेक्षण हेतु अत्याधुनिक एरियल लिडार तथा इमेजरी सेंसरों से सुसज्जित एक हैलिकॉप्टर का प्रयोग कर ग्राउंड सर्वेक्षण से संबंधित डाटा प्राप्त किया गया है।
- गौरतलब है कि दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा।
- राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्यों में लाइट डिटेक्शोन और रेंजिंग (लिडार) सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक की सहायता से ग्राउंड सर्वेक्षण से संबंधित सभी विवरण तथा डेटा 3 से 4 महीनों में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इस प्रक्रिया में सामान्यत: 10 से 12 माह का समय लगता है।
- लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना में ग्राउंड सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे रेलमार्ग के आस-पास के क्षेत्रों की सटीक जानकारी प्राप्त होती है।
- एरियल लिडार सर्वेक्षण में प्रस्तावित रेलमार्ग के आसपास के 300 मीटर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा तथा सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा के आधार पर रेलमार्गों की डिज़ाइन, संरचना, रेलवे स्टेशन के लिये स्थान, गलियारे के लिये भूमि की आवश्यकता, परियोजना से प्रभावित भूखंडों की पहचान आदि का निर्धारण किया जाएगा।
- विदित है कि राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 7 हाई स्पीड रेल गलियारे के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। इन सभी गलियारों में ग्राउंड सर्वेक्षण के लिये लिडार सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।

लिडार तकनीक (Light Detection and Ranging Technique – LIDAR)

- लिडार एक 'सुदूर संवेदी तकनीक' है, जिसमें पल्स लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करके विमान में सुसज्जित लेजर उपकरणों के माध्यम से किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है।
- लिडार उपकरणों में लेजर, स्कैनर और एक जी.पी.एस. रिसीवर होता है। यह तकनीक लघु तरंगदैर्ध्य के माध्यम से सूक्ष्म वस्तुओं या स्थान का त्रि-आयामी (3D) मानचित्र तैयार करने में सक्षम है।

- इस तकनीक के माध्यम से विस्तृत क्षेत्र के आँकड़े प्राप्त करने के लिये पृथ्वी की सतह पर लेजर प्रकाश डाला जाता है और प्रकाश के वापस लौटने के समय की गणना से वस्तु की दूरी का पता लगाया जाता है। इसे 'लेजर स्कैनिंग' या '3डी स्कैनिंग' भी कहा जाता है। विदित है कि रडार और सोनार तकनीक में क्रमशः रेडियो व ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है।
- इसका प्रयोग मानव निर्मित वातावरण के सर्वेक्षण, निर्माण परियोजनाओं को तेज़ी से ट्रैक करने तथा पर्यावरणीय अनुप्रयोगों आदि में किया जाता है। स्वायत्त वाहनों को नौवहन सुविधा प्रदान करने के लिये कम रेंज के लिडार स्कैनर का उपयोग भी किया जा रहा है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

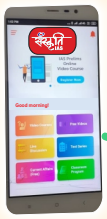

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन
वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

इतिहास में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की संपूर्ण अध्ययन-सामग्री
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र अध्ययन-सामग्री

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

भूगोल में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के एप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की संपूर्ण अध्ययन-सामग्री
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से संबंधित मानचित्र अध्ययन-सामग्री

नोट : उपर्युक्त संपूर्ण अध्ययन-सामग्री कोरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on:

12 विविध

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) सेवा

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के लिये 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) सेवा का उद्घाटन किया है।

प्रमुख बिंदु

- एन.सी.एम.सी. सेवा रुपे (RuPay) और डेबिट कार्ड (पिछले 18 महीनों में 23 चयनित बैंकों द्वारा जारी) धारकों को मेट्रो यात्रा के लिये स्वाइप की सुविधा प्रदान करेगी अर्थात् अब मेट्रो यात्रा के किराए का भुगतान डेबिट कार्ड से किया जा सकेगा।
- इस सेवा में 'स्वचालित किराया संग्रह' (AFC) प्रणाली का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्मार्टफोन की मदद से मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश और निकास की अनुमति देगा।
- भारत सरकार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से मेट्रो स्टेशनों के लिये ए.एफ.सी. प्रणाली आधारित द्वार (Gates) निर्मित करेगी और सभी मेट्रो स्टेशनों को इन द्वारों/फाटकों से सुसज्जित किया जाएगा।
- आगामी दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजना में ए.एफ.सी. प्रणाली पूरी तरह से एन.सी.एम.सी. को स्वीकार करेगी, जिसका उपयोग देश-भर में किसी भी संबंधित शहर में किया जा सकता है।
- एन.सी.एम.सी. सेवा दिल्ली मेट्रो के पूरे 400 किमी. के दायरे में शुरू की जाएगी। पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के लिये यह सुविधा वर्ष 2022 तक उपलब्ध होगी।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (National Common Mobility Card– NCMC)

- एन.सी.एम.सी. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किया गया यह एक इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड है जिसके तहत मेट्रो या अन्य परिवहन प्रणालियों के माध्यम से यात्रा के किराये का भुगतान किया जा सकेगा। इसे 'वन नेशन, वन कार्ड' अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- एन.सी.एम.सी. का विचार सर्वप्रथम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से नकद भुगतान हस्तांतरण की संख्या को कम करना है।
- एन.सी.एम.सी. ए.एफ.सी. प्रणाली है जो स्मार्टफोन को इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड में परिवर्तित करेगा जिससे यात्री मेट्रो, बस तथा उपनगरीय रेलवे सेवाओं के भुगतान के लिये उपयोग कर सकते हैं।
- भविष्य में एन.सी.एम.सी. का प्रयोग टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क तथा खरीददारी के लिये भी किया जा सकेगा।
- वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अनिवार्य किये गए बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे डेबिट कार्ड को एन.सी.एम.सी. सेवाओं के अनुरूप बनाएँ।
- विदित है कि एन.सी.एम.सी. को पहली बार 4 मार्च, 2019 को लॉन्च किया गया था।

अन्य एकीकृत व्यवस्थाएँ

- वन नेशन, वन फास्टैग– देश-भर के राजमार्गों के लिये एकल टोल टैक्स प्रणाली।
- वन नेशन, वन टैक्स– जी.एस.टी. कर प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एकरूपता।
- वन नेशन, वन पावर ग्रिड– देश के प्रत्येक भाग में पर्याप्त और निरंतर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये।

- वन नेशन, वन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम– आयुष्मान भारत के माध्यम से लाखों लोगों के लिये बीमा व्यवस्था।
- वन नेशन, वन राशन कार्ड– एक राशन कार्ड के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी संबंधित सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकेगा।
- वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट– देश में नए कृषि सुधार और ई-एन.ए.एम. जैसी व्यवस्था।

सागरमाला सीप्लेन सेवा

संदर्भ

बंदरगाह, जहाज़रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय एक महत्त्वाकांक्षी 'सागरमाला सीप्लेन सेवा' (SSC) का संचालन शुरू करने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- यह सेवा चुनिंदा मार्गों पर विशेष उद्देश्य वाले वाहन (SPV) संरचना के अंतर्गत संभावित एयर लाइन परिचालकों के साथ प्रारंभ की जाएगी।
- इस परियोजना का निष्पादन और कार्यान्वयन 'सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड' (SDCL) के माध्यम से किया जाएगा। यह कंपनी उक्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इसके लिये 'हब एंड स्पोक मॉडल' (Hub and Spoke Model) के तहत प्रस्तावित उद्गम और गंतव्य स्थलों में अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह, असम में गुवाहाटी रिवरफ्रंट व उमरांसों जलाशय, दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट से अयोध्या तथा उत्तराखंड से टेहरी एवं श्रीनगर शामिल हैं।
- विदित है कि हब एंड स्पोक मॉडल एक वितरण पद्धति को संदर्भित करता है, जिसमें एक केंद्रीयकृत हब होता है। इस मॉडल का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब एक केंद्रीकृत लोकेशन (हब) के साथ कई अन्य लोकेशंस (स्पोक) जुड़े होते हैं। हब लोकेशन ग्राहकों के संपर्क के लिये एकल बिंदु या स्थान प्रदान करता है।
- साथ ही, चंडीगढ़ तथा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटन स्थल, महाराष्ट्र के कई स्थल, जिनमें मुंबई के निकटतम कई स्थल भी शामिल हैं और गुजरात से सूरत, द्वारका, मांडवी व कांडला तथा अन्य सुझाए जाने वाले हब व स्पोक शामिल हैं।
- विदित है कि ऐसी ही एक सीप्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट और केवडिया के बीच पहले से ही संचालित हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर, 2020 को किया था।

लाभ

- यह सीप्लेन सेवा देश में तेज़ी से और बिना किसी रुकावट के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। बहुत से दूरस्थ/धार्मिक पर्यटक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के अलावा यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन अवसरों को बढ़ाएगी।
- दूरदराज़ के क्षेत्रों को संपर्क और आसान पहुँच मुहैया कराने के उद्देश्य से सीप्लेन सेवा के ज़रिये देश की विस्तृत तटीय रेखा तथा विभिन्न जलधाराओं व नदियों के प्रयोग की योजना बनाई जा रही है।
- सीप्लेन नजदीकी जलधाराओं व नदियों का प्रयोग उड़ान भरने एवं उतरने के लिये करेगा, जिससे इन स्थानों को आपस में बहुत कम कीमत पर जोड़ा जा सकेगा। साथ ही, सीप्लेन परिचालन के लिये पारंपरिक रनवे तथा टर्मिनल इमारतों जैसी अवसंरचना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
- इससे समय की बचत होगी और यह स्थानीय स्तर पर कम दूरी की यात्रा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, जिसमें विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और नदियों व झीलों के आर-पार रहने वाले लोग शामिल हैं।
- परिचालन स्थलों पर अवसंरचना में वृद्धि करने के साथ-साथ यह न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि इससे व्यावसायिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (GHTC-India) पहल के हिस्से के रूप में छह 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स' की नींव रखी।

प्रमुख बिंदु

- 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स' के अंतर्गत ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया, 2019 के तहत सूचीबद्ध 54 तकनीकों में से छह अलग-अलग तकनीकों का उपयोग करके प्रत्येक स्थान पर लगभग 1,000 आवासों का निर्माण एक वर्ष में किया जाना है।
- इनका निर्माण छह स्थानों, यथा– इंदौर, राजकोट, चेन्नई, राँची, अगरतला और लखनऊ में किया जाना है। इन प्रोजेक्ट्स को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना है।
- इन तकनीकों में पूर्वनिर्मित सैंडविच पैनल सिस्टम तकनीक, टनलिंग, मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण प्रणाली, प्री-कास्ट कंक्रीट तकनीक, 3-डी तकनीक, स्टील फ्रेम तकनीक और प्री-कंस्ट्रक्टेड वाल तकनीक का प्रयोग शामिल है।
- सरकार की अन्य योजनाओं को भी इन परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि लाभार्थियों को जल आपूर्ति, विद्युत और एल.पी.जी. कनेक्शन जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

उद्देश्य

- ये परियोजनाएँ अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहित सभी हितधारकों के लिये लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगी, जो प्रयोगशाला से फील्ड में प्रौद्योगिकियों के सफल हस्तांतरण के लिये उपयोगी हैं।
- लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी के अनुसार स्थाई आवास प्रदान किया जाता है। साथ ही, इस परियोजना के तहत विशेष तकनीकों का उपयोग करके सस्ते और मज़बूत आवासों का निर्माण किया जाता है।
- परियोजना का मुख्य लाभ यह है कि इसमें निर्माण की अवधि और लागत कम होगी और आवास भी पूरी तरह से भूकंप-रोधी होंगे।
- इन प्रोजेक्ट्स में पारंपरिक ईंट और मोर्टार से निर्माण की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली किफायती व टिकाऊ सामग्री से सामूहिक आवास तैयार किये जाएँगे।

अन्य संबंधित बिंदु

- नए रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) से आवास खरीददारों को सुरक्षा प्रदान की गई है।
- प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से 'सेंट्रल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट' की भी कल्पना की गई थी। परियोजनाओं में राज्यों द्वारा दिया गया सहयोग एक तरह से सहकारी संघवाद को मज़बूत करने वाला है।
- नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों पर 'नवरीति' (Navaritih) नाम का एक सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र, लेह (Meteorological Centre, Leh)

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने लेह (लद्दाख) में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- यह 3500 मीटर की ऊँचाई के साथ भारत का सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित मौसम केंद्र होगा।
- भविष्य में मौसम संबंधी घटनाओं से होने वाले नुकसान को रोकने तथा लद्दाख में मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मज़बूत करने के लिये लेह में स्टेट ऑफ द आर्ट– 'मौसम विज्ञान केंद्र' की स्थापना की गई है।
- यह केंद्र ऊँचाई वाले क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ लद्दाख के लोगों एवं प्रशासन को मौसम एवं जलवायु संबंधी विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करेगा।
- यह नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, जास्कर, कारगिल, द्रास, धा-ब्यामा (आर्यन घाटी), खलसी जैसे महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिये मौसम पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करेगा।
- लद्दाख क्षेत्र में तीव्र ढलान वाले पहाड़, वनस्पतिरहित श्लथ मृदा (Loose Soil) और मलबे के ढेर पाए जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं, जैसे– बादल फटना, फ्लैश फ्लड्स, हिमस्खलन, हिमनदीय विस्फोट आदि का खतरा बना रहता है।

शेंगेन क्षेत्र

संदर्भ

ब्रिटेन द्वारा हाल ही में यूरोपीय संघ छोड़ने और लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को लागू करने के कारण शेंगेन क्षेत्र चर्चा में रहा।

प्रमुख बिंदु

- शेंगेन मुख्यत: यूरोप के पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र को कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र (वीजा फ्री ट्रैवल एरिया) भी है।
- वस्तुत: शेंगेन समझौते के कारण यूरोप के शेंगेन क्षेत्र का निर्माण हुआ, जिसमें यूरोप की आंतरिक सीमा के अवरोधों को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया।
- 14 जून, 1985 को तत्कालीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के दस सदस्य देशों में से पाँच ने लक्जमबर्ग के शेंगेन शहर में इस पर हस्ताक्षर किये थे।
- शेंगेन समझौते द्वारा निर्मित शेंगेन क्षेत्र वर्तमान में 25 यूरोपीय देशों का संयुक्त क्षेत्र है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी पारस्परिक सीमाओं पर पासपोर्ट और अन्य सभी प्रकार के सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया है।

- वस्तुतः शेंगेन नियमों को 1999 में एम्स्टर्डम समझौते द्वारा यूरोपीय संघ (EU) के कानून में शामिल किया गया गया। हालाँकि, इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर तीन गैर-यूरोपीय संघ देश– आइसलैंड, नॉर्वे, स्विटजरलैंड भी शामिल हैं तथा इनके अलावा तीन सूक्ष्म यूरोपीय देश-मोनाको, सैन मरीनो और वेटिकन सिटी भी शामिल हैं। बुल्गारिया, साइप्रस और रोमानिया को छोड़कर सभी देशों ने इसे पहले से ही लागू कर लिया है।

बनाना ग्रिट (Banana Grit)

- हाल ही में, केरल के पप्पनमकोड में सी.एस.आई.आर.-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NIIST) के वैज्ञानिकों ने कच्चे नेंद्रान केले से एक नया उत्पाद 'बनाना ग्रिट या ग्रैन्यूल' विकसित किया है। यह रवा और टूटे हुए गेहूँ जैसा दिखता है। इस तकनीक को कोच्चि स्थित 'मोजा ऑर्गेनिक' (Moza Organic) को हस्तांतरित कर दिया गया है, उत्पाद शीघ्र ही बाज़ार में आ जाएगा।
- एन.आई.आई.एस.टी. के अनुसार, 'बनाना ग्रिट' का उपयोग स्वस्थ आहार के आदर्श घटक के रूप में व्यंजन तथा स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाने के लिये किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि केले में उपस्थित प्रतिरोधी स्टार्च स्वास्थ्य के लिये लाभकारी होता है, जिसका उपयोग करने के लिये इसकी शुरुआत की गई थी।
- बनाना ग्रिट और इसके उपोत्पाद से तैयार व्यंजन पाचन की दृष्टि से लाभकारी होने के कारण वैज्ञानिक समुदाय अब स्वास्थ्य और कल्याण के लिये व्यापक रूप से इस ओर ध्यान दे रहा है।
- प्रसिद्ध चेंगलिकोडन नेंद्रन (Changalikodan Nendran) या चेंगलिकोडन (Changalikodan) केला केरल के त्रिशूर ज़िले में चेंजाझिकोडु (Chengazhikodu) गाँव में उत्पादित केले की एक किस्म है। चेंगलिकोडन की खेती अब भरतपुझा नदी के किनारे की जाती है। इसे चेन्नई से भौगोलिक संकेतक टैग (G. I. Tag) प्राप्त हुआ है। सामान्यतः केरल के व्यंजन, जैसे– एवियल और थोरन में पके हुए नेंद्रन केले का उपयोग किया जाता है।

लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी (Longitudinal Ageing Study)

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI) वेव-1' नामक एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट देश की बढ़ती जनसंख्या के स्वास्थ्य, आर्थिक व सामाजिक निर्धारकों तथा बढ़ती उम्र के परिणामों की वैज्ञानिक जाँच का राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। यह विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो वृद्ध आबादी के लिये नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में उपयोगी होगा।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 103 मिलियन है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। लगभग 3% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2050 तक भारत में वृद्ध लोगों की जनसंख्या 319 मिलियन होने की संभावना है।
- वृद्ध लोगों की लगभग 75% आबादी जीर्ण रोगों से पीड़ित है। लगभग 40% वृद्धों में एक या अधिक प्रकार की विकलांगता तथा लगभग 20% में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ पाई गई हैं।
- इस सर्वेक्षण में सिक्किम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 45 वर्ष व उससे अधिक आयु के लगभग 72,000 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 31,000 से अधिक तथा 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,700 से अधिक वृद्ध शामिल हुए।
- वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखरेख के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई ने हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के सहयोग से इस सर्वेक्षण को पूरा किया है। विदित है कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर को वृद्धजनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है।

मोरिंगा पाउडर (Moringa Powder)

- हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने मोरिंगा पाउडर की बढ़ती वैश्विक माँग और पोषण गुणों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्यात शुरू कर दिया है। इसका वानस्पतिक नाम 'मोरिंगा ओलीफेरा' है। इसे सहजन, ड्रमस्टिक, हॉर्सरैडिश, बेन ऑयल या बेंजोलिव ट्री नामों से भी जाना जाता है। भारत मोरिंगा पाउडर का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- मोरिंगा जंगलों में तेज़ी से विकसित होने वाला एक सूखा-रोधी पेड़ है, जो भारतीय मूल के मोरिंगसेई परिवार से संबद्ध है। साथ ही, मध्य अमेरिका व कैरिबियाई देशों, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ओशेनिया में भी इसकी खेती की जाती है।
- इसके पोषकीय व औषधीय गुणों तथा भोजन पकाने में उपयोग के चलते विश्व स्तर पर मोरिंगा लीफ पाउडर और मोरिंगा ऑयल जैसे उत्पादों की माँग में वृद्धि देखी गई है। इसमें एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीडिप्रेसेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसका उपयोग मुख्यत: स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रसाधन तथा रोग निदान के लिये किया जाता है।
- मोरिंगा में कई स्वास्थ्यवर्धक यौगिक, विटामिन्स तथा खनिज पाए जाते हैं। इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है तथा कोई हानिकारक कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे– इसमें प्रजनन-रोधी गुण होते हैं, इसलिये गर्भवती महिलाओं के लिये इसे अनुशंसित नहीं किया जाता है।
- तेलंगाना स्थित मेडिकोंडा न्यूट्रिएंट्स ने मोरिंगा निर्यात गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से शुरू करने का समर्थन किया है। इस कंपनी के पास 240 हेक्टेयर में मोरिंगा बागान है।

गुच्छी मशरूम

संदर्भ

कुछ समय से जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में पैदा होने वाले एक विशेष प्रकार के मशरूम के लिये भौगोलिक संकेतक की माँग की जा रही है। इसको विश्व के सबसे महँगे मशरूमों में से एक माना जाता है।

प्रमुख बिंदु

- समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस मशरूम को स्थानीय स्तर पर 'गुच्छी' (Gucchi) अथवा 'मोरेल' (Morel) कहा जाता है।
- यह मशरूम स्थानीय स्तर पर किसानों और आदिवासियों द्वारा एकत्रित की जाने वाली वनोपज है, जिसमें औषधीय और प्रतिदाहक (Anti-inflammatory) गुण पाए जाते हैं।

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication– GI)

- जी.आई. टैग किसी कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प तथा औद्योगिक वस्तु) को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है या जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में ही उगाया या निर्मित किया जाता है।
- जी.आई. टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये 'पेरिस कन्वेंशन' के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के घटक के रूप में शामिल किया जाता है।
- जी.आई. टैग प्राप्त होने पर किसी उत्पाद तथा उसके उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इन उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है और ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता व विशिष्टता सुनिश्चित होती है।
- उल्लेखनीय है कि 'दार्जलिंग टी' वर्ष 2004 में जी.आई. टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

संदर्भ

थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने अरबिंदो फार्मा, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसी दवा कंपनियों को 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के लिये उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 'फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय' द्वारा शुरू की गई है।
- इसका उद्देश्य देश में महत्त्वपूर्ण शुरुआती सामग्री (KSMs) / मध्यवर्ती दवा और सक्रिय दवा सामग्री (API) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2029-30 की अवधि के लिये 6,940 करोड़ रुपए की लागत से चार अलग-अलग लक्ष्यों के आधार पर 'न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्धन' और ग्रीनफील्ड संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।
- इसके योजना के तहत संयंत्रों की स्थापना में कंपनियाँ 3,761 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी और इससे लगभग 3,825 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- इसमें लक्ष्य खंड-I में 4 उत्पाद-पेनिसिलिन जी; 7-एसीए; एरिथ्रोमाइसिन थायोसाइनेट और क्लैवुलैनिक एसिड शामिल हैं। वर्तमान में इन दवाओं का आयात किया जाता है।
- इन्हें निर्धारित मूल्यांकन और चयन मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है।
- विदित है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल परिमाण की दृष्टि से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 14वाँ सबसे बड़ा उद्योग है। यह वैश्विक स्तर पर निर्यात किये जाने वाले कुल ड्रग्स और दवाओं में 3.5% का योगदान देता है।

उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive (PLI) Scheme)

- यह योजना वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रमुख 10 क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- पी.एल.आई. योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। साथ ही, वैश्विक और घरेलू हितधारकों को उच्च मूल्य उत्पादन में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से 25% कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कटौती होगी।

ड्रैगन फल

संदर्भ

हाल ही में, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर 'कमलम' रखने का फैसला किया है।

ड्रैगन फल

- ड्रैगन फल का वैज्ञानिक नाम 'हिलोसेरस अंडस' (Hiloceras Undus) है। यह जंगली कैक्टस प्रजाति से संबंधित है तथा यह दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का देशज फल है, जिसे यहाँ पिटाया या पिटाहाया के नाम से जाना जाता है।
- इसकी बाहरी परतों पर ड्रैगन के समान काँटे होते हैं, जिस कारण वर्ष 1963 में इसे ड्रैगन नाम दिया गया था। हिंदी में इसे पिताया के नाम से जाना जाता है।

- फल का आकार कमल के फूल के समान दिखाई देता है इस कारण इसे 'कमलम' नाम दिया जाएगा, जो संस्कृत भाषा का एक शब्द है।
- यह निर्णय 'मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन' के शुभारंभ पर लिया गया, जो अनुत्पादक भूमि पार्सल में बागवानी को बढ़ावा देने की योजना है।
- इसका उपयोग रक्तचाप, मधुमेह तथा कैंसर जैसी बीमारियों में किया जाता है और यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक होता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ

- वियतनाम विश्व में ड्रैगन फल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यहाँ इसका पौधा 19वीं सदी में फ्राँस से लाया गया था। वियतनाम में इसे 'थांह लॉन्ग' (Thanh Long) कहा जाता है, जिसका अर्थ 'ड्रैगन की आँख' है।
- इसकी खेती अमेरिका, कैरीबियन देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया आदि में की जाती है।
- भारत में इसे 1990 के दशक में लाया गया था। इसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में उगाया जाता है।
- यह सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है तथा इसके लिये अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है।

ऑप्टिकल ग्राउंड वायर

- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 500 किमी. ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (OPGW) टेलिकॉम नेटवर्क का उपयोग कर पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार को बेहतर बनाने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विदित है कि उक्त राज्य में पहले से 350 किमी. ओ.पी.जी. डब्ल्यू. का उपयोग किया जा रहा है।
- ऑप्टिकल ग्राउंड वायर एक ट्यूबलर संरचना है, जिसमें एक या एक से अधिक ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो एल्यूमीनियम और स्टील के तार की परतों से घिरे होते हैं। ये टावर को ज़मीन से जोड़ने का काम करते हैं। 'आई.ई.ई.ई.' (Institute of Electrical and Electronics Engineers) मानक के अनुसार, ऑप्टिकल ग्राउंड वायर को ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट ओवरहेड ग्राउंड वायर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की केबल है, जिसका उपयोग ओवरहेड पावर लाइनों में ग्राउंडिंग और संचार के कार्यों को जोड़ने में किया जाता है।
- केबल के भीतर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग उपयोगिताओं के बीच उच्च गति डेटा टेलीमेट्री तथा शहरों के बीच उच्च गति के फाइबर इंटरकनेक्शन हेतु तीसरे पक्ष को बेचने के लिये किया जाता है।
- प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, भूस्खलन और दुर्गम इलाकों के कारण राज्य को सीमित दूरसंचार नेटवर्क पहुँच का सामना करना पड़ रहा था। इस नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाता, राज्य में दूरदराज़ के लोगों को निर्बाध मोबाइल/इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे।

ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना

- अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण करने तथा विश्व के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्र 'साहेल' के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2007 में ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई।
- इसके अंतर्गत 11 देशों– सेनेगल, मॉरितानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती में लगभग 8000 किमी. ग्रीन वॉल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि

मरुस्थलीकरण और भूमि-क्षरण को रोका जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने के उपरांत यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवंत संरचना होगी।

- इस परियोजना को अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD), विश्व बैंक तथा यूरोपीय आयोग सहित कई भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया था।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 100 हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण, 250 मिलियन टन कार्बन प्रच्छादन तथा 10 मिलियन हरित रोज़गार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2007 से 2019 तक केवल 4 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि का ही पुनर्निर्माण किया जा सका।
- हाल ही में, फंड की कमी के चलते ग्रीन वॉल का निर्माण कार्य रुक गया था। निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिये फ्राँस, अफ्रीकी विकास बैंक तथा विश्व बैंक द्वारा क्रमशः 14, 6.5 तथा 5 बिलियन डॉलर की अनुदान राशि की घोषणा की गई है।

मीलवॉर्म

- हाल ही में, 'यूरोपीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी' (EFSA) ने मीलवॉर्म (पीले रंग के ग्रब) को मानव भोजन के सुरक्षित स्रोत के रूप में स्वीकृत किया है। विदित है कि यूरोप में पहले से ही खाद्य सामग्री के रूप में कीटों के बीटल लार्वा का उपयोग किया जाता है। मीलवॉर्म वर्ष 2015 के यूरोपीय संघ के एक विनियमन के तहत जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के अधीन वर्ष 2018 में एफ्सा (EFSA) को सौंपी गई कीटों की पहली अनुमोदित प्रजाति है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, खाने योग्य कीट खाद्य असुरक्षा से निपटने में मददगार हो सकते हैं। कीट के मुख्य घटक प्रोटीन, वसा तथा फाइबर होते हैं, जो टिकाऊ तथा कम कार्बन-उत्सर्जक स्रोत प्रदान करते हैं। टेनेब्रियो मोलिटर का लार्वा सामान्यतः पालतू सरीसृपों और मछलियों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। मीलवॉर्म यूरोपीय संघ में बिक्री हेतु अपनी तरह का पहला खाद्य हो सकता है।
- होलोमेटाबोलिक कीट प्रजातियों की तरह ये चार चरणों– अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क से गुज़रते हैं। इसे करी, पास्ता जैसे व्यंजन के साथ बिस्किट, ब्रेड आदि बनाने के लिये आटे के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कीटों का पहले से ही खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। झींगे (Prawn) और डस्टमाईट से संबंधित रोगों के लिये टेनेब्रियो मोलिटर लार्वा से निर्मित व्यंजन हानिकारक होते हैं। यूरोपीय संघ के दो राष्ट्र– ऑस्ट्रिया और जर्मनी कीट आधारित स्नैक्स के लिये विख्यात हैं।

मुकुंदपुरा सी.एम. 2

संदर्भ

कुछ ही दिन पहले, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता द्वारा किये गए एक अध्ययन में, वर्ष 2017 में मुकुंदपुरा गाँव (जयपुर) में गिरे एक उल्कापिंड की खनिज संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुकुंदपुरा सी.एम.2 उल्कापिंड को कार्बोनिसिअस चोंडराईट (Carbonaceous Chondrite) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसकी संरचना सूर्य के समान है।
- यह एक प्रकार का स्टोनी और सबसे प्राचीन उल्कापिंड है, जो सौर मंडल में जमा होने वाले सबसे प्राचीन ठोस पिंडों का अवशेष है।
- उल्कापिंडों को सामान्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है– स्टोनी (सिलिकेटयुक्त), आयरन (Fe-Ni मिश्रधातु) और स्टोनी-आयरन (सिलिकेट लौह धातु का मिश्रण)।

- चोंडराईट सिलिकेट-ड्रॉपलेट-बेयरिंग उल्कापिंड (silicate-droplet-bearing meteorites) होते हैं तथा मुकुंदपुरा चोंडराईट भारत में गिरने वाला पाँचवाँ सबसे बड़ा कार्बोनसियस उल्कापिंड है।
- मुकुंदपुरा सी.एम.2 अध्ययन के परिणाम पृथ्वी के निकट अवस्थित क्षुद्रग्रहों रयुगु (Ryugu) और बेन्नू (Bennu) की सतह संरचना के अध्ययन के लिये प्रासंगिक हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद्

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद्' (NSAC) में 28 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है, जिसमें बायजू के सी.ई.ओ, ओला के सह-संस्थापक, कलारी केपिटल के प्रबंध निदेशक तथा सॉफ्टबैंक इंडिया के प्रमुख शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद् (NSAC)

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के 'उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग' (DPIIT) ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये 21 जनवरी, 2020 को 'राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद्' (NSAC) का गठन किया था।
- इस परिषद् की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है।
- संयुक्त सचिव से उच्च पद के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से संबद्ध अधिकारी परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।
- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव परिषद् के संयोजक होंगे।
- परिषद् के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- गैर-आधिकारिक सदस्यों को निम्नलिखित वर्गों से चुना जाता है–
  - सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों
  - भारत में कंपनी बनाने और उसे विकसित करने में अनुभवी व्यक्तियों
  - स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम लोगों
  - इन्क्यूबेटरों (Incubators)
  - स्टार्टअप्स के हितधारकों के संघों एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों आदि।

प्रमुख उद्देश्य

- देश में नवाचार और स्टार्टअप के लिये मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने हेतु सरकार को आवश्यक उपायों पर सलाह देना।
- नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश-भर में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन देना।
- अनुसंधान के माध्यम से रचनात्मक और नवीन विचारों को समर्थन और उनका विकास करना।
- उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण विकसित करना, जिससे 'व्यापार सुगमता सूचकांक' में बेहतर स्थिति प्राप्त की जा सके।
- सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से सार्वजनिक संगठनों को नवाचार को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण और व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देना।
- नियामकीय अनुपालन और लागत को कम करते हुए कारोबार शुरू करने, इसके विकास और बंद करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
- स्टार्टअप्स के लिये पूँजी की आसान उपलब्धता तथा निवेश के लिये घरेलू पूँजी को प्रोत्साहन देना।
- भारतीय स्टार्टअप्स के लिये वैश्विक पूँजी आकर्षित करना और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच उपलब्ध कराना।

13 जिस्ट

स्वतंत्रता के 75 वर्ष

संदर्भ

वर्ष 2021 इस विशेष महत्त्व का वर्ष होगा क्योंकि इस वर्ष भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा। यह समय अतीत की उपलब्धियों तथा भविष्य की चुनौतियों पर सोच-विचार करने का है।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष : एक समीक्षा

- वर्तमान में भारत की गिनती विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होती है, भारत क्रय शक्ति के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में पहचान बनाने के लिये तत्पर है।
- भारत की भूमि में पतंजलि व शंकराचार्य जैसे दार्शनिक, चरक व सुश्रुत जैसे चिकित्सक, आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ ने जन्म लिया है, तो वहीं भारत का स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों के नेतृत्व में लड़ा गया। इन सब महान विभूतियों का जीवन व इनके विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।
- भारत आज विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी वाला राष्ट्र है, अतः देश के युवा वर्ग की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक कार्यों में लगाना आवश्यक है।
- युवाओं को सामाजिक बुराइयों, जैसे– भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और लैंगिक विभेद के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व करना होगा।
- भारत को वर्तमान में तीव्र विकास की आवश्यकता है, लेकिन यह विकास सर्वसमावेशी होना चाहिये, जिससे अपने अपनी भावी पीढ़ी को रहने योग्य पृथ्वी व पर्यावरण दे सकें।
- विकास की तीव्र गति प्राप्त करने के लिये भारत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से आगे बढ़ सकता है। साथ ही, विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिये।
- कोविड महामारी की वैक्सीन को तैयार करके भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को चरितार्थ किया है।
- कोविड-19 जैसी महामारी में भारत ने सामूहिक कार्रवाई की सहायता से नकारात्मक प्रभावों और चुनौतियों से निपटने हेतु अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करने के लिये प्रेरित हुआ है।

निष्कर्ष

भारत का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। जीवंत संसदीय लोकतंत्र वाला भारत, विश्व पटल पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह विकास के पथ पर अधिक आत्मविश्वास, दक्षता एवं वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है।

भारतीय लोकतंत्र, राजनीति और शासन

पृष्ठभूमि

अनेक जटिलताओं, बहुलवादियों, विविधताओं, मतभेदों एवं टकरावों के मध्य गहन विचार-विमर्श के बाद 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, जिसमें प्रस्तावना– 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के साथ सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया था।

भारतीय लोकतंत्र : कितना सफल

- भारत के नागरिक अभिव्यक्ति, गतिविधियों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालाँकि, नागरिक व्यापक असमानताओं, अन्याय या भारतीय संविधान में आश्वासित सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति के ना होने का अनुभव भी करते हैं।
- निहित स्वार्थों के कारण 'लोकतंत्र' शब्द की मूल अवधारणा और दर्शन की प्रतिष्ठा कम हुई है। लोकतंत्र को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण एवं सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी वर्गों और विचारों को व्यापक प्रतिनिधित्व देना होगा।
- लोकतंत्र को जब तक सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों में परिभाषित नहीं किया जाता तब तक यह अधूरा है। पिछले कुछ वर्षों में दल-बदल की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है जो कि लोकतंत्र को कमज़ोर करती है।
- भारतीय लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि इसकी केवल राजनीतिक संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक हैं, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि भारतीय समाज तथा भारतीय नागरिक भी लोकतांत्रिक हैं जो सामाजिक क्षेत्र तथा व्यक्तिगत व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाते हैं।
- लोकतांत्रिक शासन एक ऐसी स्थिति है जिसमें संविधान के मूल्यों को लोकतांत्रिक-राजनीतिक ढाँचे में अनुभव किया जाता है, जहाँ सरकार लोगों की पहचान, आकांक्षाओं तथा ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है और जहाँ लोग सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करते हैं।

लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- वर्तमान में लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तीनों स्तरों– राजनीतिक, नौकरशाही तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र में विद्यमान है।
- वास्तव में, भ्रष्टाचार राजनीतिक अस्थिरता और संस्थागत क्षय का संकेत है जो शासन की वैधता तथा उपयुक्तता को चुनौती देता है।
- इसके अतिरिक्त, अपराधीकरण ने भी भारतीय चुनावी राजनीति की छवि को धूमिल किया है। राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
- भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक अन्य खतरा देश के विभिन्न समुदायों के मध्य एकता का अभाव है। इसे दूर करने के लिये सभी समुदायों के मध्य एकजुटता का होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

सुशासन की स्थापना संयोग से नहीं होती है। यह ज़िम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व, प्रबुद्ध नीति-निर्माण और एक पेशेवर नैतिकता वाली जन सेवा से जुड़ा हुआ है। सुशासन एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास है और सुशासन के लिये एक सशक्त नागरिक समाज का होना आवश्यक है। भारत 'अनेकता में एकता' वाला देश है, अतः सभी को मिलकर लोकतंत्र, राजनीति और शासन के आदर्श को बनाए रखने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

भारत निर्माण में उद्योगों की भूमिका

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर, 2020 को नये संसद भवन का शिलान्यास किया। यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सृजन का गवाह होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 2022 में है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद के सिद्धांत के साथ ही 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मॉडल को अपनाते हुए कोविड-19 समेत विभिन्न चुनौतियों के बीच भारत का नई ऊँचाइयों की ओर नेतृत्व कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत में औद्योगिक विकास बीते वर्षों में विकास के विभिन्न चरणों से गुज़रा है। अंग्रेज़ी औपनिवेश उद्योग तबाह हो गया। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। ब्रिटिश नीति ने ब्रिटेन से तैयार सामान के आयात और भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया, किंतु आज़ादी के बाद स्थितियों में बदलाव आया।
- सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। पहली योजना में निजी और सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। शुरुआती तीन योजनाओं ने भारत में पूँजीगत सामान उद्योग के निर्माण में मदद की। लेकिन इनमें उपभोक्ता सामान उद्योग को नज़रंदाज़ किये जाने के कारण वर्ष 1965 और 1980 के बीच औद्योगिक विकास में गिरावट दर्ज की गई।
- हालाँकि, वर्ष 1980 और 1991 के बीच भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि और विनिर्माण तथा पूँजीगत सामान क्षेत्र में सुधार से उद्योगों में वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद अनेक सुधार किये गए जिन्होंने भारतीय उद्योगों के भविष्य को सुधारा।

वर्तमान परिदृश्य

- विश्व बैंक की व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट, 2020 में भारत का स्थान 190 देशों के बीच 63वाँ है। रैंकिंग के 10 मापदंडों में से कुछ में तो भारत ने ज़बरदस्त प्रगति की है।
- भारत में 'विदेशी प्रत्यक्ष निवेश' (FDI) का अंतर्वाह अप्रैल, 2014 और सितंबर, 2019 के बीच 319 अरब डॉलर का रहा।
- यह पिछले 20 वर्षों में कुल एफ.डी.आई. अंतर्वाह का लगभग 50 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक एफ.डी.आई. का अंतर्वाह 35.73 अरब डॉलर का रहा। सरकार ने हाल ही में कोयला खनन और अनुबंध मैनुफैक्चरिंग में बिना पूर्व मंजूरी के 100% एफ.डी.आई. की मंजूरी दी है।
- इसी तरह रक्षा क्षेत्र में बिना पूर्व मंजूरी के 74% तक एफ.डी.आई. की इजाज़त दी गई है। भारत में एफ.डी.आई. का अंतर्वाह वर्ष 2022 तक प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इससे हमारी स्वदेशी मैनुफैक्चरिंग मज़बूत होगी तथा रोज़गार सृजन में भी मदद मिलेगी।
- 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (DPIIT) ने वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत दिसंबर, 2020 तक 40 हज़ार से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी। स्टार्टअप इंडिया के ज़रिये बूट कैंप, हैकाथॉन और ऑनलाइन प्रतियोगिताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किये जा रहे हैं।
- अटल नवाचार मिशन जैसी सरकार की प्रमुख पहलें वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2015 में 81वें से वर्ष 2020 में 48वें तक पहुँचाने में मददगार साबित हुई हैं। देश में 660 से ज़्यादा ज़िलों में लगभग 25 लाख छात्रों के लिये 4870 से अधिक क्रियाशील अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का गठन किया गया है।
- राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) द्वारा देश-भर में 115 आकांक्षापूर्ण ज़िलों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना के पाँच क्षेत्रों में 49 संकेतकों में प्रगति के आधार पर रैंकिंग की जा रही है।
- नीति आयोग ने दिसंबर, 2019 में 'सतत् विकास लक्ष्य' (SDG) भारत सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया। इसी के साथ 100 राष्ट्रीय संकेतकों पर सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में 17 सतत् विकास लक्ष्यों में प्रगति का पता लगाने के लिये ऑनलाइन डैशबोर्ड भी जारी किया गया है।

- भारत ने एस.डी.जी.– 6 (स्वच्छ जल और साफ-सफाई) के मामले में काफी प्रगति की है। वर्ष 2014 में शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान के ज़रिये 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर भारत पाँच वर्षों में खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गया है।
- वर्ष 2015 में शुरू किये गए डिजिटल इंडिया अभियान ने डिजिटली तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गठन को सुनिश्चित किया है। ब्रॉडबैंड हाइवे के विकास, सबके लिये मोबाइल संपर्क, सार्वजनिक इंटरनेट कार्यक्रम और ई-शासन में व्यापक प्रगति हुई है। आधार, स्मार्ट सिटीज मिशन, भीम यू.पी.आई, रुपे, जी.एस.टी. पहचान संख्या, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस और डिजिलॉकर भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दायरे में आते हैं।
- भारत नेट विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। भारत का 'आधार' विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस बन गया है। अब तक लगभग 125 करोड़ आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं। आधार संख्या को 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (DBT) योजना से जोड़ दिये जाने से सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने में काफी मदद मिली है।
- वर्ष 2019 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार, वर्ष 2006 और 2016 के बीच भारत में 27.1 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर निकले हैं। मुद्रा ऋण योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इसके तहत गैर-कृषि और गैर-कॉर्पोरेट सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का कर्ज़ दिया जाता है।
- वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय समर्थन के रूप में सालाना 6000 रुपए दिये जाते हैं।
- कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये हाल में जो विधेयक पारित किये गये हैं उनसे किसानों को नए बाज़ार और प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा। इनसे कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होगी और वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिलेगी।

वैश्विक स्तर पर भारत

- वैश्विक स्तर पर भारत की साख में व्यापक वृद्धि हुई है। इसे मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसे जून 2020 में दो साल के कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थाई सदस्य निर्वाचित किया गया।
- भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वह वर्ष 2023 में जी-20 की मेज़बानी करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून, 2020 में प्रधानमंत्री को जी-7 की बैठक में हिस्सा लेने और इसका सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया था। वह जी-7 का विस्तार कर इसमें 10-11 सदस्यों को शामिल करना चाहते थे। इस समूह का सदस्य बनने से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विस्तार करने का मौका मिलेगा।
- कोविड 19 की वैश्विक महामारी, सीमा पार से आतंकवाद और विश्व बाज़ार प्रतिस्पर्धा भारत के सामने मौजूदा समय की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। देश इन चुनौतियों का बेहतर रणनीतियों के माध्यम समाधान कर रहा है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। विश्व में टीकों का सबसे बड़ा वितरक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ही है।

प्रगति की ओर बढ़ते कदम

- इस वर्ष सरकार ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत आर्थिक उत्प्रेरक राहत पैकेज जारी किया। यह सकल घरेलू उत्पाद का 10% है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ व्यक्तियों को नवंबर 2020 तक मुफ्त खाद्यान्न दिया गया। बीस करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन महीनों के लिये प्रति माह 500 रुपए दिये गए।

- मनरेगा के तहत दैनिक मज़दूरी को बढ़ा कर प्रति व्यक्ति 202 रुपए किया गया जिसका लाभ 13.62 करोड़ परिवारों को मिल रहा है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से भारत ज्ञान का वैश्विक सुपर पॉवर बनेगा। कृत्रिम मेधा, मशीन ज्ञानार्जन और बिग डाटा भविष्य के लिये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और इस मामले में भारत भी बहुत दूर नहीं है। 'स्वयं' पोर्टल से छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।
- मेक इन इंडिया के तहत जी.डी.पी. में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान को मौजूदा 30% से बढ़ा कर 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे अगले पाँच वर्षों में पाँच करोड़ रोज़गार सृजित होंगे।
- वर्ष 2017 से वर्ष 2019 में वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में प्रमुख बदलाव–
  - **नई औद्योगिक नीति :** 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिये ज़िला स्तर पर स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया गया।
  - **व्यापार संवर्द्धन :** व्यापार संवर्द्धन में ज़्यादा केंद्रित नज़रिया अपनाने की दिशा में कदम उठाए गए।
  - प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिये प्रयास किये गए तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी को बढ़ावा दिया गया। नीति-निर्माण को भविष्योन्मुख बनाया गया।
- वर्ष 2017 से वर्ष 2019 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में प्रमुख बदलाव–
  - भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई माल वहन नीति, रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल नीति, राष्ट्रीय हरित उड्डयन नीति और ड्रोन नीति जारी की गई।
  - **उड्डयन उद्योग का संवर्द्धन :** क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' को लागू किया गया।
- वर्ष 2014 से वर्ष 2017 में रेलवे में प्रमुख बदलाव–
  - **योजना निर्माण और निवेश :** रेलवे परियोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था के तौर-तरीकों में परिवर्तन किया गया। विभिन्न नवाचारी उपायों के साथ ही बजट के बाहर से भी संसाधन जुटाए गए।
  - **आधारभूत संरचना का सृजन :** बुनियादी संरचनाओं के सृजन पर खर्च और कनेक्टिविटी में सुधार में काफी वृद्धि हुई।
  - **संवहनीयता :** संवहनीयता को रेलवे की रणनीति का अभिन्न अंग बनाया गया।
  - ई-प्रशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया। रेलवे के प्रशासन में सुधार लाने के लिये प्रौद्योगिकी और कामकाज के विभाजन का सहारा लिया गया।

आगे की राह

- हाल ही में, सुरेश प्रभु ने ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति का पद संभाला और सहकारिता विकास मंच की शुरुआत की। इस मंच में सात प्रमुख सहकारिता नेता शामिल हैं। वे देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिये काम करेंगे।
- इसके अलावा, भारतीय बाँस मंच का गठन किया गया है, जिसमें बाँस क्षेत्र से 55 प्रतिबद्ध नेता शामिल किये गए हैं। वे उद्यमिता, अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता वाले बाँस उत्पादों के संवहनीय ढंग से व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करेंगे।
- इस प्रकार, भारत के विकास की गति को देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि देश मौजूदा सभी चुनौतियों को पार करने में सफल होगा और वर्ष 2022 तक नए भारत के निर्माण में उद्योग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नए भारत की शिक्षा

संदर्भ

- प्राचीन समय में भारत की शिक्षा प्रणाली में ज्ञान, प्रज्ञ और सत्य को सर्वोच्च मानव लक्ष्य के रूप में रखा गया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे संस्थानों ने घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देते हुए बहु-विषयक शिक्षण और अनुसंधान के उच्चतम मानक निर्धारित किये थे। किंतु बाद के समय में भारतीय शिक्षा प्रणाली के मूल तत्त्वों को भुला दिया गया।
- धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक 'द ब्यूटीफुल ट्री इंडीजिनस इंडियन एजुकेशन इन द ऐटीन्थ सेंचुरी' में अंग्रेज़ों के अधीन शिक्षा प्रणाली का मौलिक रूप से मूल्यांकन किया है। उन्होंने जिक्र किया है कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के साथ 19वीं सदी के अंत तक स्वदेशी संस्थान विलुप्त हो गए थे। वर्ष 1879-80 की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 10,553 थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा का विकास

- लॉर्ड मैकाले की ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से विदेशी और जड़विहीन थी। शिक्षा प्रणाली की अप्रासंगिकता ने आज़ादी के बाद की शिक्षा पर भी बोझ डाला। उस समय देश में केवल 17 विश्वविद्यालय 636 कॉलेज और 1,90,441 स्कूल थे। शिक्षा का स्तर असंतोषजनक था, जिसमें अंग्रेज़ी पर अधिक ज़ोर दिया जाता था और भारतीय ज्ञान प्रणाली से अलग भारतीय भाषाओं पर कम ध्यान दिया जाता था।
- इन चिंताओं को अनेक आयोगों और समितियों, जैसे– विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983-85), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (2005) में शामिल किया गया।
- नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 के बाद शिक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर केवल 14% थी जो कि वर्तमान में 74.04% हो गई है।
- 'अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण' (AISHE) रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार, देश में 993 विश्वविद्यालय, 39931 कॉलेज और 10,725 अकेले चल सकने योग्य संस्थान हैं; जिन्होंने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बना दिया है।
- इसके अलावा, क्यू.एस. ने शीर्ष 50 वैश्विक शिक्षा संस्थान के बीच भारतीय संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की है। साथ ही, पहली बार भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 48वीं रैंक के साथ शीर्ष 50 देशों में शामिल है।

नई शिक्षा नीति

- पिछले वर्षों में हासिल की गई प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की है। इसका उद्देश्य एक ओर हमारे देश की बढ़ती अनेक विकासवादी अनिवार्यताओं को पूरा करना है, जबकि दूसरी ओर एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज का निर्माण करना है।
- यह नीति शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और उनमें नवीनता लाने का प्रस्ताव करती है, जिसमें इसका नियंत्रण और संचालन शामिल हैं, ताकि एक नई शिक्षा प्रणाली बनाई जा सके।
- यह 21वीं सदी की शिक्षा के वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ जुड़ी हुई और भारत की परंपराओं और मूल्यों की प्रणाली के अनुरूप है।
- इस नीति के आधार पर भारत विश्व के लिये विश्वसनीय आधार बनते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

- नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को विवेचनात्मक प्रश्न पूछने, समस्या के समाधान और रचनात्मकता की क्षमता के साथ 'ज्ञान प्राप्त करने के लिये शिक्षा' की ओर बढ़ने में सक्षम करेगी।
- विद्यार्थियों को प्रश्न बहु-विषयक शिक्षा और नवाचार की संस्कृति में खुद को विकसित करने के लिये एक मंच प्रदान किया जाएगा। इसमें विज्ञान तथा गणित के साथ-साथ पाठ्यक्रम और व्यवसाय में कला, शिल्प, मानविकी, खेल-कूद, भाषा, साहित्य, संस्कृति और मूल्य शामिल होंगे। इससे छात्रों को आत्म-बोध और विमुक्ति के समग्र विकास में मदद मिलेगी।
- नए भारत की शिक्षा विद्यार्थियों को लाभकारी और संतोषप्रद रोज़गार के लिये तैयार कर चरित्र-निर्माण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी।
- नई शिक्षा नीति ज्ञान संबंधी सामाजिक तथा व्यावहारिक गंभीर कौशल विकसित करेगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा सांस्कृतिक जागरूकता और सहानुभूति, दृढ़ता, धैर्य, टीम वर्क, नेतृत्व तथा संवाद शामिल हैं, जिसे 'व्यावहारिक कौशल' भी कहा जाता है।
- इस प्रकार, वर्ष 2022 तक नया भारत शिक्षा प्रणाली के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करेगा और नई शिक्षा नीति आसानी से सुलभ, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण, किफायती और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित होगी।

अंतरिक्ष में भारत की सफल उड़ान

संदर्भ

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी स्थापना के 57 वर्ष पूरे कर चुका है। तब से अब तक भारत एक विश्वस्तरीय अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।
- आज इसरो अपने विशाल प्रक्षेपण केंद्रों, ट्रैकिंग केंद्रों, अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं, विनिर्माण एवं डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों के साथ अत्यधिक परिष्कृत और जटिल प्रौद्योगिकीय गतिविधियों में लगा हुआ है।

अंतरिक्ष में भारत का सफर

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 21 नवंबर, 1963 को केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम (तब त्रिवेंद्रम) के निकट मत्स्य स्थल थुंबा से नाइक-अपाचे साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण से मानी जा सकती है। बाद में थुंबा एक अंतर्राष्ट्रीय साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्थल भी बना।
- 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (इसरो) की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी उद्योग व शैक्षणिक संस्थान भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल, 1975 में पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। बाद के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों– भास्कर 1 व 2, ने विशेष अनुभव प्रदान किया जिससे भारत जटिल परिचालन दूर-संवेदी उपग्रहों के निर्माण में आज विश्व का अग्रणी देश है।
- भारत ने अपने पहले प्रायोगिक संचार उपग्रह 'एप्पल' को देश में विकसित रॉकेट मोटर से जून 1981 में भू-तुल्यकालिक कक्षा में पहुँचाया, जिसे यूरोपीय एरियन रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। हाल ही में, भारत 'भारतीय अंतरिक्ष यान' से विदेशी वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर गया और उनका प्रक्षेपण किया।
- 1980 के दशक में एस.एल.वी.-3 (SLV-3) की तुलना में अधिक सक्षम एस.एल.वी. को विकसित करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1983 में भारत ने अपना पहला बहुउद्देशीय ऑपरेशनल उपग्रह 'इनसैट IB' का प्रक्षेपण किया।
- वर्ष 1988 में आई.आर.एस.-1A के विकास के साथ ही भारत ने दूर-संवेदी उपग्रह को स्वयं डिज़ाइन करने, बनाने तथा रख-रखाव जैसी क्षमताओं का विकास किया।
- 1990 के दशक में इसरो ने बहुउद्देशीय उपग्रहों 'इनसैट-2' शृंखला का निर्माण देश में शुरू किया। वर्तमान में यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है।

- 80 और 90 के दशक की शुरुआत में भारत अपनी दूसरी पीढ़ी के प्रक्षेपण ए.एस.एल.वी. को पूर्ण करने में सफल रहा।
- बड़े उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के क्रम में वर्ष 1994 में 'ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान' (PSLV) का सफल परीक्षण किया गया। 'पी.एस.एल.वी' भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। 7 नवंबर, 2020 को इसरो ने 328 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया।
- प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में भारत पाँच यान शृंखलाओं– एस.एल.वी, ए.एस.एल.वी, पी.एस.एल.वी, जी.एस.एल.वी. तथा जी.एस.एल.वी. एम.के. III को विकसित कर चुका है और ठोस, तरल एवं क्रायोजनिक प्रणोदकों में महारत हासिल कर चुका है।
- पी.एस.एल.वी.-C37 चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसमें क्रायोजनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है।
- इसरो ने 5 जनवरी, 2014 को जी.एस.एल.वी.-D-5 में स्वदेशी रूप से विकसित 'क्रायोजनिक अपर स्टेज' (CUS) का सफल परीक्षण कर क्रायोजनिक रॉकेट प्रणोदन में महारत हासिल की।
- पाँचवीं पीढ़ी के प्रक्षेपण यान जी.एस.एल.वी. MK III की पहली उप-कक्षीय प्रयोगात्मक उड़ान वर्ष 2014 में हुई। जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण कर इसने परिचालन चरण में प्रवेश किया।
- मई 2016 में भारत ने 'पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेपण यान-प्रौद्योगिकी प्रदर्शक' (RLV-TD) का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। साथ ही, इसरो के 'सुपरसोनिक कॉम्बसशन रैमजेट' (SCRAMJET) इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन प्रणोदन प्रणाली के लिये अगस्त 2016 में सफलतापूर्वक आयोजित किया।
- इसके अतिरिक्त, भारत स्वयं की नौसंचालन प्रणाली, आई.आर.एन.एस.एस. या नाविक का विकास भी कर चुका है।
- भारत अब तक कई अंतरिक्ष अभियानों, जैसे– चंद्रयान-I, मंगलयान, एस्ट्रोसैट, मिशन शक्ति तथा चंद्रयान-II का सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है।
- भारत ने 22 अक्टूबर, 2008 को पी.एस.एल.वी. द्वारा 1380 किग्रा. के चंद्रयान-I को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा जो 14 नवंबर, 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुँचा। इसने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की खोज की थी।
- 5 नवंबर, 2013 को भारत ने पी.एस.एल.वी. द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को मंगल पर पहुँचाया। इसके साथ ही इसरो सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला विश्व की चौथी एजेंसी बन गया।
- पी.एस.एल.वी. द्वारा सितंबर 2015 में प्रक्षेपित किया गया 'एस्ट्रोसैट' पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान अभियान है जिसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है। इसने हाल ही में अल्ट्रा-पराबैंगनी प्रकाश में, आकाशगंगाओं में से एक की खोज करके एक बड़ी सफलता हासिल की।
- चंद्रयान-2 मिशन, भारत का दूसरा चंद्र अभियान है, जिसे 22 जुलाई, 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया था।
- कई संचार, मौसम विज्ञान (मौसम निगरानी), सुदूर संवेदन और वैज्ञानिक उपग्रहों के सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद इसरो ने भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन (नाविक) को सफलतापूर्वक स्थापित और संचालित किया है जो भारत और इसके आसपास के उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय की जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, जी.पी.एस. एडिड जीओ ऑगमेंटेड नेविगेशन (गगन) के माध्यम से इसरो नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों के लिये सैटेलाइट आधारित नेविगेशन और भारतीय एयरोस्पेस पर बेहतर हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गगनयान कार्यक्रम, भारत की अंतरिक्ष यात्रा की विकास गाथा में विभक्ति का एक बिंदु है, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में एक सशक्त प्रयास को चिह्नित

करता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को लागू करने के लिए जनवरी 2019 में इसरो में 'मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र' (HSFC) का गठन किया गया।

- इसरो ने जुलाई 2018 में नव अंतरिक्ष यान का एक महत्त्वपूर्ण प्रौयोगिकी तत्त्व– पैड एबॉर्ट टेस्ट को सिद्ध किया जो क्रू एस्केप सिस्टम की अर्हता प्राप्त करने के लिये परीक्षण की शृंखला में पहला है।
- मानव संसाधनों में क्षमता निर्माण की दिशा में और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिये एक डीम्ड विश्वविद्यालय, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को 2007 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था।
- भारत भावी अभियानों– गगनयान, आदित्य-L1 तथा चंद्रयान-3 की तैयारी पूरी क्षमता के साथ कर रहा है। इसका उद्देश्य भारी तथा अधिक सक्षम और कुशल उपग्रहों का निर्माण करना है।
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ाएगा और देश के भीतर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
- इस प्रकार, इसरो द्वारा कार्यान्वित भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देश के समग्र विकास और तकनीकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने के अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम योगदान दिया है।
- भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल हो चुका है, साथ ही यह अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है।

राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास

प्रमुख बिंदु

- 'राजकोषीय संघवाद' का आशय देश की केंद्र सरकार तथा सरकार की अन्य इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों से है। यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में किस तरह आवंटित किया जाता है।
- इसका क्रमिक विकास 18वीं सदी में आरंभ हुआ, जब अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1780 के दशक के लिखे अपने संघवादी पत्रों में कहा कि बहुस्तरीय (संघीय) सरकार में विभिन्न कार्य अलग-अलग स्तरों द्वारा संभाले जाते हैं, जिससे सरकार की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि अलग-अलग गतिविधियाँ अलग-अलग अभीष्टतम परिमाण में की जाती हैं।
- भारत में आज का राजकोषीय संघवाद उस ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत आज़ादी से पहले के भारत में हुई थी। भारत में राजकोषीय संघवाद के विकास की जड़ें वर्ष 1858 में मिलती हैं, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्र को सीधे अपने अधिकार में लिया।
- वह ऐसा समय था जब लेखा की कोई मानक व्यवस्था नहीं थी। वित्त पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ही होता था और स्थानीय सरकारों की माँग पूरी करने के लिये वह अपनी मरज़ी से वित्तीय अनुदान देती थी।
- स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राजस्व इकट्ठा करती थीं, जिस कारण संग्रह के परिणाम से उनका सीधा लेना-देना नहीं था।
- स्वतंत्रता आंदोलन में हुए प्रयासों के कारण वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार को भारत में चरणबद्ध तरीके से ज़िम्मेदार सरकार लाने की घोषणा करनी पड़ी।
- इसके बाद, मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित भारत सरकार अधिनियम, 1919 आया, जिसमें दोहरे शासन की व्यवस्था थी और प्रशासनिक विषयों तथा राजस्व स्रोतों को दो श्रेणियों– केंद्रीय एवं प्रांतीय में बाँटा गया था।

- वर्ष 1927 में साइमन आयोग ने भारत सरकार अधिनियम, 1919 की समीक्षा की और भारतीय राज्यों तथा प्रांतों का संघ स्थापित करने की सिफारिश की। उसके बाद वर्ष 1931 में लॉर्ड विस्काउंट पील की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजकोषीय संबंधों की पड़ताल की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच आयकर साझा किये जाने का सुझाव दिया।
- इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 लाया गया, जिसने प्रांतों एवं भारतीय राज्यों को दो अलग इकाई मानते हुए संघीय व्यवस्था स्थापित की।
- इस प्रकार, 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम ने भारत में राजकोषीय संघवाद का बुनियादी ढाँचा स्थापित किया।
- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत विभाजन के बाद सरदार पटेल ने 569 से अधिक रियासतों का विलय भारत संघ में करके संघीय ढाँचे की नींव रखी।

भारत में सार्वजनिक वित्त का संघीय चरित्र

- संघवाद संविधान का मूल तत्त्व बन गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि 'संविधान का मसौदा संघीय संविधान है, क्योंकि यह दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है।'
- वर्ष 1950 में अंगीकृत भारतीय संविधान भारत को राज्यों के धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी संघ के रूप में परिभाषित करता है। केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग-अलग विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक व्यवस्थाएँ हैं।
- संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों एवं कार्यों की सीमा तय की गई है, जैसे– केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों के कराधान अधिकार स्पष्ट किये गए हैं और राजस्व तथा कुछ अन्य संसाधनों की साझेदारी तय करने वाले सिद्धांत भी दिये गए हैं।

राज्यों को केंद्र से अंतरण

- केंद्र सरकार सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है।
- वित्त आयोग का गठन राजस्व एवं व्यय का अंतर पाटने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 275-278 के तहत वर्ष 1951 से ही हर पाँच वर्ष में किया जाता है। केंद्र से होने वाले अंतरण का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। यह केंद्रीय करों को राज्य के पास अंतरित करने के मानक एवं सहायता अनुदान के वितरण सिद्धांत की सिफारिश करता है।
- अभी तक चौदह वित्त आयोगों ने अपनी अवधि पूरी की है और 15वाँ आयोग 2020-21 के लिये सिफारिशें कर चुका है।
- 2014-15 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा विकास की योजना के लिए तय किये गए अंतरण में सशर्त अंतरण भी शामिल होते थे। धन के आवंटन की ज़िम्मेदारी अब वित्त मंत्रालय को दे दी गई है।

स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण

- वर्ष 1992 में 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन पारित होने के बाद ही दो स्तर वाला भारतीय संघीय ढाँचा तीन स्तर वाले ढाँचे में बदला और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- अनुच्छेद 243 (I) और अनुच्छेद 243 (Y) में पाँच वर्ष के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोगों के गठन की ज़रूरत और भी बढ़ गई ताकि राज्यों एवं पंचायतों के बीच शुद्ध बँटवारे पर निर्णय लिया जा सके, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के ज़िम्मे रहने वाले कर, शुल्क एवं टोल आदि निर्धारित किये जा सकें और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को उपलब्ध कराया जाने वाला सहायता अनुदान तय हो सके।

धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिये राजकोषीय संघवाद की पुनर्परिभाषा

- समसामयिक आवश्यकताओं तथा विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए समय के साथ संघवाद का विकास हुआ है।

- पिछले वर्ष कुछ बड़ी घोषणाएँ हुई, जिन्होंने केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में ढाँचागत बदलाव किये, जैसे– राज्यों को दी जाने वाली बिना शर्त राशि में वृद्धि, राज्यों को कर अंतरण एवं अनुदान समेत वित्त आयोग से अंतरित होने वाली राशि राज्यों के अंतरण का प्रमुख स्रोत रही हैं।
- चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर प्राप्तियों की हिस्सेदारी 32% से बढ़कर 42% हो गई, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त कुल अंतरण में वित्त आयोग के अनुदानों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 74% हो गई।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाना

- समय के साथ महत्त्वपूर्ण समितियों/उपसमूहों की सिफारिशों के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इनकी संख्या 190 थी, जो नवीं योजना के अंत में बढ़कर 360 हो गई और 12वीं योजना के आरंभ में 66 हो गई।
- वर्ष 2016-17 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिये नीति आयोग के अंतर्गत गठित उप समूह द्वारा पेश रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 66 से घटाकर 28 कर दी गई।
- बड़े राज्यों हेतु प्रमुख योजनाओं के लिये वित्त की हिस्सेदारी 70:30 (केंद्र : राज्य) से बदल कर 60:40 कर दी गई।

वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन

- वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक था।
- अनुच्छेद 279A के अंतर्गत संविधान ने जीएसटी परिषद् के गठन का प्रावधान किया जो केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त मंच था।

संघवाद मज़बूत करने में नीति आयोग की भूमिका

- नीति आयोग ने 1 जनवरी, 2015 से पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह ली और तभी से तीव्र आर्थिक कायाकल्प के लिये वह सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को मज़बूत करने में जुटा है।
- नीति आयोग ने सहयोग कार्यक्रमों एवं राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगातार जुड़े रहने की प्रक्रियाओं के जरिये सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाने की कई पहल की है।
- नीति आयोग ने बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु तथा केंद्र-राज्य साझेदारी मॉडल के तहत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के विकास में सहयोग के लिये 'सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ग ह्यूमन कैपिटल' (SATH) कार्यक्रम जैसी ई निजी-सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम भी चलाए हैं।
- साथ ही, क्षेत्रीय विकास असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने विशेष ध्यान एवं सहायता की ज़रूरत वाले क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर, द्वीपों एवं हिमालय में मौजूद क्षेत्रों के लिये विशेष कदम भी उठाए हैं।
- नीति आयोग ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का प्रदर्शन बेहतर करने में मदद करने के इरादे से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके लिये वह विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शी रैंकिंग के जरिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- नीति आयोग द्वारा आरंभ किये गए कुछ सूचकांक; शिक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल-प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक आकांक्षी ज़िलों के प्रदर्शन हेतु डेल्टा रैंकिंग हैं।
- भारत का कायाकल्प करने के प्रयास में यह प्रशासन के अहम घटकों में से एक है। इससे 'प्रतिस्पर्धी लोकवाद' की प्रवृत्ति कमज़ोर करने की बजाय 'प्रतिस्पर्धी सुशासन' की प्रवृत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

- दक्षता तथा निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती हमेशा ही संघवाद का अहम पहलू रही है। राज्यों की आकांक्षा पूरी करना भारत के राजकोषीय संघवाद की सबसे पहली प्राथमिकता है।

- केंद्र-राज्य संबंधों के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि राज्यों को देश की वृद्धि का ही नहीं बल्कि देश भर में नागरिकों के जीवन में सुधार का भी वाहक माना जा रहा है।
- केंद्र और राज्य के संबंधों का देश के वित्त पर अहम राजकोषीय प्रभाव होता है, जैसे कुल ऋण को केंद्र तथा राज्य के बीच साझा करने का अनुपात, राजकोषीय मामलों में अचूकता, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण, सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना तथा राजकोषीय दृष्टि से अनुत्पादक नीतियों को रोकने के लिये उपयोगकर्ता शुल्क में सुधार।
- निरंतर बदलती आर्थिक स्थितियों, नई तकनीकों के विकास एवं नए शासन ढाँचे के उद्भव के कारण केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन में, दक्ष सरकारी खरीद प्रणाली में, वित्तीय सूचना में पारदर्शिता के मामले में, राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा लाभार्थियों की एकीकृत सूची में नए सुधारों की आवश्यकता है।
- दोतरफा संचार के रास्ते हर समय खुले रहने चाहिये ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके जिससे विकास में कोई बाधा न पड़े, तभी विकसित भारत के सपने को सच में साकार किया जा सकेगा।

ग्रामीण विकास के लिये समग्र दृष्टिकोण

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में भारत तेज़ी से बढ़ते डिजिटल कौशल, तकनीकी क्षमताओं और प्रगतिशील विचारधारा के लिये पूरे विश्व में जाना जाता है। 55000 से अधिक स्टार्टअप्स, 400 से अधिक इन्क्यूबेटरों और 34 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ भारत को दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे स्टार्टअप राष्ट्रों में गिना जाता है।
- हालाँकि, भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी टियर-2 तथा टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के औपचारिक और अनौपचारिक श्रमबल का 70 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़ा हुआ है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, आई.ओ.टी. और सेंसर प्रौद्योगिकी, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढावा दे रहा है, जो उन्नत, किफायती, सुलभ और उपयोगी हैं।
- आज भारत को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के तेज़ी से बदलते रुझानों और प्रौद्योगिकी की डिजिटल क्षमताओं के साथ तालमेल रखते हुए अपने दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है
- हाल ही में, किये गए एक अध्ययन के अनुसार, स्टार्टअप परिवेश और नवाचार, विभिन्न कारकों के कारण ग्रामीण टियर 3 और टियर 4 शहरों तक नहीं पहुँच पाया है। अत: इन कम पहुँच वाले क्षेत्रों में मुख्य ध्यान नए उद्यमियों और नौकरी सृजनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की बजाय रोज़गार सृजन करने पर केंद्रित है।
- यह समय है कि हम ऐसे सभी क्षेत्रों में सकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाएँ और अन्वेषकों का आत्मविश्वास एवं जोखिम उठाने की प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा देने के लिये उन्हें बुनियादी साधन जैसे स्टार्टअप पूँजी, कौशल प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध कराए जाएँ। इसके लिये कुछ प्रमुख कारक हैं–

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना

- नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी संचालित व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता बताई गई है। एन.ई.पी. हमें अनुभवजन्य अध्ययन के महत्त्व को समझाने का प्रयास करता है और एक दक्ष दुनिया के लिये प्रासंगिक कौशल तंत्र विकसित करने के महत्त्व पर भी बल देता है।
- कंप्यूटरों के आगमन के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया और आज हम फिर से उसी स्थिति में हैं। विश्व में आने वाले समय में समस्याओं का समाधान आँकड़ों पर आधारित पद्धतियों पर केंद्रित है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे पक्ष में है और स्कूली बच्चों के लिये अध्ययन के अनुभवजन्य मॉडल की रचना पर और ध्यान देना चाहिये।

- ऐसा ही एक कार्यक्रम, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैब (ATL) है। अटल टिंकरिंग लैब उन स्कूलों में बनाई गई आधुनिकतम प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ बच्चों को नवीन प्रौद्योगिकी की उपकरण किटों से परिचित कराया जाता है।
- इन उपकरण किटों में लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 3डी प्रिंटर, सेंसर, रोबोटिक्स, अरडयूनों किट आदि शामिल हैं। ये उपकरण किट बच्चों में रचनात्मकता को विकसित करते हुए अभिकलनात्मक सोच के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- इसी तरह, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा स्कूली बच्चों के बीच आइडिएशन, डिज़ाइन थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और फिजिकल थिंकिंग आदि के कौशल को विकसित करने के लिये इस तरह की पहलें की जाती हैं।
- इन सभी गतिविधियों के संचालन का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के जरिये स्कूली बच्चों के स्थाई भविष्य के निर्माण में योगदान देने के साथ-साथ एक बेहतर समाज की रचना है।

उन्नतिशील युवा नवप्रवर्तकों को तैयार करना

- इस दशक का मुख्य लक्ष्य सतत् विकास लक्ष्य (SDG), 2030 को प्राप्त करना है और इसके लिये बजो समाधान तैयार किये जा रहे हैं, उसके केंद्र में देश के युवाओं को रखकर सक्षम बनाए जाने से ये लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं।
- देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोज़गार और स्टार्टअप परितंत्र की पैठ कम है और एस.डी.जी. की जानकारी और समझ तो और भी कम है।
- युवा नवप्रवर्तकों के विकास के लिये गठित संस्थागत संरचनाओं से अपेक्षित है कि वे युवा अन्वेषकों को वर्तमान में शहरी युवाओं को इनक्यूबेटर्स/एक्सेलरेटर के माध्यम से उपलब्ध अवसरों के समान उचित अवसर प्रदान करें और उन्हें स्थाई परिणाम प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करें।
- ऐसा ही एक प्रयास नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश के ऐसे भागों में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC) स्थापित करके किया जा रहा है जहाँ या तो सुविधाओं की पहुँच बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है।
- ये ए.सी.आइ.सी, एस.डी.जी. के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और युवा इनोवेटर्स को विकसित होने और पहचान बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।
- इसी तरह का एक प्रयास ग्रामीण समुदाय युवा फैलोशिप कार्यक्रम बनाकर किया जा रहा है, जो एक युवा अन्वेषक की प्रतिभा का दोहन करने और स्थानीय एस.डी.जी. चुनौती के एक व्यवहार्य समाधान तैयार करने पर केंद्रित है।
- स्थानीय उद्यमों को शुरू करने और विकसित करने के लिये युवाओं को स्थान और सहायता देकर फैलोशिप ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के साथ-साथ इस क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जा सकेगा।
- साथ ही, इसके लिये फैलोशिप कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नेटवर्क द्वारा भरपूर सहायता मिले। निजी क्षेत्र फैलोशिप प्राप्त करने वालों के समक्ष ट्रिपल बॉटम लाइन लक्ष्यों (लाभ, लोग और पर्यावरण) से व्युत्पन्न प्रासंगिक व्यापार चुनौतियाँ प्रदान करके फैलोशिप चला सकते हैं।
- इस फैलोशिप का उपयोग राज्य और जिला नवाचार इकाइयों के साथ संपर्क स्थापित करने और वर्तमान में अनुपयोगी जिला नवाचार निधि का दोहन करने में किया जाना चाहिये जिससे क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके।

डिजिटल टेक्नोलॉजी से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन

- कृषि क्षेत्र में नए सुधारों के आगमन के साथ युवा नवप्रवर्तकों को स्थानीय समाधानों को संस्थागत रूप प्रदान करने का अवसर दिया गया है जो कृषि क्षेत्र की इस चुनौती का हर पल सामना करते हैं।

- ए.आई. और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों के आने से उद्यमी देश के कृषि संकट का समाधान निकाल सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ न केवल फसलों के रुपाई पैटर्न पर इनपुट प्रदान करेंगी बल्कि किसानों को बाजार की घरेलू और वैश्विक माँगों की जानकारी भी प्रदान करेंगी।
- स्टार्टअप किसानों को कटाई-पूर्व चरण में उत्तम किस्म वाले बीज, प्रौद्योगिकी संचालित सिंचाई और परिशुद्ध कृषि प्रणालियाँ, जल संरक्षण और पूर्वानुमान-आधारित बाज़ार अवसरों की माँग प्रदान कर सकते हैं।
- स्टार्टअप किसानों को बाज़ार से सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान कर सकते हैं या उनके खेत के उत्पादों के खरीदार भी बन सकते हैं।
- उपरोक्त सभी अवसर स्टार्टअप्स के लिये मौजूद हैं और कृषि अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।

निष्कर्ष

एफ.पी.ओ. किसान को एक बड़ा मूल्य संवर्द्धन नेटवर्क बनाने और एक जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सृजन की दिशा में एकीकृत पद्धति की स्थापना का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है। उपरोक्त सभी प्रयास आज न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिये लाभदायक होंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत को एक ऐसा स्थाई भविष्य प्रदान करेंगे जो विश्व की माँगों की पूर्ति में भी सक्षम होगा।

सतत् ग्रामीण विकास में अवसंरचना क्षेत्र का महत्त्व

संदर्भ

- राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम योगदान है। ग्रामीण भारत हमारी खाद्य सुरक्षा के साथ तमाम क्षेत्रों को संबल देता है।
- देश के कुल कार्यबल में से 54.6% कामगार कृषि और सहायक क्षेत्रों में गाँवों में काम करते हैं। खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, ग्रामोद्योग और कई दूसरी गतिविधियाँ ग्रामीण भारत के जीवन का आधार हैं।

ग्रामीण क्षेत्र : विकास की राह पर

- ग्रामीण क्षेत्रों का आधारभूत ढाँचा कमज़ोर रहा। इस कारण काफी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को शहरी इलाकों में रोज़गार के लिये पलायन करना पड़ा। लेकिन बीते साढ़े छह सालों के दौरान ग्रामीण इलाको में अवसंरचना विकास पर जिस तरह ध्यान दिया जा रहा है, उससे कई सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज कई संभावनाओं के दरवाज़े खोल रही है। सतत् ग्रामीण विकास में अवसंरचना की बहुत अधिक अहमियत है।
- ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़कों, संचार सुविधाओं, पेयजल और सिंचाई, आवास, शौचालय, बिजली और रसोई गैस जैसी सुविधाओं की पहुँच के कारण ग्रामीणों के जीवन-स्तर पर काफी असर पड़ा।
- ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में अधिक निवेश आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के साथ रोज़गार की संभावनाओं को भी गति देता है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन और सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी योजनाएँ इसमें काफी मददगार सिद्ध हो रही हैं।
- सरकार ने अपने कार्यक्रमों के लिये वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी कर एक नई पहल भी की है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय : ग्रामीण भारत की धुरी

- ग्रामीण विकास मंत्रालय पहले विभाग के रूप में अक्तूबर 1974 में संकट खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का हिस्सा बना। 18 अगस्त, 1979 को एक इसका नाम बदल कर ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय और 23 जनवरी 1982 को ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया।

- जनवरी 1985 में इसे फिर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग बना दिया गया, लेकिन जुलाई 1991 में इसे फिर से मंत्रालय बना दिया गया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास व्यापक दायित्व है। ये ग्रामीण भारत के आधारभूत ढाँचे, ग्रामीणों का कल्याण और आजीविका, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा समेत कई पहलुओं पर काम करते हुए ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है।
- इस मंत्रालय के तहत आने वाली प्रमुख योजनाओं में विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण रोज़गार योजना- मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - ग्रामीण समृद्धि की आधारशिला

- भारत के पास विश्व का दूसरे नंबर का सबसे विशेष बड़ा सड़क तंत्र है। इनमें सबसे अहम भूमिका ग्रामीण सड़कों की है जो देश के कुल सड़क नेटवर्क का करीब 80% हैं।
- इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सामुदायिक सड़क योजना विशेष महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार ने दो चरणों में इस योजना की मदद से संपर्कविहीन क्षेत्रों को नया जीवन दिया है। इसके जरिये भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपर्क कायम हो सका है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई थी। योजना के तहत वर्ष 2010 से 2014 की अवधि में जहाँ 1.33 लाख किमी. ग्रामीण सड़कें बनी, वहीं वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 169 लाख किमी. से अधिक सड़कें बनी।
- इस योजना का चरण 2024-25 तक साकार होगा। सड़कों के निर्माण में अपारंपरिक सामग्रियों जैसे- बेकार प्लास्टिक, फ्लाई ऐश समेत कई धातुओं के बेकार हिस्सों का उपयोग भी किया जा रहा है और हरित प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- भारत की ओर से ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के लिये मास्टर ट्रेनरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों को प्रशिक्षण देकर व्यापक क्षमता विकसित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण- सम्मानजनक जीवन की गारंटी

- आवास मानव जीवन की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में गरीबों की आवासीय दशा दयनीय रही है। 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक बेहद महत्त्वाकांक्षी योजना आरंभ की। इसमें घरों में पानी, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएँ शामिल कर इसे और सार्थक बनाया गया है।
- 'सबके लिये आवास' के तहत वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत अब तक 2.21 करोड़ मकानों को स्वीकृति मिल चुकी है और एक करोड़ 86 हज़ार आवास बनाए जा चुके हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण- रोशनी से दमकता ग्रामीण भारत

- भारत को आज़ादी मिली तो केवल 1500 गाँव विद्युतीकृत थे और 6500 पंपसेट बिजली से चलते थे। ग्रामीण विद्युतीकरण 1950 के दशक में आरंभ किया गया, लेकिन इसकी गति धीमी रही और वर्ष 2011 की जनगणना में देश में 16.78 करोड़ ग्रामीण घरों में से 9.28 करोड़ यानी 55 फीसदी ही विद्युतीकृत थे।
- 28 अप्रैल, 2018 वह ऐतिहासिक दिन बना जब देश के सभी गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया गया। सरकार ने वर्ष 2022 तक गाँवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।

मनरेगा- रोज़गार के साथ स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण

- विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना ने न्यूनतम रोज़गार की कानूनी गारंटी के साथ तमाम स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण किया है। कोरोना संकट में भी मनरेगा बेहद मददगार रही।

- इससे अब तक 60.80 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है और 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य दिया गया। चालू वित्त वर्ष में इसके तहत 10 लाख काम संपन्न हुए हैं। मनरेगा के 261 स्वीकृत कामों से से 164 कृषि से संबंधित है।
- प्राथमिकता के आधार पर इसके कामों में जल-संरक्षण, सूखारोधी उपाय और वृक्षारोपण, लघु सिंचाई, बागवानी, भूमि सुधार, बाढ़ नियंत्रण, बारहमासी सड़कें, गाँव पंचायत मदद भवन, खेल मैदान, स्वच्छता सुविधा आदि शामिल हैं।

प्रत्येक खेत को पानी- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- प्रत्येक खेत को पानी देने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 में आरंभ की गई थी। प्रत्येक खेत को पानी के साथ इसमें सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के साथ भूजल स्कीम भी शामिल है। योजना के एक घटक पर वन ड्राप मोर क्राप का क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है।
- इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और भूमिगत जलस्तर में भी सुधार हुआ है।

जल जीवन मिशन- सभी ग्रामीण घरों तक नल

- सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को कार्यशील नल कनेक्शन मुहैया कराने के लिये 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन आरंभ किया।
- इस परियोजना से पहले ही लक्ष्य हासिल कर चुके ग्रामीण स्वच्छता अभियान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 15.81 करोड़ भुगतान ग्रामीण परिवारों को घरेलू जल नल कनेक्शन दिया जाना है।
- इससे महिलाओं का जीवन सरल हुआ है और दूषित जल के कारण गरीब परिवारों में होने वाली हैजा, टायफाइड, जैसी जलजनित बीमारियों को रोकने में मदद मिली है।

सूचना और संचार क्रांति की ताकत

- कोविड-19 महामारी में संचार और आईटी क्षेत्र की क्रांति का असर शहरों की तरह ग्रामीण भारत में भी देखने को मिला। ऑनलाइन शिक्षा से लेकर सरकारी तंत्र और ग्रामीण मंडियों तक पहुँच से उनको काफी मदद मिली।
- ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली भारतनेट परियोजना और उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज के द्वीपों को जोड़ने वाली अन्य परियोजनाओं से आने वाले समय में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी।
- दूरसंचार विभाग भारत के सभी गाँवों को चरणबद्ध तरीके से ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने का कार्य कर रहा है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप को बेहतर इंटरनेट सेवा के लिये समुद्र तल केबल के साथ जोड़ा गया।
- इन प्रयासों से ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन व्यापार में सुधार के साथ-साथ पर्यटन तथा कौशल विकास में भी मदद मिलेगी।
- पिछले पाँच वर्षों में डिजिटल भारत ने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच के डिजिटल अंतर को दूर किया है। भारत अब दुनिया में मोबाइल डाटा के उपयोग के मामले में विश्व में अग्रणी है।

अन्य योजनाएँ

- इन योजनाओं के साथ कई अन्य योजनाएँ और राज्य सरकारों की अपनी पहल ग्रामीण भारत का कायापलट कर रही हैं।

- भारत सरकार ने 16 सितंबर, 2015 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन को स्वीकृति दी थी। इसके तहत विकास की संभावनाएँ समेटे तीन सौ सघन ग्रामीण बसावटों में आधारभूत, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना शामिल है।
- इसी तरह सांसद आदर्श ग्राम योजना भी आधारभूत ढाँचे के विकास में प्रेरक का काम कर रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 11 अक्तूबर, 2014 को किया था।

निष्कर्ष

इस प्रकार, इन सभी योजनाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। सतत् ग्रामीण विकास में अवसंरचना विकास की ये सारी योजनाएँ काफी मददगार साबित हो रही हैं और नए भारत के निर्माण को नई दिशा दे रही हैं।

पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण

संदर्भ

नीति आयोग के दस्तावेज़ "नया भारत/75 हेतु रणनीति" द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, बुनियादी ढाँचे एवं उसके प्रभावी व कुशल प्रबंधन में विकास के माध्यम से एक जीवंत व नए भारत के निर्माण के लिये मार्ग प्रशस्त किया गया है।

नए भारत के निर्माण में जनभागीदारी की आवश्यकता

- नीति आयोग के दस्तावेज़ का उद्देश्य अधिकतम नागरिक कल्याण के साथ-साथ वर्ष 2022-23 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करना है।
- इस पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु सरकार की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता की महती आवश्यकता है।
- किसी भी विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मानव विकास को सुनिश्चित करना है। इस हेतु पर्याप्त बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता अति आवश्यक है।
- हालाँकि, बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता एवं आय, धन और अवसरों के असमान वितरण में असंतुलन ने भारत को मानव विकास सूचकांक (HDI) के निचले स्तर पर ला खड़ा किया है। मानव विकास रिपोर्ट, 2019 के अनुसार 189 देशों मे से भारत का 129वाँ स्थान है।
- यह योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिये भी परीक्षा की घड़ी है क्योंकि सरकार के जरिये वर्ष 2022 तक नए भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के विकास की गति बनाए रखना आवश्यक है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना : स्थिति की समीक्षा

- आधारभूत संरचना को विकास के इंजन के रूप में माना जाता है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, विद्युत और दूरसंचार जैसे भौतिक बुनियादी ढाँचे अर्थव्यवस्था को तो आकर्षित करते ही हैं और साथ ही प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभावों द्वारा गरीबी और बेरोज़गारी की समस्याओं के समाधान में भी अपना योगदान देते हैं।
- सरकारी सहयोग प्राप्त करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में सिंचाई, सड़क, जल की आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है।
- ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मौजूदा ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के द्वारा पारदर्शी ढंग से अतिरिक्त ढाँचागत सुविधाओं का निर्माण करते हैं।

- हालाँकि, ये योजनाबद्ध तरीके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं जैसी ज़मीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी के लिये मार्गदर्शन करते हैं।

सभी के लिये आवास

- वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को लागू किया गया है।
- इसके तहत अपवर्जित घरों की पहचान तथा उन्हें शामिल कर, पूर्ण पारदर्शिता के साथ घरों को समय-सीमा में पूरा करने के लिये पंचायत अधिकारियों द्वारा निर्माण गतिविधियों की सक्रिय और समय पर निगरानी की आवश्यकता होती है।

ग्रामीण संपर्क

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) मूल रूप से वर्ष 2000 में सभी मौसमों हेतु उपयुक्त ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये लागू की गई थी।
- इसके द्वारा विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं, बाज़ार और रोज़गार के अनेक अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण जनों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

ग्रामीण परियोजना

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ग्रामीण मजदूरी रोज़गार कार्यक्रम है। ग्रामीण मजदूरी सुनिश्चित करने के अलावा, यह कार्यक्रम विभिन्न ग्रामीण बुनियादी ढाँचों के निष्पादन की अनुमति देता है।

सिंचाई

- सिंचाई कृषि के महत्त्वपूर्ण आदानों में से एक है एवं विगत वर्षों में इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की गिरावट का अनुभव किया गया है। बड़ी संख्या में सिंचाई से संबंधित परियोजनाएँ आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं और इन परियोजनाओं में पहले से किये गए निवेश को अब डूबते निवेश के रूप में माना जाता है।
- एक आकलन के अनुसार, वर्ष 2016-17 में देश में 99 प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ थीं। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, जल की दक्षता में सुधार एवं टिकाऊ जल-संरक्षण विधियों की शुरुआत करना था।

ग्रामीण बैंकिंग सेवा

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त , 2014 को देशभर में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।
- सितबंर 2020 तक देशभर में इस योजना के तहत कुल 40.63 करोड़ खाते खोले गए जिनमें कुल जमाराशि 1,29,811 करोड़ रुपए है।

विद्युतीकरण

- किसी भी देश के सतत् आर्थिक विकास में विद्युत ढाँचा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न राज्यों में विद्युत क्षेत्र के निजीकरण से विद्युत उत्पादन, वितरण और प्रसारण क्षमता बढ़ाने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।
- भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य और उदय के माध्यम से विद्युत उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

ग्रामीण दूरसंचार

- दूरसंचार विभाग के 'सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि' (USOF) द्वारा ग्रामीण एवं दूरसंचार के क्षेत्रों में मोबाइल सेवा एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सक्षमता हासिल हुई है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक, बुनियादी और डिजिटल सुविधाएँ प्रदान करके चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को जीवंत बनाना है। इसने डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार कार्यक्रमों के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को सहयोग प्रदान किया है।

विकेंद्रीकृत योजना और जीवन की गुणवत्ता

- देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये हमारी विकास नीति ऐसी होनी चाहिये जिसमें क्षेत्रीय, स्थानीय सामाजिक व आर्थिक विषमता समाप्त हो, वंचित वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनें और सभी की विकास प्रक्रिया में सहभागिता हो।
- विकेंद्रीकृत विकास योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय मुद्दों की पहचान कर उनका समय पर समाधान, लोगों की समझ का विस्तार एवं उनकी भलाई करना है।
- बहु-क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ लोकतंत्र को मज़बूत करना है।

पंचायत की भागीदारी

- ग्रामीण बुनियादी ढाँचा कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में उचित क्रियान्वयन और प्रभावी प्रबंधन के लिये एक स्पष्ट योजना और रणनीति की आवश्यकता है।
- पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय नागरिकों के सहयोग से समय-समय पर अपने क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के संभावित विस्तार और निर्माण की आवश्यकता के आकलन हेतु समीक्षा कर सकती हैं।

आगे की राह

- वर्ष 2014 के बाद भारत सरकार ने केंद्र के जरिये प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की पहचान अंतर्भाग के रूप में की है, जो मुख्य रूप से योजना के मूल्यांकन, कार्यों की प्राथमिकता, नियोजन, निष्पादन और योजनाबद्ध गतिविधियों की निगरानी के लिये समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है।
- विकेंद्रीकृत विकास योजना से न केवल समय पर समाधान के लिये स्थानीय मुद्दों की पहचान होगी, लोगों की समझ का दायरा विस्तृत होगा और जनकल्याण का दायरा बढ़ेगा, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने और स्थानीय क्षेत्रों में सेवा वितरण दक्षता को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो जमीनी स्तर पर एक खुली और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये आम सहमति प्राप्त कर सकती है।
- इस प्रकार, जन भागीदारी के माध्यम से सहयोगात्मक निर्णय, मध्यस्थता, बुनियादी ढाँचा निर्माण, ग्रामीण जनता के भविष्य को आकार देने और एक जीवंत ग्रामीण भारत के उद्भव को सुनिश्चित करना है।

❐❐❐

संस्कृति IAS

The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रोग्राम

सामान्य अध्ययन

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	श्री अमित कुमार सिंह (IGNITED MINDS) एथिक्स	श्री ए.के. अरुण भारतीय अर्थव्यवस्था	श्री सीबीपी श्रीवास्तव (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	श्री राजेश मिश्रा भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	श्री रीतेश आर जायसवाल सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	श्री विकास रंजन (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

द्वितीय बैच प्रारंभ

ऑफलाइन बैच

12 अप्रैल

सायं 3 बजे

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

IAS (PT) 2021 सामान्य अध्ययन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़

कुल 25 टेस्ट

प्रत्येक टेस्ट के व्याख्या-सहित उत्तर

सम्पर्क करें: 7428085757/58
या
मिस्ड-कॉल करें: 9555-124-124

पता: 631, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: